लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha
(Third Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On 24.11.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०--अंक २१ से ३२--दिनांक ९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

अंक २१, सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ९०० से ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९१२ से ९१४, ९१६ और ९१८ से ९२१ — २०८५–२१०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९०५, ९१०, ९११, ९१५, ९१७, ९२२ से ९२८ और ४८७ — २१०८–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ से १३७१ और १३७३ से १३७५ — २११३–५०

मूंदड़ा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में — २१५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २१५०

राज्य सभा से संदेश — २१५०–५१

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना — २१५१

कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

विचार के लिए प्रस्ताव — २१५१–८३

दैनिक संक्षेपिका — २१८४–८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ से ९३६, ९३८ से ९४०, ९४२ से ९४८, ९५२ से ९५४ और ९५६ — २१८९–२२१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४९, ९५१, ९५५, ९५७ से ९६२, ९६२-क, ९६३ से ९७९, ९७९-क, ९८० और ९८१ — २२१५–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३९० से १४६० — २२२७–६२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २२६२–६३

कार्य मंत्रणा समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन २२६३

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—

विचार के लिए प्रस्ताव २२६३–२३०१

खण्ड २ और १ २२८५–२३००

पारित करने के लिए प्रस्ताव २३००

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक —

विचार के लिए प्रस्ताव २३०१–०४

दैनिक संक्षेपिका २३०५–१०

अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९ २३११–३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२ २३३६–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४ २३५३–९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २३९०–९२

राज्य सभा से सन्देश २३९२

भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया २३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २३९३

कार्य मंत्रणा समिति--	**पृष्ठ**
पंद्रहवां प्रतिवेदन	२३९३
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३९३-२४२१
खण्ड २ से ८ और १	२४१३-२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२४२०
दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२४२१-४३
दैनिक संक्षेपिका	२४४४-५०
अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८	२४७५-७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५	२४७७-२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०३-०४
राज्य सभा से सन्देश	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
व्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल	२५०४-०५
समिति के लिये निर्वाचन	२५०५
नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	२५०५-०६
सभा का कार्य	२५०६
दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०६-५८
खण्ड २ से ६० और १	२५२०-५६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५५६

पृष्ठ

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधेयक—(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव — २५५६–६६

दैनिक संक्षेपिका — २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ — २५७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ — २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ — २६०५–३२

सभा का कार्य — २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि — २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित — २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव — २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ — २६५१

पारित करने का प्रस्ताव — २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ — २६५१

पारित करने का प्रस्ताव — २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३—५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६—६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८—६९, २६७२—८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—पुरःस्थापित २६६९—७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण क लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१—८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८—८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९—२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४—२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४—२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७—३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५—६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०—६२

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२६, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५६, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८६	२७६२–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३	२७७७–२८०६
स्थगन प्रस्ताव—	
हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध	२८०६–०७
राज्य-सभा से संदेश	२८०७
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	२८०७
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८०८
विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित—	
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव	२८०८–१०
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	२८१०–३७
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२८३७–४६
जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन	२८४६–६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	२८५३
दैनिक संक्षेपिका	२८६१–६६
अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११६० से ११६२, ११६४ से १२०२ और १२०४	२८६७–६१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८	२८६१–२६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७६५ और १७६७ से १८०२	२६०२–२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६२६–३०
कार्य मंत्रणा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	२६३०–३१
वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	२६३१
सदस्य की दोष-सिद्धि	२६३१
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	२६३२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६३२–७२
सभा का कार्य	२६५८–५६
दैनिक संक्षेपिका	२६७३–७७
अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२६, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८	२६७६–३००३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५६, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२६०, १२६०-क और १२६१ से १३००	३००३–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८६०, १८६२ से १८६६, १८६६-क, और १८६७ से १६०४	३०२५–७१
जानकारी के लिये प्रश्न	
स्थगन प्रस्ताव--	
हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें	३०७२–७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति---

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक---

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७-९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१-९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने के सम्बन्ध में ३०९५-९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८-३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५-२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३-३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१-५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- | पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क — ३१५६–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ — ३१७६–३२२७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी — ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ३२२७

राज्य-सभा से संदेश — ३२२८, ३२७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव — ३२२६–६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव — ३२६५–७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया — ३२७६

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया — ३२७६

दैनिक संक्षेपिका . — ३२८१–८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ . . — ३२८६–३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . . — ३३१६–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ . . . — ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० — ३३३५–८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन — ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ३३८३–८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

चौथा प्रतिवेदन — ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५—३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक——पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित किया गया ——	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक——वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१—४९
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४९—६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३—६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७—७४
अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति——	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

लोक-सभा

शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भरती) परीक्षा

+

†*१३७६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री चांडक : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा में अभ्यर्थियों की विशेष भरती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा-फल की घोषणा कब की जायगी;

(ख) विशेष भरती में कितने पद भरे जाने वाले हैं;

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों को कितने कितने अधिकारी दिये जायेंगे; और

(घ) सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कब से आरम्भ होगा और यह कितने समय तक चलेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) विशेष भरती योजना के अधीन संघ लोक सेवा आयोग ने दिसम्बर, १९५६ में एक अर्हकारी परीक्षा[1] ली थी। इसका परीक्षा-फल अप्रैल, १९५७ में घोषित किया गया था। जिन्होंने इस परीक्षा में अर्हता-प्राप्त करली थी, उनका विशेष भरती बोर्ड इस समय इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू के परिणामों के आधार पर अंतिम रूप से चुनाव अगले वर्ष के आरम्भ तक हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Qualifying Examination.

(ख) २५० से ३०० स्थान आंशिक रूप से राज्यों की सेवाओं के पदाधिकारियों की पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से बाहर से की जाने वाली भरती द्वारा भरे जाने वाले हैं। निश्चित संख्या का निर्णय इस बात के आधार पर किया जायेगा कि किस प्रकार के अभ्यर्थी मिलते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के लिये भारतीय प्रशासन सेवा की कोई विशेष पदाली नहीं है। इसलिये जितने भी अधिकारी भरती किये जायेंगे वह सभी राज्य सरकारों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

(घ) जिन अधिकारियों की पदोन्नति की गयी है उनका समूहों में प्रशिक्षण आरम्भ भी हो चुका है। बाहर से चुने गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात् आरम्भ हो जायेगा। पदोन्नति किये गये और बाहर से चुने गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण चार मास तक चलेगा।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मैं समझता हूं, यह स्पेशल रिक्रूटमेंट इसलिए किया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को अनुभवी और अच्छे अफसरों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का रिजल्ट निकालने में और नियुक्तियां करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है?

†**श्री दातार :** मेरा ख्याल है कि कुछ भी विलम्ब नहीं हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हर वर्ष इन अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकतानुसार इनकी भरती होती रहेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा विचार है कि चूंकि परिणाम निकलने में देरी हो रही है, इसलिए एक अन्तरिम सूची—इन्टेरिम लिस्ट—निकाली जाय, जिस में से भरती की जा सके?

†**श्री दातार :** जहां तक राज्यों की सेवाओं में से पदोन्नति का प्रश्न है, कुछ भी विलम्ब नहीं हुआ है। हम राज्यों की सेवाओं में से १८० अधिकारियों का चुनाव कर चुके हैं और उन्हें भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त किया जा चुका है। बाहर से संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत भरती करने में अवश्य विलम्ब हुआ है। उसमें भी इन्टरव्यू शुरू हो चुके हैं और कुछ ही हफ्तों में, महीनों में नहीं, परिणामों को अंतिम रूप प्रदान कर दिये जाने की संभावना है।

†**श्री बोस :** क्या राज्यों की सेवाओं से पदोन्नत किये गये और बाहर से सीधे भरती किये गये अधिकारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में कुछ अंतर है और यदि हां, तो क्या?

†**श्री दातार :** अन्तर यह है कि जहां तक राज्यों की सिफारिशों से पदोन्नत किये गये अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्हें केवल उतना ही प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसकी उन्हें भारतीय प्रशासन सेवा के लिये उन्हें अर्ह बनाने के लिये आवश्यकता होगी। बाहर से भरती किये गये अधिकारियों के लिये उससे कहीं अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** यदि मैं उनकी बात ठीक से समझा हूं तो अभ्यर्थियों की संख्या २५० के आसपास है ।

†**एक माननीय सदस्य :** यह तो पदों की संख्या है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने कितने स्थान सुरक्षित किये गये हैं और क्या प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उन्हें सामाजिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ?

†**श्री दातार :** जहां तक स्थान सुरक्षित रखने का प्रश्न है, यह बात तो केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली भरती पर ही लागू होगी । जहां तक पदोन्नति का संबंध है, यह बात लागू नहीं होगी । बाकायदा चुने जाने के बाद इस संबंध म उन्हें सामान्य प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या इस बात की व्यवस्था के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है कि जहां तक इन २५० पदों पर नियुक्तियों का प्रश्न है विशेष भरती और राज्यों की सेवाओं मे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां के लिये निर्धारित कोटे का पालन किया जाय ?

†**श्री दातार :** क्या मुझे यह भी बताने की जरूरत है कि हमने नियमों में ऐसा उपबंध कर दिया है जिससे संघ लोक सेवा आयोग कुशलता का ध्यान रखते हुए शर्तों को कुछ ढीला कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों पर अत्यधिक सहानुभूति के साथ विचार कर सके ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लिखित परीक्षा--रिटन टैस्ट-- हुई, क्या उस के मार्क्स अन्तिम परिणाम में जोड़े जायेंगे, या वे अलग रखे जायेंगे ?

†**श्री दातार :** इन सब बातों का ध्यान रखा जायेगा ।

अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवायें

+

† १३८०. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं संबंधी भरती, प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये सचिवों की जिस समिति को नियुक्त किया गया था, क्या उसने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने कितनी प्रगति की है;

(ग) काम पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा; और

(घ) समिति को वास्तव में किस प्रकर का कार्य सौंपा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने अब तक लोक सेवाओं में भरती के लिये अर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया है ।

(ग) काम पूरा होने में कुछ महीने और लगने की सम्भावना है ।

(घ) सचिवों की समिति लोक सेवाओं से संबंधित विषयों पर विशेष अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करेगी और इन सिफारिशों पर समिति के विचार सरकार के लिये अन्तिम निर्णय करने में सहायक होंगे ।

†श्री राधा रमण : क्या यह केवल कुछ ही श्रेणियों में भरती संबंधित है या यह सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित है ?

†श्री दातार : यह सेवा की विभिन्न पदालियों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को खोजने का प्रश्न है । इसलिये जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि भरती के मौजूदा नियमों में कितना परिवर्तन करना जरूरी है । यह सभी उच्च सेवाओं पर लागू होगा ।

†श्री राधा रमण : मैं केवल यह जानना चाहता था कि यह किन पदालियों पर लागू होगा ?

†श्री दातार : यह केन्द्रीय सेवाओं पर लागू होगा ?

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या सचिवों की यह समिति केन्द्र और राज्यों के सेवा आयोगों के सदस्यों से भी परामर्श कर रही है ताकि जहां तक इन सेवाओं का संबंध है, उनके अनुभव से भी लाभ उठाया जा सके ?

†श्री दातार : यह विशेष अधिकारी १९५६ से काम कर रहा है । उसने काफी सामग्री एकत्र कर ली थी । यह समिति सारी सामग्री का पुनरीक्षण करेगी और उसके बाद सरकार अंतिम निर्णय करेगी ।

दशमिक सिक्के

†*१३८१. श्री विभूति मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दशमिक सिक्कों में रुपये के ३/४ भाग, १/२ भाग और १/४ भाग के सिक्के न होने के कारण जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो दशमिक सिक्कों में उपर्युक्त मूल्यों के सिक्के कब तक ढाले जायेंगे ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). आना-पाई वाले सिक्कों में भी ३/४ रुपये का कोई सिक्का नहीं है और दशमिक सिक्कों में भी इस प्रकार के सिक्के रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ५० और २५ नये पैसे के सिक्के न होने से भी दिक्कत होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि ८ आने और ४ आने के जो सिक्के चल रहे हैं उनसे उनका प्रयोजन पूरी तरह सिद्ध हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५० और २५ नये पैसे वाले सिक्कों की ढलाई छोटे सिक्के बड़ी मात्रा में ढल चुकने और आने पाई वाले सिक्कों का वापस लेना शुरू होने के बाद ही शुरू की जाने वाली है ।

श्री विभूति मिश्र : पिछली दफा एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि १/४ रुपये के तथा १/२ रुपये के कायन वे बनाने जा रहे हैं । मैं समझता हूं इस बात को करीब छः महीने हो गए हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया था कि छोटे डिनामिनेशंस के पैसे निकाले जायेंगे, उसके बाद ये बनाये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : हमने यह तय किया है कि अगले साल के बीच में इस पर फिर से विचार किया जाए कि ये ५० नए पैसे और २५ नए पैसे के कायन चलाये जायें ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी बताते हैं कि कठिनाई नहीं है । लेकिन आठ आने देने के लिए १०-१० नये पैसों के पांच कायन देने पड़ते हैं जिस से काफी वजन हो जाता है । यदि आठ आने का कायन बनाया जाए तो वजन कम हो जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी क्या इस कठिनाई को अनुभव करते हैं, यदि नहीं, तो क्या वह इसी दुनिया में रहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने कहा है कि आधे रुपये और चौथाई रुपये के सिक्के तो मौजूद ही हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : एक औचित्य प्रश्न है । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या मंत्री महोदय इसी दुनिया में रहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इसी दुनिया में रह रहे हैं ।

†**श्री आचार** : २५ और ५० नये पैसे के सिक्के चांदी के बनेंगे या निकल के ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरे ख्याल से वह निकल के बनेंगे । लेकिन इस बात पर सिक्कों का ढलना आरम्भ होते समय विचार किया जायेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि १ नये पैसे का आकार बहुत छोटा होने के कारण जनता को बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो इसका आकार बड़ा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात तो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

†**श्री ब० रा० भगत** : हमें बहुत थोड़े अभ्यावेदन मिले हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह प्रश्न नहीं उठता । फिर भी क्या मंत्रालय ने १ नये पैसे के आकार के छोटेपन पर विचार किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमें किसी वास्तविक कठिनाई का पता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० म० बनर्जी : क्योंकि वह तो उनका इस्तेमाल करते नहीं हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट ही माननीय मंत्री का अभिप्राय यही है कि उसका आकार पाई के बराबर तो है ही ।

ग्रामीण वैज्ञानिक केंद्र

†*१३८२. { **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राधा रमण :
श्री घोषाल : }

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) ग्रामीण जनता में विज्ञान और वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने अब तक कौन कौन से 'विज्ञान मन्दिरों (ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्रों) की स्थापना की है;

(ख) इन विज्ञान मन्दिरों की स्थापना किन किन तारीखों को की गई थी;

(ग) इनकी स्थापना से अब तक प्रत्येक पर कुल कितना कितना व्यय हुआ है; और

(घ) क्या उन का सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जा रहा है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) से (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११६**]

†**श्री सुबोध हासदा :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार कितने विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने वाली है और इनके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

†**श्री म० मो० दास :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ९२ विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इस पर कुल कितना व्यय होगा इस सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी मेरे पास नहीं है । योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रयोजन के लिए ५० लाख रुपये मंजूर किये हैं ।

†**श्री सुबोध हासदा :** विज्ञान मन्दिरों का उद्देश्य क्या है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

†**श्री म० मो० दास :** विज्ञान मन्दिरों का उद्देश्य रोजमर्रा के जीवन में वैज्ञानिक तरीकों की सामर्थ्यों के बारे में गांव वालों को शिक्षित करना है । इस उद्देश्य को विज्ञान मन्दिरों द्वारा संगठित किये जाने वाले क्लबों में चर्चा और गांव वालों की भूमि, जल विश्लेषण, पौधा रोग विज्ञान, स्वास्थ्य, सफाई, विज्ञान की शिक्षा आदि से सम्बन्धित रोजमर्रा की समस्याओं के वैज्ञानिक हलों के क्रियात्मक प्रदर्शनों द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राधा रमण : जैसा मंत्री महोदय ने अभी बताया, क्या इन विज्ञान मन्दिरों को कुछ विशेष कृत्य करने पड़ते हैं ? इन विज्ञान मन्दिरों को जो कृत्य सौंपे गये हैं क्या सरकार उन सभी को पूरा कराने में सफल हो गई है या उन्हें केवल आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका है ?

†**श्री म० मो० दास** : यह संस्था अभी नई ही है । मैं यह नहीं कह सकता कि हम सभी उद्देश्य पूरे कर चुके हैं । लेकिन हम उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

†**श्री सुबोध हासदा** : क्या विज्ञान क्लबों का संगठन किया जा चुका है और यदि हां, तो इन क्लबों के उद्देश्य क्या हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : विज्ञान क्लबों के उद्देश्य वही हैं जो मैं बता चुका हूं । सभी विज्ञान मन्दिरों में इन क्लबों की स्थापना कर दी गई है । गांव वालों की सुविधानुसार समय समय पर इन क्लबों की बैठकें होती रहती हैं । इन क्लबों में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा, जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर भाषण, सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक प्रदर्शन आदि कार्य होते हैं ।

शिक्षा सम्बन्धी भ्रमण

+

†*१३८३. { **श्री रा० च० मांझी** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) सरकार ने छात्रों को भ्रमण कराने के लिये १९५७-५८ में अभी तक शिक्षा संस्थाओं को कितने अनुदान दिये हैं; और

(ख) इसी अवधि में यह अनुदान किन किन संस्थाओं को मिले हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११७]**

†**श्री रा० च० मांझी** : विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों ने जिन जिन संस्थाओं की सिफारिश की थी उन में से किन किन को ये अनुदान दिये गये हैं ? यदि उन सब को नहीं तो कितनों को अनुदान दिये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य के मन में क्या बात है । अनुदान विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ही दिये जाते हैं ।

†**श्री रा० च० मांझी** : इसमें कितने विश्वविद्यालयों ने भाग लिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९५६-५७ में कुल ५,४३२ छात्रों ने भाग लिया और १९५७-५८ में १५ दिसम्बर तक ४,४९३ छात्र भाग ले चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से यह ज्ञात हुआ है कि गौहाटी विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालयों को उस कार्यक्रम में नहीं रखा गया है । क्या इसकी वजह यह थी कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह सूची काफी लम्बी है और इसमें बहुत सी संस्थाओं के नाम दिये गये हैं । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष संस्था के बारे में जानना चाहते हों तो उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए बहुत कठिन होगा ।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : स्टेटमेण्ट में तमाम तफसील मौजूद है ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री कहते हैं तमाम तफसील है । गौहाटी के बारे में इसमें कुछ नहीं है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि सूची में गौहाटी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है तो मेरा ख्याल है कि उस विश्वविद्यालय ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की सिफारिशों के संबंध में संख्या को सीमित कर दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : किसी भी राज्य के बारे में कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है । हम यह चाहते हैं कि इन कार्यों में भाग लेने के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जाये और जहां तक मुझे मालूम है आम तौर पर हम ऐसे आवेदनों को नामंजूर नहीं करते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह सूची बड़ी हो और किसी विशेष मद के बारे में जानकारी अपेक्षित हो तो उसके लिए अलग प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या मैं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदस्यों को बता चुका हूं कि जब तक मैं उन्हें न पुकारूं या वह मेरी निगाह में न आ जायें तब तक वह प्रश्न पूछने के लिए खड़े न हों ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मेरा ख्याल था कि मैं आपकी निगाह में आ गया हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह अनुदान किस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को दिये जाते हैं और क्या माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चलने वाले पिछड़ी जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के होस्टलों को इस प्रकार के अनुदान दिये जा सकते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि यह अनुदान विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार की सिफारिश पर ही दिये जाते हैं । इस बात का निश्चय करना उनका

†मूल अंग्रेजी में

काम है कि उन्हें किस संस्था की सिफारिश करनी चाहिये । जहां तक भारत सरकार का संबंध है वह वर्ग, जाति अथवा धर्म के आधार पर कोई भेद भाव नहीं करती ।

†श्री दशरथ देब : क्या इसमें से गैर-सरकारी संस्थाओं को भी कुछ अनुदान दिये जाते हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यदि माननीय सदस्य इस सूची को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें कई गैर-सरकारी संस्थाओं के नाम भी मौजूद हैं ।

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर

†*१३८४. { श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में भारतीय प्रोद्योगिक संस्था, खड्गपुर, की नगदी में से लगभग ७५,००० रुपयों का पता नहीं चला ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ; और

(घ) जांच का परिणाम क्या है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) से (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११८]।

†श्री बर्मन : विवरण में तो यह लिखा हुआ है कि वह राशि सरकार की नहीं थी, वह तो उस संस्था के विद्यार्थियों की थी जिसे एक गैर-सरकारी खजानची के पास जमा कराया गया था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के धन को एक गैर-सरकारी व्यक्ति के पास क्यों रखा गया था ? उस व्यक्ति की हैसियत क्या थी ?

†श्री म० मो० दास : जिस राशि का गबन हुआ है, वह न तो सरकार की थी और न ही उस संस्था की । वह तो विद्यार्थियों की निधि थी । विद्यार्थियों की निधि में भोजनशाला (मैस) के लिये जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि, भोजनशाला के लिये दिया गया पेशगी मासिक शुल्क, विद्यार्थी व्यायाम शाला निधि, विद्यार्थी भ्रातत्व निधि, और विद्यार्थी चिकित्सा सहायता निधि सम्मिलित हैं । पहले तो विद्यार्थियों से प्राप्त होने वाला सारा धन उस संस्था का रजिस्ट्रार अपने पास ही रखता था ; परन्तु बाद में यह निर्णय किया गया था कि यह सारा धन व्यायाम शाला के प्रधान तथा खजानची और उस व्यायाम शाला की प्रबन्ध समिति के पास जमा करवा दिया जाये । तब प्रबन्ध समिति के प्रधान ने निदेशक की सहमति से एक व्यक्ति नियुक्त किया है जिसे कि यहां पर गैर-सरकारी खजानची कहा गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन :** अब जब कि वह धन एक गैर-सरकारी व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा गया था, क्या इस हानि को विद्यार्थी वहन करेंगे या कि सरकार ?

†**श्री म० मो० दास :** सरकार इसको वहन नहीं करेगी । निदेशक ने इस सम्बन्ध में एक ऐसा प्रबन्ध किया है जिससे इस क्षति की पूर्ति की जायेगी । उसकी पूर्ति के लिये निदेशक ने २१ जुलाई, १६५६ को बोर्ड को यह सूचित किया था कि उसने भोजनशाला की समितियों से यह प्रार्थना की है कि वे प्रत्येक विद्यार्थी से एकत्रित मासिक शुल्क में एक एक रुपया बचा लें ताकि यह हानि पूरी की जा सके ।

†**श्री दासप्पा :** क्या वह खजानची इस धन के गबन के बारे में पता लग जाने के बाद फरार हुआ था, या कि पता लगने से पहले ही ?

†**श्री म० मो० दास :** वह तो बीमारी की छुट्टी पर था । उस छुट्टी के बाद वह कभी वापिस नहीं आया । कई पत्र लिखने के उपरान्त भी जब वह वापिस नहीं आया तो यही निर्णय किया गया कि तिजोरी को खोल कर धन निकाला जाये । जब तिजोरी को खोला गया तो देखा कि उसमें से बहुत सा धन गायब है ।

†**श्री दासप्पा :** इस धन को जमा कराने का क्या प्रबन्ध किया गया था ? क्या संस्था के प्राधिकारियों ने इस बात का ध्यान रखा था कि वह धन किसी बैंक आदि में जमा कराया जाये ?

†**श्री म० मो० दास :** गवर्नरों के बोर्ड ने बाद में यह निर्णय किया था कि यह राशि बैंक में जमा करा दी जाये । परन्तु जिस समय यह हानि हुई थी, उस समय यह राशि खजानची की अभिरक्षा में थी ।

†**श्री त्यागी :** क्या समय समय पर इन खातों का परीक्षण किया जाता था ? ७०,००० रुपयों की इतनी बड़ी राशि केवल एक लोहे के सन्दूक में क्यों रखी गयी थी ? इसे बैंक में क्यों नहीं जमा कराया गया था ? धन निकालने का किसे अधिकार था ?

†**श्री म० मो० दास :** जैसे मैंने बताया है यह धन न ही तो सरकार का था और न ही संस्था का । यह तो विद्यार्थियों की निधि थी । व्यायाम शाला की प्रबन्ध समिति के कहने पर ही वह धन व्यायाम शाला के प्रधान और खजानची के पास रखा गया था ।

†**श्री त्यागी :** क्योंकि निदेशक ने स्वयं इस प्रबन्ध में भाग लिया था, मैं हैरान हूं कि उन्होंने इस बात का क्यों नहीं ध्यान रखा कि उन खातों का पूरा पूरा परीक्षण किया जाये और वह धन बैंक में रखा जाये ।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : मगर आयन्दा के लिये यह फैसला कर दिया गया है कि रकम बैंक में रखी जाया करे ।

श्री त्यागी : जब रुपया ही नहीं रहा तो यह फैसला किस काम का ?

मौलाना आज़ाद : अगर इस तरह का फैसला नहीं किया जाता तो न मालूम और कितनी रकमें चली जातीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

+

†*१३८५. { **डा० राम सुभग सिंह**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २२ जुलाई, १९५७ के तारांकित **प्रश्न संख्या** २३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ क्षेत्रों में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू करने **की कोई** योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह शिक्षा कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) भारत सरकार संघ क्षेत्रों में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने की वित्तीय व्यवहार्यता के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं । आशा है इस पर लगभग ३५८.४ लाख रुपये का खर्च आयेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या यह निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में एक समान ही लागू होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक समान नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की स्थिति है । सरकार योजना के अनुसार काम कर रही है और सभा को ज्ञात है कि योजना में हमारा लक्ष्य यह है कि ६ से ११ वर्ष तक के ६३ प्रतिशत बच्चों और ११ से १४ वर्ष तक के २३ प्रतिशत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाये । यह लक्ष्य सारे के सारे देश के लिये है । हमारा यही प्रयत्न होगा कि यह लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या किसी राज्य सरकार ने छोटे पैमाने पर निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू की है, और क्या उसके लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कई राज्यों ने अपने कई क्षेत्रों में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू की है । केन्द्रीय सरकार तो केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये ही राज्य सरकारों को सहायता देती है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या संविधान में निर्धारित अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न पर कभी मंत्रिमंडल में भी विचार किया गया है, और यदि हां, तो संविधान में बताये गये रूप को दृष्टि में रखते हुए उसके प्रबन्ध करने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार ने प्राइमरी शिक्षा को लागू करने के सम्पूर्ण प्रश्न पर ध्यान पूर्वक विचार किया है । हमारा यही प्रयास है कि संविधान के निदेशों के

---

†मूल अंग्रेजी में

शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये । परन्तु सभा को ज्ञात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है । हाल ही में इस मामले पर शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में फिर से विचार किया गया था । उसमें यह विचार किया गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देने का प्रयत्न किया जायेगा । योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है।

†**श्री बर्मन** : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों ने अपने सीमित क्षेत्रों में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल संघ क्षेत्रों से था, यदि माननीय सदस्य यह जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि यूनियन टैरेटरीज में भी डिस्क्रिमिनेशन होगा और जो ऐसी टैरेटरीज हैं जो कमजोर हैं, डिप्रैस्ड हैं, उनके अन्दर बाद में यह चीज की जायगी, मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि डिप्रैस्ड ऐरियाज में पहले शुरू की जाये क्योंकि वे डिप्रैस्ड हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर अच्छी प्रकार से समझा नहीं है । मैंने तो यह कहा था कि शिक्षा की प्रगति की गति एक समान नहीं हो सकती क्योंकि संघ क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के विकास की अवस्था अलग अलग है । हमारा प्रयास यह अवश्य होगा कि सभी क्षेत्रों में न्यूनतम स्टैण्डर्ड तो होना ही चाहिये । परन्तु प्रगति की गति सभी स्थानों पर एक समान नहीं हो सकती ।

नेपाल को सहायता

*१३८६. **श्री भक्त दर्शन**: क्या वित्त मंत्री ७ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३० के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) नेपाल सरकार को उसकी पंचवर्षीय योजना के लिये अब तक कुल कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई है ; और

(ख) भारत सरकार की सहायता से अब तक कौन कौन सी मुख्य परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). मांगी गयी जानकारी का विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११९**]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से ज्ञात होता है कि १० करोड़ रुपये में से अभी तक केवल १ करोड़ ४० लाख रुपये नैपाल सरकार को सहायता के रूप में दिये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार वहां की पंचवर्षीय योजना की प्रगति से संतुष्ट है और क्या यह सत्य है कि वहां आये दिन जो मंत्रिमंडल बनते और बिगड़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से वहां की पंचवर्षीय योजना में व्याघात पड़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत : नैपाल हमारा एक पड़ौसी मित्र राष्ट्र है। उसकी पंचवर्षीय योजना पर मैं कोई एक टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तरीके से भारत को विदेशी मुद्रा, फारेन एक्सचेंज की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसी तरीके से क्या नैपाल सरकार के सामने भी यह कठिनाई है और यदि है तो भारत सरकार उसको क्या सहायता दे रही है?

श्री ब० रा० भगत : उनके निर्माण काम के लिए जो सहायता हम दे रहे हैं उसमें उनकी विदेशी मुद्रा की भी सहायता यथासंभव सम्मिलित है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत से जो विशेषज्ञ या अधिकारी नैपाल सरकार को इस सम्बन्ध में दिये गये हैं वे किन शर्तों पर दिये गये हैं और वहां की कठिनाइयों को देखते हुए उनको क्या कुछ विशेष एलाउंस दिये जा रहे हैं?

श्री ब० रा० भगत : उनकी सब कठिनाइयों, वहां की स्थिति और सभी बातों पर विचार करके ही उनका अलाउंस या दूसरी सुविधायें तय की जाती हैं।

पदाधिकारियों का पूल

†*१३८७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारियों का एक पूल बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है और कोई करार किया गया है, और यदि हां, तो वह क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : क्षेत्रीय परिषदों द्वारा जन-शक्ति आयोजन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ऐसी कौन सी समस्यायें हैं जिनके कारण भारत सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना पड़ा है।

†**श्री दातार** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन नयी विकास योजनाओं के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं और अब यह प्रश्न है कि क्या प्रशासनीय अथवा प्रविधिक प्रयोजनाओं के लिये उपयुक्त पदाधिकारी उपलब्ध हैं; और इसलिये सरकार यह जानने का प्रयत्न कर रही है कि उपयुक्त पदाधिकारी कितनी संख्या में उपलब्ध हैं। यदि पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, तो उन्हें किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस प्रश्न का सम्बन्ध सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये पदाधिकारियों का एक पूल बनाने से है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है?

†**श्री दातार** : इसका उत्तर इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्न पर अभी क्षेत्रीय परिषदें विचार कर रही हैं। उनकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही भारत सरकार उस पर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या इस योजना के अन्तर्गत मैनेजरों का पूल भी बनाया जायेगा ?

†**श्री दातार** : जी, हां ।

†**श्री तिम्मय्या:** सरकार का यह कहना है कि ५० प्रतिशत कर्मचारी चुने जाते हैं और ५० प्रतिशत भरती किये जाते हैं । क्या इस में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से उनके प्रति अन्याय न होगा ?

†**श्री दातार :** सरकार इस बात को भी अपने ध्यान में रखेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिये एक सामान्य राज्यपाल और एक सामान्य सचिवालय रखने के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री दातार:** सभी क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल नियुक्त करना संभव नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या किसी एक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल तथा एक ही सचिवालय रखना संभव नहीं है ?

†**श्री दातार** : वह एक अलग प्रश्न है । इस प्रश्न का सम्बन्ध तो कर्मचारियों से है, इसका राज्यपालों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

विदेशी मुद्रा

†*१३९०. +
- **श्री हेडा:**
- **सरदार इकबाल सिंह:**
- **श्री स० म० बनर्जी :**
- **श्री पांगरकर:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १ अक्तूबर से प्रारम्भ होने वाले आधे वर्ष के लिये विदेशी मुद्रा आवंटित करने के लिये २२५ करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं ; और

(ख) इस राशि को फिर आगे प्रत्येक राज्य के सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये कैसे बांटा जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). यह बताना लोक हित में नहीं है कि सरकार द्वारा अक्तूबर, १९५७ से मार्च, १९५८ तक के आधे वर्ष के लिये आवंटन के लिये कितनी विदेशी मुद्रा निर्धारित की गयी है । और उसे कैसे वितरित किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेडा : विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक तथा अन्य लोग समय समय पर यह जानना चाहते हैं कि कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है और उसे कैसे आवंटित किया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने यह कहा था कि लोक हित को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी देना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का यह कहना है कि यदि यह जानकारी दे दी जाये तो उससे बहुत सी मिथ्या भ्रान्तियां दूर हो जायेंगी।

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : वास्तव में बात यह है कि हम ने कई वचन दिये हुए हैं जिन के सम्बन्ध में मैंने सभा को पहले ही बता दिया है। उन वचनों के अनुसरण में हम ने कुछ एक राशियां विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित कर दी हैं। निस्सन्देह एक बहुत बड़ी राशि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को प्राप्त होगी। यदि वह राशि स्पष्टतया बता दी जाये तो उपलब्ध राशि के आवंटन के सम्बन्ध में झगड़ा पैदा हो जायगा। इससे धन की मांगें बढ़ जायेंगी अथवा कई प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ जायगी क्योंकि अब जारी किए जाने वाले लाइसेन्सों की संख्या में कमी होने वाली है। अतः मैं यह समझता हूं कि जब तक लाईसेंस नहीं दिए जाते, तब तक इस काम के लिए आवंटित की गई राशि की कुल मात्रा को गुप्त रखना ही अच्छा है। इस अवधि के बीत जाने के उपरान्त ही यह जानकारी दी जा सकती है।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेंड बांध की पूर्ति में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के सम्बन्ध में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां अब दूर हो गई हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यह कह दिया है कि वह कुल राशि नहीं बताना चाहते। अब माननीय सदस्य उसी राशि को पृथक २ भागों में पूछ रहे हैं।

†श्री हेडा : धन के आवण्टन से पूर्व तो यह जानकारी देने में कोई कठिनाई हो सकती है, परन्तु आवण्टन के बाद यह जानकारी देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तविक स्थिति यह है कि आवण्टन सालम रूप में किए जाते हैं और प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग ब्योरे भी तैयार किये जाते हैं। यह काम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का है। उसी मंत्रालय को विभिन्न उद्योगों की मांगों पर विचार करना है और फिर उन्हें धन का आवण्टन करना है। इस लिए सरकार कुल धन राशि के सम्बन्ध में इसी समय घोषणा नहीं कर सकती। माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि धन का आवण्टन हो जाने के उपरान्त यह जानकारी देने में क्या कठिनाई है। परन्तु वास्तव में बात यह है कि यह आवण्टन अब से ले कर लगातार मार्च १९५८ के अन्त तक होता रहेगा।

†श्री सिंहासन सिंह : रेंड बांध की राशियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या वह एक रहस्यपूर्ण मामला है और क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या संघ सरकार द्वारा धन की वह मांग पूरी कर दी गई है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक रेंड बांध के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह केवल एक विदेशी मुद्रा का ही प्रश्न नहीं, यह तो निधि-सम्बन्धी प्रश्न है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय यह विचार कर रहा है कि इस योजना को देश की अन्य विभिन्न परियोजनाओं के प्रसंग में किस प्रकार से चलाया जा सकता है । सम्भवतः माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि विदेशी मुद्रा में से कुछ एक राशि रेंड बांध के बांध भाग के लिए निश्चित की गई है । अब तो विद्युत् परियोजना के लिये ही और धन की आवश्यकता है । अब हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या विद्युत् परियोजना के लिए आवश्यक राशि किसी और प्रकार से ऋण अथवा सहायता के रूप में प्राप्त की जा सकती है । इस सम्बन्ध में मैं इस समय और कुछ भी नहीं बता सकता । यह साधारण वस्तुओं के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंसों का एक साधारण सा प्रश्न नहीं है, यह तो एक पूर्णरूपेण पृथक् प्रश्न है और इस पर एक अलग दृष्टि से विचार करना होगा ।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आगामी छः महीनों में अपेक्षित विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी का कौन सा भाग समाज अथवा जनता के लिए अहितकर है । पंचवर्षीय योजना की चर्चा में शेष पांचों वर्षों के लिए निश्चित किए गए ये आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं । इस प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है कि विभिन्न उद्योगों को कितनी कितनी राशि आवंटित की जायगी । इस प्रश्न में तो केवल यही पूछा गया है कि २२५ करोड़ रुपयों की इस कुल राशि में से कितना भाग सरकारी क्षेत्र में और कितना भाग गैर-सरकारी क्षेत्र में आवंटित किया जायगा । मैं तो यह समझता हूं कि यह जानकारी देने में कोई हानि नहीं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं समझता कि विदेशी मुद्रा के प्रश्न को सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है । सरकारी क्षेत्र की मांगें मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में हैं, और क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा की मांगें केवल ऋणों के आधार पर ही पूरी की जायेंगी, इसलिए इसका यह तात्पर्य है कि गैर-सरकारी क्षेत्र और उसकी अर्थ-व्यवस्था की पूरी पूरी व्यवस्था करनी होगी । यदि इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल होता तो यह बताने में कोई कठिनाई न होती कि कुल राशि ४०० करोड़ रुपये है जिसमें से १८५ करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में और २१५ करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे, परन्तु वास्तव में निश्चित रूप से यह आंकड़े बताना एक कठिन कार्य है । यह आंकड़े आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकते हैं । यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि प्रतिरक्षा कार्य सरकारी क्षेत्र में है, तब तो मैं निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि उसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है । हम एक विशेष राशि तो निर्धारित कर देते हैं परन्तु कभी उसे बढ़ा देना पड़ता है और कभी कभी उसे घटा देना पड़ता है । अतः इस सम्बन्ध में इसी समय पूरी पूरी जानकारी देना तथा उसके ब्यौरे बताना नहीं सम्भव है और न ही लोक हित में है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद भी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश में विद्युत्-शक्ति बहुत कम थी, इस परियोजना के लिए केवल ०.१ विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है और यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने पहले ही यह बता दिया है कि जहां तक रेंड बांध के कार्य का सम्बन्ध है, इसे एक बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा की राशि से प्रारम्भ किया गया है, इसलिए उस प्रश्न को बार बार पूछने से कोई लाभ नहीं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरा यह निवेदन है कि यह वही प्रश्न नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह पहले ही बता दिया है कि बांध का कार्य विदेशी मुद्रा से प्रारम्भ किया गया है और विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री आवंटन की राशियां बताना तो चाहते हैं परन्तु अप्रैल १९५८ में ही। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों में इस जानकारी के लिए बड़ी उत्सुकता है, क्या यह जानकारी उससे पहले देना सम्भव न हो सकेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं वास्तव में वह जानकारी नहीं दे सकता। मैंने देश की सारी मांग भी आप को बता दी है। और सभा में चर्चा के दौरान में यह भी बता दिया है कि देश में कुल कितने संसाधन उपलब्ध हैं। यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि यदि मैं कोई विशेष संख्या बताऊं तो वे इस बात की ओर निर्देश कर सकते हैं कि उस से अधिक राशि प्राप्त करना सम्भव है तो उस राशि का उल्लेख करने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु प्रश्न यह है कि वह राशि आएगी कहां से ?

मैन्यूअलों, नियमों इत्यादि का हिन्दी में अनुवाद

***१३९१. श्री क० भे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राजकीय भाषा आयोग को यह सूचित किया था कि मैन्यूअलों, नियमों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद कार्य १९६० तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय के कौन से मैन्यूअलों, नियमों इत्यादि का अनुवाद किया गया है और अक्तूबर, १९५७ तक उनमें से प्रत्येक के कितने पृष्ठों का अनुवाद किया जा चुका है ; और

(ग) प्रत्येक मंत्रालय के लगभग कुल कितने पृष्ठों का अनुवाद किया जायेगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और पूरी हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी इस समय तक जो अंग्रेजी मैन्युअल्स वगैरह का हिन्दी में अनुवाद हुआ है उसकी प्रगति से संतुष्ट हैं, और यदि नहीं तो क्या इस बारे में कुछ तेजी से कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, सबसे अधिक आवश्यक कार्य यह है कि हिन्दी में वैज्ञानिक तथा अन्य प्रविधिक शब्दों की शब्दावली तैयार की जाय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वह कार्य किया जा रहा है। इस मंत्रालय द्वारा लगभग ८ विषयों से सम्बन्धित शब्दावली अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है और अन्य १२ विषयों के सम्बन्ध में भी अस्थाई रूप से सूचियां तैयार हो चुकी हैं ; उन के पूरा होते ही अन्य मंत्रालय विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, नियमों तथा मैनुअलों का अनुवाद प्रारम्भ कर सकेंगे। उस समय केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद विधि मंत्रालय प्रारम्भ करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : यह जो टैकनिकल टर्म्स का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है क्या इसके बारे में कोई निश्चित अवधि बतायी जा सकती है कि जब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

†**श्री दातार :** जैसा कि प्रश्न कर्त्ता ने स्वयं ही अपने प्रश्न में बताया है कि यह कार्य १९६० तक पूरा हो जायेगा ।

†**श्री बि० दास गुप्त :** क्या राज्य-भाषा आयोग के प्रतिवेदन का भी हिन्दी में अनुवाद हुआ है या नहीं ।

†**श्री दातार :** उस का अनुवाद हो रहा है ।

†**श्री तिम्मय्या :** जब कि हमने यह निश्चय कर लिया है कि अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को दे दिया जाये तो क्या अंग्रेजी की महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई प्रयत्न किया है ?

†**श्री दातार :** हम पहले अधिनियमों तथा मैन्युअलों का अनुवाद तो कर लें बाकी चीजों पर बाद में विचार किया जायगा ।

पटसन की पैदावार के केन्द्रों में बैंकिंग सुविधायें

† १३९२. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की पैदावार करने वाले क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों और काश्तकारों के लिये बैंकिंग सुविधायें बहुत कम हैं ; और

(ख) क्या मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये उन्हें कुछ पेशगियां देने की सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी हां ।

(ख) व्यापारिक बैंकों ने पटसन की पैदावार करने वाले इन क्षेत्रों में इस लिये बैंकिंग सुविधायें प्रदान नहीं की हैं कि वहां के लोग थोड़ा-थोड़ा ऋण लेते हैं और उन के पास जमानत के लिये भी कोई विशेष वस्तु नहीं होती है । पश्चिमी बंगाल में पटसन के काश्तकारों को राज्य सरकार पेशगियां देती है और वहां पर्याप्त संख्या में सहकारी समितियां स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता पटसन मिलों में स्टाक कम रह जाने पर रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को निदेश दिया था कि वे पटसन के व्यापारियों को ऋण सुविधायें न दें ? अब जब कि हालत उलट है और काश्तकार उचित मूल्य पर पटसन नहीं बेच सकते क्या रिजर्व बैंक राज्यों में मुफस्सिल बैंकों को निदेश देगा कि वे उदारता से ऋण सुविधायें दें ?

श्री ब० रा० भगत : हमें इस प्रकार के किसी निदेश के बारे में मालूम नहीं है ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या राज्य बैंक, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोलने के लिये कहा गया था, से कहा जायेगा कि वह काश्तकारों को ऋण सुविधायें दे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : शाखायें अथवा व्यापारिक बैंक खोलने से काश्तकारों को ऋण की सुविधायें देने की समस्या हल नहीं होगी क्योंकि एक तो उन्हें केवल १०० या २०० रुपये की जरूरत होती है। जो कि सरकारी समितियां पूरी कर सकती हैं। यह सारा काम रिजर्व बैंक विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करके करता है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुछ सहकारी समितियां स्थापित की हैं और अन्य राज्यों में भी यह सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

†श्री पाणिग्रही : क्या उड़ीसा में पटसन की काश्त करने वालों को सुविधायें देने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई राशि दी गई है ?

†श्री ब० रा० भगत : हमें कोई जानकारी नहीं है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने आय-व्ययक में २५ लाख रुपये की राशि सहकारी संस्थाओं को पेशगियां आदि देने के लिये अलग रख दी है। हमें ज्ञात नहीं है कि उड़ीसा, बिहार और आसाम सरकारों ने आय-व्ययक में ऐसी कोई व्यवस्था की है अथवा नहीं।

†श्री तिरुमल राव : सहकारी संस्थाओं के जरिये पश्चिमी बंगाल में ऋण के तौर पर कुल कितनी राशि का वितरण किया गया है ?

†श्री ब० रा० भगत : ये आंकड़े एकत्र करना तो बहुत कठिन है परन्तु जैसा कि मैं बता चुका हूं आयव्ययक में २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। उसमें से कितनी राशि का वितरण किया जा चुका है मैं यह बताने में असमर्थ हूं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : बावजूद इसके कि पटसन की काश्त में बिहार प्रमुख क्षेत्र है फिर भी इस वर्ष वहां छोटे व्यापारियों के लिये ही नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों के लिये भी उतनी सुविधायें नहीं हैं जितनी गत वर्ष थीं ?

†श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं।

सिलीकोन्स

†*१३९३. श्री व्रजेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन निर्माण गवेषणा संस्था, रुड़की ने इमारतों के संरक्षण के लिये सिलिकोन्स पर कोई प्रयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ;

(ग) इस सामग्री के निर्माण के लिये कौन-कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है ;

(घ) क्या इस संस्था में कच्चे मकानों के संरक्षण के लिये किसी सामग्री का पता लगाया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) परिणामों से पता चला है कि कच्ची और मिट्टी की दीवारों पर सिलिकोन्स लगाने से उन्हें मानसून से बचाया जा सकता है और उस पर लागत भी कम आती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सिलिकोन्स की रचना उसके प्रयोग के अनुसार अलग-अलग होती है। उसमें मुख्य वस्तुएं क्लोरीन और रेत हैं।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) अभी प्रयोग किये जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में राष्ट्रीय और राज्य राजपथ

†*१३९४. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में राष्ट्रीय और राज्य राजपथों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उन्हें किन आधारों पर राजपथ घोषित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) त्रिपुरा में कोई राष्ट्रीय अथवा राज्य राजपथ नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दशरथ देव** : सरकार अगरतला-आसाम सड़क को राष्ट्रीय राज पथ क्यों घोषित नहीं कर सकी ?

†**श्री दातार**: सरकार सारे प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि प्रादेशिक परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत कुछ सड़कों की देखभाल का काम तुरन्त उन्हें सौंपा जाना है। सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि क्या कुछ सड़कों को राज्य राजपथ शुमार किया जाये। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। इस समय पश्चिमी बंगाल अधिनियम लागू होता है परन्तु प्रस्थापना यह है कि बम्बई राजपथ अधिनियम को लागू किया जाये। तब काफी सुविधा हो जायेगी ।

†**श्री दशरथ देव**: क्या माननीय मंत्री का यह अभिप्राय है कि कुछ सड़कें प्रत्यक्ष रूप से प्रादेशिक परिषदों के प्रशासन में हैं ? परन्तु क्या यह सच नहीं कि केवल पगडंडियां ही प्रादेशिक परिषद् के अधीन हैं ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। ६८२ मील लम्बी सड़क में से ४५१ मील उन्हें दे देने का विचार है।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या अगरतला नगर और त्रिपुरा के अन्य डिवीजनल नगरों के सभी सड़कें, छोटी सड़कें, कूचे और गलियां राष्ट्रीय राजपथ समझे जाते हैं या कि राज्य राजपथ ?

†**श्री दातार** : अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

रंगीन मिट्टी

†*१३९५. **श्री नारायणस्वामी**: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिस्टैम्पर में इस्तेमाल करने योग्य रंगीन मिट्टी कोडैकनाला, कोडैकनाल पहाड़ियों और मदुरै जिला में सड़कों के किनारे पाई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लियोमार्जिक मिट्टी को प्रयोग करने, जो कि गेरुआ और राम रज[1] की घटिया किस्म के कलई तैयार करने के काम में भी आती है । का काम राज्य सरकारों का है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि उत्तर अर्काट के वंदिवाश तालुक के सारे थाचमबडो फिर्का में यह रंगीन मिट्टी पाई जाती है जो कि समारंजन के लिये और अन्य कामों में इस्तेमाल होती है ? यदि हां, तो क्या उसे प्रयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह बताना कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जरा ऊंचे स्वर में यह कह सकते हैं कि पूर्व सूचना के बिना इसका उत्तर देना कठिन है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या राज्य सरकार ने इस मामले में कोई टैक्नीकल मंत्रणा अथवा सहायता मांगी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं ।

बबीना के निकट बम विस्फोट

†१३६७. **श्री मोहन स्वरूप**: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बबीना सैनिक केन्द्र के निकट नाहादा और मवई के दो गांवों के पास बम-विस्फोट की दो घटनायें हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन घटनाओं के कारणों का पता लगाया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह रावगायकवाड़): (क) २४ अक्तूबर और १८ नवम्बर को क्रमशः दो विस्फोट घटनायें हुईं दोनों विस्फोट मावे गांव के समीप हुए ।

(ख) दोनों घटनाओं में विस्फोटों की छान बीन के लिये कोटर्स आफ इन्क्वायरी मुकरर की गई थीं । यद्यपि पूरा विस्तार अभी प्राप्त नहीं है कोर्ट ने पहली घटना के बारे में अपनी कार्यवाही पूर्ण करली है । पता चला है कि इस घटना के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है । दूसरी घटना के लिये मुकरर की गई कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने अपनी कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं की है ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : सेना के कैंम्प से वह स्थान कितनी दूर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री एक दूसरे से परामर्श कर रहे हैं ।

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड** : ब्योरे के लिये प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री मोहन स्वरूप : क्या सेना प्राधिकारियों को ठीक समय पर ग्रामवासियों ने सूचित कर दिया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में पूर्व सूचना दी जाती है और उस क्षेत्र को साफ करने का काम असैनिक प्राधिकारियों का होता है । इस मामले में भी सूचित किया गया होगा ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[1]Buff shade

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : भाग (ख) में कहा गया है कि कार्यवाही पूरी हो चुकी है। यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के कारण बताये गये हैं ?

†**श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़** : अभी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पहली दुर्घटना का प्रतिवेदन उपलब्ध है परन्तु कारण नहीं बताये गये हैं।

†**श्री नाथ पाई** : स्वयं उनके पास ही जानकारी नहीं है।

†**श्री रघुरामैया** : मंत्रालय को अभी प्रतिवेदन नहीं मिला है। प्रतिवेदन मिलते ही जो जानकारी सम्भव होगी दे दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

*१३९८. **श्री इगनेस बेक** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां देते समय छात्र की "हैसीयत" को देखना बन्द कर दिया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी हां।

†**श्री इगनेस बेक** : क्या हैसीयत की जांच करना अस्थायी तौर पर बन्द किया गया है या कि सदा के लिये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कहना बड़ा कठिन है कि यह स्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है। यह तो हालात पर निर्भर करता है। परन्तु कुछ वर्ष तक के लिये इसे हटाया गया था। इसे जल्दी पुनः आरम्भ नहीं किया जायेगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इस उत्सादन के क्या कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : : कारण ये हैं . . . . . .

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : समुदाय ही गरीब है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार भी गरीब है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि माननीय सदस्य मेरी बात सुनने के बाद टिप्पणी करें तो ठीक होगा। इसके तीन कारण हैं। छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले लोगों में उच्च आय वाले वर्ग के छात्र बहुत कम होते हैं इस लिये हैसीयत की जांच पर जितनी मेहनत खर्च होती थी उसके बराबर फायदा नहीं होता था। इसे स्पष्ट करने के लिये मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। १९५३-५४ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में ७,५४१ छात्रवृत्तियां दी गई थीं और केवल ४७ छात्रवृत्ति पाने वालों के माता पिताओं की आय ३०० रुपये से अधिक थी। इसी प्रकार १९५६-५७ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को २५,२२६ छात्रवृत्तियां पाने वाले छात्रों में से केवल १२५ ऐसे थे जिनके माता पिता की आय ३०० रुपये से अधिक थी। इस लिये थोड़े से छात्रों के लिये इतनी मेहनत करना ठीक नहीं समझा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे यह कि इस परीक्षा का उत्सादन करने से अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को आय कर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में जो कठिनाई होती थी उस से वे सब बच गये हैं ।

तीसरे, आदिम जातियों के उतने छात्र उपलब्ध नहीं होते जितनी छात्रवृत्तियां होती हैं इस लिये इस परीक्षा को हटाने से पात्र छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति:** क्या राज्य सरकारों को भी हैसीयत परीक्षा हटाने के लिये कहा जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्हें सूचित कर दिया गया है ।

†**श्री बर्मन :** मेरा ख्याल है कि यह परीक्षा गत अगस्त में हटाई गई थी। सरकार ने इस का प्रचार करने के लिये ताकि लोगों को इस बारे में पता चल जाये क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हैसीयत परीक्षा को हटाने का निर्णय अगस्त १९५७ के प्रारम्भ में किया गया था। ३१ अगस्त, १९५७ को एक प्रैस नोट जारी किया गया था जिस में आवेदन पत्र मांगे गये थे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को बढ़ाने के लिये प्रार्थना की गई थी और सामान्यत: ३० सितम्बर तक प्राप्त हुए आवेदन पत्र स्वीकार कर लिये गये थे ।

उड़ीसा में तम्बाकू की फसल

†*१३९९. **श्री संगण्णा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ में सारे राज्य में अनावृष्टि के कारण उड़ीसा में तम्बाकू की फसल को बड़ी हानि पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ फसल को हानि पहुंची है ;

(ग) १९५७–५८ में उड़ीसा सर्कल से कितना राजस्व कम मिलने की आशंका है ;

(घ) क्या राज्य ने किन्हीं क्षेत्रों को १९५७–५८ में उत्पादन शुल्कों की वसूली से मुक्त करने की घोषणा की है ; और

(ङ) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री संगण्णा :** कर जांच आयोग ने एक तम्बाकू जांच समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है। सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न उड़ीसा में तम्बाकू की फसल के बारे में है ।

†**श्री संगण्णा :** क्या समय समय पर तम्बाकू की काश्त को कर से मुक्त किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कभी आप अनावृष्टि के बारे में पूछते हैं कभी कर से मुक्त करने के बारे में ?

†**श्री संगण्णा** : प्रश्न के भाग (घ) में यह पूछा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : भाग (घ) का उत्तर क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं ने कहा कि हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हम राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जब मिल जायेगी तो उपलब्ध कर देंगे ।

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि तम्बाकू की काश्त को समय-समय पर कर से मुक्त कर दिया जाये ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : एक काल्पनिक प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है ? हमारे पास जानकारी नहीं है। मालूम नहीं कितनी हानि पहुंची है। प्रत्येक मामले को देख कर ही नीति का निर्णय करना पड़ेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : अभी तक उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी राशि बकाया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

शास्त्रीय संगीत

†*१४००. **श्री दामानी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन्हीं राज्य सरकारों ने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने और साथ ही संगीतज्ञों को संरक्षण प्रदान करने के लिये उस प्रकार के संगीत सम्मेलन आयोजित करने की कोई योजना बनाई है जिस प्रकार का संगीत सम्मेलन बम्बई सरकार ने हाल ही में आयोजित किया था। ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है ।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार राज्य सरकारों को सुझाव देगी कि शास्त्रीय संगीत का प्रोत्साहन करने के लिये राज्य सरकारें भी ऐसे सम्मेलन आयोजित करें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जिस सम्मेलन का माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं उस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न की जांच करने के बाद ही हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सम्भव है कि सरकार शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनान के लिये खुले मैदानों में सम्मेलन करे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मूलप्रश्न बम्बई में हुए एक स्मेलन के बारे में था। सरकार की इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मै अभी जानकारी एकत्रकर रहा हूं अतः सम्मेलन के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री स० म० बनर्जी : यह प्रश्न शास्त्रीयसंगीत को लोकप्रिय बनाने के बार में है ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने कभी शास्त्रीय संगीत काविषय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपने के बारे में विचार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तिरुमल राव : मैं वही प्रश्न किसी और ढंग से पूछना चाहता हूं। क्या शास्त्रीय संगीत का प्रोत्साहन करने के लिये शिक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कोई सम्बन्ध है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार सामूहिक रूप से कार्य करती है और उसमें पूर्ण समन्वय है।

राज्य गृह तथा जिला संरक्षण केन्द्र

+

†*१४०१. { श्री घोषाल:
श्री बि० दास गुप्त :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :—

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के जरिये कुल कितने राज्य गृह तथा जिला संरक्षण केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल के लिये भी ऐसे गृहों अथवा संरक्षण केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). मांगी गई जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १२०**]

†श्री घोषाल : पश्चिमी बंगाल के राज्य-गृह में कितने व्यक्तियों को रखा गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : पश्चिमी बंगाल के लिये एक गृह की स्वीकृति दी गई है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

†श्री जाधव : प्रश्न संख्या १४१४ बहुत महत्वपूर्ण है। वह नासिक मुद्रणालय के बारे में है। गत सात दिन से वहां के श्रमिकों ने हड़ताल कर रखी है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यदि अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं उत्तर दे दूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा पटल पर रखा गया विवरण समझूंगा और इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। उत्तर कितने पृष्ठों में है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक पृष्ठ से कुछ अधिक।

†अध्यक्ष महोदय: तब वे उसे पढ़ दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडिया सिक्योरिटी प्रैस, नासिक

+

†*१४१४. { **श्री जाधव :**
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री श्री द० अ० कुट्टी :
श्री गोरे :
श्री नाथ पाई :
श्री श्री० अ० डांगे :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री प्रभात कार :
श्री घोषाल :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रैस, नासिक के श्रमिकों ने १५ नवम्बर, १९५७ को हड़ताल की पूर्व सूचना दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ये मांगें बहुत पहले से प्रस्तुत की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) इंडिया सिक्योरिटी प्रैस, नासिक रोड, के एक श्रमिक संघ, सिक्योरिटी प्रैस मजदूर संघ ने १५ नवम्बर, १९५७ को हड़ताल की एक पूर्व सूचना दी थी ।

(ख) १६ शीर्षों के अन्तर्गत मांगें रखी गई थीं और उनका सम्बन्ध बहुत सी बातों से था, १६ मांगों में ये मागें थीं : विभिन्न कार्यों की नियुक्तियों तथा श्रमिकों की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिये और मजदूर संघ के साथ परामर्श से नए सिरे से नियुक्तियां की जायें ; विभेद किये बिना सभी कर्मचारियों को तुरन्त ही रहने के लिये मकान दिया जाये ; काम दिलाऊ दफ्तर को यह निदेश दिया जाये कि वह प्रैस में नियोजन के मामले में वहां पर पहिले से नियोजित श्रमिकों के सम्बन्धियों को वरीयता दे; श्रमिकों के कार्य प्रबन्ध में भाग लेने के लिये और एक विवाचन निकाय के रूप में कार्य करने के लिये एक प्रयोग करने के सम्बन्ध में वर्तमान श्रमिक समिति के स्थान पर संघ तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति स्थापित की जानी चाहिये और उससे काम लिया जाना चाहिये ; और कार्य प्रबन्ध के मामले तथा प्रैस के कुशल कार्यकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार को एक जांच आयोग स्थापित करना चाहिये जिसमें संसद् के सरकारी पक्ष के तथा विरोधी पक्ष के, दोनों ही प्रकार के सदस्य हों ।

(ग) हड़ताल की पूर्व सूचना के साथ जो मांगें रखी गई थीं उनमें से कुछ मांगें उसी रूप में अथवा थोड़े से अल्पभेद के साथ पहिले भी प्रस्तुत की गई थीं और कुछ मांगें सितम्बर, १९५७ में अनुपूरक मांगों के रूप में जोड़ी गई थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जब कभी भी मांगें प्रस्तुत की गई थीं तभी सरकार ने उन पर विचार किया था, आवश्यक कार्यवाही की थी और संघ को सूचित किया जाता रहा था। १५ नवम्बर की हड़ताल सम्बन्धी पूर्व सूचना पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया था और यह देखा गया था कि मांगें या तो अयाथार्थिक थीं या इस प्रकार की थीं कि कोई भी उत्तरदायी संघ उन्हें हड़ताल के लिये आधार न बनाता। संघ को यह बता दिया गया था कि यदि हड़ताल की गई तो सरकार उसका दृढ़तापूर्वक सामना करेगी।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच नहीं है कि इन मांगों के सम्बन्ध में श्रमिकों ने इस शर्त पर हड़ताल न करने की भी इच्छा प्रगट की थी कि उनकी एक सीधी सी यह मांग स्वीकार की जाये कि अन्य सभी मांगों को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जाये ? और इस सम्बन्ध में संघ के प्रधान ने आकर वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री, दोनों से ही भेंट करने का प्रयत्न किया था और जान बूझकर उन से भेंट नहीं की गई थी और उनसे यह कहा गया था कि संघ के प्रधान के रूप में नहीं बल्कि केवल व्यक्तिगत रूप से ही उनका स्वागत किया जा सकता है। क्या यह बात समझौते, बातचीत तथा विवाचन की नीति के विपरीत नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह एक ऐसा शब्द जाल है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या उत्तर दूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, 'जी, नहीं।'

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर है 'नहीं'।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या यह सच है कि मजदूर नेता, श्री खेडगीकर दिल्ली आये थे और उन्होंने श्रम मंत्री तथा वित्त मंत्री से भेंट करने तथा विवाद का निबटारा करने का भरसक प्रयत्न किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वही प्रश्न पूछा जा रहा है। श्री नाथ पाई ने भी यही प्रश्न पूछा था।

†**श्री नाथ पाई :** परन्तु संबंधित मंत्री महोदय ने उत्तर देने से इनकार किया था।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या सम्बन्धित मंत्री महोदय ने मजदूर नेता से मिलने से इन्कार किया था ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** मैं उन से सैन्ट्रल हाल में मिला था और विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि उन्हें हमसे मिलना चाहिये और इस मामले पर विस्तार से बातचीत करनी चाहिये। मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य की सहमति से उन्हें सायंकाल ५–३० बजे मिलने का समय दिया था। परन्तु वह मुझे मिलने के लिये नहीं आए।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। श्री पिल्ले।

†**श्री एन्थनी पिल्ले :** एक न्यायाधिकरण को विवाचन के लिये विवाद निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में सरकार को कठिनाई क्या थी ? हो सकता है कि सरकार ने मांगों को न्यायोचित न समझा हो....

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। इस मामले में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहिये। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि इस मामले को विवाचन के लिये निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में कठिनाइयां क्या थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब प्रबन्धक द्वारा सरकार को ये मांगें प्रस्तुत की कई थीं तब उन्हें यह बता दिया गया था कि उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है, कौन सी मांगें हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार श्रमिकों से बातचीत कर सकती है और कौन सी मांगें हैं जिन पर सरकार विचार कर सकेगी, सिक्योरिटी प्रैस के कुछेक ऐसे मामले भी हैं जिन्हें मध्यस्थ निर्णय के लिये निर्दिष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। हम वाच एण्ड वार्ड रखने, वरिष्ठता अथवा जिस प्रकार से सुझाव दिया गया है उस प्रकार से श्रमिक समिति के स्थान पर अन्य समिति रखने के प्रश्न को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ मांगें ऐसी प्रस्तुत की गई हैं कि प्रैस के विशिष्ट स्वरूप को देखते हुए उनका विवाचन द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने प्रबन्धक से यह संकेत करने के लिये कहा था कि यदि कोई उचित मांग रखी गई तो उस पर विचार किया जायेगा। उदाहरणार्थ सभी व्यक्तियों को तुरन्त ही मकान देने की मांग एक ऐसी मांग है कि विवाचन द्वारा भी स्पष्ट रूप से उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। मांगें इस प्रकार की हैं कि उनमें से अधिकांश का निर्णय विवाचन द्वारा भी नहीं किया जा सकता है।

†अध्यक्ष महोदय : हम अगली मद को लेंगे।

दो अल्प सूचना प्रश्न हैं।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों तथा भारत और पाकिस्तान प्रतिनिधियों के बीच अग्रेतर अवधि के लिये तदर्थ अन्तर्कालीन प्रबन्धों के सम्बन्ध में करार के लिये बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का परिणाम क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल): : (क) जी, हां।

(ख) दोनों पक्षों के साथ लम्बी बातचीत के परिणामस्वरूप बैंक के प्रतिनिधियों को अग्रेतर अवधि के लिये तदर्थ अर्न्तकालीन प्रबन्धों से संबंधित प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के विचार तथा आवश्यकतायें पूरी तरह से मालूम हो गई हैं। अभी कोई करार तय नहीं हो पाया है। विश्वास किया जाता है कि बैंक द्वारा करार की पूर्ति की दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखे जायेंगे।

†डा० राम० सुभग सिंह : क्या यह सच है कि विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भारतीय प्रतिनिधियों को यह बताया है कि भाखड़ा नहर में पानी को जमा करना पाकिस्तान के विरुद्ध एक प्रतिकूल कार्यवाही होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० का० पाटिल : उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों से यह कहा था कि, जैसा कि १९५८ में पानी जमा किया जा रहा है, पानी को जमा करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा घोर विरोध किया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भारतीय प्रतिनिधियों से यह भी कहा था कि भारत को श्रृंखलाबद्ध नहरों के सम्बन्ध में पाकिस्तान को उनका निर्माण परिव्यय देना चाहिये ?

†श्री स० का० पाटिल : १९५५ के बाद से दो बार इस प्रकार की माग की जा चुकी है और स्वयं विश्व बैंक इसे अस्वीकार कर चुका है। इस बार भी पाकिस्तान द्वारा ऐसी मांग की गई थी कि श्रृंखलाबद्ध नहरों के लिये, न केवल निर्माण के सम्बन्ध में बल्कि उनके क्रियाकरण के सम्बन्ध में भी भारत को खर्च देना चाहिये ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या पाकिस्तान द्वारा की जाने वालों इस प्रकार की मांगों को देखते हुए भारत के लिये विश्व बैंक के प्रतिनिधियों तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ यह बातचीत जारी रखना लाभदायक होगा ?

†श्री स० का० पाटिलः : क्योंकि विश्व बैंक अपनी सद् इच्छाओं से काम ले रहा है और भारत तथा पाकिस्तान, दोनों ही के द्वारा सहकारी कार्य अभी किया जा रहा है इस लिये इस प्रकार के मामले में हमें जल्दी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिये ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामीः : क्या मंत्री महोदय अग्रेतर जानकारी के लिये यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के बैंक के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए भारत तथा पाकिस्तान के दृष्टिकोणों में मतभेद क्या है और क्या बातचीत पृथक् रूप से की गई थी या मिल कर की गई थी ?

†श्री स० का० पाटिलः : इस समय यह प्रश्न विवाद के सम्पूर्ण प्रश्न से संबंधित नहीं है बल्कि तदर्थ अन्तर्कालीन करारों तक ही सीमित है और जैसा कि मैं कह चुका हूं इस सम्बन्ध में मतभेद इस बात पर है कि पानी को न जाने देने की महत्वपूर्ण कार्यवाहियों (जो कि सदन को विदित हैं) को प्रतिस्थापित करने के लिये पाकिस्तान द्वारा जो श्रृंखलाबद्ध नहरें बनाई गई हैं उनके लिये भारत को खर्च देना चाहिये । उनके सम्बन्ध में भारत केवल समस्त विवाद के पूरे निबटारे के एक भाग के रूप में ही खर्च देने को तैयार है ।

†श्री गोरे : क्या सरकार ने पाकिस्तान को तथा विश्व बैंक को भी यह बता दिया है कि भारत किन सीमाओं तक जाने को तैयार है और वह किसी भी परिस्थिति में किन सीमाओं से आगे नहीं जायेगा ?

†श्री स० का० पाटिल : मैं कह नहीं सकता कि अदायगी के सम्बन्ध में अथवा समय के सम्बन्ध में वे सीमायें क्या हैं । जहां तक अवधि का सम्बन्ध है मैं इस सदन में यह स्पष्ट कर चुका हूं कि पानी को हटाने की इन कार्यवाहियों को प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में जहां तक भारत का सम्बन्ध है वह केवल १९६२ तक ही प्रतीक्षा कर सकता है ।

†श्री अ० चं० गुह : मंत्री महोदय ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुछ मांगें पेश की हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में विश्व बैंक की राय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० का० पाटिल : विश्व बैंक केवल अपनी सद्भावनायें अर्पित कर रहा है। वह कोई राय नहीं दे रहा है। पाकिस्तान सरकार की जो भी इच्छायें अथवा मांगें हों वह हमें उनसे सूचित करता है और उन्हें हमारे उत्तर बता देता है ; "सद्भावनाओं" से ठीक ठीक यही अभिप्रेत है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : कुछ समय पहिले मंत्री महोदय ने इस सदन में यह बताया था कि यदि कोई देय राशि न दी गई तो पाकिस्तान को जल का सम्भरण बन्द कर दिया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†श्री स० का० पाटिल : मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही थी। मैंने केवल यह कहा था कि १९६२ में—मैं इसे इन शब्दों में कहना चाहूंगा—ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को पानी बिल्कुल नहीं देंगे बल्कि हमें स्वयं पानी की जरूरत होगी और यदि हमें पानी न मिला तो भारत में लाखों किसानों की परिस्थितियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा।

धनबाद के खनन स्कूल में विद्यार्थियों की हड़ताल

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
डा० श्रीमती उमा नेहरू :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री बीरबल सिंह :
श्री गणपति राम :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद (बिहार) के इंडियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड जियोलोजी के विद्यार्थियों ने ७ दिसम्बर, १९५७ से हड़ताल की हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह हड़ताल हुई है ;

(ग) क्या विद्यार्थियों की शिकायतों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या सरकार द्वारा उस पर विचार किया गया है ; और

(ङ) हड़ताल को खत्म करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) से (ङ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२१]

श्री राधा रमण : विवरण में यह कहा गया है कि विद्यार्थियों ने निदेशक को एक ज्ञापन भेजा था और एक समय सीमा नियत की गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि वह ज्ञापन वस्तुतः कब प्रस्तुत किया गया था और वह समय सीमा क्या थी जिसमें प्रशसन इस ओर या उस ओर निर्णय नहीं कर पाया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० मो० दास** : विद्यार्थियों ने ३० नवम्बर, १९५७ को निदेशक को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। वह ६ दिसम्बर, १९५७ तक अपने ज्ञापन के सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय चाहते थे। परन्तु उस सप्ताह से भी कम अवधि में नियत तिथि तक निदेशक द्वारा उन्हें उत्तर भेजना सम्भव नहीं था और ७ दिसम्बर, १९५७ से विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी।

†**श्री राधा रमण** : विवरण में तथा उनके ज्ञापन में जो शिकायतें दर्ज हैं उन्हें देखने से मालूम होता है कि वे बहुत ही छोटी शिकायतें हैं। क्या विद्यार्थियों को शान्त करने और हड़ताल रोकने के लिये निदेशक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई प्रयत्न किया गया था ?

†**श्री म० मो० दास** : प्रयत्न किया गया था, अब भी किया जा रहा है। हम हड़ताल खत्म करने के लिये विद्यार्थियों को मनाने के सम्बन्ध में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या धनबाद के इंडियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एपलाइड जियोलोजी के वर्तमान निदेशक का उस संस्था में शामिल होने से पहले कोई शिक्षा सम्बन्धी अनुभव भी था और क्या उन्हें ही हड़ताल सम्बन्धी इस स्थिति को सुलझाने के लिये प्राधिकृत किया गया है या सरकार इसमें कोई दिलचस्पी ले रही है ?

†**श्री म० मो० दास** : वर्तमान निदेशक केन्द्रीय सरकार के एक अतिवयस्क कर्मचारी हैं। वह भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग के निदेशक के पद से निवृत्त हुए थे। वह उस विषय में एक सर्वोत्तम विद्वान तथा भूतत्वीय विद्या में एक अच्छे अनुसन्धान कार्यकर्ता माने जाते हैं। मेरे विचार में सम्भवतः वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के निरीक्षकों में से भी थे परन्तु इस समय मेरे पास सुतथ्य जानकारी नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि उस शिक्षा सम्बन्धी संस्था का भार संभालने के बाद वर्तमान निदेशक ने यह आदेश दिया था कोई भी विद्यार्थी जो एक दिन के लिये अनुपस्थित होगा उसे तीन दिन के लिये व्याख्यान से अनुपस्थित माना जायेगा और इस प्रकार वर्तमान निदेशक द्वारा बहुत से विद्यार्थियों के मामले में व्याख्यानों की हाजरी के लिये अपेक्षित ७५ प्रतिशत की शर्त शून्य हो गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हड़ताल का यही कारण है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हड़ताल का यही मुख्य कारण है क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को अब परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य घोषित किया गया है ?

†**श्री म० मो० दास** : अभ्यावेदन में वर्णित शिकायतों में से यह भी एक शिकायत है और हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या यह भी सच नहीं है कि विद्यार्थियों की एक शिकायत अर्हता प्राप्त कर्मचारी वृन्द की, विशेष रूप से धातु खनन, सर्वेक्षण, कोयला खनन तथा खनन मशीनरी के विभागों में कमी है और जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा स्तर अत्यन्त नीचे गिर गया है ? क्या यह भी सच नहीं है कि निदेशक ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इन विभागों में अर्ह कर्मचारी वृन्द की कमी है ? इन कमियों को शीघ्र ही दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : न केवल इस विशिष्ट संस्था में बल्कि कुल भारत में ही हमारी वैज्ञानिक तथा इंजीनियरी सम्बन्धी संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी है और जहां तक हमारी जानकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

है यह बात न्यूनाधिक सारे संसार पर लागू होती है। यह सच है कि अपनी इंजीनियरी सम्बन्धी तथा प्रविधिक संस्थाओं में अर्ह कर्मचारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में हमें अत्यन्त कठिनाई अनुभव हो रही है। जहां तक इंजीनियरी तथा प्रविधिक शिक्षा का सम्बन्ध है इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का प्रस्ताव है कि अपने बड़े इंजीनिरिंग कालिजों में उन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध किये जायें जो हमारी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में कार्य कर सकें। और प्रविधिक सहयोग मिशन की सहायता से यहां अपने अध्यापनों के प्रशिक्षण के लिये कुछ अमरीकी अध्यापकों तथा अमरीकी उपकरण को लाने का भी हमारा प्रस्ताव है।

†**श्री बोस** : धनबाद के खनन स्कूल में बनी हुई असन्तोषजनक परिस्थिति को देखते हुए क्या सरकार विद्यार्थियों की शिकायतों तथा वहां के अन्य मामलों की पूरी तरह से जांच करेगी?

†**श्री म० मो० दास** : जी, हां। हम तार द्वारा प्रतिदिन विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास तथा आशा है कि हम हड़ताल को खत्म करने के लिये विद्यार्थियों को राजी कर सकेंगे और सभी संबंधित व्यक्तियों की संतृदि के अनुसार यह मामला खुशी खुशी खत्म हो जायेगा।

†**श्री बोस** : किसी विशेषज्ञ द्वारा जांच की जानी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। अब हम अगले कार्य को लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाकिस्तान सीमा पुलिस

†*१३८८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान पुलिस ने भारत में चोरियां तथा हत्यायें करने वाले कुछ डाकुओं को सहारा दिया है और उनकी सहायता की है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : इस प्रकार के कुछ मामले भारत सरकार की जानकारी में आये हैं। भारत पाकिस्तान करार के अधीन भारत में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों से इस मामले पर बातचीत की जायेगी।

इस्पात कारखानों के स्थानों पर उद्योग

†*१३९८. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ४ दिसम्बर १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस्पात के कारखानों के नजदीक ही अन्य संबंधित उद्योगों की स्थापना करने के बारे में कोई उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में भिलाई के कारखाने के पास कौन कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं। इस बारे में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है। किन्तु योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में

---

†मूल अंग्रेजी में

अनेक उद्योगों की स्थापना करने का उपबन्ध किया गया है। इनमें से कुछ को इस्पात कारखानों के पास चालू किया जा सकता है।

(ख) इस्पात कारखाने की कोक भट्टी (ओवन) में कोल तार और बेंजोल नामक उप-उत्पाद पैदा होते हैं। ये मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तुयें हैं किन्तु इनका इस्पात कारखाने की भट्टियों को गर्म करने में कोई काम नहीं होता इसलिये इनको अलग करने के लिये इस्पात के कारखाने के पास ही एक उप-उत्पाद कारखाना खोला जायेगा। ब्लास्ट फर्नेस से जो धातुमल आदि निकलेगा उसको सीमेन्ट बनाने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिये धातुमल कणिकायन संयत्र* लगान के लिये भी उपबन्ध किया गया है। इनके अतिरिक्त भिलाई के नजदीक अभी और कोई उद्योग बनाने का विचार नहीं किया गया है। किन्तु जब इस्पात के कारखाने का काम चालू हो जायेगा तब संभव है इसके समीप अन्य अनेक सहायक उद्योगों की स्थापना हो जाये।

राजस्थान में तोपखाना सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

†*१३९६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १७ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग में एक तोपखाना सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितने गांवों को खाली कराया जायेगा और उन ग्रामीणों को किन जगहों पर बसाया जायेगा ; और

(ग) उन ग्रामीणों को कितना प्रतिकर दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

समाज विज्ञानों में उच्च अध्ययन

†*१४०२. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ के दौरान में सरकार की छात्रवृत्तियों पर अथवा सरकार के उत्तर-दायित्व पर समाज विज्ञानों में उच्च अध्ययन करने के लिये कितने लोगों को विदेशों में भेजा गया है;

(ख) ऐसे विद्यार्थियों को किस आधार पर चुना गया है; और

(ग) इन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की कितने प्रतिशत संख्या ऐसी थी जिन्हें कि ऐसी छात्रवृत्तियों के लिये विशेष प्राथमिकता दी गई थी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कोई नहीं श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Slag Granulation Plant.

सामान्य भविष्य निधि में से धन निकालना

†*१४०३. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके कि २५ वर्ष से कम सेवावधि हो, प्लाट खरीदने अथवा मकान बनाने के लिये अपनी सामान्य भविष्य निधि में से रुपया नहीं निकाल सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) जी, हां ।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति होने से बहुत पहले ही अपनी भविष्य निधि का एक बड़ा भाग निकालने की अनुमति दे दी जायेगी तो फिर भविष्य निधि का प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा ।

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में स्थायी सरकारी कर्मचारियों तथा ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को, जिन्होंने कि १० वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, मकान बनाने के लिये एक पृथक् सरकारी निधि में से ऋण देने की एक योजना पहले से ही चालू है।

सरकारी कर्मचारी अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत भी मकान बनवाने के लिये ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना भी निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है तथा सभी लोगों के लिये खुली है ।

स्पुटनिक

†*१४०३क. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोफेसर एम० एस० थैकर को, जो कि संघ शिक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक गवेषणा विभाग के सचिव हैं, रूसी क्रान्ति की ४०वें वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिये रूस बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सोवियत रूस के वैज्ञानिकों के साथ रूस द्वारा छोड़े गये दो स्पुटनिकों के बारे में बातचीत की है; और

(ग) क्या प्रोफेसर थैकर भारत लौट आये हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । किन्तु उन्होंने रूसी वैज्ञानिकों के साथ सामान्य बात चीत के दौरान में उनसे दूसरे स्पुटनिक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की है ।

(ग) जी हां ।

उच्च न्यायालयों मे द्वैध प्रणाली[*]

†*१४०४. **श्री सुबिमन घोष** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय तथा किसी अन्य उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय में द्वैध प्रणाली प्रचलित है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[*]Dual System.

(ख) यदि हां तो किन किन न्यायालयों में;

(ग) यह प्रणाली अब तक क्यों नहीं हटाई गई है;

(घ) ऐसे न्यायालयों के नाम जहां पर कि पहले ऐसी प्रणाली प्रचलित थी किन्तु जिनमें अब इसे समाप्त कर दिया गया है; और

(ङ) इन न्यायालयों में से इसे क्यों हटाया गया है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) तथा (ख). केवल कलकत्ता तथा बम्बई के उच्च न्यायालयों में (मूलाधिकार पर) वकीलों तथा अभ्यर्थियों की द्वैध प्रणाली प्रचलित है। उच्चतम न्यायालय की प्रणाली द्वैध प्रणाली नहीं है।

(ग) भारतीय विधिजीवी समिति की १९५३ की रिपोर्ट में कलकत्ता तथा बम्बई के उच्चन्यायालयों में इस प्रणाली को समाप्त करने के लिये कोई विशेष कारण नहीं बताये गये हैं। प्रत्युत इस प्रणाली से बम्बई और कलकत्ता के नगरों की व्यावसायिक श्रेणी को काफी लाभ हैं।

(घ) उच्चतम न्यायालय में १९५४ तक तथा मद्रास के उच्च न्यायालय में (मुलाधिकार पर) काफी अर्सा पहले यह प्रणाली प्रचलित थी।

(ङ) उच्चतम न्यायालय में एजेंसी प्रणाली को हटाने के लिये जो कारण हैं वे अखिल भारतीय विधिजीवी समिति की १९५३ की रिपोर्ट के पृष्ट १-२ पर दिये हुये हैं। जहां तक मद्रास उच्च न्यायालय में इस पद्धति के समाप्त किये जाने का सम्बन्ध है, यह बात इतनी पुरानी हो गई है कि इसके कारण ज्ञात नहीं हैं।

सरकारी उपक्रमों का लेखा परीक्षण

†*१४०५. **श्री व० चं० मालिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपक्रमों में व्यवसायिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : सरकार द्वारा संचालित वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपक्रमों तथा कतिपय परिनियत निगमों यथा दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त निगम, पुनर्वास वित्त निगम, एयर इंडिया इंटरनेशनल तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। इन के लिये किन्हीं व्यवसायिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। किन्तु भारतीय समवाय अधिनियम द्वारा प्रशासित समवायों के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार की जाती है जिसे कि इन लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षण की विधि तथा अनुपूरक लेखा परिक्षण के बारे में निर्देश देने का भी अधिकार है। कतिपय निगमों जैसे भारत का रक्षित बैंक, भारत का राज्य बैंक तथा जीवन बीमा निगम के लिये सरकार द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है अथवा यह नियुक्तियां विधि अनुसार सरकार के परामर्श से की जाती हैं।

सरकारी कर्मचारियों की छटनी

†*१४०६. **श्री हेम बरूआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की छटनी के लिये उसे कितने दिनों का नोटिस देना पड़ता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन हालतों में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सेवा बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १२२**]

ऋण संबंधी सुविधायें

†*१४०७. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ को सभा पटल पर रखे गये अपनी विदेश यात्रा सम्बन्धी विवरण के पैरा ९ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार से भारत के लिये अधिक ऋण प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : अभी आगे बातचीत चल रही है । इस समय इससे अधिक बता सकना सम्भव नहीं है ।

ज्वालामुखी में भूमि का अर्जन

†१४०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खनिज और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी में तेल निकालने की योजना के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये जिन लोगों की भूमि ली गई थी उनमें से कितने लोगों को मुआवज़ा दिया जा चुका है;

(ख) कितने लोगों को मुआवज़ा देना अभी बाकी है; और

(ग) इस देरी के क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). अभी तक किसी व्यक्ति को मुआवज़ा नहीं दिया गया है ।

(ग) राज्य के राजस्व अधिकारियों द्वारा अभी भूमि अर्जन सम्बन्धी प्रक्रिया जारी है । अब मुआवज़े की राशि निश्चित की जा चुकी है और आशा है शीघ्र ही इसका भुगतान शुरू कर दिया जायेगा ।

राजभाषा आयोग

†*१४०९. **श्री ज० रा० मेहता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा आयोग ने किन्हीं गैर सरकारी साक्षियों के बयान लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन से संलग्न सूची में केवल सरकारी साक्षियों के ही नाम हैं ?

†**गृह-काय मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां। राजभाषा आयोग ने ४८१ गैर सरकारी साक्षियों के बयान लिये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रतिवेदन के परिशिष्ट ४ में आयोग ने उन सब सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं के नाम दिये हैं जिन्होंने लिखित ज्ञापन दिये हैं अथवा मौखिक साक्ष्य दिया है। उन्होंने उन सब सरकारी और गैर सरकारी साक्षियों की सूची एक अप्रकाशित अनुपूरक अंक में दी है जिनके उन्होंने बयान लिये थे। इस अंक की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी

†*१४१०. **श्री वाजपेयी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून की सैनिक अकादमी से निकले हुए भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारी मेजर-जनरल की पदोन्नति के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस प्रकार की पदोन्नति का निर्णय किया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून से निकलने वाले कुछ अधिकारी मेजर-जनरल की पदोन्नति के लिये अब रखे गये हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों को मेजर-जनरल के पद पर बढ़ाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

रूमानिया द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां

†*१४११. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री अलेक्जैण्डर बुर्हकन ने दिल्ली में ५ दिसम्बर, १९५७ को इस आशय का वक्तव्य दिया था कि रूमानिया में संगीत और नृत्य में प्रवीणता प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को उनके देश की सरकार ने तीस छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन छात्रवृत्तियों का क्या ब्यौरा है और इस प्रस्ताव का उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने भारत विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली रूमानिया सरकार की ३० छात्रवृत्तियां स्वीकार की है। इनके अध्ययन-विषयों का चुनाव भारत सरकार करेगी। तेल की खोज और टेकनोलोजी तथा भूगर्भ विज्ञान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये प्रारम्भ में १० भारतीय विद्यार्थियों को रूमानिया भेजने का विचार है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन

†*१४१२. **श्री सिदय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर राज्यों के विधान मण्डलों में चर्चा करने के लिये राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) ३० नवम्बर, १९५५ ।

(ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने राज्य विधान मण्डलों में इस प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये स्वीकृति प्रकट कर दी है । बम्बई सरकार इसके लिये तैयार नहीं है । शेष राज्यों ने इस विषय में निश्चित राय प्रकट नहीं की है ।

किरकी की ई० एम० ई० वर्कशाप में हड़ताल

†*१४१३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५१२ कमांड ई० एम० ई० वर्कशाप, किरकी के श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की क्या मांगें हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) ५१२ कमाण्ड वर्कशाप, किरकी के श्रमिकों ने बर्खास्तशुदा अपने दो साथी श्रमिकों को पुनः नौकरी में लेने की मांग की है;

(ग) समझौता अधिकारी इस विषय पर विचार कर रहा है ।

आपात सहायता संगठन

१४१४. { **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में आपात सहायता संगठन के अन्तर्गत १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने और क्या-क्या सहायता उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या इस संगठन के प्रमुख कार्यालय ने इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इनमें से प्रत्येक की प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्राकृतिक विपदाओं के कारण सहायता कार्यों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई सहायता की सीमा और स्वरूप बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १२३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). आपात सहायता के बारे में भारत सरकार के मुख्य अनुदेश एक पुस्तिका में दिये गये हैं इसमें आपात सहायता संगठन योजना का ब्योरा भी दिया गया है। लोक सभा के पटल पर इस पुस्तिका की प्रति रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—४७२/५७]

दिल्ली में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†*१४१५. { श्री वी० चं० शर्मा : सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर से नवम्बर, १९५७ में पासपोर्ट अथवा यात्रा सम्बन्धी आवश्यक पत्रों के बिना दिल्ली में प्रवेश करने पर कितने पाकिस्तानी प्रतिमाह गिरफ्तार किये गये;

(ख) क्या भारत के विरुद्ध विध्वंसात्मक कार्यवाही में भाग लेने का उपरोक्त किसी पाकिस्तानी पर सन्देह है;

(ग) क्या यह सच है कि पारपत्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भी कुछ पाकिस्तानी दिल्ली में ठहरे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क)

सितम्बर .	२
अक्टूबर	३
नवम्बर .	४

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन पाकिस्तानियों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम, १९४६, जो विदेशी विधियां (संशोधन) अधिनियम, १९५७ द्वारा संशोधित किया गया है के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

फ्रांस द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां

†*१४१६. { श्री श्रीनारायण दास : श्री राधारमण : श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस सरकार द्वारा भारतीयों को दी गई १४ छात्रवृत्तियों के लिये निर्धारित समय में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इनका चुनाव पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो चुने जाने वाले छात्रों के क्या-क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ४८ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों को सहायता

†*१४१७. { **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ४ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त हुए अथवा होने वाले वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता देने की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से व्यवहृत की जायेगी; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने में अनुमानित वार्षिक व्यय कितना है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष से ।

(ग) १९५७–५८ में ५०,००० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

वैमानिक सर्वेक्षण

†*१४१८. { **श्री बर्मन**
श्री स० च० सामन्त : }

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सर्वेक्षण ने भू सर्वेक्षण के स्थान पर अब वैमानिक सर्वेक्षण की पद्धति स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो भू सर्वेक्षण और वैमानिक सर्वेक्षण के व्यय की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या वैमानिक सर्वेक्षण के लिये आवश्यक उपकरण सहित एक नवीन दल तैयार किया गया है अथवा कोई विदेशी एजेंसी ठेके पर इस कार्य को करेगी; और

(घ) भू सर्वेक्षण की अपेक्षा वैमानिक सर्वेक्षण में क्या लाभ हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) मानचित्रण के अभिप्राय से वैमानिक फोटो का प्रयोग भारत सर्वेक्षण विगत २५ से भी अधिक वर्षों से कर रहा है किन्तु पिछले महायुद्ध के बाद से वैमानिक फोटो की सहायता से मानचित्रण अधिक व्यापक हो गया है । फिर भी वैमानिक फोटाग्राफी में समग्र भूगत कार्य अलग नहीं हो जाता है ।

(ख) वैमानिक फोटोग्राफ सम्बन्धी सवक्षण और भू-पद्धति सवक्षण की तुलना ठीक ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वैमानिक फोटोग्राफी भारतीय विमान बल और एयर सर्वे कम्पनी आफ इण्डिया (प्रायवेट) लिमिटेड, कलकत्ता की सहायता से भारत सर्वेक्षण करता है ।

(घ) नवीनतम स्टेरो-प्लाटिंग मशीनों[1] के प्रयोग से वैमानिक सर्वेक्षण भू सर्वेक्षण की अपेक्षा अधिक मानचित्र प्रस्तुत करता है और इसके साथ ही व्यय में कमी और आशातीत रूप में निश्चयात्मकता आ जाती है ।

पवन शक्ति

†*१४१९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पवन शक्ति के उपयोग और विकास की योजना को कार्यान्वित करने के प्रश्न के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : पवन शक्ति प्रभाग की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और डायरेक्टर के पद पर किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । जब पवन शक्ति प्रभाग अपना कार्य आरम्भ कर देगा उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

सोने का तस्कर व्यापार

†*१४२०. { **डा० राम सुभग सिंह:**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया: }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौ बल और विमान बल के कुछ कर्मचारी सोने के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) नौ और विमान बल के कुछ कर्मचारी सोने को चोरी से लाने और ले जाने के सम्बन्ध में पकड़े गये हैं;

(ख) इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या ७ है ।

(ग) जी, हां । इन सब के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

वोलफ्राम निक्षेप[1] का अनुसंधान

१४२१. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के भारतीय ब्यूरो द्वारा वोलफ्राम निक्षेप का पद्धतिबद्ध अनुसंधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्ति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Stereo-plating Machines.

[1]Wolfram Deposits.

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं । किन्तु ब्यूरो की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुसंधान कार्यक्रम सम्मिलित है और यथा समय उसे आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्धों के लिये रोजगार

†*१४२२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक दान और भिक्षा पर आश्रित २० लाख अन्धों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत असमर्थ व्यक्तियों के लिये एक रोजगार संगठन की स्थापना करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

१८५७ की शताब्दी

*१४२३. श्री क० भे० मालवीय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८५७ के सम्बन्ध में शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दो प्रदर्शनियां की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग प्रदर्शनी करने के क्या कारण थे ;

(ग) प्रत्येक प्रदर्शनी पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) १८५७ की शताब्दी के आयोजन के लिए बनाई गई केन्द्रीय राष्ट्रीय समिति ने अपने कार्यक्रम में दो प्रदर्शनियां करना स्वीकार किया था, पहली तो १८५७ के आन्दोलन से सम्बन्धित चित्र, फोटो तथा पुस्तकों की और दूसरी उसके अवशेषों की । ये दोनों प्रदर्शनियां अलग अलग किस्म की थीं । इसी कारण तथा हर प्रदर्शनी के स्थान और समय की अन्य व्यवहारिक बातों के कारण ही दोनों प्रदर्शनियां अलग अलग की गईं ।

(ग) फोटो तथा चित्रों आदि की प्रदर्शनी पर १०,२१८ रुपये और अवशेषों की प्रदर्शनी पर १,३३३ रुपये ।

(घ) भारत के प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन की शताब्दी मनाने के लिए केन्द्रीय राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाई गई समन्वय समिति ने ही इसकी व्यवस्था की ।

त्रिपुरा में आवास योजना

†*१४२४. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के नगरों में मकानों की कमी है;

(ख) क्या इस कमी की पूर्ति के लिये सरकार के पास मकान बनाने की कोई योजना है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मकान बनाने की उपरोक्त सरकारी कार्यक्रम से सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ पहुंचेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंच वर्षीय योजना में दस लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

(ग) सरकारी कर्मचारी अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण ले सकते हैं ।

राजस्थान में पैट्रोल

†१४२५. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पैट्रोल की खोज का काम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जगहों पर और कितना पैट्रोल मिलने की सम्भावना है; और

(ग) पैट्रोल निकालने का काम कब शुरू किया जायेगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय):(क) जी, नहीं। जैसलमेर के समीप भूगर्भीय और भू भौतिकी खोज का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) और (ग). वास्तविक रूप से खुदाई हो जाने के बाद ही इस क्षेत्र में तेल प्राप्त करने की सम्भावनाओं के विषय में कुछ कहा जा सकता है । जब यह मालूम हो जायेगा कि तेल व्यवसायिक रूप से शोषण करने की मात्रा में मौजूद है तब ही इसके निकाले जाने का प्रश्न उठेगा ।

पंजाब विधान सभा के लिये रायकोट से उपनिर्वाचन

†*१४२७. **श्री घोषाल** :
श्री बी० दास गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब विधान सभा के लिये रायकोट से हुए पिछले उपनिर्वाचन में कितने प्रतिशत मत अस्वीकृत किये गये थे; और

(ख) यदि इनका प्रतिशत अधिक है तो मत रद्द होने के मुख्य आधार क्या हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) ११ प्रतिशत ।

(ख) मत रद्द करने का मुख्य कारण यह था कि इन मतदाताओं ने मत पर्चियों पर जो चिह्न किये वे असंदिग्ध रूप में यह नहीं बताते थे कि किस उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैन्टोनाइट मिट्टी* के निक्षेप

†*१४२८. { **श्री वै० च० मलिक :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : }

क्या इस्पात खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेन्टोनाइट मिट्टी भारत में कहीं प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका यथार्थ उपयोग क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). बेन्टोनाइट का प्राप्ति स्थान और उसका उपयोग बताने वाला विवरण लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १२४]**

विदेशों को सहायता

†*१४२९. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें कोलम्बो योजना अथवा अन्य किसी संधि के अन्तर्गत भारत सरकार ने १९५६-५७ और १९५७-५८ में अभी तक अन्य देशों को दी गई सहायता बताई गई हो;

(क) क्या ऋण भी दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनका क्या स्वरूप है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्टि ४, अनुबन्ध संख्या १२५]**

(क) जी हां ।

(ख) बर्मा के आर्थिक विकास के लिये उस देश की सरकार को ३० करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । इन्डोनेशियाई विमान बल के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये इन्डोनेशिया की सरकार को ४ लाख ९३ हजार रुपये का ऋण दिया गया है ।

अशोक होटल के निकट डाकुओं का एक गुप्त स्थान

†*१४२९-क. { **श्री राधा रमण**
श्री श्रीनारायण दास }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अशोक होटल के निकट डाकुओं के एक गुप्त स्थान का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Bentonite clay

तस्कर-व्यापार

†*१४३०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
सरदार इकबाल सिंह
श्री तंगामणि :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बलराम कृष्णय्या :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन महीनों में भारत की भूमि और समुद्रीय सीमा के मार्ग से सोने और अन्य निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सीमान्त प्रदेशों पर निगरानी में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, १९५७ में सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा १,२९,४४,०८० रुपये के मूल्य का सोना तथा अन्य निषिद्ध वस्तुएं चोरी से लाने व ले जाने के सिलसिले में पकड़ी गइं। इतने परिमाण में वस्तुएं पकड़ने की घटना निस्संदेह ही पहले से अधिक है किन्तु केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि तस्कर-व्यापार की मात्रा अथवा प्रवृत्ति किस ओर है।

(ग) अनेक विधायी एवं कार्यकारी निरोधात्मक उपाय उठाये गये हैं जैसे तस्कर व्यापार विरोधी कार्य में संलग्न सीमा शुल्क अधिकारियों के जांच सम्बन्धी अधिकारियों की शक्तियां बढ़ाना, कुछ सीमा-शुल्क शक्तियों को सीमावर्ती पुलिस बल में स्थानान्तरित करना, सीमा के संभावनाग्रस्त क्षेत्रों में और तट-रेखा पर नियमित और आकस्मिक पेट्रौल करना और प्राप्त जानकारी की अधिक छानबीन करना। तस्कर व्यापार को रोकने के लिये ये उपाय किये गये हैं। विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों द्वारा की जाने वाली तस्कर व्यापार विरोधी कार्यवाहियों के प्रभावशाली समन्वय की दृष्टि से हाल ही में राजस्व संसूचना का एक केन्द्रीय निदेशालय स्थापित किया गया है।

विदेशी मुद्रा

†*१४३१. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विगत दो महीनों में भुगतान संतुलन की स्थिति में कोई विचारणीय सुधार हुआ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी मुद्रा भुगतान का स्थगन कहां तक सम्भव हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग). देश की विदेशी मुद्रा अवस्था की प्रतिच्छाया भारत के रिजर्व बैंक के स्टर्लिंग संतुलन के उतार-चढ़ाव स्तर में देखी जा सकती है। यह संतुलन अक्टूबर, १९५७ में २६ करोड़ रुपये कम था और नवम्बर १९५७ में इस में १७ करोड़ रुपये की कमी हो गई जो जुलाई—सितम्बर, १९५७ की अवधि में औसतन प्रति माह ३३ करोड़ रुपये की अनुमानित कमी से काफी नीचे है ।

(घ) जनवरी, १९५७ से स्थगित भुगतान के आधार पर ५२ करोड़ रुपये के आयात की व्यवस्था सम्भव हुई है ।

अन्दमान में परामर्शदात्री समितियां

†*१४३२. { **डा० राम सुभग सिंह :** / **श्री अ० सि० सहगल :** }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में अन्दमान द्वीप में निर्मित (१) परामर्शदात्री परिषद्, (२) योजना समिति, (३) शिक्षा परामर्शदात्री समिति और (४) श्रम परामर्शदात्री परिषद् में कितने सरकारी और कितने गैर सरकारी सदस्य हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं अथवा स्वयं मुख्य आयुक्त ने उनका चुनाव किया है;

(ग) क्या इन निकायों की संरचना के अनुसार इनकी बैठकें निश्चित इंटरवल के पश्चात् होती हैं; और

(घ) क्या वयवहारिक रूप में इनकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :**(क), (ग) और (घ). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १२६]**

(ख) परामर्शदात्री परिषद् के सब सदस्यों के अतिरिक्त जो भारत सरकार द्वारा नामज़द हैं, समितियों और परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों की नामजदगी विविध लोकहितों की ओर ध्यान देते हुए मुख्य आयुक्त करते हैं ।

निर्वाचक नामावलियां

***१४३३. श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचक नामावलियां किस प्रकार और किस आधार पर तैयार की जाती हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मतदाताओं की सूचियां या निर्वाचक नामावलियां सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन आयोग के निदेशाधीन तैयार की जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों की सेवामुक्ति/पदच्युति

†२०२८. श्री स० न० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १२ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५८२ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५६ के वर्षों में कितने औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को अनुशासनीय आधार पर सेवामुक्त अथवा पदच्युत किया गया ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : १३,२९७ कर्मचारियों को ।

राष्ट्रीय पंचांग

२०२९. श्री न० वी० सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पंचांग तैयार करने वाले विद्वानों तथा विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय पंचांग के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को जो विचार भेजे हैं, उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : नये राष्ट्रीय पंचांग का आमतौर से स्वागत किया गया है । जो सुझाव मिले हैं वे ज्यादातर त्रिमास और महीनों के दिनों की पुनः व्यवस्था और लोद का वर्ष निर्धारित करने के सम्बन्ध में हैं ।

सेवा निवृत कर्मचारियों का पुर्ननियोजन

२०३०. श्री श्रीनारयण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अब तक कितने सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया गया है;

(ख) उन्हें किन परिस्थितियों में नियुक्त किया गया है; और

(ग) उन्हें कितने समय के लिये पुनः नियुक्त किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय में वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) भारत सरकार आम तौर से सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की पुर्ननियुक्ति के विरुद्ध है लेकिन यदि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो वह यह रुख नहीं अपनाती । वैज्ञानिक तथा टेकनीकल कर्मचारियों की, जिनकी फिलहाल सारे देश में कमी है, पुर्ननियुक्ति की स्वीकृति उदारतापूर्वक दी जाती है । इस आम नियम में केवल एक अपवाद विस्थापित स्थायी कर्मचारियों के विषय में है जिनकी पेन्शन के मामले पाकिस्तान से उनके सर्विस रेकार्ड प्राप्त न होने के कारण, निश्चित नहीं हो पाये हैं । ऐसे मामलों में उनकी पुर्ननियुक्ति की स्वीकृति उतने ही अल्प समय के लिए दी जाती है जितना कि प्रत्येक मामले में आवश्यक हो । १९५७ में सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्तियां उपरोक्त आधार पर ही की गई होंगी ।

अन्दमान निकोबार द्वीप-समूह में बस्ती बसाना

२०३१. श्री श्रीनारयण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में २,००० एकड़ जंगली भूमि को कृषि-योग्य बना कर जो ३९९ कृषक परिवार वहां बसाये गये हैं, वे किन स्थानों से भेजे गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें विस्थापित व्यक्ति कितने हैं;

(ग) इन कृषकों को क्या क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(घ) क्या इन कृषक परिवारों को इन द्वीपों के जलवायु के कारण किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पश्चिम बंगाल और केरल।

(ख) ३५७ परिवार (१३५७ व्यक्ति)।

(ग) बसने वाले परिवारों को दी गई सुविधाओं का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२७]**

(घ) जी नहीं।

राष्ट्रीय राइफल संस्था

२०३२. **श्री रामजी वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राइफल संथा को १९५२ से १९५६ तक के वर्षों में राष्ट्रीय चांदमारी विजयी प्रतियोगिता करने के लिये जो १०,००० रुपये का अनुदान दिया गया था, उसका किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): नेशनल राइफल एसोसिएशन ने यह रकम नेशनल शूटिंग चेम्पियनशिप प्रतियोगिताओं पर खर्च की है।

राइफल क्लब

२०३३. **श्री रामजी वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राइफल क्लब खोलने के लिये सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी जा रही हैं; और

(ख) चालू वर्ष में कितने राइफल क्लब खोले गये और उनकी सदस्य संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : २०-२-१९५६ को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के भाग (ख) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

तब से निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई :—

(१) नेशनल राइफल ऐसोसिएशन को, जनवरी, १९५८ में होने वाली पांचवीं नेशनल शूटिंग चेम्पियनशिप प्रतियोगिता के लिए १०,००० रुपये मंजूर किये गये; और

(२) नेशनल राइफल एसोसियेशन द्वारा शस्त्र तथा गोली-बारूद के आयात पर दी जाने वाली चुंगी को पूरा करने तथा उसके अन्य कामों में विकास के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

(ख) कुछ राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त सूचना नीचे दी गई है; बाकी सूचना प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों/संघीय क्षेत्रों के नाम	चालू वर्ष में स्थापित किये गये राइफल क्लबों की संख्या	सदस्य संख्या
पश्चिम बंगाल	१	२९
मध्य प्रदेश	१	२५
उड़ीसा	२	५४
केरल	३	१०८
हिमाचल प्रदेश	६	३९
आन्ध्र प्रदेश	१०	१३९
बिहार, पंजाब, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू तथा काश्मीर, लकदीव मिनिकोय तथा अमीनदिवि द्वीप समूह	कोई नहीं	कोई नहीं

बिना मान्यता पाये कार्मिक संघ

†२०३४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में इस समय कितने ऐसे कार्मिक संघ हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है; और

(ख) उनमें से कितनों ने मान्यता पाने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १०३ ।

(ख) ५१ ।

कोयम्बटूर (सुलूर) में हवाई अड्डा

†२०३५. **श्री नंजप्पा**: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर (सुलूर) के हवाई अड्डे पर चार इंजन वाले और तेज़ रफतार वाले विमान उतर सकें उसे इस योग्य बनाने के लिये हवाई अड्डे का जो नवनिर्माण हो रहा था उसकी प्रगति क्या है; और

(ख) काम कब पूरा होगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). सुलूर में भारतीय विमान सेवा का वर्तमान हवाई अड्डा चार इंजन वाले जेट विमानों के उतरने के लिये उपयुक्त है । हवाई अड्डे के नवनिर्माण का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर छावनी बोर्ड

†२०३६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर छावनी बोर्ड की वार्षिक आय क्या है; और

(ख) कर्मचारियों का वार्षिक मजूरी बिल कितना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). वे प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। १९५६-५७ में वास्तविक आंकड़े और १९५७-५८ के प्राक्कलन ये हैं :—

वर्ष	वार्षिक आय	वार्षिक मजूरी बिल
१९५६-५७	. . ५,११,०४६ रुपये	२,७२,८२५ रुपये
१९५७-५८	५,८३,६६४ रुपये (प्राक्कलन)	३,०८,५६६ रुपये (प्राक्कलन)

१०० रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी

†२०३७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों और सेवाओं में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी जिन में नागरिक कर्मचारी भी शामिल हैं ऐसे हैं जिनका मासिक वेतन १०० रुपये से अधिक है; और

(ख) कितने कर्मचारी १०० रुपये से कम वेतन पाते हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख). मांगी गई जानकारी नीचे दी जाती है। ये आंकड़े ३० जून, १९५५ तक के हैं उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(१) जिन्हें १०० रुपये मासिक से अधिक वेतन मिलता है	२,४३,६०५
(२) जिन्हें १०० रुपये मासिक तक वेतन मिलता है	१३,७५,७४२

काम की मात्रा के आधार पर वेतन पाने वाले अस्थायी कर्मचारियों, आकस्मिक निधि में से वेतन पाने वाले और विदेशों में भारतीय कार्यालयों में स्थानीय तौर से भर्ती किये गये कर्मचारी इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय

†२०३८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ के दौरान में हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदने पर सरकार ने कुल कितना खर्च किया; और

(ख) उसी वर्ष गैर-सरकारी सहायता पाने वाले स्कूलों को पुस्तकें खरीदने के लिये सरकार ने कितनी राशि दी ?

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत का राज्य बैंक

†२०३९. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अब तक बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में भारत के राज्य बैंक की कितनी शाखायें, भुगतान कार्यालय तथा उपकार्यालय खोले गये हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): बम्बई राज्य के मराठवाड़ा प्रदेश में १९५७-५८ में भारत के राज्य बैंक की कोई नई शाखा नहीं खोली गई है । उस प्रदेश में बैंक की दो शाखायें हैं, एक नांदेड़ में और दूसरा परभनी में और १९५८ के प्रारम्भ में नांदेड़ के अधीन एक भुगतान कार्यालय किनवट में खोलने का विचार है ।

मराठवाड़ा में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†२०४०. श्री पांगरकर : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल खोले गये हैं अथवा खोलने का विचार है; और

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में अब तक मराठवाड़ा प्रदेश में बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिये वास्तव में कितने अनुदान मंजूर किये गये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९५६-५७ में तीन हाई स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में बदल दिया गया है । १९५७-५८ के बारे में और शेष योजना काल के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और बाद में दे दी जायेगी ।

(ख) बम्बई सरकार को सारे राज्य के लिये जो अनुदान स्वीकृत किये गये वे नीचे दिये जाते हैं :—

१९५६-५७	२,६६,८५४ रुपये
१९५७-५८ (२०-१२-५७ तक) . .	७,३८,३०० रुपये

इन अनुदानों को प्रदेशवार बांटने का काम राज्य सरकार का है ।

हजार रुपये वाले नोट

†२०४१. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परभनी (बम्बई) में भारत का राज्य बैंक और स्टेट बैंक आफ हैदराबाद एक हजार रुपये वाले नोट स्वीकार नहीं करते; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं । इन बैंकों का कहना है कि पिछले कुछ समय में ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ जबकि यह नोट पेश किया गया हो और बैंकों ने उसे स्वीकार न किया हो ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई राज्य का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२०४२. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में चालू वर्ष में किन किन स्थानों पर भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १२८.]

यमुना के किनारे के गांव

†२०४३. श्री आसर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना के किनारे के दिल्ली के १२ ग्रामों को मार्च, १९५८ से पूर्व किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली के १२ गांवों को जो जमुना के किनारे पर हैं किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है । अगली वर्षा ऋतु से पूर्व इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें योजना का ब्योरा दिया गया है । सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२९.]

किर्की के गोलाबारूद कारखाने में विस्फोट

†२०४४. श्री आसर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि ३ दिसम्बर, १९५७ को किर्की के गोलाबारूद कारखाने में एक विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति और किस कदर घायल हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ३० व्यक्ति घायल हुए, ३ को जरा अधिक चोटें आई थीं । कोई व्यक्ति मरा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक जांच बोर्ड नियुक्त किया गया है जो विस्फोट के कारणों का पता लगायेगा, हानि का निर्धारण करेगा, उत्तरदायित्व निश्चित करेगा और रोकथाम के उपायों का सुझाव देगा।

(घ) जांच बोर्ड अभी उपपत्तियां प्रस्तुत करेगा।

निवेली परियोजना

†२०४५. **श्री सं० वं० रामस्वामी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखकर, जिस में निवेली परियोजना की एकीकृत योजना में लिग्नाइट के खनन, ताप विद्युत् केन्द्र, उर्वरक कारखाने, चीनी के बर्तन का कारखाना और अन्य सहायक उद्योगों के अलग अलग आंकड़े हों, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी में अथवा बिहार की किसी भी कोयला खान कोयले की तुलना में खान से बाहर लिग्नाइट का प्रति टन मूल्य क्या है और इस मूल्य का हिसाब कैसे लगाया गया है; और

(ख) मद्रास राज्य में अन्य ताप विद्युत् अथवा जल विद्युत् की तुलना में बिजली की प्रति एकक लागत का प्राक्कलन क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एकीकृत परियोजना के विभिन्न भागों के प्राक्कलन अभी अस्थायी हैं इस लिये इन्हें बताने से कोई लाभ न होगा।

(क) सिंगरेनी में विभिन्न प्रकार के कोयले पर खान से बाहर निकालने पर लागत २३ और २७ रुपये की बीच, बिहार की अन्य खानों में १५.०६ रुपये से २०.०६ रुपये तक और इस की तुलना में निवेली में निकाले जाने वाले लिग्नाइट का मूल्य १०.०० रुपये प्रति टन है। मशीनों के मूल्य बढ़ जाने, उस उपकरण का मूल्य बाद में चुकाये जाने, जिस का व्यादेश अभी भेजा जाना है, की शर्तें स्वीकार हो जाने, वार्षिक उत्पादन (३५ लाख टन) और भूमिगत जल के नियंत्रण पर लागत, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लागत का हिसाब लगाया गया है।

(ख) मद्रास राज्य में १९५६-५७ में जलविद्युत् स्टेशनों और ताप विद्युत् स्टेशनों में बिजली पैदा करने पर क्रमवार १.०४ नये पैसे और ६.० नये पैसे प्रति यूनिट लागत आई। निवेली ताप विद्युत् स्टेशन में यदि ५० एम डब्ल्यू यूनिट लगाये जायें तो ३.३२ नये पैसे प्रति यूनिट और यदि १०० एम डब्ल्यू यूनिट लगाये जायें तो २.९६ नये पैसे प्रति यूनिट लागत आयेगी।

प्रौढ़ शिक्षा

†२०४६. **श्री दामाणी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना में ३१ अक्तूबर, १९५७ तक कितनी प्रगति हुई;

(ख) १९५६-५७ में प्रौढ़ शिक्षा पर कुल कितना खर्च किया गया;

(ग) १९५७-५८ के आयव्ययक में प्राक्कलन क्या हैं; और

(घ) प्रौढ़ों को शिक्षा ग्रहण करने के लिये आकर्षित करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) योजना अभी विचाराधीन है।

(ख) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कुछ नहीं।

जीवन बीमा निगम में परिवीक्षाधीन[1] निरीक्षक

†२०४७. **श्री दामानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने जिन बीमा समवायों को अपने कब्जे में लिया है उन में कारबार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कितनों को परिवीक्षाधीन निरीक्षक नियुक्त किया गया है; और

(ख) उन्हें स्थायी तौर पर खपाने के लिये क्या योजना बनाई गई है?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) भूतपूर्व जीवन बीमा समवायों में दर के अनुसार कार्य करने वाले निरीक्षकों में से ९०४ परिवीक्षाधीन निरीक्षक निगम में नियुक्त किये गये हैं।

(ख) निगम ने भूतपूर्व समवायों में वेतन पर काम करने वाले क्षेत्र कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, वेतन क्रम आदि को समान स्तर पर लाने की जो योजना बनाई है उसी के अनुसार उन्हें निगम की सेवा में खपाया जायेगा।

भूतपूर्व बीमा समवायों के प्रबन्धक

†२०४८. **श्री दामानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व जीवन बीमा समवयों के कितने प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धकों को जीवन बीमा निगम में उन्हीं पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सका और वे इंस्पैक्टरों का काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या उन के वेतन क्रम अथवा उपलब्धियों पर कोई प्रभाव पड़ा था ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) २ . . . . .

शाखा प्रबन्धक . . . . . .

सहायक शाखा प्रबन्धक कोई नहीं

(ख) जी नहीं।

अतिथिसत्कार अथवा सम्पर्क स्थापित करने के लिये जो विशेष भत्ते दिये जाते थे वे उन व्यक्तियों को देना बन्द कर दिया गया है जिन्हें गिनम में नौकरी के बदल जाने के कारण जारी रखना उचित नहीं था।

जीवन बीमा निगम

†२०४९. **श्री दामानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व जीवन बीमा समवायों के कितने मुख्य एजेंट और विशेष एजेंन्ट अब जीवन बीमा निगम के निरीक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Probationary.

(ख) क्या उन्हें जीवन बीमा निगम की सेवा में लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाहीं की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ३७८ व्यक्ति जो पहले मुख्य एजेंट और विशेष एजेंट थे उन्हें अब जीवन बीमा निगम में परिवीक्षात्मक निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

(ख) और (ग). निगम ने भूतपूर्व समवायों में वेतन पर काम करने वाले "फील्ड कर्मचारियों" की सेवा की शर्तें वेतनक्रम आदि को समान स्तर पर लाने की जो योजना बनाई है उस के अनुसार उन्हें निगम की सेवा में खपाया जायेगा।

अन्दमान द्वीपों में बसने वाले लोग

†२०५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) अन्दमान द्वीपों में कितने व्यक्ति बसाये गये

(ख) वे भारत के किन किन भागों से आये; और

(ग) क्या उन सब को भूमि, धन और अन्य सुविधायें दी गई थीं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ९२५ व्यक्ति (२३३ परिवार)

(ख) पश्चिमी बंगाल, मद्रास, माही।

(ग) सभी काश्तकार परिवारों को जिन की संख्या २२५ थी, साफ की गई पांच एकड़ भूमि और योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य अनुदान तथा ऋण दिये गये थे। शेष व्यक्तियों को, जो बढ़ई आदि थे, अन्दामान प्रशासन के वन तथा लोक निर्माण विभाग में रोजगार दिलाया गया है।

भारत में स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले व्यक्ति

†२०५२. **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से नवम्बर, १९५७ तक (मासवार) कितने व्यक्तियों को मान्य पारपत्रों के बिना भारत में प्रवेश करने के लिये दण्ड दिया गया;

(ख) उसी अवधि से सम्बन्ध रखने वाले कितने मामलों का अभी निबटारा करना बाकी है; और

(ग) उस अवधि में कितने व्यक्तियों ने कारावास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली में अपराध

†२०५३. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में जुलाई से नवम्बर, १९५७ (मासवार) तक निम्नलिखित शीर्षों के आधीन कितने अपराध किये गये :—

(१) हत्या
(२) डकैती
(३) अपहरण
(४) बालकों की चोरी; और
(५) हत्या के उद्देश्य से हमला करना ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :

	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर
(१) हत्या	६	१३	४	४	४
(२) डकैती . .	—	—	—	—	—
(३) अपहरण . .	—	२	२	२	२
(४) बालकों की चोरी . .	१२	१४	१९	१५	११
(५) हत्या के उद्देश्य से हमला करना .	१०	१४	१६	१२	१४

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

†२०५४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून से नवम्बर, १९५७ (मासवार) तक पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों और भारतीय सीमा पर पुलिस अथवा सेना कर्मचारियों के बीच कितनी बार गोली चली ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :

जून	कोई नहीं
जुलाई	२
अगस्त	कोई नहीं
सितम्बर	३
अक्तूबर	कोई नहीं
नवम्बर	कोई नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्यनिषेध

†२०५५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी दी गई हो कि दिल्ली में १ अगस्त से ३० नवम्बर, १९५७ तक मद्यनिषेध का उल्लंघन करने वाले कितने व्यक्तियों पर निम्नलिखित आरोपों के अधीन अभियोग चलाये गये;

(१) विक्रेताओं और होटल वालों द्वारा समय सीमा का उल्लंघन;

(२) उन दिनों को भी शराब पीने पर जब शराब पीना और बेचना मना है;

(३) गैर-कानूनी शराब निकालना; और

(४) अन्य आरोपों पर ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३०]

वैज्ञानिक गवेशणा के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान

†२०५६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेशणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में वैज्ञानिक गवेषणा कार्य करने के लिये १९५६-५७ में पंजाब, आगरा, कलकत्ता और बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितना-कितना अनुदान दिया; और

ख) क्या विश्वविद्यालयों ने अनुदानों का प्रयोग किया ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेशणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा टल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३१]

वैज्ञानिक गवेशणा के लिये पंजाब को अनुदान

†२०५७. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेशणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में वैज्ञानिक गवेषणा कार्य के लिये पंजाब राज्य और पंजाब विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) गवेषणा के विषय क्या क्या थे ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेशणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

	रुपये
पंजाब सरकार	५९,७०१—०—०
पंजाब विश्वविद्यालय	१५,१२०—२—६

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त १९५६-५७ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय को उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के लिये ४,४४,२५६ रुपये की राशि स्वीकृत की परन्तु वह किसी विशेष क्षेत्र में गवेषणा के लिये नहीं थी ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३२]

भारत पाकिस्तान वित्तीय मामले

†२०५८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच जिन वित्तीय मामलों का अभी निबटारा नहीं हो सका है उन के समाधान के लिये क्या भारत तथा पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों की बातचीत के सम्बन्ध में कोई तिथि नियत की गई है; और

(ख) यदि हां तो वह तिथि कौन सी है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जाली नोटों का छापना

†२०५९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त से ३० नवम्बर, १९५७ तक की अवधि में जाली नोट छापने के कितने मामलों का पता लगाया गया था; और

(ख) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्य होने पर सभा-टल पर रख दी जायेगी ।

अल्प बचत योजना

†२०६०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री बिमल घोष :
कुमारी मो० वेद कुमारी :
श्री कालिका सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिंहासन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक तथा १९५७-५८ वर्ष में मासवार अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कितनी रकम जमा हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह राशि अवधि के लिये प्राक्कलित आंकड़ों के बराबर है;

(ग) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है; और

(घ) क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) चालू वर्ष के पहिले आठ महीनों की मास-वार कुल जमा राशि नीचे दी जाती है :

(लाख रुपयों में)

मास	१९५७-५८
अप्रैल	३,९०
मई	–८
जून	२,६४
जुलाई	५,५९
अगस्त	३,७२
सितम्बर	६,०९
अक्तूबर	३,४४
नवम्बर	३,७२
जोड़	२९,०१

(ख) ८० करोड़ रुपये के आयव्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन के आधार पर अब तक जमा हुई राशि प्रत्याशा से कम है ।

(ग) इस कमी के लिये जो लगभग पूर्णतः डाक घर बचत बैंक के अधीन हुई है; कोई विशिष्ट कारण बताना कठिन है और इस के गई कारण हो सकते हैं, उदाहरणार्थ, कीमतों के बढ़ने तथा देश के कुछ भागों में सूखे तथा अकाल की परिस्थितियों के बने रहने से बचत में कमी, अधिक लाभप्रद स्रोतो में पूंजी लगाने का विकर्षण, आदि ।

(घ) राज्य सरकारों के साथ सहयोग से बचत आन्दोलन को गतिशील बनाने की ओर निरन्तर ध्यान दिया जाता है । हाल ही में की गई महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में ये बातें थीं । राष्ट्रीय बचत संगठन का पुनर्गठन, मंत्रणा समितियों का गठन, अल्प बचत विनियोजन की ब्याज की दरों में वृद्धि, डाक-घरों की कार्यदक्षता तथा लोक संबंधों में सुधार की दृष्टि से एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना, बचत आन्दोलन को विशेष रूप से ग्राम्य क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजना प्रशासन तथा समाज सेवा केन्द्रों के सहयोग से, गतिशील बनाना, प्राधिकृत एजेंटों की अधिक भर्ती, आन्तरिक एजेन्टों, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों आदि जैसी नई प्रकार की एजेंन्सियों को लागू करना तथा सक्रिय बचत समूहों का गठन ।

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका के साथ भुगतान शेष

†२०६१ { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरीका के साथ भारत की भुगतान शेष संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यदि यह प्रतिकूल है तो समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : (क) निम्न सारणी में १९५७-५८ के पहिले छः मास के लिये अमेरीका के साथ भारत के भुगतान शेष संबंधी प्रारम्भिक प्राक्कलन दिये गये हैं। सितम्बर, १९५७ के बाद की जानकारी अभी प्राप्त नहीं है।

अमरीका के साथ भारत का भुगतान शेष

	(करोड़ रुपयों में) १९५७-५८ (अप्रैल-सितम्बर) प्रारम्भिक
आयात, लागत-बीमा-भाड़ा सहित	१३०.६
निर्यात, नौतल पर्यन्त निःशुल्क	४१.७*
व्यापारान्तर	–८८.९
सरकारी दान (कुल)	९.६**
अन्य अनभिलिखित (कुल) लेखा	५.६
चालू लेखा (कुल)	–७३.७

*उधार पट्टे के दायित्वों की अभिपूर्ति के एक भाग के रूप में अमेरीका को ७४.४ करोड़ रुपये के मूल्य की चांदी का निर्यात इस में सम्मिलित नहीं है।

७३.७ करोड़ रुपये की कुल कमी में से अनुमान है कि लगभग ६० करोड़ रुपये पी एल ४८० के अधीन ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित किये गये हैं।

(ख) १९५७ में भारत की आयात नीति का मुख्य उद्देश्य आयातों को न्यूनतम सीमा तक कम करना और केवल (१) योजना में अर्न्तनिहित परियोजनाओं और (२) मितव्ययता बनाये रखने के लिये व्यवस्था करना था। यह बात अमेरीका से आयात पर भी लागू होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**जुलाई-सितम्बर के लिये प्राक्कलन अस्थायी हैं।

राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास

†२०६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किस तिथि तक न्यास स्थापित हो जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित ब्योरा अभी एकत्रित किया जा रहा है और अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि न्यास कब तक स्थापित किया जा सकेगा ।

पंजाब में आयकर पदाधिकारी

†२०६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में कुल आय-कर पदाधिकारियों, निरीक्षकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के आय-कर पदाधिकारियों, निरीक्षकों तथा चतुर्थ श्रेणी के र्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जातियां	पिछड़े हुए वर्ग
आयकर अधिकारी	२	—
निरीक्षक	६	—
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	४३	—

तस्कर व्यापार

†२०६४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री तँगामणि :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बलराम कृष्णय्या :
श्री दलजीत सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर एक विरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) १९५७ में अब तक चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले कितने व्यक्ति इन स्थानों पर पकड़े गये हैं;

(१) पूर्वी तथा पश्चिमी भारत-पाकिस्तान सीमा;

(२) पूर्वी पंजाब सीमा;

(३) भारत के बन्दरगाह ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले संबंधित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता क्या थी;

(ग) चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था;

(घ) इसी अवधि में चोरी छिपे माल लाने ले जाने वालों से पकड़े गये अलग अलग सामान की कुल कीमत कितनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : (क) से** (घ) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १३३**]

गोआ सीमा पर पकड़ा गया निषिद्ध सामान

†२०६५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई से ३० नवम्बर, १९५७ तक गोआ सीमा पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कितनी कीमत का तथा किस प्रकार का निषिद्ध सामान पकड़ा गया था;

(ख) अभी तक गोदामों में कितनी कीमत का सामान पड़ा है;

(ग) कितनी कीमत का सामान बेच दिया गया है; और

(घ) इसी अवधि में चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) १ जुलाई से ३० नवम्बर, १९५७ तक गोआ सीमा पर कुल १,७१,६६६ रुपये की कीमत की निषिद्ध वस्तुयें पकड़ी गई थीं जिन में सोना, तम्बाकू, सेफ्टी रेजर ब्लेड, भारतीय मुद्रा, पशुधन, सुपारी, मैकैनिकल लाइटरस, विदेशी तथा देशीय लेखन सामग्री तथा अन्य विविध वस्तुयें थीं ।

(ख) अभी तक गोदामों में रखे हुए माल की कीमत १,५४,८४२ रुपये है।

(ग) तब से बेचे गये सामान का मूल्य १६,८२४ रुपये है ।

(घ) इसी अवधि में चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ५२३ है।

दिल्ली के स्कूल

†२०६६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में सभी स्कूलों को अपने अधिकार में लेने और उनका प्रशासन कार्य चलाने अथवा ऐसा करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त संविहित प्राधिकार स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

डालमिय-जैन समवायों की जांच पड़ताल

†२०६७. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमिया जैन समवाय समूह के मामलों की जांच करने के लिये जांच आयोग ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में उसने कितनी प्रगति की है; और

(ग) इसे अपना कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). आयोग के कब्जे में जो अभिलेख है उसने उनकी जांच पूरी कर ली है । तथापि २२ मई, १९५७ को उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग के नाम जारी किये गये कार्यवाही रोधन आदेश के कारण, जिसमें उसे तब तक के लिये अपनी जांच पड़ताल का अग्रेतर कार्य करने से रोक दिया गया है जब तक कि आयोग की स्थापना के विरुद्ध श्री रामकृष्ण डालमिया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई अपीलों की उस न्यायालय में सुनवाई नहीं हो जाती तथा अन्तिम निबटारा नहीं किया जाता, आयोग नई सामग्री एकत्रित करने अथवा गवाही लेने के मामलों में अग्रेतर कार्यवाही नहीं कर सका है । जब तक कि उच्चतम न्यायालय अपीलों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं सुनाता तथा आयोग की नियुक्ति को मान्य घोषित नहीं करता तब तक आयोग अपना काम आगे नहीं कर सकता है ।

एम्पो (आन्ध्र-मध्य प्रदेश-उड़ीसा) क्षेत्र का सर्वेक्षण[1]

†२०६८. { **श्री बर्मन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्पो (आन्ध्र-मध्य प्रदेश-उड़ीसा) क्षेत्र, जिस के विकास का कार्य पुनर्वास **मंत्रालय को** सौंपा गया है, का सर्वेक्षण संबंधी कार्य भारतीय-भू-परिमाप द्वारा किया जा चुका है या इस समय किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो (१) कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(२) इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Survey of AMPO Region.

(३) क्या यह कार्य वैमानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है अथवा भू-सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है;

(४) इस क्षेत्र के सवक्षण कार्य में यदि सवक्षण दल द्वारा कोई कठिनाइयां अनुभव की गई हैं तो वे क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) भारतीय भूपरिमाप द्वारा कलकत्ता की एयर सर्वे कम्पनी आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के द्वारा क्षत्र की विमान द्वारा फोटो खींचने का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) (१) यह बताया गया है कि २ नवम्बर, १९५७ तक लगभग ७६६० वर्ग मील के कुल क्षेत्र में से लगभग ७२६७ वर्गमील की विमान द्वारा फोटो खींचने का कार्य पहिले से ही पूरा किया जा चुका है और लगभग ३९३ वर्गमील के शेष क्षेत्र की विमान द्वारा फोटो खींचने का कार्य अब किया जा रहा है ।

(२) एयर सर्वे कम्पनी आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(३) विमान द्वारा चित्र खींच कर ।

(४) बताया गया है कि जहां तक विमान द्वारा चित्र खींचने का संबंध है कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है और मौसम के अनुकूल रहने के अधीन रहते हुए आशा है कि शीघ्र ही समस्त क्षेत्र की विमान द्वारा फोटो खींचने का कार्य पूरा हो जायेगा ।

भारत के रक्षित बैंक के कर्मचारियों के रहने के लिये मकान

†२०६९. **श्री त० ब० विठ्ठल राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में भारत के रक्षित बैंक के निरीक्षक तथा लिपिक कर्मचारी-वृन्द के १२० परिवारों के आवास के लिये रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है; और

(ग) उनके कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) इमारतें लगभग तैयार हैं केवल कुछ ऊपरी छोटा मोटा काम शेष है ।

(ख) निर्माण कार्य के विभिन्न प्रक्रमों पर इस्पात तथा सीमेंट की पर्याप्त मात्रा में अप्राप्यता के कारण ही मुख्यतः कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ग) रक्षित बैंक के वास्तुशास्त्रियों के द्वारा उसे यह बताया गया है कि दिसम्बर, १९५७ के समाप्त होने से पूर्व ये क्वार्टर रहने के लिये तैयार हो जायेंगे ।

रक्षित बैंक के कर्मचारी

†२०७०. **श्री त० ब० विठ्ठल राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक के कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने से संबन्धित प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और लागू किया जायेगा

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) भारत के रक्षित बैंक के कर्मचारियों को चिकित्सा सेवा संबंधी सुविधायें प्रदान करने के लिये रक्षित बैंक की पहिले से ही एक योजना है । बैंक कर्मचारियों की बस्तियों में औषधालय स्थापित किये जा चुके हैं जहां पर रियायती दरों पर कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों का उपचार किया जाता है । वर्तमान चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के उरारीकरण से संबंधित एक सुझाव विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रश्न पर यह बताना कठिन है कि इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ।

मलारी के निकट प्राचीन स्थान

२०७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ८ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल जिले में मलारी ग्राम के निकट शक-युग के शमशान-स्थलों की खोज के सम्बन्ध में इस बीच कोई अनुसन्धान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उस अनुसन्धान का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) यदि अनुसन्धान अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसन्धान कब तक पूरे हो जायेंगे ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें जांच का परिणाम बताया गया है, सभा के पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १३४]

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

चांदी ऋण

†२०७२. { **श्री महन्ती** :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उधार-पट्टे करार के अधीन भारत के चांदी ऋण की अदायगी के रूप में अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक अमेरिका को निर्यात किये गये १९४७ के पूर्व के उच्च मूल्य वाले ऐसे भारतीय सिक्कों की संख्या तथा वजन कितना था जिन में ५० प्रतिशत चांदी थी ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : इस प्रकार के सिक्कों का कुल वजन १९९७.३१ टन था । क्योंकि इस प्रकार के विकृत तथा कटे हुए सिक्कों का सरकारी लेखे में केवल वजन द्वारा ही हिसाब किताब रखा जाता है इस लिये उनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फाल में चौथी आसाम राइफल्स

†२०७३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में चौथी आसाम राइफल्स ने छावनी बोर्ड अधिनियम के अधीन कोई छावनी बोर्ड स्थापित किया है;

(ख) क्या उपरोक्त चौथी आसाम राइफल्स द्वारा संधृत कोई कांजी हौज भी है;

(ग) यदि हां, तो विधि के किन किन उपबन्धों के अधीन उन्हें रखा जा रहा है; और

(घ) क्या प्रति वर्ष नीलाम द्वारा कांजी हौज बेचे जाते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । एक काजी हौज संधृत है ।

(ग) १८७१ के पशु अनधिप्रवेश अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ।

(घ) प्रति वर्ष टेंडर आमन्त्रित कर के कांजी हौज पट्टे पर दिया जाता है ।

परियोजना कार्यान्विति सम्बन्धी जिला समितियां

†२०७४. **श्री सुगन्धि** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण बोर्ड के नियंत्रणाधीन राज्यों में स्थापित परियोजना कार्यान्विति संबंधी जिला समितियों का गठन कौन करता है और कैसे किया जाता है;

(ख) इन बोर्डों का संगठनात्मक ढांचा क्या है और जिला-स्तरों पर वे किस के मार्ग प्रदर्शन के अधीन कार्य करते हैं;

(ग) १९५२–५३, १९५३–५४, १९५४–५५, १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में बीजापुर जिले में कितनी रकम खर्च की गई थी;

(घ) प्रतिवर्ष यात्रा संबंधी प्रयोजनों के लिये कितनी रकम खर्च की गई है;

(ङ) प्रतिवर्ष प्रशासन पर तथा वास्तविक कल्याण कार्य पर कितनी रकम खर्च की गई है;

(च) क्या परियोजना कार्यान्विति संबंधी जिला समितियों के कार्य के संबंध में सरकार द्वारा कोई पड़ताल की जाती है; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार सभा-पटल पर प्रतिवेदन रखेगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की मंजूरी से समाज कल्याण सम्बन्धी राज्य मंत्रणा बोर्ड इनका गठन करते हैं ।

(ख) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १३५]

(ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आसाम में मनीपुरी लोग

†२०७५. **श्री ले० अचौ सिंह** : : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में मनीपुरी लोगों को पिछड़े हुए वर्गों में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी पिछड़े पन को पूरा करने के लिये १९५५–५६, १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में उन्हें क्या सुविधायें प्रदान की गईं हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) आसाम में अन्य पिछड़े हुए वर्गों की अस्थायी सूची में राज्य सरकार ने मनीपुरी लोगों को शामिल किया है। केन्द्रीय सरकार ने भी उन्हें मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिये आसाम संबंधी अन्य पिछड़े हुए वर्गों की अपनी सूची में उन्हें सम्मिलित किया है ।

(ख) आसाम के मनीपुरी लोगों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने निम्न रकमें खर्च की हैं :—

	रुपये
१९५५–५६	६,००७
१९५६–५७	११,२५४
१९५७–५८	९,४४५ (लगभग)
जोड़	२६,७०६

राज्य सरकार ने मैट्रिक की परीक्षा के परिणामों के आधार पर तृतीय श्रेणी की १० रुपये प्रति मास की चौदह कनिष्ठ छात्रवृत्तियां आरक्षित की हैं। योग्यता के आधार पर प्राप्त होने वाली छात्र-वृत्तियों के अतिरिक्त उन्हें ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

अन्य पिछड़े हुए वर्गों की भांति मनीपुरी लोगों से भी कोई शिक्षण-शुल्क नहीं लिया जाता है।

आयकर निर्धारण के मामले

†२०७६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५७ को आय कर निर्धारण के कितने ऐसे मामले शेष थे जो कि क्रमशः पिछले चार, तीन, दो तथा एक वर्षों से लम्बित पड़े थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारित मामलों के विरुद्ध ३१ मार्च, १९५७ को अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास क्रमश: पिछले चार, तीन, दो तथा एक वर्षों से कितने मामले लम्बित थे ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ३१–३–१९५७ को चार वर्ष या उस से अधिक काल से लम्बित मामलों की संख्या.	१४४२
३१–३–१९५७ को तीन वर्ष अथवा अधिक काल से लम्बित मामलों की संख्या.	३२२३
३१–३–५७ को दो वर्ष या अधिक काल से लम्बित मामलों की संख्या	९४३१
३१–३–५७ को एक वर्ष या अधिक काल से लम्बित मामलों की संख्या	३३०९८

विकास परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता

†२०७७. **श्री कोडियान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल हीं में किन किन विकास योजनाओं के लिये विदेशी सरकारों अथवा संस्थाओं से बातचीत की है; और

(ख) किन किन विकास परियोजनाओं में पहले से ही विदेशी पूंजी लग रही है ?

†वित मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). शीघ्र ही अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

रिजर्व बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†२०७८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता में रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने एक 'कलम छोड़ो' हड़ताल की है ।

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) इस वर्ष सितम्बर तथा अक्तूबर मासों में कलकत्ता के रिजर्व बैंक के क्लर्कों तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों ने तीन बार 'काम न करो' हड़ताल की है । चार अवसरों पर उन्हों ने प्रदर्शन किये हैं तथा १७ अक्तूबर, १९५७ को उन्हों ने मुकम्मल हड़ताल की है।

(ख) ये हड़तालें मुख्यतया प्रतिकरात्मक भत्ते की मांग के समर्थन में तथा अन्य बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालों की सहानुभूति के लिये की गई हैं ।

त्रिपुरा प्रशासन

†२०७९. { **श्री बांगशी ठाकुर** :
श्री दशरथ देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि अभी तक अस्थायी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इन में से अधिकांश लोग ४ अथवा ५ वर्ष से सेवा में हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनको अब तक किस कारण से स्थायी नहीं बनाया गया है;

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ५,५१६

(ख) नहीं, केवल २८१ ऐसे अस्थायी कर्मचारी हैं जो कि पिछले ४ अथवा ५ वर्ष से सेवा में हैं।

(ग) इन में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि अस्थायी योजनाओं अथवा ऐसे विभागों में भर्ती किया गया है जो कि स्वयं अस्थायी हैं।

आदिम जातियों के विद्यार्थी

†२०८०. श्री बांगशी ठाकुर : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अगरताला में ५० और आदिम जाति विद्यार्थियों को जगह देने के लिये एक और आदिम जाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १३६]

कार निकोबार द्वीप

†२०८१. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० सिंह सहगल :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार निकोबार द्वीपों में उपर्युक्त काल में व्यापारियों के पास कितनी दुकानें तथा। अथवा इमारतें थीं; और

(ख) ये दुकानें अथवा इमारत अब किसकी सम्पत्ति हैं तथा इनका अब किस कार्य के लिये उपयोग किया जा रहा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) इन की संख्या विदित नहीं हो सकी है क्योंकि इनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था।

(ख) जापानियों ने इन सब इमारतों अथवा दुकानों को तोड़ फोड़ डाला था तथा ये सब बड़ी अस्तव्यस्त स्थिति में पड़ी हैं। इन द्वीपों पर दोबारा कब्जा करने के बाद में भी उन निकोबारियों को दे दी गई जिन के कि बागान में ये स्थित थीं तथा जिनके वे सामूहिक रूप से स्थायी थे। इन टूटी फूटी इमारतों में से निकोबारियों ने २० इमारतें मेसर्स अकूजी जाडवेट एण्ड कम्पनी को जो कि तत्कालीन सरकारी ठेकेदार थे, दी थीं। इन्हों ने इन इमारतों को बनाने के बाद १९५५ में कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी को बेच दिया। शेष स्थानों पर कुछ निकोबारियों ने रहने के मकान, सहकारी संस्थायें तथा स्कूल बना लिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंदमान द्वीप के लिये परामर्शदात्री परिषद्

†२०८२. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५७ में अन्दमान की जिस परामर्शदात्री परिषद् का पुनर्संघटन किया गया है उस का एक सदस्य एक ग्राम चौधरी अर्थात् सरकारी कर्मचारी है और एक अन्य सदस्य सरकार से निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है;

(१) उसे पोर्ट ब्लेयर के वन विभाग द्वारा रियायती मूल्य पर इमारती लकड़ी बाहर भेजने का कोटा दिया हुआ है और वह सरकार को सामान्य रायल्टी की अपेक्षा कम रायल्टी देता है;

(२) उस ने एक निजी व्यापार के लिये स्थानीय प्रशासन से एक बड़ा भारी ऋण लेने के लिये आवेदन पत्र दिया हुआ है; और

(३) उस के लड़के के नाम से शराब बेचने का एक लाइसेंस है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को परिषद् में शामिल न करने का कोई विचार किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस परिषद् का कोई भी सदस्य असली मानों में सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति उत्तरी अन्दमान में वेदी गांव का एक कृषक है तथा वह गांव का चौधरी भी है। किन्तु वह केवल विशेष प्रकार का ही कार्य करता है। एक तो वह राजस्व इकट्ठा करता है और दूसरे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४५ के अन्तर्गत राशियों का संग्रह करता है। गांव के चौधरी अपने क्षेत्र के प्रमुख लोक सेवकों में से चुने जाते हैं तथा वे सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं यद्यपि उन को कुछ कर्तव्य करने के बदले में कुछ वजीफा आदि मात्र दिया जाता है।

दूसरा व्यक्ति एक सेवानिवृत्ति वन अधिकारी है तथा पोर्ट बलेयर का स्थायी निवासी है। वह अंदमान में इमारती लकड़ी इकट्ठा करता है तथा उसे भारत की मुख्य भूमि को निर्यात करता है। उसे सरकारी रायल्टी की दरों में कोई छूट नहीं दी गई है उस ने उद्योगों के लिये राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत एक आरा मिल खोलने के लिये प्रशासन को ऋण देने के लिये एक आवेदन पत्र दिया था जो कि अस्वीकृत कर दिया गया है। उस के पुत्र के पास शराब बेचने का एक लाइसेंस था जो कि अप्रैल १९५६ से सितम्बर १९५७ तक वैद्य था। यह लड़का अपने पिता से पृथक व्यापार चलाता है।

(ख) ऐसे सदस्यों को परिषद् में मनोनीत करने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है अगर वे स्थानीय प्रभाव रखते हों, तथा लोक हितों का प्रतिनिधित्व करते हों।

निकोबार द्वीप में आयकर प्राधिकारी

†२०८३. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीप में कौन आयकर पदाधिकारी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वहां पर—

(१) सरकारी अथवा गैर-सरकारी नौकरियों में तथा

(२) नौकरी इतर व्यक्तियों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आयकर देते हैं;

(ग) १९५६–५७ के दौरान में दोनों प्रकार के व्यक्तियों के भिन्न भिन्न कितनी आयकर राशि प्राप्त हुई; और

(घ) क्या सरकार को पूरा निश्चय तथा संतोष है कि 'व्यापारिक लाभ आदि' से होने वाले आयकर में किसी प्रकार का बड़े पैमाने पर कोई अपवंचन नहीं हो रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : (क) निकोबार द्वीप के लिये निम्नलिखित आयकर प्राधिकारी हैं :

(१) सहायक आयुक्त, निकोबार यह निकोबार के लिये आयकर अधिकारी का काम करता है ;

(२) डिप्टी कमिशनर, अन्देमान तथा निकोबार द्वीप। यह निकोबार के लिये आयकर अपीलीय सहायक आयुक्त का काम करता है।

(३) चीफ कमिशनर अन्देमान तथा निकोबार द्वीप। यह निकोबार के लिये आयकर आयुक्त का काम करता है।

(ख) केवल निकोबार के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी जाती है :

	१९५६–५७
(ख) १ . . .	२
(ख) २ . . .	२

(ग) १९५६-५७ के दौरान में कुल आयकर संग्रह इस प्रकार है :—

(१) सरकारी अथवा गैर-सरकारी नौकरियों वाले आयकर दाताओं से . . .	१५७ रुपये
(२) नौकरी इतर पेशे वालों से .	२९,०२० रुपये

(घ) जी हां

अन्दमान में डाक बंगला

†२०८४. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अ० सिंह० सहगल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार निकोबार द्वीप में डाक बंगला बनने का ठेका वहां के एक एकाधिकारी व्यापारी को बिना कोई टेंडर बुलाये दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह ठेका लोक-निर्माण विभाग की अनुसूचित दरों से २५ प्रतिशत अधिक दर पर दिया गया है;

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) यदि हां, तो इस के कारण;

(ङ) क्या यह भी सच है कि लोक निर्माण विभाग ने इस ठेकेदार को बंगला बनाने के लिये प्रथम श्रेणी की पाडौक इमारती लकड़ी दी थी किन्तु इस ठेकेदार ने उस में हार्डवड, जो कि उस से कहीं सस्ती लकड़ी है लगाई है; और

(च) क्या ये तथ्य स्थानीय प्रशासन की जानकारी में हैं, तथा क्या उस ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (च). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर तत्काल सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक

†२०८५. **श्री जाधव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया सीक्योरिटी प्रेस नासिक के लिये जो विभागीय पदोन्नति समिति बनाई गई है उस के कौन कौन से सदस्य हैं; और

(ख) पदोन्नति के क्या आधार रखे गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) कर्मचारियों के लिये जो विभागीय पदोन्नति समिति बनाई गई है उस के सदस्यों में एक मास्टर, दो डिप्टी मास्टर्स और डिप्टी कन्ट्रोलर आफ स्टेम्पस सम्मिलित हैं । तथा इस समिति में वित्त मंत्रालय के एकोनोमिक अफेयर्स विभाग का एक प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में बैठता है ।

(ख) संवरणेतर[10] पदों के लिये वरिष्ठता[11] के आधार पर पदोन्नति होती है और जो लोग होते हैं केवल उन्हीं को रोका जाता है । संवरण पदों में मुख्यतया योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाती है किन्तु साथ में आपेक्षिक वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाता है ।

इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक

†२०८६. **श्री जाधव**: क्या वित्त मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक के कर्मचारियों के लिये कितनी शिशिक्षा अवधि रखी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: प्रेस के लिये प्रविधिक सैक्शनों के लिये जो कर्मचारी सीधे भर्ती किये जाते हैं उन की सामान्य शिक्षा अवधि ४।। वर्ष है । और कन्ट्रोल सैक्शनों में रखे जाने वाले व्यक्तियों की शिशिक्षा अवधि ३।। वर्ष है ।

राज-भाषा आयोग का प्रतिवेदन

२०८७. **श्री क० भ० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज-भाषा आयोग के प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस का हिन्दी संस्करण क्यों नहीं प्रकाशित किया गया; और

(ग) इस के कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Non-selection post
[11]Seniorities

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद लगभग पूरा हो गया है इस के साथ साथ वह भी छप रहा है ।

(ग) लगभग दो महीने के अन्दर ।

आयोग तथा समितियां

२०८८. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से अक्तूबर १९५७ तक की अवधि में गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन कितने आयोगों तथा समितियों ने काम किया;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) इन में से कितने आयोगों तथा समितियों की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) छः ।

(ख) लगभग २० लाख रुपये ।

(ग) आयोग और समितियों की सिफारिशें विचाराधीन हैं । तीसरी समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । चौथी समिति की सिफारिशें संसद् के संशोधन के अनुसार स्वीकार कर ली गई हैं और शेष दो की भी, जहां तक सम्भव था, मान ली गई हैं ।

पहाड़ी भत्ता[12]

†२०८९. **श्री ले० अचौ० सिंह** : : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ क्षेत्रों में सुदूर पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ी स्टेशनों का भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को कितना पहाड़ी भत्ता दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां, केवल मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जायेगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) चार सब-डिवीजनों (यथा उखरूल, तेमंगलोंग, चुरचांदपुर और जिरीबम) में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को, जो कि अन्य राज्यों से डैपुटेशन पर मंगाये गये हैं, १ अक्तूबर १९५७ से २९ फरवरी १९६० तक के लिये निम्नलिखित दर से यह भत्ता दिया जायेगा :—

(१) गजेटेड अधिकारियों के लिये :

५० रुपये प्रति मास ।

(२) नान-गजेटेड अधिकारियों के लिये

वेतन	पहाड़ी भत्ता
१०० रुपये प्रति मास अथवा उस से कम	वेतन का २० प्रतिशत
१०० रुपये प्रति मास से ऊपर	वेतन का १५ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

[12] Hill Allowance

संघ राज्य क्षेत्रों में वेतन क्रम

†२०९०. **श्री ल० अचौ० सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ सरकार ने जो वेतन आयोग नियुक्त किया है उसके निर्देश पदों में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन क्रमों के पुनरीक्षण का भी उपबन्ध है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** जी हां ।

'फ्रौगमैन' पेठकर की मृत्यु

†२०९१. **श्री आसर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'फ्रौगमैन' पेठकर की मृत्यु की रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ;

(ग) क्या किसी अन्य 'फ्रौगमैन' की भी ऐसी मृत्यु हुई है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे 'फ्रौगमैन' के मरने की तिथि तथा उसका नाम ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) इंजीनियरिंग मैकेनिक श्री पी० एन० पेठकर की मृत्यु के सम्बन्ध में रायल नेवी द्वारा जो जांच बोर्ड बनाया गया था उसकी निम्नलिखित उपपत्तियां हैं :

१ पेठकर ने लगभग १४-५३ बजे तीसरा गोता लगाया। उसके बाद उसने यह सिगनल दिया कि वह तह तक पहुंच गया है। फिर उसने एक नये सिगनल द्वारा यह संदेश दिया कि वह अपनी मंजिल के सिरे तक पहुंच सकता है। किन्तु इसके शीघ्र बाद ही उसने एक ऐसा सिगनल दिया जो कि कुछ समझ में नहीं आया। तब सतह से तीन बार चैक सिगनल देने के बाद उसको ऊपर खींच लिया गया ।

२. बोर्ड का यह मत है कि उसको यथा समय शीघ्र कृत्रिम श्वास की सुविधा दी गयी और यह सुविधा तब तक जारी रही जब तक कि पैथम के रायल नेवल अस्पताल ने १ घंटे पश्चात् उसकी मृत्यु की घोषणा नहीं कर दी ।

३. गोता लगाने की जगह पर एम्बोलेंस कार के पहुंचने में अवश्य कुछ देर हुई थी। इसकी वजह यह थी कि ड्राइवर को ड्राइविंग स्कूल की स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं था। किन्तु बोर्ड की यह राय है कि इस देरी का मृत्यु से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि एम्बोलेंस कार १५ मिनट पहले पहुंचती तब भी पेठकर की मृत्यु जो कि पानी से निकालने के कुछ ही समय बाद हो चुकी थी पर कोई असर नहीं पड़ता। साक्ष्य से यह विदित होता है कि कृत्रिम श्वास बड़ी दक्षता तथा सही ढंग से दिया गया किन्तु फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ ।

४. पेठकर के चेहरे पर जो आच्छादन[13] था वह पानी से फल गया था। यह आच्छादन उसे पूरा पूरा फिट था क्योंकि वह इसके साथ एक बार पहले भी सफलतापूर्वक पानी में कूद चुका था और यह बिल्कुल सूखा रहा था। इस आच्छादन में दूसरी बार पानी भर जाने का यह कारण हो सकता है कि पेठकर की नाक पर जो क्लिप था वह सही नहीं लगा हो और वह इसको ठीक ठीक फिट न कर

†मूल अंग्रेजी में

[13] Mask

सका हो । इस प्रकार इस असावधानी के कारण उसमें पानी भर गया हो । क्योंकि जब नाक का यह क्लिप उतर जाता है तो इस आच्छादन में जो श्वास लेने की नालियां होती हैं उनमें पानी भर जाता है ।

५. पेठकर के डूबने के कारणों का सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । जिन परिस्थितियों में उसने गोता लगाया था उनको देखते हुये बोर्ड ने यह विचार प्रगट किया है कि वह आक्सीजन तथा कार्बन डाइआक्साइड के जहर के कारण नहीं मरा ।

६. इस गोते का सही प्रकार से निरीक्षण होता रहा है तथा इस सम्बन्ध में शिक्षक अथवा अटेंन्डेंट को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है । बोर्ड की यह राय है कि इस प्रकार की दुर्घटनायें थोड़े पानी में गोता लगाते समय कभी कभी हो जाती हैं । ऐसे गोते के लिये कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतने के सम्बन्ध में बोर्ड की यह राय है कि इससे गोताखोरों का आत्मविश्वास कम हो जायेगा जो कि सफलता से गोता लगाने के लिये बड़ा आवश्यक है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ध्वनि क्षेपकों (साउंड प्रोजेक्टर्स) का उत्पादन

†२०९२. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून की आर्डिनेंस फैक्टरी में जिस ३५ मिलीमीटर ध्वनि क्षेपकों (साउंड प्रोजेक्टर्स) का प्रदर्शन किया गया था क्या वह सफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां :

(ख) इस प्रोजेक्टर के उत्पादन तथा इसको बेचने के लिये किसी सार्थ से बातचीत करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

†२०९३. **श्री सूपकार :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५६-५७ में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्यों को कितने कितने अनुदान दिये थे ; और

(ख) इन राज्यों में से प्रत्येक में पूर्व-प्राथमिकता शिक्षा पर प्रति बच्चा कितना कितना व्यय हुआ ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १३७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड

२०९४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने १९५५-५६ और १९५६-५७ में पंजाब के राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड को कितनी राशि मंजूर की थी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

वर्ष	कुल राशि रुपये
१९५५-५६	१,३३,०००
१९५६-५७	२,८१,५००

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि

†२०९५. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कभी कभी प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों के निवृत्त हो जाने के छः छः महीने बाद तक उनकी अंशदायी भविष्य निधि सम्बन्धी देय राशि नहीं अदा की जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। जिसमें यह कारण बता दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १३८]**

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी मुद्रा

†२०९६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों के समाचार-रूपक और हास्य-चित्र सिण्डीकेटों[15] को भुगतान करने में समाचार-पत्रों और अन्य अभिकरणों ने १९५६-५७ और १९५७-५८ में अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रायें व्यय की हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : इन दो वर्षों में समाचार-पत्रों और अन्य अभिकरणों ने अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों के समाचार-रूपक और हास्य चित्र सिण्डीकेटों को विदेशी मुद्राओं में जो भुगतान किये हैं उनके निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस लेन-देन को मोटे तौर पर दो प्रयोजन-शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्

(१) समाचार-पत्रों के संवाद दाताओं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]News-features and Comic Syndicates.

(२) सावधिक प्रकाशनों, पत्र-व्यवहार द्वारा चलाये जाने वाले कोर्स आदि ।

इन आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है :

(हजार रुपयों में)

	समाचार पत्रों के संवाददाता				सावधिक प्रकाशन, पत्र-व्यवहार द्वारा चलाये जाने वाले कोर्स आदि			
	ब्रिटेन	अमरीका	अन्य देश	जोड़	ब्रिटेन	अमरीका	अन्य देश*	जोड़
१६५६-५७ .	४००	१३०	४०	५७०	२८५०	२०४०	३४०	५,२३०
१६५७-५८ . (अप्रैल-अगस्त)	८०	६०	कुछ नहीं	१७०	१२३०	७३०	१३६०	३,३२०

*मुख्यतः स्वीडन और फ्रांस

निवेली परियोजना क्षेत्र में स्कूलों के भवन

†२०६७. **श्री इलया पेरुमाल :** क्या इस्पात खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निवेली के लिगनाइट परियोजना क्षेत्र में माध्यमिक स्कूलों के भवनों, खेल के मदान और पार्कों पर कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** निवेली में इस समय एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है। परियोजना के खर्चे पर केवल एक प्रारम्भिक स्कूल और एक माध्यमिक स्कल चलाया जाता है और इन स्कूलों के भवन-निर्माण पर अब तक ५८,४६० रुपये व्यय किये गये हैं । स्कूलों से लगे हुये जमीन के एक टुकड़े को समतल बना दिया गया है और उसका दोनों के लिये खेल के मैदान के रूप में उपयोग किया जा रहा है ।

विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल

†२०६८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों भारतीय व्यापारियों के और अन्य कितने शिष्टमण्डल विदेश गये थे ; और

(ख) इन वर्षों में इनकी विदेश यात्रा के फलस्वरूप विदेशी मुद्राओं में कितनी कमी आई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क)

१६५५	१६५६
११२	१०२

(ख) पिछले दो वर्षों में भारतीय व्यापारयों के और अन्य प्रतिनिधिमण्डलों की विदेश यात्रा के लिये दी गई विदेशी मुद्राओं के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १६५५ और १६५६

†मूल अंग्रेजी में

में व्यापारिक यात्राओं और सरकारी कार्यों के लिये दी गई विदेशी मुद्राओं का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया हुआ है :

(आंकड़े हजार रुपयों में हैं)

श्रेणी	१९५५	१९५६
व्यापारिक यात्रा	२४,९५	३९,५२
सरकारी कार्य	४,४७	११,८८
*अन्य	१,१२,४६	४४,१०
जोड़ .	१,४१,८८	९५,५०

*इन म यात्रा संबंधी वह व्यय भी शामिल है जो भारत के रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाने वाले प्रयोजन-वार आंकड़ों के अधीन नहीं आते, जैसे, (१) सांस्कृतिक यात्रायें (सरकार द्वारा आयोजित यात्राओं से भिन्न) (२) नृत्य मंडलियां आदि (३) विदेशों में रेल भाड़े के व्यय को पूरा करने के लिये भेजी गई राशियां ।

अमरीका को भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष

†२०९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १७ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तकालय विधि का अध्ययन करने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों से पुस्तकालयाध्यक्षों का जो दल अमरीका गया था क्या उसने वापस लौटने पर सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३९**]

बाली के समुद्रविमान अड्डे[15] पर सैनिक शिविर

†२१००. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते के निकट बाली के समुद्रविमान अड्डे पर सैनिक शिविर के चारों ओर स्थित और उसमें हो कर जाने वाले सार्वजनिक मार्गों के बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप जो असुविधा होने की संभावना है क्या उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह समुद्र विमान केन्द्र काफी दिनों से बन्द पड़ा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[15]Sea-Plane Base.

(ग) स्थानीय जनता ने इसके विरोध में जो अभ्यावेदन दिया है क्या उन्होंने उस पर विचार कर लिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ग). जी हां । यह महसूस किया जाता है कि इस सड़क के बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप अधिक कुछ असुविधा होने की संभावना नहीं है क्योंकि वहां काफी अच्छा उपमार्ग मौजूद है जिसका वहां की असैनिक आबादी उपयोग कर सकती है और जिसमें लगभग १०० गज ज्यादा चलना पड़ता है । कमरहाटी नगरपालिका के आयुक्त के संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन दिये गये आवेदन पर कलकत्ते के उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों के सड़क बन्द कर देने के आदेश का क्रियान्वय रोक दिया है । इसके फलस्वरूप यह सड़क अभी जनता के लिये खुली हुई है ।

(ख) जी हां । लेकिन कुछ सैनिक टुकड़ियों के उपयोग के लिये २५,६६५ एकड़ भूमि रख ली गई है ।

संख नदी पर मंदरिया बांध (जलाशय)

†२१०१. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संख नदी पर मंदरिया बांध (जलाशय) का निर्माण होने से कितने परिवार विस्थापित हो गये हैं ; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा इसके सम्बन्ध में तो जानकारी उपलब्ध नहीं है । उड़ीसा सरकार हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड, को मंदरिया बांध परियोजना के लिये आवश्यक जमीन देने को तैयार हो गई है । विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर अदा करने के लिये उड़ीसा सरकार को बड़ी-राशियां देने का उत्तरदायित्व हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर है । व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये उड़ीसा सरकार उत्तरदायी है ।

कृषि सम्बन्धी पाठ्य-क्रम

†२१०२. **श्री दामानी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार माध्यमिक-स्कूल के स्तर पर कृषि सम्बन्धी पाठ्य-क्रम लागू करने वाली है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : कुछ राज्यों में १९५४ से जो बहुप्रयोजनीय स्कूल आरम्भ किये गये हैं उनमें कृषि का व्यपवर्त्तित पाठ्य-क्रम पहले से ही मौजूद है । इस सम्बन्ध में और कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

केरल में पहाड़ी आदिम जातियां

†२१०३. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल में वाइनाड की पहाड़ी आदिम जातियों के लाभार्थ (१) एक चलते-फिरते चिकित्सालय-दल की स्थापना और (२) एक औद्योगिक स्कूल शुरू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : जी हां ।

भूतपूर्व राजाओं के विरुद्ध दीवानी मुकदमे

२१०४. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने भूतपूर्व राजाओं के विरुद्ध न्यायालयों में दीवानी मुकदमे दायर करने की अनुमति प्रदान की गई ;

(ख) यह अनुमति किस आधार पर दी गई थी ;

(ग) कितने मामलों में मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी गई ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १०५ ।

(ग) ६१ ।

(ख) तथा (घ). दीवानी मुकदमें दायर करने की अनुमति आमतौर से दे दी जाती है किन्तु नीचे दिये गये कारणों में ऐसा नहीं किया जाता :—

(१) जहां पर मुकदमें का उद्देश्य राजा को तंग करना, धमकी देकर नाजायज फायदा उठाना या दिक करना हो ;

(२) जहां सरकार को ऐसे तथ्यों की जानकारी है कि जिन आधारों पर मुकदमा दायर करना हो वे निराधार हों या उनमें स्पष्टतः कोई औचित्य ही न हो ;

(३) जहां ऐसी अनुमति देने से राजाओं को दिये गये उन आश्वासनों या गारन्टी का उल्लंघन होता है जो संविधान में अन्यत्र दी गई हैं ; और

(४) जहां मुकदमा उस कार्यवाही से सम्बन्धित हो जो राजा के शासन काल में उसके या उसके प्राधिकारी द्वारा की गई हो या करने से रह गई हो ।

रूरकेला में दुर्घटनायें

†२१०५. **श्री संगण्णा** : क्या इस्पात खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत २२ नवम्बर, १९५७ को रूरकेला के क्षेत्र में नालियों की पाइप-लाइन बिछाते समय दुर्घटना हो जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

(ख) परियोजना का कार्य आरम्भ हो जाने के बाद से इस प्रकार की कितनी दुर्घटनायें हो चुकी हैं ;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुये ;

(घ) क्या उनके सम्बन्धियों को कुछ प्रतिकर दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना कितना ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार की यह तीसरी दुर्घटना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पहली दुर्घटना ७ जून, १९५६ को हुई जिसके फलस्वरूप ५ श्रमिकों की मृत्यु हो गई और तीन अन्य श्रमिकों को हलकी चोटें आईं। दूसरी दुर्घटना में, जो २० मार्च, १९५७ को हुई थी, एक श्रमिक मरा और चार घायल हुये।

(घ) और (ङ). प्रत्येक मामले पर श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

त्रिपुरा में नागरिकता प्राप्त करने वाले मुसलमान

†२१०६. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे कितने मुसलमान हैं जिनके पास भारत के विभाजन से काफी पहले से जमीनें हैं और अब तक जिन्होंने त्रिपुरा के न्यायालय में शपथ-युक्त हलफ़नामे दे कर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा प्रगट की है ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) एक भी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां और बाज़ार

†२१०७. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की ऐसी बस्तियों और बाजारों की संख्या कितनी है जिनका नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों के नाम पर रख दिया गया है ;

(ख) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा खोले गये ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है जिनके नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकारी अधिकारियों अथवा त्रिपुरा के मुख्यायुक्त के परामर्शदाताओं के नाम पर रखे गये हैं ; और

(ग) इन संस्थाओं अथवा बस्तियों या बाजारों के नाम इन अधिकारियों के नाम पर रखने का क्या आधार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) (१) बस्तियां—पांच
(२) बाजार—एक भी नहीं

(ख) दो।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन ने नहीं वरन् त्रिपुरा की जनता ने बस्तियों और स्कूलों के यह नाम रखे थे।

इन पांचों बस्तियों के नामों को सरकारी रूप से मान्यता नहीं दी गई है। सरकारी तौर पर उनका नाम उन्हीं राजस्व गांवों के नाम पर हैं जिनमें यह स्थित हैं। दो स्कूलों का यह नाम उस समय भी यही था जब कि त्रिपुरा प्रशासन ने गैर-सरकारी प्रबन्धकों के हाथ से उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

आभूषणों की जब्ती

†२१०८. **श्री दशरथ देब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला में त्रिपुरा के भू-सीमा-शुल्क कार्यालय ने हाल ही में आभूषणों के रूप में कुछ पुराना सोना और चांदी जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस जब्ती के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जब्त की गई चीजें वापस लौटा दी गई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां। त्रिपुरा के भू-सीमा-शुल्क कर्मचारियों ने हाल ही में अगरतला के कुछ आभूषण-विक्रेताओं के पास से आभूषणों के रूप में कुछ पुराना सोना-चांदी जब्त किया है ।

(ख) यह जब्ती इस पूर्व-सूचना और उचित विश्वास के आधार पर की गई थी कि यह सामान पूर्वी पाकिस्तान से चोरी से लाया गया था ।

(ग) इन मामलों के विभागीय पंच-निर्णय के अधीन होने के कारण जब्त माल को सम्बन्धित पक्षों को अभी लौटाया नहीं गया है ।

झूमियां

†२१०९.. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के अमरपुर डिवीजन में अब तक कितने झूमियों का पुनर्वास कराया गया है; और

(ख) आदिम जातियों के झूमियों का रायमा-सरमा क्षेत्रों में पुनर्वास कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १७६४ परिवारों का ।

(ख) रायमा-सरमा क्षेत्रों में जोतने योग्य तिल्ला और लुंगा भूमियों का पता लगा कर उन पर दो से चार एकड़ भूमि प्रति व्यक्ति के हिसाब से झूमियों को बसाया जा रहा है ।

छावनियों की भूमि में मकानों का निर्माण

२११०. **सेठ अचल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी-क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये नक्शे किस प्रकार मंजूर किये जाते हैं; और

(ख) अधिक से अधिक कितने समय के अन्दर प्रार्थियों को उनके मकानों के नक्शे मंजूर या नामंजर करने के बावजूद सूचना दे दी जाती है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). किसी छावनी में मकान बनाने वाले को छावनी बोर्ड की स्वीकृति लेने के लिये प्रार्थना करनी पड़ती है जिसमें उसे मकान का सविस्तार नक्शा और अभिप्राय बताना पड़ता है जिसके लिये मकान उपयोग में लाना हो । छावनी बोर्ड या तो स्वीकृति देने से इन्कार कर देता है या ऐसे निर्देशों के साथ जिन्हें वह उचित समझे स्वीकृति दे देता है । भूमि के मिलिटरी एस्टेट आफिसर के प्रबन्ध अधीन होने की अवस्था में

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वीकृति देने से पहले बोर्ड को उस से पूछ लेना पड़ता है आया सरकार को कोई आपत्ति तो नहीं। बोर्ड को अपना निर्णय प्रार्थी को एक मास के अन्दर सूचित करना होता है और मिलिटरी एस्टेट आफिसर को उल्लिखित की गई प्रार्थनाओं की अवस्था में दो मास के अन्दर। यदि उपरोक्त अवधि में बोर्ड अपना निर्णय सूचित न करे तो प्रार्थी बोर्ड की इस उपेक्षा का उसे ध्यान दिला सकता है और यदि इसके १५ दिन के पश्चात् भी बोर्ड का निर्णय उसे सूचित नहीं किया जाता तो समझा जायेगा कि बोर्ड ने बिना किसी शर्त के स्वीकृति दे दी है। यदि भूमि, जहां कि मकान बनाया जाना है, किसी ऐसे क्षेत्र में है जो इंडियन वर्क्स आफ डिफेन्स एक्ट के उपबन्धों के अधीन है तो प्रार्थी को आवश्यक स्वीकृति सम्बद्ध सैनिक प्राधिकारी से लेनी चाहिये।

२. अधिक विस्तार के लिये सदस्य महोदय का ध्यान केण्टोन्मेण्ट एक्ट, १९२४ की धाराओं १७९ से १८१ के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कैन्टीनों के कर्मचारी

†२१११. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कैन्टीनों के कर्मचारियों को मजूरी और नौकरी की अन्य शर्तों के मामले में अन्य असैनिक कर्मचारियों के स्तर तक लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में कोई अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है। लेकिन, अन्तिम निर्णय जल्दी से जल्दी कर लिया जायेगा।

हरिजन कल्याण बोर्ड

२११२. **श्री जांगड़े :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों ने अब तक हरिजन-कल्याण बोर्ड नहीं बनाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्रों ने अभी तक हरिजन-कल्याण बोर्ड नहीं बनाये हैं।

निवेली में चीनी मिट्टी के निक्षेप

†२११३. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निवेली की लिग्नाइट परियोजना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चीनी मिट्टी के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके उपयोग के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। यह निक्षेप लिग्नाइट की परत के ठीक ऊपर ऊपरी भाग के रूप में पाये गये हैं।

(ख) इस मिट्टी को बाजार में भेजने से पहले बालू और इसी प्रकार के अन्य कणों से अलग करना होगा। इसलिये एकीकृत निवेली लिग्नाइट परियोजना में मिट्टी धोने के एक कारखाने की योजना शामिल कर ली गई है। घुली हुई मिट्टी के १९६० के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है और अन्य उद्योगों के अलावा इससे स्थानीय चीनी मिट्टी के बर्तनों के उद्योग की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी करना

†२११४. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें दस वर्ष या उससे अधिक समय तक नौकरी कर चुकने के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि प्रत्येक मंत्रालय में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें स्थायी न करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में विदेशी पूंजी

†२११५. श्री कोडियान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी भारत में व्यापार आरम्भ करने के लिये अर्जियां भारत सरकार ने १९५६–५७ में स्वीकार की हैं;

(ख) इन विदेशी फर्मों ने कुल कितनी विदेशी पूंजी लगाई है; और

(ग) यदि इन विदेशी फर्मों को कुछ शर्तों पर भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई हो तो वह क्या हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

हैदराबाद राज्य बैंक

†२११६. श्री अगाड़ी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य बैंक द्वारा दिये गये अनेक ऋण सन्देहपूर्ण और बुरी स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ऋण में कुल कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). रिजर्व बैंक द्वारा किये गये पूर्ण जांच के आधार पर यह मालूम हुआ है कि ऐसे कोई ऋण नहीं हैं जिनके लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया हो। बैंक की ३१ दिसम्बर, १९५६ तक के लेखा परीक्षित संतुलन पत्र से भी यह प्रकट नहीं होता है कि संदिग्ध और बुरी स्थिति के ऐसे कोई ऋण नहीं हैं जिनके लिये उपबन्ध नहीं किया गया हो।

निर्वाचन याचिकाएं

२११७. श्री पद्म देव : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में निर्वाचन याचिकाओं को निबटाने पर सरकार का कितना व्यय हुआ है?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : निर्वाचन याचिकाओं को निबटाने पर हुए व्यय का कुल योग पहली अप्रैल, १९५७ तक १३,८८,३४३ रुपये है।

समाज कल्याण गृह

†२११८. श्री कृष्ण चन्द्र : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित समाज कल्याण गृह की व्यवस्था केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार के सुपुर्द की जा रही है;

(ख) क्या उनके प्रबन्ध के बारे में भावी व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४०]

अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास सम्मेलन

†२११९. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्रभात कार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास सम्मेलन के सेन फ्रांसिस्को में हुए हाल के अधिवेशन में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह घोषणा की थी कि देश के औद्योगीकरण में गैर सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस भाषण का संबंधित अंश लोक-सभा के पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). भाषण का उपरोक्त उदधृशं नीचे दिया जाता है :

> "जो चर्चा हो रही है उसके अनुसार सरकारी उद्योग क्षेत्र काफी बड़े पैमाने पर उन्नति की ओर उन्मुख है। अनुमान है कि भारत में सरकारी उद्योग क्षेत्र में कुल पूंजी का ३ प्रतिशत से अधिक अंश निहित नहीं है। विकास की जो गति अभी है उसे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कल्पना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि इस का अनुपात १५ या २० प्रतिशत तक बढ़ जायेगा। वास्तविकता तो यह है कि आज की भारतीय अर्थ-व्यवस्था में गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र का प्रभावपूर्ण स्थान है और भविष्य में भी ऐसा होना अनिवार्य है।"

प्रतिरक्षा संस्थापन

†२१२०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों के गैर-औद्योगिक और औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की दशा की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

युद्धास्त्र कारखानों और डिपो में कार्य-क्षमता

†२१२१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धास्त्र फैक्टरियों और डिपो में कार्य-क्षमता के निर्धारण के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). युद्धास्त्र फैक्टरियों में कार्य-क्षमता का निर्धारण किया गया है और वह उपयुक्त सिद्ध हुआ है। युद्धास्त्र डिपो में, जो उत्पादन यूनिट नहीं है, समय-समय पर संस्थापनों की पुनरीक्षा करने पर, कार्यक्षमता का निर्धारण किया जाता है और आवश्यकता होने पर कर्मचारियों का समायोजन किया जाता है।

पंजाब उच्च न्यायालय

†२१२२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ स्थित पंजाब उच्च न्यायालय में १९५६ और १९५७ में अभी तक कितनी लेख याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा कितनी लेख याचिकायें गृहीत की गईं और कितनी रद्द की गईं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टेनोग्राफर

†२१२३. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय के स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) उपरनिर्देशित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का अभिप्राय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चतुर्थ ग्रेड के लिये व्यक्तियों का चुनाव करना है । सचिवालय के स्टेनोग्राफर केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा से सम्बद्ध हैं । जिन योग्यताओं और तथ्यों के आधार पर उन्हें भरती किया जाता है वे असिस्टेंट की भरती के आधार से भिन्न हैं । इस के अतिरिक्त वे अपनी ही सेवा में पदोन्नति के पात्र होने के साथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के द्वितीय ग्रेड में भी उन्नति के पात्र हैं । इसलिये उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चतुर्थ ग्रेड में चुने जाने वाली विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र नहीं बनाया गया है ।

मनीपुर में सड़कें

†२१२४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में राष्ट्रीय राजपथ के अतिरिक्त मनीपुर की उन सड़कों के नाम बताये गये हों जो क्रमशः राज्यक्षेत्र परिषद् और मनीपुर प्रशासनिक नियंत्रण में हों ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : कुछ सड़कों को मनीपुर राज्यक्षेत्र परिषद् के नियंत्रण में स्थानान्तरित करने का प्रश्न विचाराधीन है । यथासंभव शीघ्र ही एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

†२१२५. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक परिपत्र जारी किया गया था कि पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के साथ प्राथमिकता का व्यवहार किया जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या इस की प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या यह परिपत्र सरकार के सब विभागों पर, जिन में रेलें भी सम्मिलित हैं, लागू किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४१]

(ग) जी, हां।

अनुसूचित जाति के कर्मचारी

२१२६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर आयुक्त (दिल्ली-राजस्थान), नई दिल्ली के अधीन अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने गजेटेड पदों पर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या यह संख्या उनके लिये सुरक्षित पदों की संख्या के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) १३६ :

(ख) २।

(ग) नहीं।

(घ) अनुसूचित जातियों में उपयुक्त व्यक्तियों की कमी है।

अफीम

†२१२७. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अफीम का वार्षिक उत्पादन राज्यवार कितना है;

(ख) यह किन-किन देशों को निर्यात की जाती है; और

(ग) १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में अभी तक प्रत्येक वर्ष कुल कितनी अफीम का वार्षिक निर्यात किया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अफीम का पिछले तीन वर्षों का उत्पादन राज्यवार इस प्रकार है :

वर्ष	उत्तर प्रदेश (मन)	मध्य प्रदेश (मन)	राजस्थान (मन)	कुल (मन)
अक्तूबर से सितम्बर				
१९५४–५५ . .	३,११६	३,७९३	२,७७६	९,६८५
१९५५–५६ . .	२,३५०	४,११४	२,८४२	९,३०६
१९५६–५७ . .	४,१९७	५,३३५	४,०३८	१३,५७०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अफीम का निर्यात नियमित रूप से ब्रिटेन, अमेरिका और पाकिस्तान को किया जाता है। कुछ मात्रा फ़ांस और इटली तथा बेलजियम, अर्जेंटीना, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलेंड और श्रीलंका में भेजी जाती है। कुछ अफीम थोड़े समय में रूस भी भेजी जायेगी।

(ग)

वर्ष	मन
१९५५–५६	५,७४०
१९५६–५७	७,९५९
१९५७–५८ . . (नवम्बर, १९५७ के अंत तक)	६,३३३

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के विवाह तथा बाल भत्ते

†२१२८. श्री जाधव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिरक्षा सेना के कर्मचारियों को विवाह तथा बाल भत्ते देने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कितना भत्ता दिया जायेगा और कब से इसे दिया जायेगा ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गवर्नमेंट सीक्यूरिटी प्रेस केन्टीन नासिक रोड

†२१२९. { श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री व० अ० कट्टी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट सीक्यूरिटी प्रेस इंडिया, नासिक रोड का संचालन सरकार करती है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) १ अप्रैल, १९५३ से सरकार ने केन्टीन की प्रबन्ध व्यवस्था समाप्त कर दी क्योंकि प्रेस का एक सैक्शन और उसका प्रबन्ध केन्टीन निधि समिति के सुपुर्द कर दिया गया। तब से केन्टीन के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

झण्डा दिवस

२१३०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में प्रत्येक राज्य में "झंडा दिवस" पर अलग अलग कुल कितनी राशि एकत्र हुई;

(ख) इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया; और

(ग) इस दिवस को और अधिक सफल बनाने के लिये यदि कोई विशेष कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : † (क) दो विवरण सभा के पटल पर रख दिये गये हैं जिन में १९५५ और १९५६ के झंडा दिवसों पर प्रत्येक राज्य और सर्विस हैड क्वाटर्स, विदेश में हमारे दूतावासों आदि द्वारा इकट्ठा किया गया चन्दा दिखाया गया है। १९५७ के चन्दे के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं क्योंकि झंडा दिवस सात दिसम्बर १९५७ को ही तो मनाया गया था।

(ख) १९५५ के झंडा दिवस पर इकट्ठे किये गये कुल ९,६८,९८९ रुपये चन्दे से १,२०,००० रुपये संस्था सम्बद्ध खर्च, संभाव्य व्यय और चुकाये जाने वाले ऋण का सामना करने के लिये उठा रखे गये। शेष चन्दा इस प्रकार बांटा गया :

	रुपये
१. राज्य और संघ क्षेत्रों को	२,१३,७६५
२. सैनिक हस्पतालों में स्मृधि कार्य के लिये मैडिकल डारेक्टोरेट को .	३०,०००
३. सर्विसिज़ स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड को . . .	५०,०००
४. सैनिकों को विशेष सुविधायें देने के लिये . .	२०,०००
५. आर्मी हेड क्वार्टर्ज़	३,४७,९३१
६. नेवल हेड क्वार्टर्स	८०,२९२
७. एयर हेड क्वार्टर्स	१,०७,०५६

राज्यों को जो राशि दी जाती है वह उन के बैनोवोलेण्ट फंड की पुनः पूर्ति करती है और राज्यों के सोल्जर्स, और एयर मेन्स बोर्डों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के संकट निवारण में खर्च होती है। तीनों सेवाओं को दी गई राशि का ७० प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के लिये उपयुक्त होता है और ३० प्रतिशत सेवा कर रहे सेविवर्ग को सुविधायें देने के लिये। भूतपूर्व सैनिकों के लिये राशियें, सर्विस हेड क्वार्टर्स द्वारा कमानों, क्षेत्रों, रेजिमेंटल सेंटरों और रिकार्ड आफिसों को अपने अपने बेनेवोलेण्ट फंड की पुनः पूर्ति करने को दी जाती है। इन फंडों से अवर श्रेणी और उन के आश्रितों को जो संकट में हों ८ रुपये से २५ रुपये तक के छोटे छोटे अनुदान और १०० रुपये तक के बड़े अनुदान दिये जाते हैं। सेवा कर रहे सेविवर्ग के लिये निर्धारित किया गया ३० प्रतिशत भाग उन्हें सुविधायें जैसा कि खेलों का सामान, अखबार, रेडियो, ग्रामोफौन आदि देने में उपयुक्त होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५६ के झंडा दिवस पर इकट्ठे किये गये चन्दे का अभी तक बटवारा नहीं किया गया।

(ग) प्रतिवर्ष जो पग उठाये जाते हैं वह लोक सभा में २३ नवम्बर, १९५५ को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६० के भाग (क) के उत्तर में बतला दिये गये थे।

पंजाब की अध्यापक संस्था

†२१३१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की अध्यापक संस्था की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) यह विषय पंजाब सरकार से संबंधित है अतः आवश्यक कार्यवाही के लिये यह अभ्यावेदन उक्त सरकार को भेज दिया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†२१३२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी**: क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बुद्ध धर्म के अध्ययन के लिये पीठ स्थापित की गई है यद्यपि वहां पाली के उच्च अध्ययन के लिये सुविधायें नहीं हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४३]

अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के लिये छात्रवृत्तियां

†२१३३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ९ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये क्या मापदण्ड स्वीकृत किया गया है;

(ख) अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये कुल कितनी रकम निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की १९५७–५८ में वर्गवार रकम बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४४]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये पृथक राशि निर्धारित नहीं की गई है। १९५७-५८ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जाति को छात्रवृत्तियां देने के लिये २ करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि स्वीकृत की है। १९५७—५८ में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की रकम का वर्गवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाख रुपये
अनुसूचित जातियां	१०४
अनुसूचित आदिम जातियां	२०.५
अन्य पिछड़ी जातियां	७५.५
कुल	२०० लाख रुपये

हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन कृषक

२१३४. **श्री नेक राम नेगी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानकारी एकत्र कर ली है कि हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन कृषकों को देने के लिये कितनी परती भूमि है;

(ख) इस भूमि को किस प्रकार और कितनी अवधि के लिये भूमिहीन लोगों को दिया जायेगा; और

(ग) १९५५—५६ में कितने भूमिहीन कृषकों को कितने एकड़ भूमि दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १९५५—५६ के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ९९,३६९ एकड़ सर्वे की गई कृषि योग्य परती भूमि है जिसमें व्यक्तियों की निजी भूमि भी शामिल है ।

(ख) भूमिहीन लोग जब भी आवेदन पत्र देते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के नोटोर नियमों के अनुसार कृषि योग्य परती भूमि दी जाती है ।

(ग) १९५५—५६ में ५८९ भूमिहीन कृषकों को कुल ४७२ एकड़ भूमि दी गई ।

सम्पत्ति का ब्यौरा

†२१३५. **श्री झूलन सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों से चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा मांगने का उपबन्ध प्रभावकारी सिद्ध हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस संबंध में ऐसा हुआ है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व, दायप्राप्त या अधिकृत अचल सम्पत्ति का वार्षिक ब्यौरा देना पड़ता है। चल सम्पति के बारे में इस प्रकार के ब्यौरे का उपबन्ध नहीं है।

अचल सम्पति के वार्षिक ब्यौरे से यह प्रकट होता है कि क्या अधिकारी की सम्पत्ति में हर वर्ष उल्लेखनीय परिवर्तन तो नहीं है तथा क्या उन्होंने ऐसी सम्पत्ति तो नहीं खरीदी है जो उनकी आय के प्रकट साधनों से असंगत है। निगरानी के कार्य में यह जानकारी उपयोगी है।

काश्मीर में तेल निक्षेप

†२१३६. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में निकोमा के दक्षिण-पश्चिमी भाग में "सुयाम"[1] नामक एक ज्वालामुखी क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से प्रस्फुटन होने वाली ज्वाला का कारण जानने के लिये हाल ही में कोई जांच की गई थी; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में तेल के अस्तित्व की कोई संभावना है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) "सुयाम" नाम का निर्देश उस नाले से प्रतीत होता है जिस ने निकोमा के निकट लिगनाइट के भस्मी भूत क्षेत्र के कारण यह संज्ञा धारण कर ली है। यद्यपि इस क्षेत्र में पुरातन ज्वालामुखी चट्टानें (पंजाब क्षेत्र) में मिलती हैं किन्तु इन दोनों में कोई संबंध नहीं है।

(ख) इस क्षेत्र में हाल में जो जांच हुई है उससे पहले के ये भूतत्वीय पर्यवेक्षण सिद्ध होते हैं कि इस क्षेत्र में दरारों से जो आग निकलती है वह मनुष्यों द्वारा ऊपर की भूरी घास और पत्तियों को जलाने के आकस्मिक संयोग का परिणाम है।

(ग) इस क्षेत्र के भूतत्वीय ज्ञान से तेल के अस्तित्व की संभावना नहीं है।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये मकान

२१३७. श्रीमती मिनीमाता : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश को पिछड़े वर्गों के लिये मकान बनाने की योजनाओं के लिये दी गई राशि का वितरण किस प्रकार हुआ है;

(ख) प्रत्येक जिले को कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) इस राशि से अब तक कितने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के परिवारों को निवास-स्थान दिया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Suyam.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है । उसके प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अस्पृश्यता

†२१३८. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने वाली वे गैर-सरकारी संस्थायें जिन्हें सरकार द्वारा सहायता मिलती है अपने प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या १९५५–५६ और १९५६–५७ में प्रगति प्रतिवेदन की प्रतियां लोक-सभा के पटल पर रखी जायेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) देश में अस्पृश्यता निवारण करने के लिये केवल इन चार संस्थाओं को ही केन्द्रीय अनुदान सीधा प्राप्त हो रहा है : (१) भारतीय दलित वर्ग संस्था, (२) अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, (३) ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद, और (४) सर्वेन्टस् आफ इण्डिया दलित वर्ग संस्था । ये सब संस्थायें अपना प्रगति प्रतिवेदन नियमित समय पर प्रस्तुत कर रही हैं ।

(ख) १९५५–५६ और १९५६-५७ के बारे में इन संस्थाओं से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–४७१/५०]**

सन्दूर की रैयत

†२१३९. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को अक्तूबर, १९५६ के प्रारम्भ में मैसूर राज्य के सन्दूर की रैयत द्वारा उनकी यात्रा के दौरान एक याचिका प्रस्तुत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि यह विषय सर्वथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था ।

उड़ीसा के अनावृष्टिग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य के लिये वित्तीय सहायता

†२१४०. **श्री महन्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को अनावृष्टिग्रस्त क्षेत्रों की जनता को तक्वी ऋण देने और सहायता कार्यों के लिये किसी प्रकार का ऋण अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : चालू वर्ष में अनावृष्टि के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिये उड़ीसा को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लिंगराज मिश्र का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि गत बुधवार को उड़ीसा में श्री लिंगराज मिश्र का निधन हो गया है। श्री मिश्र अस्थायी संसद् तथा प्रथम लोक-सभा के सदस्य रह चुके थे, और राज्य-सभा के वर्तमान सदस्यों में से थे। वह १९४६–१९५१ तक उड़ीसा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे।

मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ उनके परिवार के प्रति अपनी सम्वेदना प्रकट करेगी। माननीय सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट के लिये मौन खड़े हों।

(सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय टैक्नोलोजी संस्था खड़गपुर की प्रथम संविधि

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उप-मंत्री (श्री म० मो० दास)** : मैं भारतीय टैक्नोलोजी संस्था (खड़गपुर) अधिनियम, १९५६ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारतीय टैक्नोलोजी संस्था खड़गपुर की प्रथम संविधि की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० —४६६/५७]**

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के अन्तर्गत विमुक्तियों को निम्नलिखित घोषणाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ४ सितम्बर, १९५७ की संख्या १/५४/५७-एफ० आई० (२ घोषणायें)

(२) दिनांक १० सितम्बर, १९५७ की संख्या १/५७/५७-एफ० आई० (५ घोषणायें)

(३) दिनांक २७ सितम्बर, १९५७ की संख्या १/५९/५८-एफ० आई० (५ घोषणायें)

(४) दिनांक १४ अक्तूबर, १९५७ की संख्या १/६१/५७-एफ० आई० (१ घोषणा)

(५) दिनांक १ नवम्बर, १९५७ की संख्या १/६३/५७-एफ० आई० (७ घोषणायें)

(६) दिनांक ४ दिसम्बर, १९५७ की संख्या १/७१/५७-एफ० आई० (१ घोषणा)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—४६७/५७]

आश्वासनों, इत्यादि पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई के विवरण

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) पहला विवरण तीसरा सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४५]**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६ दूसरा सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४६]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ७ पहला सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिन्डा): मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या ७१–ख और ९७–क की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०––४६८/५७]**

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं तीसरे सत्र में हुई सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठकों (चौथी और पांचवी) के कार्यवाही--सारांश सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०--४६९/५७]**

याचिका समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार–रक्षित–अनुसूचित जातियां): मैं तीसरे सत्र में हुई याचिका समिति की बैठकों (दसवीं से तेरहवीं) के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०––४७०/५७]**

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें:

"दिल्ली संघ के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी।"

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)**: गत ८ दिसम्बर को समाचारपत्रों को दिये गये एक वक्तव्य में, पंजाब और दिल्ली के समस्त पटवारियों को सदस्यता का दावा करने वाले, पटवारी संघ के सभापति ने कहा है कि उनके संघ की कार्य समिति ने दोनों राज्यों के पटवारियों को आदेश जारी कर दिये हैं कि वे १२ दिसम्बर, १९५७ से अपना सारा कार्य निलम्बित कर दें। लेकिन, अभी तक दिल्ली प्रशासन के पटवारियों ने अपना कार्य निलम्बित नहीं किया है। वे अपने कार्य जारी रखे हैं। इन पटवारियों ने दिल्ली प्रशासन के पास अपने कुछ प्रस्ताव अलग से भेजे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासन ने उन पर विचार कर लिया है और अपने सुझाव भी दे दिये हैं, जिन पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यहां यह भी बता दिया जाये कि दिल्ली में सामान्यतया तो पंजाब के विभागीय नियमों का भी पालन किया जाता है, लेकिन दिल्ली प्रशासन के अधीन काम करने वाले पटवारी केन्द्रीय सरकार के ही कर्मचारी हैं। इस लिये, उनकी उपलब्धियों और सेवा की शर्तों के प्रश्न पर वेतन आयोग विचार करेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या ९७० के उत्तर की शुद्धि

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतह सिंह राव गायकवाड़)** : सरदार मजीठिया की ओर से, मैं २० अगस्त, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७० से उत्पन्न होने वाले प्रथम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं। इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि पंजाब में कितने सैनिक-गृह हैं। सरदार मजीठिया ने पंजाब के सैनिक गृहों की संख्या १९ बताई थी। खेद की बात कि यह सूचना भ्रान्ति के कारण दी गई थी। पंजाब सरकार ने अब सूचित किया है कि वहां १७ सैनिक-गृह हैं, १९ नहीं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव पर तथा इस प्रस्ताव पर प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी रखेगी।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय): आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में उस व्यवस्था का भी उल्लेख किया है जिस के अन्तर्गत रेलवेज़ में आंग्ल-भारतीयों को कुछ रक्षण दिये गये हैं। उन्होंने उसके कुछ आंकड़े भी दिये हैं। उन आंकड़ों की जांच से पता चला है कि रेलवेज़ के अधिकारियों ने इन सुरक्षणों के निष्पादन के प्रति एक बड़ा गैर-जिम्मेदाराना रुख अपनाया है।

कलकत्ता के सीमाशुल्क विभाग में, १९४७–४८ में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से ५० प्रतिशत से अधिक आंग्ल-भारतीय ही थे। संविधान के परित्राण के अनुसार इस स्थिति को बनाये रखना चाहिये था, लेकिन १९५६ तक उनकी संख्या ४० प्रतिशत ही रह गई थी।

बम्बई के सीमा शुल्क विभाग में भी इन वर्षों में आंग्ल-भारतीयों की संख्या ४० से घटकर २० प्रतिशत ही रह गई थी। मद्रास के सीमा शुल्क विभाग में भी यही हुआ है। वहां भी इस काल में आंग्ल-भारतीय की संख्या ५० से घट कर २५ प्रतिशत ही रह गई थी।

इस का कारण केवल यही है कि अधिकारियों ने संविधान के इस परित्राण को कार्यान्वित करने की उपेक्षा ही नहीं की है, बल्कि उसे जान बूझकर हटाना चाहा है।

१९ दिसम्बर, १९५७ को, वित्त मंत्री ने, संविधान द्वारा दिये जाने वाले परित्राणों के सात वर्ष बाद भी, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उनके पास आंग्ल-भारतीयों के लिये सुरक्षित पदों और उनकी भर्तियों के आंकड़े नहीं हैं। तब, यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। कि इन परित्राणों की कार्यान्वित की उपेक्षा की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

रेलवेज़ में तो परिस्थिति और भी बुरी है। मैंने रेलवेज़ में आंग्ल-भारतीयों को दिये गये परित्राणों के बारे में जब रेलवे मंत्री से सूचना मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि उनके पास उसके आंकड़े नहीं थे। मैं पूछता हूं कि फिर आयुक्त ने वे आंकड़े कहां से उपलब्ध किये हैं।

हर विभाग की भांति, रेलवे विभाग के अधिकारियों ने भी इन संवैधानिक परित्राणों को कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया है। आयुक्त को इसके कारण का पता लगाना चाहिये था। संविधान के परित्राण के अनुसार तृतीय श्रेणी के संवर्ग के आठ प्रतिशत पद आंग्ल-भारतीयों को ही देने चाहिये थे, लेकिन दो प्रतिशत पद भी उनको नहीं दिये गये हैं।

यह परित्राण १९५० से दिया गया था। मैं चाहता हूं कि सात वर्षों के इस काल में इस परित्राण की कार्यान्विति से संबंधित वास्तविक आंकड़े बताये जायें।

आयुक्त ने अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया है। उन्होंने तो अपने प्रतिवेदन में सरकार की ओर से ही सफाई पेश की है। इस के लिये एक मनगढंत बहाना यह बताया जाता है कि पदों के लिये उपयुक्त आंग्ल-भारतीय मिलते ही नहीं हैं। यह गलत है, और साथ ही आंग्ल-भारतीयों के लिये असम्मानजनक भी। काम करने योग्य आंग्ल-भारतीयों में से ३५ प्रतिशत बेरोजगार फिरते हैं। इस का वास्तविक कारण यही है कि सरकार उनकी उपेक्षा करती है और इसके लिये यह बहाना बनाती है। खेद की बात तो यह है कि आयुक्त ने भी उसकी सफाई ही दी है।

इस का वास्तविक कारण यही है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को एक बहुत ही नगण्य, छोटा-मोटा अधिकारी मानती हैं।

इन परित्राणों के कार्यान्वित न होने का पहला कारण तो यह है कि अधिकारीगण अल्प-संख्यकों के विरुद्ध हैं। रोजगार दफतर भी प्रादेशिक आधार पर गठित किये गये हैं, इससे आंग्ल-भारतीयों को असुविधा होती है। रोजगार दफ्तरों के अधिकारी भी आंग्ल-भारतीयों को जानबूझ कर भर्ती नहीं होने देते।

रेलवे सेवा आयोगों में भी यही होता है। आयुक्त को लिखने पर, उसका कोई ठीक उत्तर नहीं मिलता। रेलवे सेवा आयोग के सभापति को लिखने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। पर, बहाना यही बनाया जाता है कि उपयुक्त आंग्ल-भारतीय नहीं मिलते। स्थिति तो यह है कि आंग्ल भारतीय मनचाही संख्या में मिल सकते हैं, पर उनको लिया ही नहीं जाता।

रेलवेज़ में महा प्रबन्धक से लेकर नीचे के अधिकारियों तक ने अपने व्यवहार में इस परित्राण को निरर्थक बना दिया है, उसकी व्याख्या ही बदल दी है, भ्रष्ट कर दी है। तृतीय श्रेणी के बारे में मुझे ठीक ठीक आंकड़े ही नहीं बताये जाते। दूसरी श्रेणी के आंग्ल-भारतीय कर्मचारियों के आंग्ल-भारतीयों की संख्या बता दी जाती है।

आंग्ल-भारतीयों को ऐसे कामों, ऐसे पदों में, उदाहरण के लिये क्लर्कों में, रखा जाता है जिन के लिये वे उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रकार इस परित्राण को निरर्थक बना दिया जाता है। कोई हमारे कष्टों की बात सुनता ही नहीं है।

डाक तथा तार विभाग ने तो मुझे कुछ आंकड़े भी दिये हैं।

हालांकि डाक तथा तार विभाग ने मुझे जो आंकड़े दिये हैं वे १९५५ के ही हैं और उन का कहना है कि १९४६ से १९५४ तक के रिकार्ड खत्म कर दिये गये थे, लेकिन मैं कहता हूं कि उस विभाग ने भी आंग्ल-भारतीयों के प्रार्थना-पत्रों और भर्तियों के आंकड़े कभी रखे ही नहीं थे। कारण यही है कि विभाग ने जानबूझ कर आंग्ल-भारतीयों को भर्ती नहीं किया है।

डाक तथा तार विभाग में भी इन परित्राणों को कार्यान्वित नहीं किया है। तार विभाग में भी भर्ती परित्राणों के अनुसार नहीं की जाती। १९५० में ७२ स्थान सुरक्षित किये गये थे, लेकिन १९५१ में कुल ५ ही स्थान सुरक्षित किये गये थे पता नहीं क्यों? और, यह भी उस परिस्थिति में जबकि कुल पदों की संख्या डेढ़ गुना कर दी गई थी।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की जिन श्रेणियों में आंग्ल-भारतीयों को सुरक्षण दिया गया है, उनमें कुल कर्मचारियों की संख्या में ५० प्रतिशत वृद्धि की गई है, लेकिन उसमें आंग्ल-भारतीयों की संख्या २५ प्रतिशत से घटकर १५ प्रतिशत ही रह गई है।

मैं यही चाहता हूं कि आयुक्त अपने को अल्पसंख्यकों के प्रन्यासी मानें और उसी की भांति कार्य करें।

श्री उइके (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित और आदिमजातियों की सन् १९५५—५६ और १९५६—५७ की रिपोर्ट्स पर आज तीन दिन से विवाद जारी है और विचार-विमर्श हो रहा है। मुझसे पहले बहुत से मेरे भाइयों ने हरिजनों और आदिवासियों के उद्धार के कार्य को तेजी से करने के लिये जोरदार आवाज उठाई है। रामनाथपुरम् की घटना इस बहस का प्रमुख अंग है।

रामनाथपुरम् में जो कुछ घटा उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस लगी है और वहां की घटनाओं ने हरिजनों और आदिवासियों के लिये एक खतरे की घंटी बजा दी है। हरिजन और आदिवासी इस देश में पिछले हजारों वर्षों से दूसरे भाइयों के साथ रहते आये हैं। अस्पृश्यता पहले भी थी, गरीबी और अशिक्षा उनमें पहले भी थी लेकिन रामनाथपुरम् जैसी घटनायें पहले नहीं घटी थीं। छोटी मोटी घटनायें तो होती रहती हैं पर जहां २००, २०० और ३००, ३०० आदमियों की हत्या हो गई हो और ३,००० तक मकान जला दिये गये हों, ऐसी असाधारण घटना पहले नहीं हुई। मेरी राय में यह घटना न तो अस्पृश्यता को ले कर है, न गरीबी को ले कर है और न अज्ञानता को ले कर है बल्कि यह घटना जो राज्य सत्ता मिली हुई है उस राज्य सत्ता से सम्बन्धित है।

हमारे पिछड़े हुये लोगों को, जब इस देश को स्वराज्य मिला, तो बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका खयाल था कि प्रजातंत्र में छोटे बड़े का भेद भाव मिट जायेगा और उनकी हालत

[श्री उइके]

सुधरेगी लेकिन उनकी यह आशा निराशा में बदल रही है और आज प्रजातंत्र के युग में जो राज्य सत्ता सब में समान है उसने रामनाथपुरम् की घटना के रूप में हम पिछड़े हुये लोगों के गरीब समुदाय के सामने फांसी का एक रस्सा रख दिया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

सरकार को जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और आज हमारे भाइयों के दिलों में जो यह शंका घर कर गई है कि अगर प्रजातांत्रिक राज्य सत्ता का यही परिणाम है तो हो सकता है कि आगे रामनाथपुरम् की जैसी घटनाओं की देश के अन्य भागों में भी पुनरावृत्ति होने लगे, इस शंका का निराकरण करने के लिये सरकार को कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिये । यह सन्तोष का विषय है कि सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से और सख्ती के साथ इस रामनाथपुरम् की घटना से पैदा होने वाली स्थिति का सामना किया और उसे करना भी चाहिये था किन्तु इस जटिल और विषम समस्या का सही इलाज तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि हरिजनों और आदिवासियों का उत्थान कार्य सही तौर से पूरा नहीं किया जाता और जब तक उनकी गरीबी दूर नहीं होगी तब तक ऐसी घटनायें बन्द नहीं हो सकतीं । अस्पृश्यता इस घटना का कारण नहीं है अपितु गरीबी इस घटना का कारण दिखता है और आदिवासी हरिजनों की गरीबी तभी दूर हो सकती है जब सही तरीके से एक प्रोग्राम को सामने रख कर हरिजनों के उत्थान कार्य को सरकार पूरा करे और उन में से गरीबी का नाश होने से ही इस तरह की घटनायें बन्द हो सकती हैं ।

अब मैं इस शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की (अनुसूचित जाति आयुक्त) की रिपोर्ट में जो जो बातें लिखी हैं, उनकी कुछ खास खास बातों पर आता हूं । हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब सन् १६५५-५६ की दोनों रिपोर्टों की प्रस्तावना में ही कहते हैं कि कल्याण और संचार विभाग का एकीकरण नहीं है और भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति मिलने में विलम्ब होता है । जब जड़ में ही खामियां हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार और सहायता कार्य कैसे और कितना सफल हो सकता है ।

शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि उनकी रिपोर्ट्स पर राज्य विधान सभाओं में भी विचार होना चाहिये और मैं समझता हूं कि उनका यह सुझाव बहुत महत्व का है । यहां पार्लियामेंट (संसद्) में समय की तंगी रहने और कार्यों की अधिकता रहने के कारण हम लोगों को इस पर विचार करने का पूरा समय नहीं मिल पाता है । और अगर राज्य विधान सभाओं में भी इन रिपोर्टों पर विचार हो सके तो वह हम हरिजनों और आदिवासियों के हक़ में अच्छा होगा । इसलिये मैं शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इस तरह की व्यवस्था कर दे । यह उचित ही होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर जो सारी बातें उसमें लिखता है उन पर राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधि पूरी तरह से बहस करें ।

हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब ने १६५५ में करीब करीब २४० सिफारिशें राज्य सरकारों को की ई हैं । जवाबों में राज्य सरकारों ने उसमें से बहुत सी सिफारिशों के लिये

यह लिख दिया है कि "रिप्लाई अवेटेड" (उत्तर की प्रतीक्षा है) "मैटर इज़ अन्डर कंसिडरेशन" (विचाराधीन है) और इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर के सुझावों और सिफारिशों को कोई अहमियत नहीं देतीं और उनके नजदीक उनकी कोई कीमत नहीं है। अगर इस तरह की बातें चलती रहीं और राज्य सरकारों को इस बारे में उचित आदेश नहीं दिये गये तो शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर और उनकी तमाम रिपोर्टें कुछ नहीं कर सकेंगी और हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार और उत्थान कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकेगा।

कुछ सेंटर्स (केन्द्रों) में सहायक कमिश्नरों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई हैं। इसकी पिछले वक्त भी मांग की गई थी कि सहायक कमिश्नरों की अविलम्ब नियुक्ति हो जाये क्योंकि जब तक राज्य सरकारों का इन आदिवासियों और हरिजनों के सम्बन्ध में जो काम होता है, उसके ऊपर इन सहायक कमिश्नरों की देख भाल नहीं होगी, तब तक काम जिस सही ढंग से होना चाहिये वह नहीं हो सकेगा। इस रिपोर्ट में कुछ सहायक कमिश्नरों की रिपोर्ट्स दी हुई हैं और वे बहुत उपयोगी हैं और मेरी समझ में अगर सहायक कमिश्नर्स अपनी रिपोर्ट्स देते चले जायें और राज्य सरकारें उन पर विचार करके कार्य करती चली जायें तो इस दिशा में काफी काम हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि १९५६-५७ की रिपोर्ट के तीसरे परिशिष्ट में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों में संशोधन किया गया है। संशोधन की दो लिस्टें (सूचियां) हैं। संशोधन तो अनुसूचित जातियों और आदिवासियों का हुआ किन्तु यह संशोधित सूचियां अभी तक प्रान्तों में, स्कूल, कालिजों, बोर्डों, युनिवर्सिटियों तथा दफ्तरों में नहीं भेजी गई हैं और इस कारण उनको कोई जानकारी नहीं है कि वे इन लिस्टों के आधार पर अपने वहां शिक्षा सुविधायें दें सकें। मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में हाउस को बताना चाहता हूं कि यह जो १९५६ की नई अमेंडेड (संशोधित) लिस्टें आई हैं उसका वहां पर किसी स्कूल, कालिज, दफ्तरों में पता नहीं है और उसकी जानकारी के अभाव में होता यह है कि हमारे लड़कों को फ्रीशिप्स नहीं मिलती है और न आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लड़कों को स्कालरशिप्स आदि शिक्षा की सुविधायें मिलती हैं। इस मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में जो एक बड़ी भारी खामी रह गई है वह यह है कि मध्य प्रदेश की १९५६ की, अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों की लिस्टें जब अमेंड हुईं, तब उसके ठीक दो दिन पहले मध्य प्रदेश में तीन नये जिलों का निर्माण हुआ। वह तीनों जिले लिस्टों में दिए हुये जिलों के सब डिवीजन थे। वे संशोधन के दो दिन पहले जिले हो गये। जिला होशंगाबाद का सब डिवीजन नरसिंहपुर हो गया, सागर का सब डिवीजन दमोह और छिंदवाड़ा का सब डिवीजन सिवनी जिले हो गये। वहां के जो अधिकारी हैं वह कहते हैं कि यह जिले आदिवासी नहीं हैं। इसलिये इन तीन नये जिलों के जो आदिवासी और हरिजन हैं या जो पिछड़े हुये लोग हैं, उनको दी हुई सुविधाओं का उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसका सुधार करना चाहिये।

इस रिपोर्ट में दूसरी बात यह दी हुई है कि जहां २० फी सदी आदिवासी हैं, उन स्थानों को आदिवासी स्थान घोषित कर दिया गया है। यह बात बिल्कुल गलत है जो कि हमारे कमिश्नर साहब ने लिखा है। मैं एक एक तहसील की संख्या तो नहीं बतलाता किन्तु मोटी मोटी बातें बतलाता हूं। जबलपुर तहसील में ६६,२५१ आदिवासी हैं। कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में

[श्री उइके]

कहते हैं कि २० फी सदी आदिवासी जहां हैं वह आदिवासी स्थान घोषित कर दिये गये हैं। लेकिन यह स्थान आदिवासी घोषित नहीं किया गया है। इसी प्रकार से खंडवा तहसील में ३३८५१ आदिवासी हैं। इसी प्रकार से लगभग १० तहसीलें हैं जिनकी आबादी आदिवासियों की २० फी सदी से ज्यादा है। उन सब की आबादो मिला कर ३ लाख ७० हजार के लगभग होती है। जो कि २० फी सदी से अधिक है ऐसी १० तहसीलों को छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट में जो बातें दी जाती हैं, वह इस प्रकार से गलत तरीके से दी जाती हैं और इस सदन में उनको बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है। आदिवासियों और हरिजनों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन उनके अन्दर बड़ी पोल है। गलत बातें दी हुई हैं।

जहां संशोधित लिस्टों का सवाल है। आदिवासियों और हरिजनों की लिस्टें संशोधित कर दी गई हैं, उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है, किन्तु उनको जो लाभ होना चाहिये वह नहीं होता है।

इस रिपोर्ट के सफा ३९ में लिखा हुआ है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जायेगा।

मध्य प्रदेश की सरकार ने जवाब दिया है कि जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों और हरिजनों को जो स्थानिक संस्थायें हैं, उन के अन्दर स्थान नहीं दिया गया। इस पर विचार करना चाहिये कमिश्नर को। राज्य सरकार जो रिपोर्टें लिखती हैं उन पर पता नहीं कमिश्नर चुप रह जाते हैं या क्या करते हैं। जब आदिवासियों और हरिजनों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, और संविधान में भी यह बात कही गई है, तो इस पर ऐक्शन लिया जाना चाहिये और पार्लियामेंट के सामने उसको रखना चाहिये कि क्या ऐक्शन लिया गया। जिन प्रदेशों में राज्य सभायें हैं, जनपद सभायें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन में खालो पापुलेशन बेसिस (जनसंख्या के आधार पर) प्रतिनिधित्व के स्थान पर सुरक्षण होना चाहिये। १९५५ को रिपोर्ट के भाग १, सफा १२० में गलत बातें बताई गई हैं। श्री भानु प्रताप सिंह अपर हाउस (राज्य सभा) के सदस्य हैं, उन को आदिवासी बता दिया गया है जब कि वह आदिवासो नहीं थे। वह उस क्षेत्र से हैं जो कि आदिवासी घोषित नहीं हुआ है। इसी प्रकार तो सन् १९५५ को रिपोर्ट के भाग २ सफा ६० पर राजा नरेश चन्द्र सिंह को, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, आदिवासो दिखाया गया है। यह बिल्कुल गलत बात है। वह आदिवासी क्षेत्र नहीं था जहां से कि वह आते हैं। इस तरह की गलत बातें देने से कोई लाभ नहीं है; १९५६ की संशोधित लिस्ट में इन के विभागों को आदिवासो घोषित किया गया है। अब वे आदिवासी हैं।

सामाजिक निर्योग्यतायें परिच्छेद ४ में दो हुई हैं। बेगार कानूनन बन्द की गई है, लेकिन यह बेगार आदिवासियों से ली जाती है, हरिजनों से ली जाती है। हरिजनों के सम्बन्ध में तो मैं नहीं जानता कि किस किस तरह से बेगार ली जाती है, लेकिन आदिवासियों के नौकरनामे अर्थात् बान्ड सर्विस अभी तक चल रही है। कमिश्नर का पहला काम था कि इस की ओर ध्यान देते। किन्तु आजकल जितने अधिकारी हैं हमारा नाच कराते हैं। चाहे मिनिस्टर हों या कोई और हों, वह जहां जाते हैं वहां आदिवासियों का नाच देखते हैं, उन का गाना सुनते हैं। यह उन का ढंग है। यह नाच और गाना हमारी पुरानी संस्कृति है, लेकिन इसे इस तरह नहीं किया जाना चाहिये। इस में दूसरी बुरी बातें भी

समाज के अन्दर पैदा हो जाती हैं। अधिकारी इस का सर्वे करने निकलते हैं। २६ जनवरी के लिये नाचने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां ढूंढ़ने का ६ महीने तक सर्वे करते हैं। उस के बाद उन को तीन तीन महीने तक ट्रेनिंग देते हैं। इस पर कितना पैसा खर्च होता है? जब कोई अधिकारी या मिनिस्टर आदिवासी विभागों में जाते हैं तो नाच और गाने प्रोग्राम पहले होता है, दूसरी तरफ उन लोगों का ध्यान नहीं होता है। यह कमिश्नर साहब का काम है कि जो आदिवासी इस तरह से अन्धकार में फंसे हुए हैं उन की तरफ ध्यान दें।

फोर्स्ड लेबर के सम्बन्ध में मैं फारेस्ट विलेजिज (गांवों) की बात भी कहना चाहता हूं। उन में आदिवासी लोग रक्खे जाते हैं। और उन को १२ आ० रोज मजदूरी दी जाती है। जब कि अन्यत्र मजूरी डेढ़ और दो रुपये मिलती है। हर घर का एक आदमी काम पर जाना ही चाहिये, चाहे घर में कितना ही जरूरी काम हो। क्या इस बात को देखने की जरूरत नहीं है जब कि हमारी सरकार फोर्स्ड लेबर को बन्द करना चाहती है। फारेस्ट कंट्रेक्टर्स पी० डब्ल्यू० डी० कंट्रेक्टर्स क्या करते हैं कि इन लोगों को पेशगी रुपया देते हैं। इस के बाद जहां और मजदूरों को ज्यादा मजदूरी पर लगाना पड़ता है, वहां इन आदिवासियों को लगाते हैं और १२ आ० रोज मजदूरी देते हैं। इस तरीके से इन लोगों का एक्स्प्लायटेशन (शोषण) हो रहा है, इस को आसानी से देखा जा सकता है।

आजकल नैशनल एक्स्टेंशन ब्लाक्स (राष्ट्रीय विस्तार खंड) और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनाओं) में काम हो रहे हैं। इनके अन्दर श्रमदान होता है। लेकिन उस में कोई भी चिकने चुपड़े लोग श्रमदान नहीं देते हैं। जहां भी नैशनल एक्स्टेंशन ब्लाक्स कायम हुए हैं, वहां पर कमिश्नर साहब जायें और देखें कि आदिवासी गांवों में श्रमदान कौन करता है। श्रमदान केवल आदिवासी लोगों के लिये है, और कोई भी श्रमदान नहीं करता है। यह भी एक किस्म की बेगार है, जो कि नहीं होनी चाहिए।

परिच्छेद ५ में लिखा है कि १५ करोड़ रुपया पहली पंचवर्षीय योजना में और ४८ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी और २९ करोड़, ६० लाख ० राज्य सरकारें खर्च करेंगी आदिवासियों के काम में। लेकिन यह सब आप के कुछ न करने के बराबर होगा क्योंकि आदिवासियों के अन्दर अगर कोई उत्साह पैदा नहीं हुआ तो आप के रुपये व्यर्थ हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। आदिवासियों के अन्दर आप के प्रति कितना उत्साह पैदा हुआ, यह तो इसी से पता चलता है कि आपके पिछले चुनाव में क्या हुआ। आप ने किस बुरे ढंग से बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में और बम्बई के इलाकों में डिफीट (हार) खाई। सिर्फ मध्य प्रदेश आप के साथ रहा। जिस ने उन के बीच रह कर काम किया है, उन्ही के साथी आदिवासी और हरिजन होते हैं, यह मोटी सी बात है। इस से साबित होता है कि आदिवासी कल्याण विभाग ने कुछ नहीं किया। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो जिस प्रकार अन्य प्रदेशों के क्षेत्र चले गये, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भी निकल जाएगा। इस प्रकार काम करने से कुछ नहीं होगा।

पहली पंचवर्षीय योजना में सफा १०३ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में २ करोड़ ३५ लाख रु० के लगभग खर्च हुए, जिस में से १ करोड़, २४ लाख रु० सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। ४५ लाख रु० प्रशासन पर खर्च हुआ और ४५ लाख रु० संचार पर खर्च हुआ। मैं कहता हूं कि यह सड़कें क्या आप आदिवासियों के ही क्षेत्र में बनाते हैं जो कि ४५ लाख रु० आदिवासियों के नाम पर डालते हैं? क्या दवाखाने केवल आदिवासियों के लिए ही खोलते हैं? आज आप सारे देश में नैशनल एक्स्टेंशन ब्लाक्स स्कीम्स चलाते हैं, कम्यूनिटी प्रोजेक्टस चलाते हैं तालाब और कुंएं खुदवाते हैं, लोगों को

[श्री उइके]

शिक्षित बनाना चाहते हैं, वैसे ही आदिवासी विभागों में भी काम करते हैं, फिर क्या यह पैसा आप को आदिवासियों के नाम देना चाहिए। इस में जो खर्च की बातें कही गई हैं वह राज्य सरकारों के रेकार्ड के अनुसार हैं। वहां पर जो भी खर्च किए जाते हैं वह बेजा हैं। ४५ लाख रु० महकमे की प्रशासन व्यवस्था करने में खर्च किए गये हैं। यह बात ठीक नहीं है। जब कि ६० लाख रु० लैप्स (व्यपगत) हो गये हैं २ करोड़ में से। इस की एन्क्वायरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जांच कमेटी मुकर्रर की थी। उस ने बहुत सी रिपोर्टें दी हैं। अभी थोड़े दिनों के बाद यहां मिनिस्टरों की एक कांफरेंस होने वाली है। उस में इस रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए। **ट्राइबल वेलफेअर सेन्टर इन मध्य प्रदेश इन १९५६** (१६५६ में मध्य प्रदेश के अनुसूचित आदिमजाति कल्याण) के बारे में इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कई कमियां दी हुई हैं कि ट्राइबल वेलफेअर का काम ठीक से नहीं हुआ है। १४ अधिकारियों ने करप्शन किया हुआ है। अभी तक सरकार ने उन पर कोई ऐक्शन नहीं लिया है। कमेटी ने सिफारिश की है कि उन्हें सस्पेंड (निलम्बित) किया जाय। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४८ करोड़ रु० केन्द्र और २६ करोड़ रु० राज्य सरकार खर्च करेगी, इस प्रकार ७८ करोड़ रु० के लगभग होगा जो कि आदिवासियों के सम्बन्ध में खर्च होगा। क्या होगा यह मैं नहीं जानता। लेकिन उसी तरह से होगा जो कि पीछे हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से खाली आंकड़े ही बतलाने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से उन्नति किसी की नहीं होगी, वह तो काम करने से होगी। काम क्यों नहीं होता है? इसलिए कि सुपरविजन (पर्यवेक्षण) ठीक नहीं है। पैसा जो लगता है, कागज में ही दिखाई देता है। वहां के कर्मचारियों पर सुपरविजन नहीं है, इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि चार चार साल किसी सुपर्वाइजिंग आफिसर ने किसी किसी काम को सुपर्वाइज नहीं किया है, किसी विजिटर किताब में सुपर्वाइजिंग आफिसर के रिमार्क (टिप्पणियां) नहीं हैं।

गैर-सरकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में सफा १३० पर बतलाया है कि अस्पृश्यता निवारण के लिए किसी गैर-सरकारी संस्था को पैसे दिये गये हैं। आदिवासियों के सम्बन्ध में कितने पैसे दिये जाते हैं, वह उस में नहीं बतलाया गया। रिपोर्ट के अन्दर आदिवासियों के लिए किन गैर-सरकारी संस्थाओं को पैसे दिये जाते हैं, यह बतलाया जाना चाहिये। गैर-सरकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट में जगह जगह सिफारिश की गयी है। ठीक है उनके द्वारा काम कराया जाये। लेकिन उनकी शिकायतें आयी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके काम की जांच सरकारी आडीटर (लेखा परीक्षक) किया करे। यह नहीं होना चाहिए कि गैर-सरकारी संस्थाओं को पैसा दे दिया और जो वह चाहें करें।

अब आप देखिये कि छात्र वृत्तियों का एक तमाशा है। इनके लिए ११ करोड़ ३६ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया और २३ करोड़ ७६ लाख रुपया राज्य सरकारों ने दिया। लेकिन इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चों को समय पर स्कालरशिप नहीं मिलते। कुल ८८५३ स्कालरशिप दिये गये हैं जिनमें से आसाम और बिहार में ज्यादा दिये गये हैं। आसाम, बिहार और मणिपुर-त्रिपुरा में ६८३४ स्कालरशिप (छात्रवृतियां) दिये गये हैं। इसका श्रेय मिशनरियों को है। वहां पर कनवरशन ज्यादा हुए इसलिए शिक्षा ज्यादा हुई। शेष राज्यों में कुल २०१६ स्कालरशिप दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तीन मिनट ज्यादा हो गये।

श्री उइके : मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं पर समय कम है। मैं एक मिनट में खत्म करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक मिनट भी नहीं है। १५ के तो १८ मिनट हो गये।

श्री उइके : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकारी महकमों को आदिवासियों के लिए क्या करना चाहिए ।

पहली बात तो यह की जानी चाहिए कि इनका एक्सप्लायटेशन रोका जाये । हर फार्मों (रूपों) में जो उनका एक्सप्लायटेशन होता है वह रुकना चाहिए । दूसरी बात यह है कि इनको फ्री लीगल एसिसटेंस (निःशुल्क वैधानिक सहायता) दी जानी चाहिए । अगर सरकार ये दो बातें कर दे तो इनका एक्सप्लायटेशन रुक जायेगा । सरकार को इस तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए ।

इसके अलावा जैसी कि केन्द्र एडवाइजरी बोर्ड (मंत्रणा बोर्ड) ने सिफारिश की है, सब बातें अमल में लाना आदिवासी कार्यकर्ताओं को आवागमन की सुविधायें मिलनी चाहिए ताकि वे जाकर स्वयं सामाजिक सुधार का काम कर सकें । जो सुझाव ये कार्यकर्ता देंगे उनके द्वारा आदिवासियों का वास्तविक सुधार हो सकेगा ।' जब इन लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा तभी आदिवासियों का कल्याण होगा । सरकार को चाहिए कि वह स्वयं आदिवासी कार्यकर्ताओं को यह काम करने के लिए प्रोत्साहन दे । आज यह विभाग इस बात का खयाल नहीं कर रहा है ।

श्री राम शरण (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस इजाज़त दे तो ऐसा कर दिया जाये कि कोई साहब दस मिनट से ज्यादा न बोलें । इस तरह से कुछ ज्यादा मेम्बर साहिबान बोल सकेंगे । इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है ।

श्री राम शरण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो रिपोर्ट कमिश्नर साहब ने दी है और उन्होंने जो वेदना हरिजनों और आदिवासियों के लिए व्यक्त की है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ।

दोनों रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि हरिजनों और आदिवासियों की स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुआ है । संविधान की धारा १७ से ऐसा मालूम होता है कि देश में अस्पृश्यता खत्म हो गयी है । इस विषय में जो कानून भिन्न भिन्न राज्यों में मौजूद थे उनकी जगह संसद् ने सन् १९५५ में अनटचेबिलिटी आफेंसेज ऐक्ट (अस्पृश्यता अपराध अधिनियम) पास कर दिया जिसके अनुसार जो कोई इस प्रकार का भेद भाव करता है वह जुर्म करता है । इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन् १९५६ में मंदिर प्रवेश के सम्बन्ध में कानून पास किया । यह सब होते हुए भी देखने में यह आता है कि अस्पृश्यता का खातमा नहीं हुआ है । स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुआ है । रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें उन गांवों की एक फेहरिस्त रखें कि जहां पर अस्पृश्यता अब भी पायी जाती है । राज्य सरकारें इस ओर उचित ध्यान नहीं देतीं और इस प्रकार की फेहरिस्त नहीं रखतीं । इसके फलस्वरूप किसी जिले में या राज्य में इस बात का पता नहीं लग सकता कि ऐसे कौन कौन से गांव हैं कि जहां पर अस्पृश्यता खत्म हो गयी है ।

भारत में साढ़े पांच लाख गांव हैं । इनमें से कुछ हजार गांव ही ऐसे होंगे कि जिनके लिए यह कहा जा सके कि उनमें अस्पृश्यता पूरी तरह से खत्म हो गयी है । हरिजन सेवक संघ ने यह निश्चित करने के लिए एक पैमाना रखा है कि किसी गांव में अस्पृश्यता खत्म हुई या नहीं । वह पैमाना यह है कि अगर किसी गांव में हरिजनों के लिए अलग कुएं न हों और हरिजन सार्वजनिक कुंओं से पानी ले सकें तो समझना चाहिए कि उस गांव में अस्पृश्यता मिट गयी है । अगर इस पैमाने

[श्री रामशरण]

के अनुसार देखा जाये तो कई कई जिलों के बीच दो चार गांव ऐसे मिलेंगे कि जहां पर नीची जाति कही जाने वाली जातियों को, जैसे मेहतरों और वाल्मीकियों को सार्वजनिक कुंओं से पानी लेने देने दिया जाता है । जब यह स्थिति है तो यह कहना कि हमारे विधान के अनुसार और कानून के कारण अस्पृश्यता खत्म हो गयी है, गलत मालूम होता है ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति खराब है और खराब होती चली जा रही है । जब तक कानून पर अमल नहीं होगा और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और विशेषकर राज्य सरकारों के अधिकारी कानून पर ठीक से अमल नहीं करेंगे तब तक अस्पृश्यता का दूर होना कठिन है । अगर एक तरह सरकारी अधिकारी श्रद्धा और कड़ाई से काम लें और दूसरी तरफ हरिजन सेवक संघ आदि वगैरह सरकारी संस्थायें उनसे पूरी तरह से सहयोग करें तो कहा जा सकता है कि हम कुछ वर्षों में अस्पृश्यता का अन्त कर सकेंगे । यह तो स्पष्ट ही है कि हमारे देश में अस्पृश्यता नहीं रह सकती लेकिन जितनी जल्दी हम खत्म कर सकें उतना ही अच्छा है क्योंकि यह हिन्दू समाज पर एक कलंक है, यह हिन्दू समाज का पाप है । इसको हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए । अब किस प्रकार से राज्य सरकारों का सहयोग हो ? कमिश्नर साहब की रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य सरकारों का सहयोग पूरी तरह से नहीं मिलता । इसके लिए एक मामूली मिसाल दी गयी है । पहली पंचवर्षीय योजना में हरिजनों और आदिवासियों पर कितनी राशि खर्च हुई, इस बारे में राज्य सरकारों से जब जब पूछा जाता है तो भिन्न–भिन्न आंकड़े आते हैं । कभी भी एक से आंकड़े उपलब्ध नहीं होते । इस से मालूम होता है कि किस प्रकार से राज्य सरकारें इस प्रश्न की अवहेलना कर रही हैं । साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि जिस प्रकार यहां पार्लियामेंट में हर साल इस पर बहस होती है उसके बजाये इस पर राज्य सरकारों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में हर साल इस विषय पर बहस हुआ करे क्योंकि यह राज्य सरकारों का ही विषय है । चूंकि जो मामले होते हैं वे स्थानीय होते हैं, इसलिए अगर राज्यों में इस विषय पर बहस होगी तो बातें सम्बन्धित अधिकारियों और मंत्रिगण के सामने आवेंगी और इस प्रकार उन समस्याओं का हल आसान हो सकता है । लेकिन जहां तक मुझे मालूम है राज्य सरकारें इस पर बहुत कम ध्यान देती हैं । ऐसा नहीं मालूम होता कि इस रिपोर्ट पर राज्यों की विधान सभाओं में या विधान परिषदों में बहस होती है । इन बातों से विदित होता है कि इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकारों को जितना ध्यान देना चाहिए वे नहीं दे रही हैं । और इससे यह भी मालूम होता है कि यद्यपि इस समस्या की उग्रता में कुछ कमी हुई है लेकिन अधिकांश में यह अपने उग्र रूप में अभी भी मौजूद है ।

इसके अलावा हरिजनों और आदिवासियों के नौकरियों का प्रश्न है । अभी तक की ६ रिपोर्टें आ चुकी हैं । उन में यह बताया जाता है कि योग्य आदमी नहीं मिलते लेकिन साथ साथ ही यह भी रिपोर्ट से पता चलता है कि पृष्ट १०६ पैरा २७, कि बहुत से हरिजनों और आदिवासी जो कि ग्रेजुएट हैं, मैट्रिकुलेट हैं, टैकनीशियन हैं, डाक्टर हैं, इंजिनियर हैं, टाइपिस्ट हैं और स्टेनोग्राफर आदि हैं वे अनएम्प्लाइड पड़े हुए हैं । उन को अभी तक जगह नहीं मिली है । एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज से जो फ़िगर्ज़ कलेक्ट की

गई हैं, उन से मालूम होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का जहां तक सम्बन्ध है, उन को नौकरियां मिलने में इन सालों में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है । बावजूद इस बात के कि तमाम रिपोर्टें निकलती हैं, लोगों का का ध्यान दिलाया जाता है, इन पांच छः सालों में नौकरी पाने वालों की परसेन्टेज में अधिक तरक्की नहीं हुई है । इस का मतलब यह है कि अधिकारीगण को -- चाहे वे केन्द्र के हों, चाहे राज्यों के--न इस बारे में कोई दिलचस्पी है और न वे इस बारे में ध्यान देते हैं । इस कारण से ऐसे बहुत लोग, जो काम में लग सकते थे, जो हर तरह से ठीक हैं, उपयुक्त हैं, जो टैकनीशियन हैं, जिन की देश को जरूरत है, अभी तक बेकार पड़े हैं । इससे यह स्पष्ट है कि जितनी जगहें रिज़र्व्ड हैं, उन को भरना तो दूर रहा, जो लोग उपलब्ध हैं, उन को भी जगह बहुत कठिनाई से मिलती है और उन में भी बहुत सारे लोग बेकार पड़े हुए हैं ।

उनमें उन जातियों की स्थिति और भी खराब है, जो कि सब से निम्न श्रेणी की समझी जाती हैं, जैसे बाल्मीकी और मेहतर हैं । उन के मकानों की बहुत बुरी हालत है, देहात में भी और शहरों में भी । केन्द्र की तरफ़ से इस सम्बन्ध में कुछ रुपया दिया जाता है । वह रुपया राज्य सरकारों के पास जाता है उस का भी ठीक प्रकार से उपयोग नहीं होता है ।

मेहतरों को नौकरियां म्यूनिसिपल कमेटियों, टाउन एरिया कमेटियों और नोटिफ़ाइड एरिया कमेटियों में मिलती हैं, जहां उन को पार्ट--टाइम नौकर समझा जाता है, न कि होल--टाइम सरवेंट । इसका परिणाम यह है कि उन को बहुत कम वेतन मिलता है । इसके अतिरिक्त स्थायी, होल--टाइम नौकरों को जो लाभ और सुविधायें प्राप्त रहती हैं, उन से भी ये लोग वंचित रहते हैं । न उन को पूरी नौकरी मिलती है, और न उन के रहन सहन का ठीक प्रबन्ध है और जिन औज़ारों से वे काम करते हैं, वे भी इस प्रकार के नहीं हैं, जो कि मनुष्योचित समझे जायें । इस लिए उन की हालत की तरफ़ रिपोर्ट में विशेष तौर से ध्यान दिलाया गया है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को इस तरफ़ विशेष ध्यान देना चाहिए ।

इन लोगों की बहुत सी शिकायतें होती हैं और उन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन का ज़िक्र रिपोर्ट में भी किया गया है और जिन की तरफ़ कई माननीय सदस्यों ने भी ध्यान दिलाया है और कई मिसालें पेश की गई हैं । इसलिए यह ज़रूरी है कि केन्द्र और राज्यों की सरकारों की तरफ़ से इन लोगों को कानूनी मशविरा देने की व्यवस्था की जाय । इन लोगों को बेजा तौर पर सताया जाता है, इन का बेजा इस्तेमाल किया जाता है, इन से बेगार ली जाती है, इनको पूरा वेतन नहीं मिलता है । ये तमाम कठिनाइयां किस प्रकार से दूर की जा सकें, इस के लिए एक तरफ़ तो इन को कानूनी मशविरा मिले और दूसरी तरफ़ केन्द्र की तरफ़ से जो रुपया इस सम्बन्ध में दिया जाता है, उस का ठीक उपयोग किया जाय । मैं समझता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन लोगों के लिए ९१ करोड़ रुपये खर्च किये जाने वाले हैं । जैसा कि कुछ भाइयों ने कहा है, इस प्रकार के आँकड़े दिए जाते हैं कि इतना रुपया खर्च हुआ, या होने वाला है, लेकिन वस्तु-स्थिति यह होती है कि उस रुपये का ठीक इस्तेमाल नहीं होता है । बहुत सी इंडस्ट्रीज़, उद्योग--धंधों पर रुपया खर्च किया जाता है । लेकिन हमारा अनुभव यह है कि कुछ हरिजन सहायक समितियां

[श्री राम शरण]

होती हैं, जिन में कुछ लोग इन्ट्रेस्टिड होते हैं और उन लोगों में उस रुपए का बंटवारा हो जाता है और मुस्तहक लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है । एक योजना के अधीन सरकार की ओर से जगह जगह पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई जा रही हैं । मैं चाहता हूं कि हर ज़िले में इस तरह के उद्योग-धंधे खोले जायें, चाहे वे सरकार की तरफ़ से हों, जहां इन लोगों को लगाया जाय और काम सिखाया जाय । जब वे काम सीख जायें, तो उन को कुछ साधन और सुविधायें दी जायें कि वे अपना काम कर सकें ।

मुझे इस बात की खुशी है कि कल मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राज्यों के मंत्री और दूसरे सम्बन्धित व्यक्ति इकट्ठे होंगे और उन पर ज़ोर दिया जायगा कि वे इस कार्य को बहुत तत्परता, लगन और मुस्तैदी से चलायें । आज ही समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने मेहतरों के बारे में, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह में काम करते हैं, माडल सर्विस रूल्ज़ शाया किये हैं, जिन के अधीन उन लोगों को कुछ सुविधायें मिलेंगी और वे कुछ अधिकार प्राप्त कर सकेंगे । उस से यह भी मालूम होता है कि मेहतरों की कुछ परसेन्टेज---२१ प्रतिशत---ऐसी ली जायगी, जोकि पढ़े-लिखे होंगे और उनको क्लैरिकल पोस्ट्स दी जायेंगी । वे लोग समाज के ऐसे काम को करते हैं, जो कि बिल्कुल गन्दा काम है, लेकिन मजदूरी उनको बहुत कम मिलती है, हालांकि ऐसे काम के लिए मज़दूरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी उस को करने के लिए तैयार नहीं होता है ।

इसलिए कार्यकर्ताओं और ग़ैर-सरकारी लोगों के सामने यह सवाल है कि क्या यह गन्दा काम हमेशा इन लोगों से कराया जायगा और क्या ये हमेशा इस को करते रहेंगे । इन लोगों के मन में यह ख्याल आ सकता है कि क्यों न हम यह काम छोड़ दें और दूसरे लोगों की तरह और कामों में, जो कि गन्दे नहीं समझे जाते हैं, लग जायें । विनोबा जी और कई दूसरे लोगों ने भी यह कहा है कि बाल्मीकि जाति के बच्चों को इस काम में न लगाया जाय, बल्कि उनको दूसरे कामों में लगाया जाय, ताकि वे आगे चल कर दूसरे कामों में लग कर समाज के उस हिस्से से ऊपर उठ सकें, जिसको कि आज नीचा समझा जाता है, या वे खुद अपना काम छोड़ दें या समाज-सुधारक उन को प्रेरित करें कि वे दूसरे कामों में लग जायें, ताकि समाज बाध्य हो कर यह काम करने वालों को ठीक वेतन और पूरी सुविधायें दे । यह प्रश्न और उसका यह हल कई लोगों ने सुझाया है और इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए यह भी एक तरीका हो सकता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल कोई नया सवाल नहीं है । १९३२ में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, उस समय हमारे वर्तमान नेताओं ने, जो कि जेलों से बाहर थे, इस प्रकार का प्रण गांधी जी के सामने किया था कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द हल करेंगे । गांधी जी चाहते थे कि एक तरफ़ तो मैकडानल्ड एवार्ड को खारिज किया जाय और दूसरी तरफ देश के कार्यकर्ता इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने का प्रयत्न करें । इस बात को पच्चीस वर्ष हो गए हैं, परन्तु इस समस्या को हल करने में हम उतने कामयाब नहीं हो पाए हैं, जितना कि होना चाहिए था । जिन लोगों ने उस समय गांधी जी के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वायदा किया था, वे इस समय केन्द्रीय या राज्य

सरकारों में हैं। अब उन में से बहुत से लोग राज्यों की सरकारों में हैं। इस वास्ते उन लोगों को और तमाम सवर्ण कहलाने वाले लोगों को और तमाम गैर-सरकारी संस्थायें हैं उनके कार्य-कर्ताओं को और साथ ही साथ अधिकारियों को यह अपना फर्ज़ समझना चाहिए अपना परम कर्तव्य समझना चाहिये कि उन्होंने जो प्रण किया था, जो वायदा किया था गांधी जी के साथ, उसको वे अब पूरा करें और इस सवाल को जल्द से जल्द हल करने में अपना योगदान दें, इसमें सहायक हों।

यह स्पष्ट ही है कि समय के प्रभाव से और विकास से यह सवाल जल्द हल होगा और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाएगा जिससे दूसरे व्यक्ति किसी प्रकार से भेद-भाव करें। लेकिन जितनी जल्दी हम इसको हल कर लें, उतना ही यह सारे हमारे लिए श्रेयस्कर होगा और हमारी समाज की भलाई के हित में होगा। समाज का भला तभी हो सकता है जब कि इस प्रकार का भेद-भाव न रहे। इस प्रकार के भेद-भाव को हम पागलपन कह सकते हैं, पापाचरण कह सकते हैं। दूसरे लोग--विदेशी लोग--यह समझने में असमर्थ रहे हैं कि इस प्रकार भेद-भाव क्यों बरता जाता है। पागल पन का भी आज के वैज्ञानिक युग में इलाज हो सकता है और इस के कई ढंग हैं। लेकिन छूआ छूत में यह वैज्ञानिक पागलपन देखा जाता है कि कुएं मे जहां से दूसरे लोग पानी भरते हैं, वहां से कोई चरवाहा चरवाहे के तौर पर या हलवारे के तौर पर यदि पानी भरता है तो भरने दिया जाएगा लेकिन अपना घड़ा लेकर वह पानी भरना चाहता है तो भरने नहीं दिया जाता है। ऐसा भी देखने में आया है कि एक कुंए में पानी भरने के चार खाने होते हैं और उन में से एक में से हरिजनों को पानी भरने दिया जाता है, दूसरे खानों में से भरने नहीं दिया जाता है। ऐसा पागल पन अगर किसी समाज में बढ़ता जाता हो तो उस समाज को क्या कहा जा सकता है? इस प्रकार के पागलपन को, इस प्रकार के पापाचरण को हम जितनी जल्दी दूर करें और उसका अन्त करें उतना ही समाज के वास्ते और देश के वास्ते, और अपने समाज को दूसरे देशों के सामने कलंकित न होने देने के लिए, अच्छा होगा। इसका अन्त करना ही हमारे लिये श्रेयस्कर है। इस काम में सब को तत्परता के साथ लग जाना चाहिए और इसका शीघ्रातिशीघ्र अन्त करके ही दम लेना चाहिए।

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य है का अबसर है कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त प्रदान किया है।

भारत सरकार आदिवासियों तथा हरिजनों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। मध्य प्रदेश के आदिवासी और देश के आदिवासियों की अपेक्षा अधिक पिछड़े हुए हैं। वहां की प्रान्तीय सरकार आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण के कार्य करती है और उसी पर इसका भार सौंपा गया है। वहां ६० लाख रुपया भी खर्च नहीं किया जा सका है। आदि-वासी तथा हरिजन कल्याण तभी हो सकेगा जब यह कार्य मुख्य मंत्री के अधीन रहे और प्रत्येक कमिश्नर को खास जिम्मेदारी दी जाय और वे आदिवासी तथा हरिजन क्षेत्रों का दौरा कर उनका दुःख दर्द जान कर सही रिपोर्ट प्रान्तीय सरकार को दें और प्रान्तीय सरकार उन रिपोर्टों को भारत सरकार के पास भेजे तथा वर्ष में जो रकम दी जाती है उसका ठीक ठीक हिसाब समय समय पर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों का आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए, उन में से छुआछूत दूर करने के लिए, इस सदन में तीन दिन से चर्चा चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने

[श्रीमती सहोदरा बाई]

इस में हिस्सा लिया है और बहुत से उपयोगी सुझाव दिए हैं । मैं समझती हूं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि जब तक हरिजनों के प्रति अपना रवैया नहीं बदलते तब तक हरिजनों का सुधार नहीं हो सकता है । हम हरिजनों में भी कई जातियां हैं । हम में चमार हैं, बसोर हैं, भंगी हैं । इन जातियों का एक दूसरे के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं है । जब तक ये अपने व्यवहार में सुधार नहीं करती हैं, हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता है । एक जाति दूसरे को कुएं से पानी भरने नहीं देती है । जब हम ही आपस में एक दूसरे को पानी नहीं भरने देते हैं तो ब्राह्मण या ठाकुर कैसे हम को पानी भरने दे सकते हैं । इस वास्ते सब से पहले हमें अपने में सुधार करना होगा और फिर दूसरों से किसी अच्छे व्यवहार की आशा करनी होगी । हम हरिजनों में से जो आपस में विद्वेष है, उस को हमें दूर करना होगा । जो एम० एल० ए० और एम० पी० चुन कर आते हैं वे पांच साल तक कभी भी हमारे चुनाव क्षेत्रों में नहीं जाते हैं । जब दुबारा चुनाव का वक्त आता है तो जाना शुरू करते हैं । इस से उन को हरिजनों की कठिनाइयों का सही-सही पता नहीं लग सकता है और वे नहीं जान सकते हैं कि हमारे क्या अभाव-अभियोग हैं । इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि एम० पी० तथा एम० एल० ए० नियमित रूप से हमारे क्षेत्रों का दौरा करें और हम लोगों की तकलीफों को जानें और उन को दूर करने का प्रयत्न करें । अगर आप लोग वहां पर जायेंगे तो उन का उत्साह बढ़ेगा और उन में हिम्मत आएगी और वे आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होंगे ।

जहां तक हरिजनों के सुधार का ताल्लुक है यदि हम हरिजन और हरिजन को लेकर चलेंगे तभी उनका सुधार सम्भव हो सकेगा अन्यथा नहीं । हम में खुद भेद-भाव है । हम हरिजनों में कई प्रकार के हरिजन हैं । कुछ चमार ह, कुछ बसीर हैं, कुछ मेहतर हैं, कुछ दूसरे लोग हैं । इस वास्ते जब तक हम हरिजन और हरिजनों को लेकर नहीं चलेंगे हमारा सुधार नहीं होगा । यह देखा गया है कि जब लोग कुएं पर पानी भरने के लिए जाते हैं तो जब तक चमार पानी नहीं भर लेता है, वह दूसरों को पानी भरने नहीं देता है । जब तक मेहतर पानी नहीं भर लेता तब तक दूसरे को कुंए पर नहीं चढ़ने देगा । जब ऐसी स्थिति है तो जरूरत इस बात की है कि हरिजन हरिजन का सुधार पहले करें और फिर, आगे बढ़ें । जब हरिजन का सुधार हरिजन नहीं करता है तो बड़े लोग कैसे करेंगे । कैसे हम ब्राह्मण या ठाकुर से सुधार की आशा कर सकते हैं । इस वास्ते हरिजनों को सब से पहले संगठित होना चाहिए और एक होकर काम करना चाहिए । जब ऐसा होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे । (**अन्तर्बाधा**) मैं जो कुछ भी कह रही हूं सच कह रही हूं, इस में कोई झूट बात नहीं है । आप नहीं जानते कि ------

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या मेरी तरफ ध्यान रखें ।

श्रीमती सहोदरा बाई : अभी यहां पर किसी ने कहा . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी दूसरों से कह रहीं थीं कि हरिजनों को पानी भरने नहीं देते, अब आप ही नाराज़ हो रही हैं ।

श्रीमती सहोदरा बाई : मैं आप को बतलाती हूं कि आज हरिजनों में ऐसे भाई हैं, ऐसी कौमें हैं जो जिस एक महिला को ब्याह कर लाते हैं, उसको ठीक तरह से नहीं रखते हैं । उसको

दूसरे ही दिन भगा देते हैं। उसके बाद दूसरी औरत ले आते हैं और उसको भी भगा देते हैं। तीसरी लाते हैं और उसके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब तक वे दो तीन शादियां नहीं कर लेते हैं उन को चैन ही नहीं पड़ता है। इस का नतीजा यह होता है कि हम ईसाई बनते हैं, मुसलमान बनते हैं और उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। जितने आदिवासी और हरिजन ईसाई बनते हैं वे इसी तरह से बने हैं आज ब्याह कर लाते हैं, कल छोड़ देते हैं, कल बयाह कर लाते हैं परसों छोड़ देते हैं। तो यह जो चीज़ है यह भी खत्म होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मजबूर होकर हम ईसाई बनते हैं। मैं इस बात को मानती हूं कि हमें ईसाई नहीं बनना चाहिए, यह एक गलत बात है। हमारे यहां पर हिन्दू मिशन स्कूल होते हैं। वहां पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। मैं आप से प्रार्थना करती हूं कि आप हर जिले में और हर प्रांत में, आदिवासी बच्चों के लिए जो गरीब हैं तथा जो दूसरे हिन्दू लोग हैं, जो हरिजन हैं, मिशन हिन्दू स्कूल खोलें। अगर आप ने ऐसा किया तो हम लोग ईसाईयों के दरवाज़े कभी नहीं जायेंगे। हम चूंकि गरीब हैं, इस वास्ते ईसाई लोग हमारे मध्य प्रदेश में तांगा ले कर आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, उनको धन दौलत देंगे और इस तरह से वे अपना काम चलाते हैं। और वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस वास्ते गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए जल्दी मिशन हिन्दू स्कूल आपकी तरफ से खोले जाने चाहियें जिन में हमारे बच्चे जा कर पढ़ लिख सकें और बाद में वे देश का सुधार का काम कर सकें।

हमारे देहातों में ज्यादा हरिजन लोग हैं। बड़े लोग भी हैं लेकिन कम हैं। काश्तकारी हमारे देश के लोगों का एक मुख्य धंधा है। हमारा हरिजनों के बिना काश्तकारी का काम नहीं चल सकता है। हरिजन काश्तकारों और किसानों में बड़ा झगड़ा होता है। अगर हरिजन लोग बैल हांकने के लिए नहीं जाते हैं तो उन को गांव से निकाल दिया जाता है और कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। उन के मवेशियों को खेतों में नहीं जाने दिया जाता। ऐसी चीजों को बन्द किया जाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो वे भाग कर शहरों की तरफ आ जाते हैं। हमारे हरिजन भाई बहुत पिछड़े हुए हैं। उन को आज ज़मीन की जरूरत है। आपके पास हज़ारों एकड़ जंगल पड़े हुए हैं जो तोड़ने के लिए आप उनको दे सकते हैं। आप आज उन को ट्रैक्टरों से तुड़वाते हैं और आप को चाहिए कि आप उनको आदिवासियों और हरिजनों को दे दें। उनको आप बैल, बीज लगान में छूट इत्यादि दें जिस से वे खेती कर सकें। इस तरह से उनका काम चल सकेगा और वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकेंगे।

हरिजनों को मजदूरी देने का सवाल भी है। शहरों में तो इनको पांच पांच रुपये मजदूरी मिल जाती है लेकिन देहातों में इनका बहुत बुरा हाल है। जब तक खेती में उन की मजदूरी और किसान की मजदूरी तय नहीं की जाती, तब तक काम नहीं चल सकता है।

मैं यह कहना चाहती हूं और माफी मांगती हूं अगर किसी को मेरी यह बात बुरी लगती है कि हरिजनों का सुधार पहले हरिजन ही कर सकते हैं बाद में दूसरे। हमारे हाथ का पानी ब्राह्मण तो पी लेते हैं, ठाकुर तो पी लेते हैं लेकिन हरिजन का पानी हरिजन नहीं पीते हैं, चमार भंगी के हाथ का पानी नहीं पीता, बसोर के हाथ का पानी नहीं पीता। मैं एक बात बतलाना चाहती हूं। हमारे गांव में एक कुएं पर बसोर पानी भरते थे और उन्हों ने, चमारों ने, बसोरों को

[श्रीमती सहोदरा बाई]

पानी भरने से रोका जिस के फलस्वरूप झगड़ा हो गया और फ़ौजदारी मुकद्दमा चल रहा है। इस तरह हरिजनों में ही हरिजनों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। जब हरिजन हरिजन को नहीं चाहता है तो दूसरे कैसे चाह सकते हैं। मैं आप से भी प्रार्थना करती हूं कि आप भी हमारे क्षेत्रों में जायें, वहां पर माताओं और बहिनों की तकलीफों को देखें और उन तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करें। आपको चाहिए कि आप सही सही रिपोर्ट दें। हम आज पांच-पांच साल तक नहीं जाते हैं। सैशन खत्म हो जाएगा और हम अपने घरों में चलेजायेंगे और गप्पें उड़ाते रहेंगे। इस तरह से कस काम चल सकता है। बहुत से भाई इस सदन में बोल चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग जायें, हरिजनों का सम्मेलन करें और भंगी मेहतर आदि जितने हरिजन हैं उन के साथ मिल कर बात करे और उन के साथ पानी आदि पियें तो बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। इसके लिए हम तो क्षत्रियों, ब्राह्मणों आदि पर दोषारोपण करते हैं और सारा कसूर उनके मत्थे जड़ते हैं, वह उचित नहीं है बल्कि हमें खुद भी अपने सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारे बड़े लोग तो आप ही सुधार करते हैं। हमारे पंत जी ने सुधार ।कया और सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे पूज्य बापू जी ने हरिजन उद्धार के लिए कितना श्रम किया और उसके लिये उन्होंने कितना प्रयत्न किया। हरिजन उद्धार उनके जीवन का एक महान् व्रत था। हमारे ब्राह्मण भाइयों ने छुआछूत की कुप्रथा मिटाने के हेतु हमारे हरिजन भाइयों के साथ बैठ कर पानी पिया और उन के साथ भोजन तक किया लेकिन मेरा कहना है कि इतने ही से यह काम नहीं होने वाला है बल्कि हरिजनों को स्वयं इस सुधार के काम को करना होगा और जहां पर तक़लीफ़ हो वहां जाकर उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन अभाग्यवश हम देखते हैं कि तकलीफ और दुःख को मिटाने और कठिनाई जहां हो उसको सुलझाने के बजाय उलटा उसको उलझा देते हैं और इस कारण झगड़े और दूसरे टंटे खड़े हो जाते हैं।

अब चूंकि मेरा समय खत्म हो गया है इसलिए मैं और अधिक न कहती हुई उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यबाद देती हूं कि आपने मुझे अपने कुछ विचार प्रकट करने का अवसर दिया। भाषण के दौरान में जो कुछ मुझ से भूल चूक हो गई हो उसको क्षमा किया जाय।

†**श्री माने** (बम्बई नगर–मध्य–रक्षित–अनुसूचित-जातियां) : राज्य सभा में पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने गृह-कार्य मंत्रालय को स्मरण दिलाया था कि यह प्रतिवेदन करोड़ों के भाग्य से सम्बंधित है, और इस लिये इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। लेकिन, गृह-कार्य मंत्रालय आयुक्त के सुझावों और उसकी शिफारिशों पर गम्भीरता से विचार तक नहीं किया है।

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री ने तो कहा कि केन्द्रीय सरकार का काम इस सम्बंध में केवल अनुदान मंजूर करना ही है, और वे इस सम्बंध में की जाने वाली आलोचनाओं के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हैं।

में उनसे पूछता हूं कि आयुक्त द्वारा दोनों प्रतिवेदनों में दिये गये ४५० से अधिक सुझावों म से कितनों को कार्यान्वित किया गया है? केवल कुछ को ही। अधिकांश सुझावों को गृह-कार्य मंत्रालय ने अन्य मंत्रालायों के पास भेज दिया है।

श्री दातार ने कहा था कि वे तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि सुझावों को राज्यों के पास भेज दें। वे अपने संविहित दायित्वों को भूल गये हैं। संविधान में इस आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था करने वाले उपबन्ध—अनुच्छेद ३३८—का यही मंशा था कि सम्बन्धित मंत्रालय ईमानदारी से इस आयुक्त

†मूल अंग्रेजी में

के प्रतिवेदनों के सुझावों और सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगा। लेकिन, अभी तक यह नहीं किया गया है।

कांग्रेस संस्था के भी इस सम्बन्ध में अपने दायित्व हैं। गांधी जी ने १९३२ में, डा० अम्बेडकर के पृथक् निर्वाचक-मंडल की मांग के सम्बन्ध में आमरण अनशन करने के समय, आश्वासन दिया था कि अस्पृश्यता को दस वर्षों में दूर कर दिया जायेगा। तभी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी।

लेकिन, आज पच्चीस वर्षों के बाद भी अस्पृश्यता का निवारण तो क्या, हरिजनों की स्थिति में कोई सुधार तक नहीं हुआ है। अब भी राज्यों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार होते रहते हैं।

बम्बई राज्य में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जबकि अनुसूचित जातियों की बस्तियों पर संगठित हमलों के समाचार न छपते हों। बम्बई के मुख्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि पुलिस इन मामलों के बारे में बड़ा शर्मनाक रुख अपनाती है।

मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार के समूचे सचिवालय में अस्पृश्यता का भेद-भाव किया जाता है। उदाहरण के तौर पर गृह-कार्य मंत्रालय की ही बात लीजिये। १९४८ में अनुसूचित जातियों से लगभग ३०० कर्मचारी भर्ती किये गये थे और उनकी सेवा को स्थायी भी बना दिया गया था। उस समय के नियम के अनुसार उनकी पदोन्नति हो सकती थी। लेकिन, १९५२ में फिर एक आदेश निकाल दिया गया कि पदोन्नति के लिये अर्द्ध-स्थायी सेवा वालों को भी उपयुक्त समझा जायेगा। इससे उनकी पदोन्नति रुक गई है। वह आदेश इसीलिये जारी किया गया था कि अनुसूचित जातियों के लोग ऊंचे पदों पर न पहुंच सकें।

रामनाथपुरम् के दंगों में अनुसूचित जातियों के लोगों की बड़ी क्रूरता से हत्यायें की गई थीं। लेकिन, हमारे प्रधान मन्त्री को मद्रास तक जाने का समय नहीं मिल सका, हालांकि ब्राह्मणों की रक्षा के लिये वे मद्रास दौड़े गये थे।

वहां अनुसूचित जातियों के लोगों को जलती आग में झोंका गया था। गृह-कार्य मंत्रालय ने उन दंगों का जो सारांश बताया है, उसमें भी वे बातें नहीं बताई गई हैं जो हम पूछना चाहते थे। विरोधी-दल के कुछ सदस्यों ने सूचना मांगी थी रामनाथपुरम् के दंगे में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति मरे थे।

†**श्री संगण्णा** (कोरापट-रक्षित-अनुसूचित–आदिम जातियां): प्रारम्भ में मैं अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रतिवेदन को बनाने में इतना कष्ट उठाया। इस प्रतिवेदन को देखने पर मुझे पता लगा है कि उन्होंने इसे लिखने के लिए राज्य सरकारों का परामर्श लिया है। मेरे विचार से उन्हें स्वयं आदिम जाति क्षेत्रों में जाकर तथ्य तथा आंकड़े इकट्ठे करने चाहियें थे परन्तु वह जहां कहीं भी गए अपने साथ राज्य के मंत्री अथवा किसी पदाधिकारी को ले गए जिससे केवल उन्हीं स्थानों को देख पाये जिनका विकास हो चुका था। इसीलिये मैं समझता हूं कि यह प्रतिवेदन हमारे सामने पूरा चित्र उपस्थित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त दौरे की समाप्ति के पश्चात् आयुक्त को सम्वाददाता सम्मेलन में दौरे के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं जिसके कारण उन्हें सही बात कहने में कुछ असुविधा सी होती है इसी कारण वह सही बात नहीं कह पाये। मेरा अनुरोध है कि भविष्य में आयुक्त दौरा करने के पश्चात् सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री संगण्णा]

अनुसूचित जाति आयुक्त ने उड़ीसा के देश को सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बताया है परन्तु एक महत्वपूर्ण सिफारिश में वह उड़ीसा को भूल गए हैं । भुवनेश्वर में हथकरघा उद्योग का उद्घाटन करते हुए ग्राम्योद्योग आयोग के प्रधान ने कहा था कि भारत में हथकरघा उद्योग में लगे व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है । और ग्रामदान गांवों में भी लोगों की आर्थिक दशा नहीं सुधरी है । आयुक्त ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि उड़ीसा राज्य में साक्षरता नहीं बढ़ी है परन्तु उन्होंने इसके सम्बन्ध में कोई उपाय नहीं बताये हैं । मेरा विचार है कि जब तक जनता का शिक्षा स्तर नहीं बढ़ाया जायेगा कोई भी योजना सफल नहीं होगी । विकेन्द्रीकरण योजना के अधीन ग्राम पंचायतें तथा स्थानीय बोर्ड बनाये गये । परन्तु इनके बहुत से आदिवासी सदस्य होने पर भी, इनको कोई उत्तरदायित्व नहीं दिए गए हैं । मेरा अनुरोध है कि सरकार को आदिवासियों के बच्चों आदि को शिक्षा के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये और इन स्थानीय बोर्डों के आदिवासी सदस्यों को जिमेदारियां देनी चाहियें । जिसमें यह काम में दिलचस्पी ले सकें । उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने भी कोटापट में अखिल भारतीय आदिम जाति सम्मेलन के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बताया था कि जिस प्रकार की शिक्षा आज दी जाती है वह उपयुक्त नहीं है । इसलिए हमें उड़ीसा के स्कूलों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आदिम जाति के लोगों के बच्चे प्रशासन में स्थान पा सकें ।

आदिम जाति क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें नहीं हैं जिसके कारण भूमि उपजाऊ होने पर भी यहां उत्तम प्रकार की खेती नहीं हो सकती है । आयुक्त ने बताया है कि कोरापट के गहनतम क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जाति के लोग नंगे रहते हैं। वह नंगे इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहां तक पहुंच कर उनका विकास करने का प्रयत्न नहीं किया गया है । इसलिये हमें संचार की व्यवस्था सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके । हमें इन्द्रावती, कोलाब, वंशधारा, सिलेरू, सबेरी, जान्जाबती तथा बगरा नदियों से सिंचाई योजनायें बनानी चाहिएं । ये सभी नदियां, आदिम जाति क्षेत्रों में हैं ।

अन्त में, मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह आदिवासियों की समस्या पूर्णतः समझ सकें और आदिवासी उनमें अपना पूरा पूरा विश्वास रख सकें ।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित—आदिम जातियां) : जो विषय प्रस्तुत है वह केवल अनुसूचित जाति अथवा आदिम जातिका ही प्रश्न नहीं है अपितु यह समस्त राष्ट्र का प्रश्न है और इसीलिए राष्ट्रपिता चाहते थे कि संविधान में इनके बारे में विशेष उपबन्ध रखा जाये । उस समय इनके विकास के लिए दस वर्ष का समय रखा गया था जो अब समाप्त होने जा रहा है । हमें अब यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इनका कितना विकास हुआ है । मैं गृह-उपमंत्री से सहमत हूं कि यह समस्या धन की ही नहीं है, हमें इन जातियों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए था । इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि उनको इन वर्षों में कितना शिक्षित किया गया है । हमें इसी का खेद है कि आयुक्त ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है ।

आयुक्त द्वारा दस लाख, सन्थाल, गौड, तथा उशन आदिवासियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि यह जातियां संविधान में नहीं दी गई हैं ।हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम की जनसंख्या इस समय ९० लाख है जिनमें से ३३ लाख अर्थात् एक तिहाई जनसंख्या अनुसूचित जाति अथवा आदिम जाति की है। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में हमारा उसी अनुपात में रक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें संविधान में संशोधन कर देना चाहिए जिससे आसाम में रहने वाली आदिम जातियों की जनता का भी रक्षण किया जा सके।

अन्त में, मैं यह बताना चाहता हूं कि आसाम के आदिम जाति के लोग अन्य सब प्रकार से पिछड़े होने पर भी भारत की जनता से अधिक शिक्षित हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विकास किया जाना चाहिए।

†**श्री अय्याकण्णु** (नागपट्टिनम्-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने बहुत प्रगति की है परन्तु जहां तक सामाजिक विकास का सम्बन्ध है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने पर्याप्त सफलता नहीं पाई है। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं परन्तु इन कठि-नाइयों को हमें दूर करना है।

बड़े बड़े नगरों में अछूतों को कुछ स्वतन्त्रतायें मिली है परन्तु गांवों की हालत वैसी ही है। हमारे देश की अधिकांश अर्थात् ८० प्रतिशत जनता अब भी यही समझती है कि अछूतों के साथ सम्बन्ध बना कर वह धर्मभ्रष्ट हो जायेंगे इसलिये हमें ऐसे कार्य करने चाहियें जिससे इस प्रकार की विचारधारा समाप्त हो जाये। यदि कोई मुझे बताये कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है तो मैं कहूंगा कि यह लोकतन्त्र के विरुद्ध है तथा उसको लागू करना असम्भव है। क्या इससे देश की भावना में कोई अन्तर पड़ा है; मनोवृत्ति बदल गई है। मेरा विचार है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तथा अस्पृश्यता का प्रचार भी पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है। मैंने कुछ सुझाव गृह-मंत्रालय को भेजे थे परन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

यह ठीक है कि जिन लोगों ने शिक्षा आदि के सम्बन्ध में प्रगति कर ली है उनकी स्थिति अच्छी हो गई है परन्तु शेष अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति वैसी ही है आयुक्त ने इस बारे में सुझाव दिया कि एक संस्था ऐसी बनाई जानी चाहिये जो इस पर पूरा पूरा ध्यान रखे। मैं भी चाहता हूं कि स्वायत्तशासी संस्था बनाई जानी चाहिए।

कुछ छात्रवृत्तियां दी जाती हैं परन्तु वह भी गरीब विद्यार्थियों को नहीं दी जाकर अमीर विद्यार्थियों को दी जाती हैं। इनको वाणिज्य तथा व्यापार की सुविधायें भी नहीं दी गई हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे गृह-मंत्री इस ओर ध्यान देंगे जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके।

आयुक्त ने यह ठीक सिफारिश की है कि राज्य सेवा आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए। केन्द्र में ऐसा कर लिया गया है परन्तु और कहीं ऐसा नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि १९५८ में प्रधान मंत्री कुछ गवर्नर तथा राजदूत इस जाति के भी नियुक्त करेंगे। अन्त में मैं गृह मंत्री श्री दातार तथा उपमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि वह इन अभागे लोगों के प्रति इतने दयालु हैं।

श्री शंकर देव (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले शैडयूल्ट कास्ट कमिश्नर को जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं गवर्नमैंट को यह सजैशन देना चाहता हूं कि हम को यह समझना चाहिए कि अनटचेबिलिटी की जो समस्या है वह सिर्फ हरिजनों की समस्या ही नहीं है बल्कि इसको हमें एक नेशनल प्राब्लम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शंकर देव]

समझना चाहिए । इसकी जो रूट्स हैं वे जितनी भी हमारी जातियों हैं उनके अन्दर हैं । जब तक उन तमाम जातियों के भेदभाव को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक यह अनटचेबिलिटी की समस्या खत्म नहीं हो सकेगी । इसी का यह परिणाम है कि आज पंजाब के अन्दर सिखों और हिन्दुओं के अन्दर झगड़ा है । इधर राम स्वामी नायकर की जो संस्था द्रविड़ कड़घम है, वह भी इसलिए कम्युनल काम कर रही है । रामनाथपुरम में जो दंगे हुए हैं, वे भी इसी कारण हुए हैं । हमने यह समझा था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बन जाने के बाद अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी । लेकिन देखने में आया है कि जातपात वैसे ही चल रही है । जब तक हम उसके रूटस में न जाएं और रूट्स को ही न खत्म करें तब तक यह खत्म होने वाली नहीं है ।

सब से पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि रूट्स कहां पर है । रूट्स सिर्फ हरिजनों के अन्दर ही नहीं है बल्कि तमाम जातियों के अन्दर हैं । आज हम क्या करते हैं ? आज जितनी भी ऊंची जाति के लोग हैं वे अपने नामों के साथ अय्यंगार लगा देते हैं । दास लगा देते हैं । गुप्ता लगा देते हैं, शर्मा, वर्मा इत्यादि लगा देते हैं । यह तमाम चीज जातपांत की चीज़ है । जब तक यह चीज़ खत्म न होगी तब तक जातपांत और अनटचेबिलटी की जो भावना है वह खत्म नहीं हो सकती है, यह मेरी फर्म ओपीनियन है ।

शैड्यूल्ड कास्ट की जो समस्या है, यह एक छूआछूत की समस्या है, ऐसा हमने समझ लिया है । गांधी जी ने छुआछत को हिन्दुस्तान में से खत्म करने के लिये हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो छुआछत की भावना है यह क्या हजिरनों में ही है ? नहीं । छुआछत की अगर भावना है तो वह नान-हरिजन्स के अन्दर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यदि, इन लोगों के दिलों के अन्दर है । असल में देखा जाय तो छुआछत के मिटाने के लिये हरिजनों की सेवा करने की जरूरत नहीं बल्कि ब्राह्मणों आदि उच्च वर्गों के जो लोग हैं,उनकी सेवा करने की जरूरत है । इसलिए मैं यह कहता हूं कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना नहीं होनी चाहिये थी बल्कि ब्राह्मणों आदि की सेवा करने के लिए किसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिये थी ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि ऊंची जातियों के अन्दर हरिजनों के प्रति जो एक उपेक्षा की भावना है वह उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि हजिरनों की आर्थिक अवस्था को दुरुस्त न किया जाय और उनकी सोशल और एकोनामिक कंडिशंस को बेहतर न बनाया जाय ।

छुआछत और अस्पृश्यता को हटाने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेज़ की बात चलाई जाती है । यह ठीक है कि इस तरह से इसको हटाने में बहुत मदद मिलेगी और यह तरीका अपनाया जाना चाहिए लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेज़ के बारे में मेरा कहना है कि वह केवल "वन वे ट्रैफिक" बन कर न रह जायं जैसा कि हमारे देखने में आता है ।

असल में देखा जाय तो हरिजनों की मुख्य समस्या उनकी आर्थिक दुरावस्था है और हमको इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित करके उसमें सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मैंने जैसे पहले भी कहा है मैं चाहता हूं कि यह जातपांत की सूचक जितनी भी चीजें आज हमारे बीच में विद्यमान हैं, उन सबको खत्म कर देना चाहिए । इस दृष्टि से मैं कुछ एक प्रैक्टिकल सजैशंस देना चाहता हूं । मेरा पहला प्रैक्टिकल सुझाव तो यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स और दूसरी जितनी भी प्राइवेट या सेमी-गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनमें जितनी भी नौकरियों

के लिए उम्मीदवार आते हैं, उनमें यह देखना चाहिए कहीं किसी उम्मीदवार के नाम के सामने कोई ऐसी जातपांत बताने वाली चीज़ तो नहीं है और अगर हो तो उस उम्मीदवार को इस बेसिस पर रेक्रूट नहीं करना चाहिए कि चूंकि तुम जातपांत म विश्वास रखते हो इसलिये हम तुमको नौकरी में भर्ती नहीं करेंगे, इस तरीक़े को गवर्नमेंट आफ इंडिया एक सर्कुलर ईश्यू कर सकती है और मैं समझता हूं कि इस तरह वह बहुत आसानी से इस काम को कर सकती है। इसके अतिरिक्त में तो कहूंगा कि गवर्नमेंट के कंट्रैक्ट्स होते हैं और चूंकि यह एक नेशनल प्राबलम है इसलिये इसको कामयाबी के साथ टैक्लि करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वह हर जगह पर और गवर्नमेंट के कंट्रैक्ट्स में जहां भी उनको इस तरह की कोई जातपांत सूचक चीज़ नज़र आये, वे उसको ख़त्म कर दें। अगर कोई शख्स अपने नाम के पीछे कोई इस तरह की जातपांत सूचक चीज़ लगाता है तो उसको कहीं पर भी सरकार को रखना नहीं चाहिए और उसको रिजैक्ट कर देना चाहिए। यह मेरा एक प्रैक्टिकल सजैश्शन है और मैं समझता हूं कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स अपने यहां इम्पलीमेंट कर सकती हैं।

द्रविड़ कज़ागम नेता श्री रामास्वामी नायकर का जो प्वाइंट आफ़ व्यू है वह तो ठीक है लेकिन उसको करने के लिए उन्होंने जो हिंसा करने को उकसाया है, वह ठीक नहीं है और हम हिंसा का मार्ग अपनाने से सहमत नहीं हैं। वाएलेंस का इस काम को करने के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए लेकिन उनका जो प्वाइंट है वह ठीक है और हम उससे सहमत हैं कि ब्राह्मणां का काफ़ी क्लब अलग तौर पर चलता रहे तो यह जातपांत का सिलसिला कैसे खत्म हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया इसको कर सकती है कि जो अलहिदा तौर पर ब्राह्मणों के लिए केवल काफ़ी क्लब चलाता है उसको इस तरह का होटल चलाने का लाइसेंस न दे। इसी तरह मैं तो कहूंगा कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के अन्दर अथवा पार्लियामेंट के अन्दर जहां कहीं भी अगर कोई इस तरह की एक भेदभाव बर्तने वाली और जातिपांत सूचक चीजें लिखता है तो उसको वहां पर आने का मौक़ा नहीं देना चाहिए और उसको इसी बिना पर डिस्क्वालिफ़ाइड क़रार देना चाहिए और उसके लिए एलेक्शन कमिशन के रूल्ज़ अमेंड कर दिये जाने चाहियें।

यह मैंने कई एक प्रैक्टिकल सुझाव दिये हैं और मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह इम्प्रैक्टिकेबुल भी नहीं है। लेकिन यह सब होते हुए भी मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक बेटी का सम्बन्ध न हो तब तक यह जातपांत की समस्या पूरी तौर पर हल नहीं हो सकेगी। इसलिए इस दिशा में हमारी केन्द्रीय सरकार और तमाम प्रान्तीय सरकारों को एक बहुत ही क्रान्तिकारी ढंग को अपनाते हुए अपने वहां पर इंटरकास्ट मैरिजेज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको करवाना चाहिए ताकि जातपांत के बंधनों को तोड़ कर लोग विवाह करने लगें। महात्मा गांधी ने भी इंटरकास्ट मैरिजेज़ के लिए प्रचार किया और उनको करवाया लेकिन उनमें हमने यही देखा कि जितनी भी अच्छी अच्छी हरिजनों की लड़कियां थीं उनको ब्याह कर नान-हरिजन लड़के ले गये। मैं चाहता हूं कि यह इंटरकास्ट मैरिजेज़ सिर्फ वन वे ट्रैफिक बन कर ही न रह जाये जैसा कि अब तक होता आया है। यह समस्या तब तक ठीक प्रकार से हल नहीं होगी जब तक कि हरिजन लड़कों के साथ उच्च वर्ण के हिन्दुओं की लड़कियां शादी में नहीं दी जातीं। यह चीज़ करना कोई मुश्किल नहीं है और सरकार अगर चाहे तो इसको कर सकती है। गवर्नमेंट इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन अपने तमाम आला अफ़सरों मसलन् तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, डाइरेक्टर्स और सेक्रेटरीज़ के नाम ईश्यू कर सकती है कि जिन अफ़सरों के लड़कियां हों, वे उनकी शादियां अपने नौकरों में कर दें और जो अफ़सर एक हरिजन और शेडयूल्ड कास्ट के मलाज़िम

---

†मल अंग्रेजी में

[श्री शंकर देव]

को शादी में अपनी लड़की दे उस को प्रमोशन देना चाहिए। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया यह चीज़ अगर चाहे तो कर सकती है कि बड़े बड़े ऊंची जाति के अफ़सरान अपनी लड़कियों की शादियां हरिजनों, शेडयूल्ड ट्राइब्स, धोबियों और नाइयों के लड़कों के साथ करें क्योंकि ऐसा किये बगैर यह नेशनल प्राब्लम हल नहीं हो पायेगी। अगर विलेज आफ़िसर्स और पटवारी वग़ैरह अफ़सरान अपनी लड़कियों की शादियां हरिजनों में करेंगे तो कुदरती तौर पर उनकी सिम्पैथी हरिजनों के साथ हो जायगी और रक्त का सम्बन्ध स्थापित हो जाने से वे कुछ भी भेदभाव नहीं कर पायेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट सर्विसिज़ में आप ऐसा अहक़ाम जारी कर सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स बैचलर्स हैं वे इंटरकास्ट मैरिजेज़ करें। डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और मैं यह सुझाव उनकी सेवा में रखना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है.........

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी बात माननीय सदस्य ने पहले कह दी, अब उसे खत्म करना चाहिए।

श्री शंकर देव : मैं एक ही बात और कह कर खत्म किये देता हूं। दिल्ली शहर के अन्दर जितने भंगी काम करते हैं और चमार वगैरह काम करते हैं, म्यूनिसपैल्टी में जितने भंगी काम करते हैं जैसे अगर वहां म्यूनिसिपल लिमिट्स में १०० भंगी काम करते हैं तो मेरा एक बिलकुल प्रैक्टिकल सुझाव यह है कि वहां पर ५ परसेंट जगहें ब्राह्मणों को दी जायें और वे वहां पर काम करने के लिए बुलाये जायें और उसके बदले दूसरी जगहों पर दफ्तरों आदि में जहां पर चपड़ासी काम करते हैं, वहां पर उसी अनुपात से भंगियों को रक्खा जाये और अगर ऐसा किया जायगा तो यह जो भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच की जो बीमारी है वह बहुत हद तक मिट जायगी...

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त कर अपना आसन ग्रहण करना चाहिए।

श्री शंकर देव : इसी तरह यह जो शूमेकिंग का धन्धा है इसमें अकेले मोची ही न लगे रहें जैसे कि आज लगे हुए हैं बल्कि ब्राह्मण शूमेकर्स कोआपरेटिव सोसाइटी को यह धंधा दे देना चाहिए।

अब मैं और अधिक न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रैक्टिकल सजैश्शंस अपनी स्पीच के दौरान दिये हैं, मंत्री महोदय उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उनके बारे में जवाब देंगे और अगर वे ऐसा नहीं समझते हैं कि यह प्रैक्टिकेबुल है तो मुझे बतलायेंगे कि वे किस तरीक़े से प्रैक्टिकेबुल नहीं है और अगर मैं सैटिसफ़ाई नहीं हुआ तो, मैं ज़रूर आबजैक्शन रेज़ करूंगा।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : तभी तो वहां मिनिस्ट्री से निकाले गये।

****श्री क० वी० पादलू** (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : यद्यपि भारत सरकार अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पर्याप्त कार्य कर रही है परन्तु आन्ध्र प्रदेश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी बहुत उपेक्षा की जाती है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह है कि योजनाओं को बनाते समय राज्य सरकारों तथा केन्द्र को कम समय लगाना चाहिये। मेरे विचार से वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च से हटा कर जुलाई से जून कर देना चाहिये क्योंकि जुलाई से वर्ष प्रारंभ होने पर लोग योजनाओं पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

**मूल तेलगू में; अंग्रेजी से अनुवादित।

आदिम जाति क्षेत्रों में ऐसे पदाधिकारी नियुक्त किये जाने चाहियें जो इनकी समस्याओं को समझ सकते हों। आयुक्त को कुछ प्रशासनिक अधिकार भी दिये जाने चाहियें। केवल परामर्शदाता के रूप में उसको नहीं रखा जाना चाहिये। आयुक्त के प्रतिवेदन पर संसद् में प्रति वर्ष चर्चा होनी चाहिये।

प्रतिवेदन में दिया है कि प्रति १००० लोगों में १५ शिक्षित हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि शिक्षा के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये जिससे अधिक स्कूल खोले जा सकें।

आयुक्त की सिफारिश के अनुसार चिंतापल्ली में कृषि फार्म प्रारम्भ कर देना चाहिये। आदिम जातियों के लोगों को भूमि दी जानी चाहिये। १६१७ के अधिनियम के अनुसार आदिम जाति के लोगों की भूमि अन्य लोग नहीं ग्रहण कर सकते थे परन्तु अब ऐसा किया गया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो इस भूमि को वापस दिला दें।

सहकारी समितियों में गैर आदिम जाति के लोगों की संख्या बढ़ जाने के कारण ६५,००० रुपये की हानि हुई है। इसलिये इनको इनमें से निकाल देना चाहिये। आदिम जाति क्षेत्रों में चिकित्सक नियुक्त करने चाहियें जो परमार्थ के आधार पर सेवा करें। इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था भी बढ़ाई जानी चाहिये।

श्री धनगर (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस समस्या पर बोलते हुए सब से पहली चीज जो मुझे कहनी है वह यह है कि अभी तक इस समस्या की जो महत्ता है उसको, जैसी कि मैं समझ रहा हूं, न तो हमारी उपमंत्रिणी जी ने, जिन्होंने अपनी आरम्भ की स्पीच दी है, और न हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने आदि रूप से समझा है। मैं जहा तक इसको समझ सका हूं, हमारे माननीय सदस्य श्री शंकर राव जी ने इस समस्या पर कुछ आदि से प्रकाशन किया है। यह समस्या हमारे देश के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या को अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से हमारी उपमंत्रिणी जी ने प्रतिपादित किया है, तो उसमें उन्होंने इस समस्या की मुख्य बातों को उठाया। उन्होंने इस समस्या को सामाजिक और आर्थिक मिश्रित बताया। सोशियो एकानमिक समस्या है। सुलझाव के लिये उन्होंने कहा कि यह सरकारी तौर की अपेक्षा हृदय परिवर्तन और जनता के सहयोग में निहित है जिसका अन्तिम गोल अस्पृश्यता निवारण है जैसा कि राष्ट्र पिता गांधी जी द्वारा बतलाया गया है। सरकारी तौर पर, उन्होंने बतलाया, प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस को सुलझाने के लिये ३६ करोड़ रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये ५१ करोड़ की रकम प्रस्तावित है जिसको कि वह गृह उद्योग, मकानों की समस्या हल करने, खेती, शिक्षा, वजीफे, कानूनी मदद, अस्पृश्यता को गैर कानूनी करार दे कर तथा १६५५ से दस्तन्दाजी पुलिस कानून बना कर, नौकरियां इत्यादि दे कर, हल किया जायेगा। साथ ही साथ हरिजन और आदिवासी लोगों के साथ उन्होंने अन्य पिछड़ी हुई जातियों पर भी कुछ नजरे इनायत अता फरमाई। कुछ रहे बचे सुधार सेकुलर स्टेट होने के कारण पब्लिक सेक्टर के सुपुर्द करके तथा इन अभागे लोगों के विषय में सरपच्ची और सरखपाई करने वाले सदस्यों पर डाल कर राष्ट्र की अन्य उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिये हमारी उपमंत्रिणी प्रकोष्ठागामी हुई।

इसके अलावा हमारे माननीय सदस्यों ने इस विषय में जो जिक्र किये हैं उसमें भी ज्यादातर सरकार की उपेक्षापूर्ण, अल्हड़ और सौतेली नीति पर प्रकाश डालते हुए अपनी सरकार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री धनगर]

की कड़ी और मीठी दोनों ही प्रकार की आलोचनायें की हैं। किसी ने ब्रिटिश हुकूमत के न्याय की दुहाई दी तो कुछ ने कांग्रेस सरकार की रस्सी बटाई की। कुछ समस्या का सत्य रूप, रिअलिस्ट शक्ल को ले कर आये तो कुछ गिड़गिड़ाये, और कभी कभी बड़बड़ाये भी खूब। कुछ ने समय की कमी के कारण गागर में सागर भरने की चेष्टा की। लेकिन अपने राम की समझ में तो यह समस्या ज्यों की त्यों मौजूद है। इस समस्या का असली रूप.....

उपाध्यक्ष म ोदय : माननीय सदस्य किसी किसी वक्त नजर ऊपर उठाते तो हैं, लेकिन इसमें तो इजाजत दे दी गई है और वह रिटेन (लिखित) भी दे सकते हैं। वह शामिल हो जायेगी, मैं किसी दूसरे मेम्बर को बुला दूं। अगर लिखी हुई स्पीच ही देनी है तो दे दीजिये, वैसे ही चली जायेगी।

श्री धनगर : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से संकेत करूंगा कि वास्तव में मुझे इस स्पीच के तैयार करने में काफी समय लगा और मैंने इस को बहुत ज्यादा तैयार किया, लेकिन क्या करूं, मुझे शायद दस मिनट का ही समय मिलेगा, इसलिये कहीं कहीं समय की कमी के कारण मुझे विषयान्तरित हो जाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

श्री धनगर : खैर, यह आप की मर्जी है, इस के लिये मैं आप को क्या कहूं।

वास्तविक समस्या जो हमारे देश में है, वह इस तरह पर नहीं है। जो असली समस्या है, वह केवल हरिजनों की समस्या नहीं है, यह समस्या हमारे देश की गुलामी से सम्बन्ध रखती है। हमारे देश को ७०० वर्षों तक गुलामी की हालत में रहना पड़ा। आप देखेंगे कि यह वास्तविक रूप में जातिवाद की समस्या है। जातिवाद के साथ में एक और जटिलता आई है जिस में कि शोशण शामिल है। एक जाति क्रम से दूसरी जाति का शोषण कर रही है। क्रमवद्ध होने के कारण इस में बड़ी जटिलता है। और यहां पर जो इसका सुलझाव है वह शायद इसको छ तक नहीं पाया है। इससे बहुत सी हानियां पेश आयीं। इसी कारण हम पहली दफा पठानों द्वारा गुलाम बनाये गये। पठान केवल १२ हजार की तादाद में इस मुल्क के अन्दर आये थे। १२ हजार पठानों ने करोड़ों हिन्दुओं को पामाल किया और उनके देश में ही उनके ऊपर हुकूमत की। यह कोई चांस की बात नहीं थी। उन्होंने बारह पीढ़ी तक राज्य किया और इसके बाद जो गलती हिन्दुओं ने की थी वही पठानों ने भी की। पठानों की कामयाबी का एक ही कारण था। वह कहते थे कि अल्लाह एक है और सारे इन्सान खुदा के बन्दे हैं और खुदा के बन्दों में कोई छोटा बड़ा नहीं है और न कोई अछूत है। यह कुरान शरीफ की शिक्षा सारे संसार के लिये जिन्दा रहेगी। यह सबक लेकर इस्लाम हिन्दुस्तान में दाखिल हुआ। हिन्दुस्तान में अनेकों जातियां थीं जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अहीर, गडरिया, काछी, लोधे, नाई, कहार, तेली, तमोली, दरजी, भड़भूजे, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, चमार, कोरी, धानुक आदि आदि और फिर इन जातियों में भी अनेक उपजातियां हैं जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में ७०० पेरी के ब्राह्मण हैं। ये लोग दूसरों का शोषण करने के लिये और दूसरों से दहेज लेने के लिये एक दूसरे को नीचा और छोटा कहते हैं। ठाकुरों में भी उत्तर प्रदेश में सवा ११ सौ पेरी के ठाकुर हैं। इन जातियों और उपजातियों के कारण हमारी

†मूल अंग्रेजी में

बड़ी बड़ी योजनायें विफल हुईं। हल्दी घाटी की लड़ाई में जो विफलता मिली उसका मुख्य कारण यह था कि क्षत्रिय भी संगठित नहीं हो सके।

इस बुराई को दूर करने के भी अनेक उपाय समय समय पर देश में हुए। आप देखेंगे कि सबसे पहले जिसने इस बुराई का निराकरण करने का बीड़ा उठाया वह बुद्ध जी थे। उन्होंने सबसे पहले इस विषय को लिया। लेकिन आप जानते हैं कि बुद्ध के बाद शंकराचार्य ने फिर ऐसा जादू फेरा कि यहां पर सब ज्यों का त्यों हो गया। उसके बाद भी कुछ प्रयत्न हुए। गुरु नानक ने भी वही चीज़ की, कबीर दास ने वही चीज़ की, स्वामी दयानन्द ने कुछ थोड़ा सा इस चीज़ को उठाया और उसके बाद सभी प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको लिया। परन्तु यह समस्या अपनी जगह पर अभी तक क्यों बनी रही? इसका कारण यह है कि जो लोग इसका काम करते थे उनमें से किसी को संकीर्ण बतला दिया गया, किसी के लिये कह दिया गया कि यह तो प्रान्तीय सवाल है। इस तरह से यह सवाल हल नहीं हो सकता।

तो मैं पठान की बात कह रहा था। जो गलती हिन्दू ने की वही गलती आगे चल कर पठान ने की। पर कुदरत किसी की मदद नहीं करती। वही हालत पठानों की हुई जो कि हिन्दुओं की हुई थी। पठान यहां पर मसावात का सबक ले कर आया था, वह कहता था कि अल्लाह एक है और सारे इन्सान खुदा के बन्दे हैं। लेकिन जब वह बहुत समय तक हिन्दुओं के बीच में रहा तो उसने भी वही गलती की और उसका भी यह नतीजा निकला कि उसकी भी हुकूमत इस देश से चली गयी। इसके बाद मुगलों का राज्य आया और उन्होंने दस पीढ़ी राज्य किया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश के देशी राजाओं और नवाबों की जो संस्कृति बनी थी उसको बरबाद किया। लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। यह एक्सप्रेसिव रूप में तब सामने आयी जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको लिया। तब इस विषय में वायदा किया गया और उसी के लिये पूना पैक्ट हुआ जिसमें कहा गया था कि स्वराज्य हो जाने के बाद इस हरिजन की समस्या को पूर्ण रूप से हल किया जायेगा। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि वह समस्या अभी भी जहां की तहां ही लगी हुई है। मैं तो कहता हूं कि यह जो अछूतोद्धार का ढोंग रचा जा रहा है इससे कुछ नहीं हो सकता। चाहे जो रिपोर्ट आयी है इससे दस गुनी वाल्यूम की रिपोर्ट भी आप लायें लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। यह तो असली विषय का विषयान्तर करना है। रुपये से भी यह चीज़ नहीं जा सकती। यह चीज़ तो राष्ट्रीय चीज़ है बल्कि एक हिसाब से यह अन्तर्राष्ट्रीय चीज़ है। जब तक इसके लिये सारा वातावरण अनुकूल नहीं बनाया जायेगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस रूप से मैं कहना चाहता था वैसा मैं नहीं कर सका। इसलिये जो मेरे आखिरी सुझाव इस विषय में हैं उनको मैं रखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मुझे इसकी इजाजत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इनको एक मिनट में खत्म कर दें इससे ज्यादा समय न लें।

श्री धनगर : इस सम्बन्ध में जो मेरे सुझाव हैं वे इस रूप से हैं :—

सबसे पहले तो सरकार कैटेगारीकली यह निश्चित कर दे कि सरकारी और दूसरे लाभ के पदों पर उनको ही रखा जायेगा जो कि अन्तर्जातीय विवाह करें। इस में प्राथमिकता इस क्रम से दी जायेगी जो कि सबसे अधिक प्राथमिकता उसको दी जाये जो मेहतर और ब्राह्मण की शादी हो, दूसरी प्राथमिकता उसको दी जाये जहां मेहतर और क्षत्रिय की शादी हो, तीसरी चमार और ब्राह्मण की शादी को, चौथी मेहतर और वैश्य की शादी को, पांचवीं मुसलिम और

[श्री धनगर]

हिन्दू की शादी को, छठी ईसाई और हिन्दू की शादी को, सातवीं क्षत्री और ब्राह्मण की शादी को, आठवीं मुसलिम और ईसाई की शादी को दी जाये । इस प्रकार आप और भी बहुत सी केटेगरीज़ बना सकते हैं ।

इसके अलावा इस देश की शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों में जाति विरोधी साहित्य का पूर्ण रूप से स्टेट लेविल पर और केन्द्रीय लेविल पर स्वतंत्रतापूर्वक प्रकाशन हो। इससे देश में अनुकूल वातावरण बनेगा । इसके साथ ही साथ इनफारमेशन डिपार्टमेंट दोनों ही लेविल्स पर साहित्य में जातीय भेद की निरर्थकता को साबित करे ।

इस के अवलावा प्रत्येक गांव में सरकार की तरफ से प्रचारकों की नियुक्ति की जाये । साल में कम से कम एक बार सम्बन्धित क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों और अछूतों का सहभोज करके प्रदर्शन किया जाये ।

मेरे चार पांच सुझाव और हैं ......

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको दे दीजिये वे शामिल कर लिये जायेंगे । अब अधिक समय नहीं है । आप अपने सुझावों की साथ साथ व्याख्या भी करते हैं ।

श्री धनगर : अब मैं ऐसा नहीं करूंगा ।

अस्पृश्यता निवारण के लिये कानून की सख्ती से लागू किया जाये और सम्बन्धित पुलिस को इस विषय में ढिलाई करने पर सख्त सजा दी जाये । मेलों, पर्वों और त्योहारों पर सरकार की ओर से इसका प्रोपेगेंडा किया जाये । हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर तैनात करते समय और विधान सभाओं में और यहां पार्लियामेंट में भी हर एक मेम्बर को इस बात की शपथ दिलाई जाये कि वह कोई जाति सम्बन्धी प्रकाशन नहीं करेगा । सरकारी तौर पर गांव गांव में अस्पृश्यता निवारक, और जातपांत निवारक कानून का सम्पर्क रूप से प्रचार किया जाये । जातिवाद विरोधी कानून का बनाना आवश्यकीय है । इसके साथ ही साथ सड़कों और पबलिक जगहों पर शिला लेखों द्वारा प्रचार हो । सिक्कों पर और पोस्टल स्टाम्पों पर जाति विरोधी सील्स का प्रयोग हो । जाति का पूछा जाना जुर्म करार दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो आप थक गये हैं, अब रहने दीजिये ।

श्री धनगर : मैं थका नहीं हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का भाषण यहां समाप्त समझा जायेगा ।

श्रीमती गंगा देवी (उन्नाव--रक्षित--अनूसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आप को इस बात के लिये धन्यवाद देती हूं कि लास्ट मोमेन्ट में मुझे आप ने टाइम दिया है । एक विशेष बात मैं यह कहना चाहती हूं कि १९५२ से बराबर हर साल एक दफ़ा शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट हाउस में आती है और हम लोग उस पर बहस करते हैं । इस सदन में हमारे बहुत से भाई उस पर अपने अपने सुझाव रखते हैं । लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि उन सुझावों पर कितना ध्यान दिया गया है, उन पर कितना अमल किया गया है । आज हमारे सामने करोड़ों रुपये के आंकड़े रखे जाते हैं । कहा जाता है कि फ़र्स्ट फ़ाइव यीअर प्लैन में

---

†मूल अंग्रेजी में

१०० करोड़ रुपये खर्च हुए, इतने हुए, उतने हुए । हम कहते हैं कि हमें रुपयों के आंकड़े नहीं चाहियें, हम तो काम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बताया जाये कि फ़र्स्ट फ़ाइव यीअर प्लैन में शिड्यूल्ड कास्ट्स का कितना उत्थान हुआ है और कितना बाकी है। हमें काम का हिसाब चाहिये, रुपये का हिसाब नहीं चाहिये । चाहे आपने एक करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, चाहे लाख करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है—हमें तो काम से मतलब है, हरिजनोत्थान से मतलब है ।

कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे सामने आती है और हम देखते हैं कि वह ऊपर ऊपर से जैसे रोल कर—वबीन कर—अच्छी अच्छी चीज़ें रख देता है । और वही हमारे सामने आती हैं । असलियत का उस में नाम नहीं होता है। हम देहात के कोने कोने में घूमते हैं। हम ने यू० पी० के बहुत से देहात देखे हैं। हमारा रोज़ाना का यही काम रहता है। हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान का हरिजन कितना सताया हुआ है। जितना भी अपव्यवहार होता है, वह हरिजन के साथ होता है। यदि कहीं डाका पड़ता है, कहीं चोरी होती है, कोई और घटना होती है, तो उस सारे का आक्षेप हरिजन के ऊपर लगा दिया जाता है और उसको ज़बर्दस्ती जेल में ठूंस दिया जाता है । कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ऐसी कोई बात इस रिपोर्ट में आई है ? हमने तो नहीं देखी है। आज हिन्दुस्तान के हर एक देहात में दो चार परिवार ऐसे मिलेंगे, जिनके पास न घर है, न रोज़गार है, न खाने पीने का सामान है, जिनका कोई भी साधन नहीं है, जिनके बच्चे घास-फूस जला कर जाड़े की पूरी पूरी रात बिता देते हैं। क्या ऐसे किसी परिवार का इस रिपोर्ट में जिक्र है ? हम समझते हैं कि यदि यह रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो वह इतनी अच्छी होनी चाहिये कि हमारे देहात की पिक्चर—उसका चित्र—बिल्कुल सही सही हमारे सामने आ जाये। हिन्दुस्तान का हरिजन आज जो इतना परेशान है, इतना पिछड़ा हुआ है, इतना सताया हुआ है, उस का सही चित्र हमको चाहिये। इस रिपोर्ट से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस प्रकार की रिपोर्ट एक के बजाय साल में दो, तीन, चार भी आ जायें, तो मैं समझती हूं कि उस पर गवर्नमेंट का रुपया खर्च करना और हमारा समय गुज़ारना बिल्कुल बेकार है। रिपोर्ट में देहात के उन परिवारों का जिक्र आना चाहिये, जिन के पास रोजगार, घर, खाना और कपड़ा नहीं है ।

हमारे कमिश्नर साहब यू० पी० में गये। यू० पी० के असेम्बली के मेम्बरों को शिकायत है और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने हमारे पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं भेजा, हम उनको कैसे मिलें ? अच्छे वर्कर्ज़ उनसे नहीं मिल सकते हैं। वहां के आफ़िसर्ज़ से उन्होंने रिपोर्ट ली। भला आफ़िसर्ज़ क्या रिपोर्ट दे सकते हैं। वे वहां की कोई सही रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते हैं ।

कहने को तो बहुत है। सबसे पहले मैं एजूकेशन को लेती हूं। होस्टल्ज़ के बारे में हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि सम्मिलित छात्रावास होने चाहिये। ठीक है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जो मौजूदा छात्रावास हैं, उनमें ही बीस, पच्चीस, तीस फ़ीसदी के हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्रों को जगह क्यों नहीं दी जाती है । इस में समय और रुपया भी कम लगेगा और काम भी बड़ी आसानी से हो जायगा। जहां ऐसे छात्रावास नहीं हैं, वहां जल्दी छात्रावास बनाये जायें ।

[श्रीमती गंगा देवी]

शिक्षा के बारे में कहा गया है कि पहली पंच-वर्षीय योजना में १,९७,००,००० रुपया खर्च हुआ है लेकिन यह जो रुपया खर्च हुआ, वह पहली पंच-वर्षीय योजना का नहीं था—वह सालाना बजट का रुपया था, जो कि पंच-वर्षीय योजना में डाल दिया गया । पहली पंच-वर्षीय योजना में कोई अलग से धन शिड्यूल्ड कास्ट्स की एजूकेशन के लिये नहीं रखा गया है, जो कि रखा जाना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या का वक्त खत्म हो गया है । ये पांच मिनट मैंने मिनिस्टर साहिबा के वक्त से निकाल कर दिये थे ।

श्रीमती गंगा देवी : इस सम्बन्ध में जो प्रगति दिखाई गई है और उसके जो आंकड़े दिये गये हैं, वे सम्मिलित आंकड़े दिखाये गये हैं । उनसे हम सही सही नहीं समझ सकते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की कितनी प्रगति हुई है । इससे स्पष्ट है कि जो बैकवर्ड क्लासिज़ हैं, जो कि सोशली, इकानोमिकली और पोलीटिकली ऊंची हैं, उन्होंने ज्यादा तरक्की की है और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने जो तरक्की की होगी, वह लगभग एक प्रतिशत होगी, जो कि ३२ प्रतिशत या ४० प्रतिशत दिखाई गई है । यदि इसी प्रकार कार्य किया गया तो परिणाम यह होगा कि जो आगे हैं, वे आगे ही रहेंगे और जो पीछे हैं, वे कभी भी दूसरों के बराबर नहीं हो सकते हैं ।

अगर हमें यहां पर समाजवाद की स्थापना करनी है, तो हमें चाहिये कि ऐसे स्कूल और छात्रावास खोले जायें, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों को शुरू से लेकर आखिर तक फ्री एजूकेशन हो, उन के खाने-पीने का इन्तज़ाम, कपड़े और किताबों का इन्तज़ाम सब गवर्नमेंट की तरफ़ से होना चाहिये । हमारे यहां सरकार की तरफ़ से बहुत रुपया निकलता है, लेकिन वह ....

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्या बैठ जायें । आनरेबल मिनिस्टर ।

श्रीमती गंगा देवी : दो मिनट और होने चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त तो नहीं हैं, फिर किसी और वक्त मिलेंगे ।

श्रीमती गंगा देवी : लड़कों की एजूकेशन के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि .....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या कृपा करके अब बैठ जायें ।

श्री गणपति राम (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं आप की आज्ञा से दो सुझाव देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मिनिस्टर साहबा को सुन लें ।

श्री गणपति राम : मैं एक मिनट में कह देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । आनरेबल मिनिस्टर ।

श्री गणपति राम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो सुझाव हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उपमंत्री जी के बाद में कुछ प्रश्न पूछ लें।

श्री गणपति राम : मैं तीन दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं एक मिनट भी नहीं ले सकता हूं। मैं अपने ज़िले की दिक्कतों के बारे में बताना चाहता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : माननीय सदस्य बाद म सवाल पूछ सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, परसों मुझे टाइम दिया गया। लेकिन आज तक मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो हर एक को मालूम है कि आप को वक्त नहीं दिया गया है। अगर वक्त नहीं है, तो मैं कहां से ला सकता हूं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अर्जुनसिंह भदौरिया सभा से बाहर चले गये।)

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** उपाध्यक्ष महोदय, इस दस घंटे की चर्चा को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। यह सच है कि कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार है कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया है परन्तु हमें कुछ व्यक्तियों ने इस सभा से बाहर भी इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं। हम उन सुझावों का ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्यों ने बड़ी करुणामयी भाषा में हमें स्थिति बताई है। कुछ ने कटु शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें कोई ग़लत बात नहीं है। क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति किसी बात को समझे उसे उसको स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहिये परन्तु समस्त चर्चा में कोई ऐसी बात नहीं थी जो नई हो और जिसका हमें पता न हो।

सदस्यों ने हमारे द्वारा दिये गये आंकड़ों में दोष निकाले। कुछ ने हमको काल्पनिक कहा है खैर, मैं बता देना चाहती हूं कि हम अपनी योजनानुसार आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जायेंगे। मैं एक बात यह ज़रूर कहूंगी कि जब मध्य प्रदेश की माननीय सदस्य श्रीमती सहोदरा बाई बोलीं तो उन्होंने जो चित्र खींचा उसके द्वारा उन्होंने वास्तविकता हमारे सामने ला कर रख दी। उन्होंने स्पष्टतया कहा कि यदि इस सभा के सदस्य ही अपना दृष्टिकोण बदल दें तो समस्त वातावरण परिवर्तित हो सकता है तथा संसद् सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों द्वारा बार बार दौरे करने पर योजनायें सुधारी जा सकती हैं और उनको वास्तविक रूप दिया जा सकता है, जिनको माननीय सदस्यों के कथनानुसार, अभी नहीं दिया गया है।

सभा में बार बार कहा गया कि हम करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं परन्तु जो योजना कार्य किये गये हैं उनके सम्बन्ध में हमको नहीं बताया गया है। मैं समझती हूं कि यह मांग उचित है क्योंकि जब हम करोड़ों रुपये व्यय करते हैं तो हमें यह बताना चाहिये कि देश के विभिन्न भागों में क्या किया जा रहा है। श्रीमती गंगा देवी ने कहा कि वह करोड़ों रुपये शब्द नहीं सुनना चाहतीं अपितु उनको बताया जाये कि क्या काम किये गये हैं। भविष्य में हम इसका ध्यान रखेंगे कि प्रतिवेदन में इस प्रकार की जानकारी दी जाया करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती आल्वा]

मैं अब आपको बताती हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में क्या किया गया। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण की योजनाओं से प्रथम योजना काल में जो लक्ष्य पूरे किये गये वह इस प्रकार हैं:—

शिक्षा—

(क) स्कूल	४,००० स्कूलों की स्थापना की गई जिनमें एक हजार आश्रम तथा सेवाश्रम थे।
(ख) छात्रवृत्तियां, पुस्तकों के लिये अनुदान तथा बोर्डिंग फीस आदि	४,५०,००० विद्यार्थियों की सहायता की गई।

(ग) आदिम जातियों के बच्चों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा देने के और अधिक प्रयत्न किये गये तथा आसाम, हैदराबाद, बिहार और नेफा में स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की गईं।

(घ) शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने ८४६४ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की।

२. **संचार**	संचार के विकास पर ६ करोड़ रुपये व्यय किये गये और २३४० मील लम्बी सड़कें तथा पहाड़ियों पर रास्ते बनाये गये।
३. **बनश्रम सहकारी समितियां**— इसके सम्बन्ध में इतना सब कुछ कहा गया है।	६५३ समितियां संगठित की गईं

४. **कृषि—**

(क) आदिम जाति के लोगों को कृषि के विकसित ढंगों की शिक्षा देने के लिये ५७ प्रदर्शन फार्म स्थापित किये गये थे।

अब मैं आदिम जाति के लोगों के सम्बन्ध में बता रही हूं।

(ख) कई बस्तियां बसाई गई हैं जिनमें ८००० परिवार बस गये हैं।

(ग) ३५० अनाज के बैंक संगठित किये गये।

(घ) विकसित औजार, बीज और अधिक अच्छी नस्ल के ढोर के संभरण द्वारा सहायता की गईं।

५. **सहकारी समितियां**	३१० बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियां स्थापित की गईं।

६. **कुटीर उद्योग—**

(क) आदिम जाति के ८०० लोगों को बुनने, रेशम के कीट पालन और खाद्य पदार्थों के संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) ७५० लोगों को व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उनकी स्थापना में सहायता ी गई।

(ग) ११० कुटीर उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये और इनमें से कुछ को चलते फिरते प्रदर्शन व प्रशिक्षण के दलों ने सहायता दी।

७. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें—(क) आदिम जातियों के क्षेत्रों में ३,२०० चिकित्सालय और चलते फिरते औषधालय, २५ मलेरिया प्रतिरोध केन्द्र और २६ प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र खोले गये।

(ख) पीने के लिये साफ पानी की व्यवस्था की गई है।

८. गवेषणा संस्था—बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में आदिम जातियों सम्बन्धी गवेषणा केन्द्र खोले गये और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में आदिम जाति सम्बन्धी विभाग खोले गये।

९. आदिम जाति सम्बन्धी मंत्रणा बोर्ड—जिन राज्यों में आदिम जाति के लोग रहते हैं, उन सब ने आदिम जाति सम्बन्धी मंत्रणा बोर्ड संगठित किये हैं।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं :—

शिक्षा — शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय और राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा दी गई रियायतों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये १·६ करोड़ रुपया व्यय किया गया है। इस के साथ ही शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने ३६६५५ छात्रवृत्तियां भी दीं।

पीने के पानी की सुविधायें : ४,५०० कुएं खोदे गये।

श्री गोरे ने एक बार मेरे भाषण के बीच ही यह प्रश्न किया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने मकान बनाये गये हैं। उस के उत्तर में मैं यह कहना चाहती हूं कि कुल ३१०० मकान बनाये गये हैं। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ५ करोड़ रुपये की लागत से एक लाख मकान बनाना है।

अस्पृश्यता दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों में सामान्य प्रचार आदि के लिये, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों में काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई है। इस पर कुल १·२१ करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

श्री गणपति राम : मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आप यदि देखें तो पायेंगे कि पिछले साल तीन लाख रुपये और इस साल चार लाख रुपये उत्तर प्रदेश को दिये गये थे जिस में से उसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और सारा रुपया लैप्स हो गया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर भी कुछ प्रकाश डालें।

†**श्रीमती आल्वा** : इन अन्तर्बाधाओं से पता लगता है कि ये सदस्य वाद-विवाद में अभिरुचि नहीं ले रहे।

अब मैं पुरानी अपराधी जातियों के कल्याण की योजनाओं के सम्बन्ध में प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किये गये लक्ष्यों का उल्लेख करूंगी।

शिक्षा—२९० शिक्षा केन्द्र तथा स्कूल स्थापित किये गये।

बस्तियां बसाना—१७ बस्तियां और ३० उप-नगर बसाये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती आल्वा]

कृषि विकास के लिये ३६०० परिवारों को सहायता दी गई। ११३ सहकारी समितियां और ३३७ केन्द्र खोले गये ।

अब पिछड़ी जातियों को लीजिये । १४२,१०० छात्रों को छात्रवृत्तियां और अन्य अनुदान दिये गये । शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने २७,७२५ छात्रवृत्तियां दीं । ४४ महिला कल्याण केन्द्र खोले गये ।

मैं आशा करती हूं कि यद्यपि ये आंकड़े बहुत नहीं हैं परन्तु इस से पता लगता है कि क्या हो रहा है । हम जानते हैं कि सभा में कोई भी इन से संतुष्ट नहीं। हम स्वयं माननीय सदस्यों की अपेक्षा अधिक इस बात के लिये अधीर हैं कि हम आप को दिखा सकें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो भी हम ने कार्य आरम्भ कर दिया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और विमुक्त जाति के लिये बहुत ऊंचे हैं और उन्हें केवल आपके सहयोग से सफल बनाया जा सकेगा। मैं इस बात को इस लिये दोहराती हूं कि कल और आज सभा में सदस्यों ने जो शिकायतों का उल्लेख किया है यदि वह केवल कटु आलोचना है और कोई सहयोग की भावना नहीं तो उस पर गर्व नहीं किया जा सकता ।

हम तो यहां देश के प्रतिनिधि हैं। यदि आप के गांवों, नगरों और राज्यों में अपराध होते हैं, पुलिस अत्याचार करती है तो हमें आप के सहयोग की भी आवश्यकता होगी । यदि अनुसूचित जाति की महिला आभूषण नहीं पहन सकती और किसी विशेष प्रकार का वेश नहीं पहन सकती तो यह हमारे लिये सभा के माननीय सदस्यों के लिये लज्जा की बात है। यह केवल सरकार के लिये लज्जा की बात नहीं है। इस में सभा के सभी भागों का समान उत्तरदायित्व है । इस एक विषय के सम्बन्ध में हमें सामूहिक प्रयोजन की भावना और सद्भावना से काम करना चाहिये और धीरे धीरे तथा आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही स्थिति में परिवर्तन करना चाहिये। यदि हम समस्या की वास्तविकता को समझ सकें जिसे दिखाने का प्रयत्न माननीय महिला सदस्य ने किया है तो हम निश्चय ही उस स्थिति का निर्माण कर सकेंगे । यदि, जैसा उन्होंने कहा है, अनुसूचित जातियों में भी जाति भेद है तो हम ९१ करोड़ रुपये से भी कैसे प्रगति कर सकेंगे ? यदि अनुसूचित जातियों में और त्रुटियां हैं तो हम जो कि सभ्य हैं इस बात के लिये उत्तरदायी हैं कि उन त्रुटियों को दूर करें, उन लोगों की सहायता करें और उन्हें स्पष्टत: बतायें कि ठीक सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिये ।

आज सभा के समक्ष इस प्रस्ताव के कई स्थानापन्न प्रस्ताव हैं। उन में चिकित्सा सुविधा, छोटी सिंचाई व्यवस्था, अथवा शिक्षा, छात्रवृत्तियां, आवास और भूमि वितरण आदि कई प्रयोजनों

का उल्लेख किया गया है। यह सब इस प्रस्ताव के अन्तर्गत आ जाता है और इस के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन ९१ करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। यदि इन ९१ करोड़ रुपयों में से दसवां भाग भी मानव के हृदय, मस्तिष्क और चेतना में पहुंचा सकूं तो हम उपबन्धित लक्ष्यों में से कितने ही प्राप्त कर सकेंगे ?

इस कार्य में हम सब संगठित हैं। हम सब एक समान सोचते हैं और जाति भेद का इस प्रकार बने रहना हमारे लिये लज्जा का विषय है और यह भी लज्जा की बात है कि अभी तक आदिम जातियां दूरस्थ स्थानों पर रहती हैं। वे पददलित हैं और पौष्टिक खाद्यान्न के अभाव के कारण वे लोग नष्ट प्रायः हो रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कुछ आदिम जातियां नष्ट हो रही हैं। उन में से कुछ को तो हम बचा भी नहीं सकेंगे। उदाहरणतः थोड़ा और कहीं हिमाचल प्रदेश में एक और आदिम जाति ऐसी है जो कि नष्ट हो रही है।

मेरे माननीय सहकारी ने कल बहुत से संगत प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। १० करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख करते हुये उन्होंने गलती से कह दिया था कि यह राशि हरिजनों के लिये है। मैं उसमें उनकी जानकारी और सहमति से यह शुद्धि करना चाहती हूं कि यह दस करोड़ रुपया हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों दोनों की ही योजनाओं के लिये है।

श्री बाल्मीकी और अन्य कुछ सदस्यों ने पूछा था कि भंगियों के सम्बन्ध में क्या क्या किया जा रहा है। मुझे कुछ हैरानी हुई क्योंकि श्री बाल्मीकी स्वयं केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा इस विषय के अध्ययन के लिये बनाई गई उप-समिति के सदस्य हैं। राज्यों को बता दिया गया है कि टट्टी को भंगियों द्वारा सिर पर उठाने की बजाये अन्य क्या साधन अपनाये जा सकते हैं। क्या आप आज इतने बड़े देश में ऐसा कर सकते हैं ? लोगों को संदेह क्यों है ? इसके लिये धैर्य की आवश्यकता है। परन्तु हमारा धैर्य केवल शब्दों तक सीमित होता है। हम में से कितने लोग महात्मा गांधी की तरह अपने दोनों हाथों से यह काम करने के लिये तैयार होंगे। गांधी जी के आश्रम में तो सभी स्वयं यह काम किया करते थे। इस के लिये प्रयोजन की पवित्रता की आवश्यकता है केवल भंगीपने की समाप्ति की दुहाई देने से कुछ नहीं बनता। कितने माननीय सदस्य नगरों की गंदी बस्तियों में जा कर सफाई करने के लिये तैयार होंगे। हम सब ने यह किया है अतः हमें यह कहने का अधिकार है।

सफाई के साधनों के सुधार के लिये ६.६२ लाख रुपये नियत किये हैं। परन्तु यह राशि भी बहुत थोड़ी है और संभवतः हमारे सब प्रयत्न अधिक सफल न हों क्योंकि हमारे देश में गांवों की संख्या बहुत है। यहां नगर अधिक नहीं हैं जहां आधुनिक साधनों को अपनाया जा सके और इस महान सभा में जैसा कहा गया है वैसे साधन बनाये जा सकें। इसमें समय लगता है। थोड़ा थोड़ा करके हमें आगे बढ़ना है, एक एक ईंट जुटा कर हम मकान बना सकते हैं। इस में

[श्रीमती आल्वा]

कई दशाब्दियां लग जायेंगी और हम इस से भयभीत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जनता और विधान मंडलों के सदस्य स्वयं इस कार्य में सहायता दें। वे स्वयं अपने हाथों से काम करें तभी उन्हें आलोचना करने का अधिकार हो सकता है।

जहां कहीं संभव है वहां सफाई के लिये मोटर गाड़ियां दी जा रही हैं। इन से आदिम जातियों के क्षेत्रों और दलित लोगों के क्षेत्रों को बीमारी से बचाया जाता है।

मैं अब श्री जयपाल की बात का उत्तर दूंगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को अधिक स्वतन्त्रता देनी चाहिये और उसे अधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होना चाहिये। मैं उन का अभिप्राय नहीं समझ सकी। उन्हें संविधान के उपबन्धों का तो ज्ञान है ही और फिर भी उन्होंने ऐसी मांग न जाने क्यों की है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त गृह कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है और उसके प्रतिवेदन इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। इस का उपबन्ध राष्ट्रपति ने १९५०–५१ में किया था। सच बात तो यह है कि इन की मांग से उन्हें बहुत अधिक स्वतन्त्रता मिल जायेगी। वह तो पहले ही स्वतन्त्र है वह जब चाहे देश का दौरा करता है और निरीक्षण के पश्चात् प्रतिवेदन भेजता है। उस के प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखे जाते हैं। निस्संदेह इस में देर हो जाती है परन्तु हर बार आपको सारे देश की स्थिति का निरूपण कराना होता है।

राज्यों की अपनी योजनायें होती हैं। वे भी पूरा प्रयत्न करते हैं। किसी ने यहां कहा था कि मैं ने राज्यों की निन्दा की है। मैंने देश के किसी भी राज्य की निन्दा नहीं की। उन की अपनी सीमायें हैं। वे हमें प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन समय पर नहीं भेजते रहे। अब स्थिति सुधर रही है। मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है। हम सहायक आयुक्त भी नियुक्त कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमारे अपने क्षेत्र में कार्य का अधिक अच्छा समन्वय होगा और हम इस सभा के सभी विभागों से यह कामना करेंगे कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सहयोग दें और हम उस का स्वागत करेंगे। वाद-विवाद की समाप्ति पर मैं अनुभव करती हूं कि यह विषय कुछ दिनों के लिये भुला दिया जायेगा। परन्तु चाहे इस पर विवाद हो अथवा न यह एक ऐसा काम है कि इसे न केवल हम ने करना है अपितु आपने भी करना है। हमें जितना ही सहयोग मिलेगा हम उतनी ही अधिक सफलतायें प्राप्त करेंगे।

श्री गणपति राम : एक औचित्य प्रश्न है। जैसा कि माननीया मंत्रिणी जी ने कहा कि संविधान की धाराओं के अनुसार राष्ट्रपति जी ने शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को एप्वाइंट किया और वे देश में घूम कर रिपोर्ट पेश करते हैं। वे जो जो रिकेमेंडेशन देते हैं पार्लियामेंट उन को एप्रूव करती है हर साल। जो उसने पिछली रिपोर्टों में दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के जो

रिजर्वेशन रूल्स हैं वे आब्जर्व नहीं होते हैं और हर विभाग में एक एक ओ० एस० डी० रखा जाना चाहिये और कम से कम यह देखना चाहिये कि रिजर्वेशन रूल्स इम्पलीमेंट (कार्यान्वित) हुये हैं या नहीं, क्या गवर्नमेंट इस को मानने के लिये तैयार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बस अब आप की स्पीचें दोनों दफे हो लीं या फिर भी होंगी ? माननीय सदस्य को सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा का ध्यान रखना चाहिये।

†**श्रीमती आल्वा :** श्री एन्थनी ने एंग्लो इंडियन जाति की भर्ती और उन के लिये पदों के रक्षण के हेतु जो प्रश्न उठाया था उस के उत्तर में मैं कुछ आंकड़े सभा के समक्ष रखना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने बहुत आवेशपूर्ण भाव से कहा था कि उन की जाति की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने सीमा शुल्क विभाग का उल्लेख किया था। उस विभाग में एंग्लो इडियनों के लिये श्रेणी २ और ३ के १६ पद रक्षित थे जिन में से १५ पद भरे गये थे। १९५४ में श्रेणी २ और ३ के रक्षित पद ३ थे और वे सभी भर लिये गये थे। १९५६ के २८ रक्षित पदों में से २६ भरे गये थे। माननीय सदस्य ने कहा कि ७२ रक्षित पदों में एंग्लो इण्डियनों की पर्याप्त भरती नहीं की गई थी। इस का कारण यह है कि जहां १९५० में कुल २६० लोगों की भर्ती हुई थी वहां १९५१ में केवल १३ की भर्ती हुई थी। यह कमी भेदभाव के कारण नहीं हुई।

रेलवे के सम्बन्ध में मेरे पास सभी आंकड़े नहीं हैं। जो जानकारी मेरे पास अभी है वह मैं अभी बता देती हूं और शेष जो माननीय सदस्य चाहते हैं वह बाद में बता सकूंगी। एंग्लो इण्डियनों की भर्ती में सुधार के लिये फरवरी १९५७ से इस जाति के लिये उन श्रेणियों में पद रक्षित किये गये हैं जिन से उन का सम्बन्ध १५ अगस्त, १९४७ से पहले से है। इन आदेशों का प्रभाव १९५७-५८ में और उस के बाद के वर्षों में की गई भर्ती पर पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि अभिलेख नष्ट कर दिये गये हैं। उन्हें यह पता होना चाहिये कि अस्थायी अभिलेख २ वर्ष से अधिक नहीं रखे जाते और यदि वे अभिलेख अस्थायी थे तो उन्हें नष्ट करना ही था।

यूं तो इस महान् सभा के सदस्य किसी तरह भी संतुष्ट नहीं हो सकते परन्तु मैंने उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया है। वे अच्छे आलोचक होने के भव्य स्वप्न ले रहे हैं परन्तु यदि वे वास्तविकता की भूमि पर उतरेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि दुखद स्थिति को हंसी से प्रकाशमान नहीं किया जा सकता वरन् सच्चे प्रयोजन से किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिय रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ से १७ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

---

†मूल अंग्रेजी में

*अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त लिखित सुझाव

श्री ओंकार लाल (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस रिपोर्ट में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स व शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कितने मकान बनाने के लिये जमीनें दी गईं, कितने मकानात बनाये गये, कितनी फैमीलीज को जमीनें दी गईं, कितने अस्पताल खोले गये। इन सब चीजों का जिक्र विस्तार में होना चाहिये था। इस रिपोर्ट में इस बात की कमी प्रतीत होती है।

मैं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूं :

शैड्यूल्ड कास्ट्स तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये एक मंत्री की नियुक्ति और होनी चाहिये जो कि इसी विषय को डील करे ताकि हरिजनों को अधिक से अधिक तादाद में लाभ व राहत मिल सके।

यह भी सही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस में पूरी दिलचस्पी नहीं लेती हैं। वहां पर इन लोगों की कितनी उन्नति होनी चाहिये थी इसी कारण नहीं हो पाती है इसलिये केन्द्रीय सरकार ही सारा भार इस का उठावे और स्टेट गवर्नमेंट्स के भरोसे पर इस कार्य को न छोड़े और सारे कार्य सेन्टर से ही किये जायें।

गवर्नमेंट पालिसी का इम्प्लीमैन्टेशन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कोटा जिले से राजस्थान में हरिजनों को न तो मकानात बनाने के लिये कोई जमीनें ही अलौट की गई हैं और न उन लोगों को कर्जे ही दिये गये हैं।

कोटा (राजस्थान) मेरी कौन्स्टीट्यूएन्सी है वहां पर शरणार्थी मोचियों की ६० फैमीलीज को आये हुए लगभग ८ वर्ष हो चुके हैं लेकिन उन लोगों को अभी तक क्लेम्स की पूरी रकम नहीं मिली है। और न उनको ठीक ही तरह से बसाया गया है। मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कराना चाहूंगा।

हरिजनों के लिये अनटचएबिलिटी एक्ट, १९५५ केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया है लेकिन उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। अधिकारी वर्ग इस में पूरी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं लेकिन मैं साथ में यह भी मानता हूं कि केवल एक्ट के पास कर देने से ही कोई समस्या का हल नहीं हो जाता है जब तक कि हमारी अप्रोच का तरीका न बदलेगा और सवर्ण बन्धुओं के दिलों में हरिजन बन्धुओं को अपनाने की गुंजाइश न होगी तब तक यह कार्य सही मायने में ठीक नहीं हो सकेगा। मैं यह समझता हूं कि इस समस्या के हल के लिये हृदय परिवर्तन अत्यन्त ही आवश्यक

*लोक-सभा समाचार—भाग २, दिनांक १९ दिसम्बर, १९५७ का पैरा संख्या ९१० देखिये।

है। और इसके लिये प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहिये। जिससे कि हमारे भारत का अनटचएबिलिटी का कलंक दूर हो सके।

पब्लिसिटी की भी कमी काफी महसूस की जा रही है इस ओर भी मंत्री महोदय अपना ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करेंगे।

यह भी मैं मानने को सहर्ष तैयार हूं कि पिछले वर्षों में इस ओर काफी प्रगति हुई है इसके लिये वास्तव में गृह मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है लेकिन यह भी विचारणीय है कि उन्नति जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पा रही है इसके लिये रिजर्वेशन का समय १० वर्ष और बढ़ना चाहिये जिससे हरिजनों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर ऊंचा उठ सके।

सोशल वेलफैयर डिपार्टमेंट की स्थापना होनी चाहिये।

प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसका सही मायने में सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिये और हरिजनों को अधिक से अधिक तादाद में लाभ होना चाहिये।

इस समस्या का हल कनवर्शन से नहीं हो सकता है बल्कि हृदय की पवित्रता से ही हो सकता है।

सरकार ने होस्टल इत्यादि खोले हैं लेकिन कोटा (राजस्थान) में होस्टल के सुपरिन्टेण्डेण्ट का व्यवहार हरिजन बालकों के साथ ठीक नहीं है जहां तक हो सके शैड्यूल्ड कास्ट्स व शैड्यूल्ड ट्राइब्स में से ही सुपरिन्टेण्डेण्ट की नियुक्ति होनी चाहिये।

पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सदस्य हरिजन होना चाहिये ताकि उनका सही तरीके से सलेक्शन हो सके।

फोर्थ क्लास कैडर (श्रेणी) की सर्विस में हरिजन, आदिवासी को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे अनटचएबिलिटी दूर होने में मदद मिले।

श्री चुनी लाल (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हरिजनों के लिये देहात और शहर में रहने के लिये मकानों का उचित प्रबन्ध किया जाये। देहातों में जमीन और सहायता व कर्जा दिया जावे और शहरों में भी जमीन जिस पर वह आबाद हैं कई मंजिल के मकान बनाकर मुनासिब कीमत पर किराये पर दिये जावें। मुसलमानों की इवैक्यूई (निष्क्रांत) जमीन या मकान पर मुद्दत से बसने वालों को वह जमीन या मकान पुनर्वास विभाग से ले कर दिये जावें। काश्त की जमीन भी इसी तरह से ही दी जावे।

लड़कियों की शिक्षा का खास प्रबन्ध किया जावे और लड़के लड़कियों को प्राइमरी क्लास के बाद से ही वजीफे दिये जावें।

जात पात तोड़ शादी को प्रोत्साहित किया जावे। ऐसे लड़के और लड़की के लिये सर्विस हासिल करने में विशेषता दी जावे।

[श्री चुनी लाल]

अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिये डॉक्यूमेण्टरी फिल्म्स हर सिनेमा हाउस में दिखलाई जानी चाहियें ।

हरिजनों में जो आपसी मतभेद या छुआछूत है उसको भी दूर करने का प्रयत्न होना चाहिये । और अल्प संख्यक हरिजन जातियों को सब जगह उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । हरिजनों कोई कोई भी ऐसी संस्था जिसको सरकारी सहायता मिलती हो किसी भी जाति विशेष या व्यक्तियों की ही नहीं होनी चाहियें बल्कि अल्प संख्यक जातियों का खास प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

सरकारी कर्मचारी छुआछत मिटाने में पूर्ण इमानदारी से काम लें । ऐसी हिदायत खास होनी चाहिये ।

कुएं या कोई भी और ऐसी जगह उठने बैठने या रहने की हरिजनों के लिये अलग नहीं होनी चाहिये ।

हरिजनों में बढ़ती हुई बेकारी को रोका जाये और मिलों, कारखानों और दूसरे कामों में उनको लगाया जावे । देहात के हरिजनों की जन शक्ति को काम में लाने का उचित प्रबन्ध शीघ्र होना चाहिये ।

हर स्टेट में हरिजन वैलफेयर बोर्ड सीधे गवर्नर के अधीन किये जावें । क्योंकि मिनिस्टर साहेबान और कार्यों में लगे रहते हैं ।

राज्य-सभा और स्टेट्स अपर हाउसेज में हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । अल्प संख्यक हरिजन जातियों का खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

पुलिस में काफी तादाद में हरिजनों को लिया जाये और दूसरी नौकरियों में अनुपात से पूरा किया जाये ।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : मैं केवल आप के द्वारा होम मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि आप अधिक न करें, तो इतना अवश्य करें कि जो व्यय सरकार से पिछड़ी हुई जातियों के लिये दिया जाता है उसका हिसाब ठीक ठंग से रखा जाये और वह व्यय उचित व्यवस्थित ढंग से हो । दवाई आदि का प्रबन्ध गरीबों को मुफ्त होना चाहिये । देहातों में आयुर्वेदिक दवाओं का प्रबन्ध होना चाहिये क्योंकि देहातों में केवल वैदिक दवा ही लोगों को प्राप्त होती है अस्पताली दवायें केवल शहरी लोगों को ही मिल पाती हैं । मैं अपने जिले छतरपुर के किसुनगढ़ गांव की चर्चा कर देना चाहता हूं । अरसा ३ साल से अधिक हो गया कि सरकार द्वारा किसुनगढ़ में पचास हजार रुपया लगाकर हस्पताल बनवाया । आज तक एक भी डाक्टर वहां नहीं भेजा गया है जब कि वह एरिया घाटी (पहाड़ों) पर है उसके ३०—४० मील के आसपास कोई दवा का प्रबन्ध नहीं है । न अस्पताल है न आयुर्वेदिक दवायें हैं लोग दु:खी हैं कोई सुनता ही नहीं है ।

आर्थिक स्थिति हरिजनों की जैसी सुधरना चाहिये थी वैसी नहीं अभी सुधरी है यह लोग स्वयं परिश्रमी होते हुए भी इनके पास कृषि करने को जमीन नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है । इनके मकान आप देहातों में जा कर देखें तो सुअर जानवरों के मकानों से खराब हैं । कारण यह है कि वह मकान मैदान में होते हैं इनको मकान बनाने को कोई जगह नहीं है कोई न जगह देता ही है

जबकि मकान बनाने की हिम्मत स्वयं करते हैं तो जमीन का अड़ंगा लगता है। गरीबी है ही। कहीं सुनवाई के लिये नहीं जा सकते हैं। पैसा है नहीं। मकानों के लिये सरकार को स्पेशल प्रबन्ध करना चाहिये।

शिक्षा का लाभ तो हुआ है परन्तु शहर वालों को। देहात वाले हरिजनों को नहीं हो रहा है। वहां की हालत गिरी हुई है। मकान भी जो सरकार द्वारा बनाये गये हैं, वह शहर से दूर हरिजनों की भांति ही बनाये गये हैं। इसमें सरकार को कुवां मकान अलग नहीं बनवाने चाहियें बल्कि जहां जगह हो और बस्ती के अन्दर ही बनाये जाने चाहियें।

आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार को कड़ा कदम ही उठाना है। जिससे बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है। जैसे जंगलों में रहने वाली जातियां, कोल, भील, गोंड, चमार और अन्य हरिजन आदि हैं जो जंगलों से शहद, अचार (चिरोंजी), महुवा, गोंद, जड़ी, बूटियां अन्य प्रकार के सामान भी तैयार करते हैं परन्तु होता क्या है कि वह जंगल के रहने वाले बेचारे भाव तोल जानते नहीं हैं खाने पीने की आवश्यकता हमेशा हर दिन रहती है वह सारा सामान जो दिन भर परिश्रम से लाते हैं, गांव में बनिये महाजन, पूंजीपति लोग उनकी सब चीजों को थोड़े से पैसे दे कर खरीद लेते हैं जबकि वह चीजें बाजारों में रुपयों की होती है। तो होता यह है कि इन को चूसा भी जाता है। इतना ही नहीं सरकार स्वयं ही उन जंगलों का ठेका किसी एक व्यक्ति को देती है जो इन सब जातियों को परेशान करता है इससे सरकार इनको बाजार भाव बेचने देने का प्रबन्ध करे और ठेका अन्य को न मिल जावे। बल्कि इन ही पेशेवरों को दिया जाये या रकम वसूल की जाये ताकि जीवन सुख से बिता सकें। नहीं तो परिश्रमी को पूंजीपति हड़पता रहेगा, उन का सुधार नहीं हो सकेगा? मैं चाहता हूं कि यह कदम सरकार उटाये तो शोषण से बचाये जा सकते हैं।

यह लोग हरवाही प्रथा में अधिकतर फंसे हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसी के रुपये मारे जावें बल्कि चाहता यह हूं कि इस प्रथा में एक बार फंसा फिर जीवन भर नहीं उभर सकता है। अतः जब भी गरीब अपना हिसाब तहसीलदार द्वारा चाहे मुफ्त में हिसाब सही ढंग से करवा दिया जाये।

हरिजनों में ही छुआछूत समाई हुई है और उसके दूर होने में भी परेशानी है। उसका कारण आर्थिक स्थिति ही है। जब आर्थिक व्यवस्था उन की ठीक हो जावेगी तो स्वयं एक शक्ति बन जायेगी और छुआछूत स्वयं हट जायेगी। आज गरीबी की वजह से अलग-अलग बिखरे पड़े हैं। मजदूरी का सहारा बड़ों द्वारा ही लेना पड़ता है। इस कारण संगठन एक नहीं हो पाता है।

श्री डामर (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक १५ में आयुक्त ने यह सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के जो विभाग कार्य करते हैं, उनका नाम एक ही हो और वह समाज कल्याण विभाग हो यह सुझाव न केवल आदिवासी तथा हरिजन लोगों पर अप्रत्यक्ष आक्रमण है, अपितु इससे आयुक्त की अनुभव शून्यता की झलक प्रतीत होती है। अस्तु इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि ऐसा कार्य न किया जाये। रिपोर्ट के पृष्ठ ७ में "आदिवासी तथा हरिजन कल्याण के परामर्शदात्री बोर्ड" की चर्चा की तथा उसमें सेवा भावी संसद्-सदस्य, धारा सभाई सदस्य तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये। इस सम्बन्ध में मैं ने यह देखा है कि ऐसे बोर्डों में सेवा भावी संसद् सदस्य, धारा सभा सदस्य या सामाजिक कार्यकर्ता के लिये कोई स्थान नहीं। ऐसे

[श्री डामर]

बोर्डों में केवल वे ही लोग लिये जाते हैं, जो बोर्डों की रचना करने वाले हैं, उनकी जी हजूरी करने में जो दक्ष होते हैं लेकिन यह नितान्त अनुचित है ।

रिपोर्ट के पृष्ठ ६२ पर जंगल का सगार सहकारी समितियों की चर्चा की है । मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में पिछले तीन साल में आदिवासी को-ओपरेटिव सहकारी समितियों को जंगल के ठेके देने की प्रथा चालू है लेकिन पिछले वर्ष से यह शर्त लगा दी है कि जो समिति आदिवासी सेवक संघ झाबुआ या मालवा भील सेवक संघ इन्दौर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती है उसी को सम्बन्धित जिले के जंगल का ठेका मिल सकेगा । यह शर्त नितान्त न्याय युक्त नहीं है । कारण है कि उक्त प्रकार के प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कभी २ बड़ा कठिन काम हो जाता है क्योंकि प्रमाण-पत्र देने वाली ये संस्थायें पार्टी पोलीटिक्स (गुटबन्दी) में उतरी हुई हैं जो सहकारी समिति उनकी पार्टी से सम्बन्धित नहीं होती हैं उनको जंगल का ठेका लेने का प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है । मैं इस प्रकार के प्रमाण-पत्र का सख्त विरोध करता हूं । यह शर्त हटा दी जानी चाहिये ।

रिपोर्ट के पृष्ठ ४७ पर आयुक्त ने कहा है कि आदिवासी बच्चों की प्रारम्भिक पढ़ाई आदिवासियों की भाषा में होनी चाहिये। और तत्पश्चात् हिन्दी नागरी लिपि में उनकी पढ़ाई होनी चाहिये । मैं इसके पक्ष में नहीं क्योंकि यदि आदिवासी बच्चे प्रारम्भ में हिन्दी नहीं सीखेंगे तो आगे चलकर उनको हिन्दी सीखना तथा खड़ी बोली बोलना नितान्त कठिन होगा । इसलिये इस प्रकार की चर्चा करना बिल्कुल अनुचित है । मैं इसका सख्त विरोध करता हूं ।

रिपोर्ट में छात्रावासों की भी चर्चा की गई है । मैंने मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में चल रहे छात्रावासों के नाम पर हजारों रुपये के गबन का एक मामला पकड़ा था जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के ग्राम रायपुरिया के बोगस छात्रावास से सम्बन्धित था, सरकार की निगाह में वो गबन सही निकला परन्तु उक्त गबन जिन लोगों ने किया था तत्कालीन मध्य भारत के सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों ने उन लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की । मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र के आदिवासी तथा हरिजन विभाग द्वारा जितने भी काम किये गये और किये जाते हैं मैं चुनौती दे कर कहना चाहता हूं कि उन में हजारों के घुटाले हुए हैं तथा हो रहे हैं । मेरी यह जोरदार मांग है कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना में उक्त आदिवासी तथा हरिजन विभाग द्वारा जो जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी जांच के लिये एक स्पेशल कमेटी गठित की जाये ।

मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में जहां से मैं चुना गया हूं न तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई ठोस योजना चालू की गई और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उक्त ऐरिया में कोई ठोस योजना चालू की जाने वाली है । उक्त क्षेत्र में आवागमन के लिये सड़कों की इतनी कमी है कि बारिश के दिनों में एक तहसील से दूसरी तहसील में जाना बड़ा कठिन हो जाता है । स्थिति यहां तक गम्भीर है कि कई तहसीलें सड़कों द्वारा जिले के हेड क्वार्टरों से जुड़ी हुई नहीं हैं । उदाहरण के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील सड़क द्वारा जिले से जुड़ी हुई नहीं है । केवल २५—२६ मील की एक सड़क उक्त तहसील में रायपुरिया से राजगढ़ तक नहीं जोड़ी जा रही है । उक्त सड़क के न बनने के कारण पेटलावद तहसील बारिश के दिनों में एक टापू बन जाती है । अतः मेरी मांग है कि उक्त रायपुरिया राजगढ़ सड़क को बनाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि पिछले सन् १९५३ तथा १९५४ में जिस प्रकार का भयंकर अकाल मध्य प्रदेश, मध्य भारत क्षेत्र के आदिवासी एरिया में पड़ा था और उस समय सरकार की ढीली से आदिवासियों की वृक्षों की जड़ें तथा पत्ते खाने पड़े थे ऐसी स्थिति उक्त क्षेत्र की इस वर्ष भी नीति होने वाली है। इसलिये समय के पहले ऐसी स्थिति को संभाला जाये।

श्री द्रोहड़ (हरदोई–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं छुआछूत के लिये सरकार तथा सवर्णीय जनता से इस के लिये भिक्षा और सहायता की अधिक मांगें नहीं करता हूं पर यह अवश्य चाहता हूं कि हरिजनों और वनवासियों को शक्तिशाली बनाने में जितनी भी सहायता की जा सकती है दी जाये। उनके शक्तिशाली हो जाने पर छुआछूत का भूत स्वयं ही विदा हो जायेगा और हरिजनों तथा वनवासियों में भी हर प्रकार के सुख और शान्ति का आगमन हो सकेगा इसके लिये मेरे उत्तर प्रदेशीय हरिजनों के बारे में निम्नलिखित सुझाव हैं :

१. हरिजनों को पुलीस ग्राम प्रधान तथा ग्रामीण गुन्डों के अत्याचारों से बचाया जाये।

२. उनको स्वीकृत अनुपातों के अनुसार सरकारी नौकरियों में भरती किया जाये जिस में योग्यता और उम्र के लिये कुछ हिदायत की जाये।

३. सरकार के पास जो जमीन है वह उन हरिजनों में बांट दी जाये जिनके पास कतई जमीन नहीं है और उन्हें खेती करने में अन्य आवश्यकतानुसार सुविधायें दी जानी चाहियें।

४. हरिजन छात्रों को वजीफा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से देने में शीघ्रता की जाये और वजीफों की संख्या बढ़ाई जाये।

५. गांवों में कुटीर तथा गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दे कर लोगों को उनके घरेलू धन्धों में उन्नति करने का अवसर और सहायता दी जाये।

६. हरिजनों को विभिन्न टैक्सों से बचाया जाये। उन्हें अपने मकान बनाने और व्यवसाय करने में भी राजकीय सन्तोषजनक सहायता दी जाये।

७. जहां उनकी आबादी अधिक है वहां उनके लिये पाठशालाओं के खोलने का प्रबन्ध किया जाये।

श्री नेक राम नेगी (महासू–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : रिपोर्ट १९५६–५७ के सफा ३७ पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में २० प्रतिशत आसामियां टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में रिजवर्ड हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिला दूं कि कहां तक इस पर अमल होता है। होता क्या है कि यह लिख दिया जाता है कि हरिजन लड़के आसामियों के लिये न मिल सके, इस वास्ते दूसरों को मौका दिया जाये। भले ही हरिजनों की दरख्वास्तें फाड़ क्यों न दी गई हों। इसी तरह दूसरी आसामियों में रिर्जवेशन्स हैं, मगर उसका भी यही हाल है। जैसा कि मैं ने पहले बताया और कुछ नहीं तो चपरासी की जगह के लिये हर वक्त हरिजन मिल सकते हैं मगर वहां भी उनको मौका नसीब नहीं होता। चपरासी अमूमन अफसरों के घर पर ही काम करते हैं, चूंकि अभी तक घरों में छुआछूत का दौर जारी है, इस वास्ते अगर आप जांच पड़ताल करें तो मालूम होगा कि पिछले ५ सालों में कितने चपरासी हरिजन लगाये गये हैं और कितने दूसरी कास्ट्स के। सफा ११५ पर कुछ सिफारिशात कमिश्नर साहब ने हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन को की हैं मगर चन्द एक बात के सिवा किसी पर भी अमल नहीं हुआ। पाइन्ट नं० ६ पर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की खास

[श्री नेक राम नेगी]

सिफारिश की गई है मगर बजाय मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के मजदूरों को काम पर से ही हटा दिया गया। हर साल हरिजन और आदिवासियों की बहबूदी के लिये स्कीमें बनती हैं मगर अमल में नहीं लाई जातीं। इतना जरूर है कि हरिजन और आदिवासी के नाम से हिमाचल सेक्रेटेरियेट में एक दफ्तर वेलफेयर डिपार्टमेंट खुल गया है। इस दफ्तर में भी किसी हरिजन और आदिवासी को तरजीह नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि छुआछूत कोई चीज नहीं सिवाय गुरबत के। सब से पहले गुरबत और जहालत को दूर करना ही है तभी लोग छुआछूत को छोड़ सकेंगे। सरकार के कानून के मुताबिक सब मन्दिर खुल गये, जिसमें हिमाचल का मशहूर मन्दिर भीमाकाली सरहान का भी है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरिजन सरकार की आज्ञा के बावजूद भी उस मन्दिर में जाने से डरते हैं सिवाय एक दो हरिजन के। इसकी सब से बड़ी वजह है गुरबत और तालीम की कमी। इसीलिये मेरे चन्द सुझाव हैं :—

प्राइमरी तालीम लाजमी की जाये और स्कूल हरिजनों के गांव में खोले जायें।

प्राइमरी तक हरिजनों के लड़के लड़कियों को किताबें, स्लेट पेन्सिल इत्यादि मुफ्त दी जाये।

इन स्कूलों के साथ साथ बोर्डिंग हाउस होना चाहिये और हरिजन लड़के लड़कियों को खाना मुफ्त मिलना चाहिये। जहां जहां हरिजनों के गांव हैं, वहां पर पानी का इन्तजाम ठीक होना चाहिये और जहां पर सम्मिलित गांव हैं, वहां पानी का इन्तजाम इकट्ठा एक कुवां या बावली होनी चाहिये ताकि हरिजन और सवर्ण एक जगह से पानी भर सकें। हरिजन की बावली किसी भी जगह अलग नहीं होनी चाहिये।

जो सवर्ण हरिजनों की लड़कियों से शादी करे, उनको सरकारी नौकरियों में खास रियायत मिलनी चाहिये।

जो वजीफे हरिजनों और आदिवासियों के लिये सुरक्षित हैं, वह किसी को नहीं दिये जायें।

हरिजनों को आज तक सरकार की तरफ से कर्जे नहीं मिलते। वे आज तक कर्जे के नीचे दबे रहे। अगर इन्हें कर्जा मिलता ही है तो ४० से ५० प्रतिशत सूद देना पड़ता है। वह भी उस हालत में अगर उनके पास जेवर या जमीन रहन को हो तो। इसलिये निवेदन है कि कर्जा पर खास ध्यान दिया जाये।

हरिजनों के पास जमीनें नहीं, हिमाचल प्रदेश में दूसरी जातियों को नौतोड़ आसानी से मिल जाती है मगर हरिजनों को नौतोड़ मिलना इतना मुश्किल है कि जितना एवरेस्ट को सर करना। अव्वल तो पटवारियों से निपटना ही मुश्किल है, अफसरों तक पहुंचना तो दरकिनार रहा। इस सिलसिले में कुछ रोज पहले कुछ लोग ढेबर बाई से मिले थे, उन्होंने काफी आश्वासन दिलाया, इसलिए निवेदन है कि जिन जिन हरिजनों के पास जमीन नहीं व जिनके पास कुनबे के लिहाज से जमीन काफी नहीं उन्हें हिमाचल नौतोड़ के कानून के मातहत दस बीघा जमीन देने में ऐतराज नहीं होना चाहिये।

कुछ इस रिपोर्ट पर मेरे सुझाव हैं। पृष्ठ ६९ पर जो सुझाव कमिश्नर साहिब ने दिये हैं, उनमें पहले सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब तक सड़कें इन एरियाज़ में नहीं बनतीं वहां के लोगों की माली हालत में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जरूरीयातें सामान के लाने और ले जाने में काफी खर्च

होता है । आदिवासी और हरिजनों के आज तक दबे रहने का यह भी एक कारण है कि चीज मंहगी मिलती रहीं और आमदनी का जरिया कोई नहीं था ।

पृष्ठ ८५ पर जो सिफारिश कमिश्नर साहब ने की है मैं समझता हूं कि जिस तरह के लोग लाहोल में रेडियो टेलीग्राम काम कर रहा है उसी तरह एक एक सेट रामपुर और चीनी में खुल जाय तो काफ़ी बेहतर होगा और जनता को इससे काफी सुविधा होगी । क्योंकि यह रास्ते सर्दियों और बरसात में बन्द हो जाते हैं ।

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : परिच्छेद २ में कहा गया है कि इस अनुसूचित जाति विभाग को मुख्य मंत्रियों के आधीन रखा जाये लेकिन यह बात हरिजनों के विकास के लिये अधिक उपयोगी नहीं होगी क्योंकि मुख्य मंत्रियों के पास कार्य बहुत अधिक होता है साथ ही उन्हें राजनीतिक झगड़ों से फुरसत नहीं होती तथा वह सवर्णों का भी लिहाज करते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि हरिजन सुधार कार्य के लिये राजपालों को विशेष अधिकार दिये जाते हैं ।

राजस्थान में नई निकलने वाली भूमि में हरिजनों को संरक्षण दिया जाये ।

शिक्षा संस्थाओं में संरक्षण कक्षा के आधार पर रखा जाये तथा प्रत्येक साल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते देख संरक्षण बढ़ाया जाये ।

वनस्थली विद्यापीठ भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान में भी हरिजन छात्राओं के लिये सरकार की ओर से कुछ सीटें रिजर्व की जायें तथा वनस्थली, जयपुर और पब्लिक स्कूल बीकानेर में कुछ सुरक्षित सीटें और बढ़ाई जायें ।

कमिश्नर की रिपोर्ट राजवार छापी जाये तथा विधान सभाओं में उस पर विचार किया जाये ।

अल्पसंख्यक हरिजन जातियों के विकास के लिये खास ध्यान रखा जाये क्योंकि अब तक बहुमत जाति वाले हरिजन ही लाभ उठाते रहे हैं । राज्य सभा, विधान परिषदें तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्ति के समय अल्पसंख्यक हरिजन जातियों के प्रतिनिधित्व का खास ध्यान रखा जाये ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी शिकायतों पर अमल कराने के लिये कानूनी सलाहकार नियुक्त किये जायें तथा ऐसे मामलों को पुलिस केस मान कर कार्यवाही की जाये ।

गैर-सरकारी संस्थाओं के खर्च तथा उन के कार्यों पर ठीक ध्यान दिया जाये ।

सरकार सहायता से निर्मित कुवें किसी जाति विशेष के न हों अपितु सरकारी घोषित किये जायें ।

मेहतर सुधार कार्य शीघ्र हो तथा म्युनिसिपल बोर्डों में सुरक्षित सीट पर उन्हीं की नियुक्ति की जाये ।

कस्टोडियन की जमीन या जिस जमीन या मकान पर वह रहते हों वहां उन्हीं हरिजनों को मुनासिब कीमत पर दे दी जायें तथा किश्तों पर रुपया वसूल किया जाये ।

सशस्त्र सेना, सरकारी लिमिटेड कम्पनियां, संसद् सचिवालय तथा सुप्रीम कोर्ट एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में भी हरिजनों को संरक्षण दिया जाये ।

[श्री पहाड़िया]

हरिजनों के लिये अलग छात्रावास, स्कूल, कुवें या बस्तियां न बसाई जायें तथा अन्य सवर्णों के सम्मिलित रूप से व्यवस्था की जाये।

श्रीमती मिनीमाता (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि भारत सरकार अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जाति के उत्थान के लिये काफी रकम खर्च करती है। परन्तु इन ७ वर्षों में इनके जीवन में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। मेरे विचार के अनुसार इसका कारण है निजी संस्थाएं। कुछ निजी संस्थाएं सरकार से अनुदान लेने के विचार से अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों की हितैषी बन कर और अनुदान लेकर हरिजनों के विकास की हत्या कर रही हैं। मेरे सुझाव के अनुसार इन सब कार्य को सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं लेती है।

मेरे विचार के अनुसार अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सरकार शिक्षा पर ज्यादा तादाद में रकम खर्च करे। यह शिक्षा सम्मिलित शिक्षा हो जिसमें हमारे होने वाले बच्चों को जो निकट भविष्य में राष्ट्र के निर्माता बनेंगे उनके बीच में जो जातियों की दीवारें खड़ी हैं वह टूट जायेंगी जो नौकरी करना चाहे उन्हें अविलम्ब कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाये।

अब लड़कियों की शिक्षा पर मैं अपना सुझाव देना चाहती हूं। लड़के तो कुछ तादाद में पढ़ रहे हैं पर अभी तक लड़कियां बहुत कम पढ़ रही हैं क्योंकि इन दोनों जातियों में आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं पढ़ाते और ८–९ वर्ष से ही काम पर लगा देते हैं। कहीं कुछ लड़के पढ़कर पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ़ते हैं। जब उनको नहीं मिलती है तब बिना पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करनी पड़ती है। इससे उनकी मानसिक शान्ति नहीं होती। इसलिये सरकार को चाहिये कि लड़कों के छात्रवृत्ति से लड़कियों को डेवढ़ा छात्रवृत्ति देने की कोशिश करें। सरकार हरिजन तथा आदिवासी बच्चों की कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए मार्च अप्रैल में छात्रवृत्ति वितरण करते हैं। उसे अवगत अगस्त सितम्बर में दिया जाये जिससे उन्हें खर्च के लिये भटकना न पड़े।

आज तक भंगी बच्चों को म्यूनिसिपल स्कूलों में नहीं लेते हैं उन्हें ज्यादा तादाद में लिया जाये। सिर पर भंगी टट्टी उठाते हैं उसमें परिवर्तन किया जाये।

अस्पृश्यता निवारण (अधिनियम) को कड़ी रूप में लागू किया जाये, ताकि हम जो पुलिसों से पीटे जाते हैं, उससे बचें। नहीं तो पुलिस वाले यह कह कर टाल देते हैं कि यह कानून गांव के लिये नहीं है। यदि हम विधान की कापी देखने की कोशिश करते हैं तो मार खाते हैं। सार्वजनिक विस्तार में हरिजनों को पूर्ण अधिकार दिया जाये क्योंकि हम स्वतन्त्रता के पहले स्वप्न देखते थे कि हम लाखों वर्षों के दलित, त्रषित, शोषित लोगों का उद्धार बापूजी द्वारा अवश्य होगा। बापूजी कहते थे कि हरिजनों का उद्धार तो राष्ट्र का निर्माण होगा, पर वर्तमान युग में उनकी वाणी की उपेक्षा हो रही है।

हरिजन तथा आदिवासियों के हर कठिनाइयों के जांच के लिये एक चार या पांच आदमियों की कमेटी हो उसमें कोई पदाधिकारी न हो, न तो संसद् सदस्य हो न विधान सभा सदस्य हो। वह शिकायत मण्डल के रूप में काम करे। प्रत्येक जगह आकर देखें कि वहां पर किस पर क्या अन्याय हो रहा है। जो अपने को एकता के प्रतीक और जातीयता को मिटाने वाले बताते हैं उनकी गहराई में कहां तक सत्यता पाई जाती है, उसे अच्छी तरह कमेटी जांचे।

श्री मोहन नायक (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातिया) : आज इस गृह में जिस विषय की बहस हो रही हैं, वह देश के लिये कितनी महत्वपूर्ण है यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस विषय में जितना काम होना चाहिये, उतना कार्य में दिखाई नहीं देता। जनता इस प्रश्न को सामाजिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखती है इसलिए जो धार्मिक या सामाजिक संस्थायें देश में अस्पृश्यता निवारण का काम कर रही हैं उन्हें हर प्रकार इस काम के लिये सहायता देकर सरकार के द्वारा उत्साहित किया जाना चाहिये।

भारत सरकार ने वर्तमान जो अनुसूचित जातियों की तालिका बनाई है, उसमें कई त्रुटियां हैं। इस तालिका में अनेक ऐसी जातियों का नाम है जो समाज में अस्पृश्य नहीं हैं। मगर अनुसूचित जातियों के लिये जो सहायता दी जाती है उसमें से वे लोग भी ज्यादा फायदा उठाते हैं, इसलिए इस तालिका में संशोधन होना चाहिये।

यह विवाद है कि आर्थिक दृष्टि से उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है। क्योंकि उड़ीसा सरकार गरीब हैं इसलिये हरिजन और आदिवासियों के लिये अधिक खर्च करने की इच्छा रखते हुए भी अपने बजट में अपने हिस्से को बढ़ा नहीं सकती। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार उड़ीसा के लिये स्वतन्त्र अनुदान की व्यवस्था करे और वह अपने ग्रांट में प्रान्तीय सरकार को सारे खर्च का हिस्सा देने का जो नियम है उसे उड़ीसा के लिए ढीला कर दे।

ऑफीसर लोग अपनी रूढ़ि भावना के कारण सवर्ण लोगों को ही चपरासी और अरदली के कार्य में अपने पास रखते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत के प्रत्येक प्रान्तीय सरकार में इतने चपरासी या अर्दली हैं, और उनमें हरिजन और आदिवासी कितने हैं इसका एक हिसाब निकालें, उससे मेरी बात की पुष्टि होगी। दूसरे हरिजनों के मुकाबले में मेहतर श्रेणी के लोग समाज में ज्यादा दण्ड भोग रहे हैं। क्योंकि ये लोग मैला साफ करते हैं। यही कारण है कि बहुत से हरिजन श्रेणी के लोग भी मेहतरों को नहीं छूते। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस घृणाभाव को दूर करने का एक ही उपाय है कि मैला उठाने के काम को किसी मनुष्य से न कराया जाय, तथा इस काम में लगे हुए लाखों मेहतरों को दूसरे काम में मुहैया किया जाय। मेहतरों के लिये जो पृथक् बस्तियां बनाई जाती हैं उनसे भी परोक्ष रूप में अस्पृश्यता का बढ़ाव होता है, समाज से पृथक् करके अलग बसाने से उनकी सांस्कृतिक उन्नति कभी नहीं हो सकती और न ही सवर्ण लोगों के मन से उनके प्रति घृणाभाव मिट सकता है, इसलिए इन लोगों को सवर्ण लोगों की बस्ती में स्थान मिलना चाहिये।

भारत के बहुत से प्रान्तों में आदिवासी और हरिजन उन्नति के काम के लिये असिस्टेंट कमिश्नरस नियुक्त किये गये हैं। मगर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार इन तीन प्रान्तों के लिये एक ही असिस्टेंट कमिश्नर है। और इनका आफिस रांची में है। यह सब लोग जानते हैं कि उड़ीसा में हरिजन और आदिवासियों की संख्या ज्यादा है अर्थात् कुल तादाद के एक तिहाई से भी अधिक है। सिर्फ इस प्रान्त के लिये एक असिस्टेंट कमिश्नर होने से भी काम को करना कष्ट साध्य होगा। मेरा निवेदन है कि उड़ीसा के लिये शीघ्र एक स्वतन्त्र असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया जाये और उसका आफिस उड़ीसा में रक्खा जाये। उड़ीसा की टेक्नीकल इंस्टीट्यूट में हरिजनों और आदिवासियों के लिये कोई रिजरवेशन नहीं है। मगर भारत के कोई प्रान्त में ऐसा नहीं है इसलिये उड़ीसा के टैक्नीकल इंस्टीट्यूट में हरिजन और आदिवासी लोगों को स्थान नहीं मिलता। भारत सरकार को सब प्रान्तों के लिये टैकनीकल इंस्टीट्यूट में स्वतन्त्र व्यवस्था के लिये कोशिश करनी चाहिये।

[श्री मोहन नायक]

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि अनुसूचित जातियों की तालिका को ए और बी दो भागों में बांट देना चाहिये जो जातियां अधिक पिछड़ी हुई हैं तथा समाज में अधिक अस्पृश्य दंड भोगती हैं, यथा मेहतर, मोची, दंडासी, बोग्ररी, पान इत्यादि उनको ए श्रेणी में रखना चाहिये और जो जातियां एडवांस हैं, उनको बी में। जिन जातियों को ए श्रेणियों में रखा जाय उन जातियों को सरकार से वर्तमान मिलने वाली सहायता और सुविधा से और अधिक स्वतन्त्र सहायता व सुविधा मिलनी चाहिये। नहीं तो जब समय आने पर अनुसूचित जातियों को सरकार से सहायता मिलना बन्द हो जायेगी, तब भी "ए" श्रेणी जातियां पिछड़ी हुई रहेंगी।

श्री पद्मदेव (चम्बा) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में आत्मविश्वास और आत्माभिमान की सच्ची भावना जाग्रत करनी चाहिये। हरिजन, महाशय आदिम जाति परिगणित जाति आदि भेद सूचक नामों को मिटाकर साधारण स्वभाविक नाम रखना चाहिये। भंगी चमार आदि के कामों में मजदूरी की वृद्धि आवश्यक है ताकि यह काम किसी वर्ग विशेष का न रहे अपितु अर्थार्थी सब काम करें। वर्ग के नाम से संस्थाओं का चालू करना बन्द किया जाये संस्था का प्रयोजन चाहे वर्ग विशेष का ही क्यों न हो। कूप तालाब मन्दिर मार्ग संस्था आदि में "सब के लिये, या हिरजनों के लिये" आदि सन्देह सूचक विज्ञापन न लगाये जायें केवल संस्था का नाम पर्याप्त होना चाहिये। भारतीय विधान को कार्यान्वित करने में विलम्ब उपेक्ष्यवृत्ति को कदापि न सहन किया जाये प्रादेशिक विधान-सभाओं लोक-सभा तथा राज्य-सभा के जो सदस्य छुआछूत में विश्वास रखते हैं उनको सदस्यता से पृथक होना या किया जाना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त यह एक आवश्यकीय योग्यता होनी चाहिये कि वह छुआछूत न मानता हो। नौ तोड़, मकान उद्योग भूमि सम्बन्धी ऋण में इनको प्राथमिकता दी जाये जिन पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पूर्ण सुविधा दी जाये उनको उपाधि तब दी जाये जब वे वर्ष भर अपने लोगों में कार्य करें। हर स्कूल जाने वाले बालक और बालिका को प्रथम कक्षा से ही यथा शक्ति छात्रवृत्तियां दी जायें। हाई स्कूल के साथ छात्रावास, आश्रम ढंग के चालू किये जायें जिनमें आठवीं कक्षा तक उसके ऊपर के विद्यार्थी शामिल किये जायें। सरकार की शक्ति के अनुसार सुविधायें दी जायें। यदि इनके साथ सवर्ण विद्यार्थी भी आयें तो कुछ अनुपात से लिये जायें और उनको भी वही सुविधायें दी जायें। उद्योग धंधों का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि उनके द्वारा आर्थिक सुधार हो सके।

†**श्री सुब्बा अम्बलम** (रामनाथपुरम्) : अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी उपयुक्त प्रयत्न करने चाहिये। श्री काका कालेलकर ने १९५३ में उनके बारे में प्रतिवेदन दिया था परन्तु उस पर आज तक सभा में चर्चा नहीं हुई।

सरकार को यह विदित होना चाहिये कि रामनाथपुरम् में जो उपद्रव हुए थे उनका कारण यही था कि वहां के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और समाज विरोधी तत्व उन्हें गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। सरकार को केवल जले हुए मकानों की मरम्मत पर कुछ लाख रुपया व्यय करने पर ही सन्तोष नहीं करना चाहिये वरन् कृषि, सड़कों, स्कूलों और कुटीर उद्योगों सम्बन्धी विकास योजनाओं के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

सरकार ने छात्रवृत्तियों के लिए जो निधि नियत की है वह अपर्याप्त है और उम्मीदवारों के लिए जो ६३ प्रतिशत अंक प्राप्त करने की शर्त लगा दी गई वह इन छात्रवृत्तियों के उद्देश्य के प्रतिकूल

†मूल अंग्रेजी में

हैं क्योंकि ये छात्रवृत्तियां दो शिक्षा में पिछड़े हुए लोगों को दी जानी है। यह शर्त ५० प्रतिशत अंक की कर देनी चाहिये और इतने अंक न प्राप्त करने वालों को भी अनर्ह नहीं करना चाहिये।

पिछड़ी जातियों में जनसंख्या बहुत अधिक है अतः उनमें परिवार नियोजन की योजनाओं को लोकप्रिय बनाना चाहिये अन्यथा वहां खाद्यान्न के अभाव की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता।

†श्री बांगशी ठाकुर (त्रिपुरा—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां): त्रिपुरा अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों का प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल केवल ४,००० वर्गमील है। अतः सभी को कृष्य भूमि तो दी नहीं जा सकती परन्तु छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग अवश्य आरम्भ किये जा सकते हैं।

त्रिपुरा में तेल, मेंगनीज, लोहा, कोयला, चीनी, मिट्टी, सोना आदि खनिज पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कि यदि इन की पूरी खोज की जाए तो त्रिपुरा केन्द्र पर निर्भर नहीं करेगा।

त्रिपुरा में अगरतला का शाही परिवार भी अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखता है और उनकी अपनी शिकायतें हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि उन्हें विशेषाधिकार दिये जाते रहें, परन्तु उनकी अर्थव्यवस्था को सामन्तशाही प्रणाली से परिवर्तित कर के समाजवादी व्यवस्था बनाने तक उन्हें जीवित तो रखना ही है।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के ५,००० लोग भूतपूर्व सैनिक हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है। प्रतिरक्षा की दृष्टि से उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न होना चाहिये।

त्रिपुरा में रेलवे लाइन भी कोई नहीं है और वह प्रदेश रेलवे लाइन द्वारा आसाम से नहीं मिला हुआ।

†श्री बासप्पा (तिपतुर): संविधान में तो अस्पृश्यता को दूर कर दिया गया है परन्तु अभी तक हरिजनों पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं जैसा कि रामनाथपुरम् की घटना से भी स्पष्ट है। हरिजनों के पास न तो मकान हैं न ही भूमि है। कुटीर उद्योगों से भी वे वंचित हैं। केन्द्र को सामाजिक कल्याण केन्द्र भी उच्च वर्गों की महिलाओं की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं। सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जातियों को पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता। केन्द्रीय सरकार ने जो वित्तीय सहायता बढ़ाई है मैं उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि अभी तक इन जातियों की अयोग्यताएं दूर नहीं की गईं अतः १९६० तक केन्द्रीय और राज्य विधान मण्डलों में उन के लिए स्थान रक्षित रखने चाहियें।

†श्री इग्नेस बेक (केहरदगा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां): प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत होना चाहिये और इसमें विस्थापित रियोतों को बसाने और 'भूमि के स्थान पर भूमि और मकान के लिए मकान' की सरकार की नीति की कार्यान्विति का उल्लेख होना चाहिये।

यह भी बताना चाहिये कि क्या आदिम जातियों के मंत्रणा परिषद् स्थापित किये गये हैं और उनसे सम्बन्धित कार्यों में उन की मंजूरी ली जाती है अथवा नहीं।

आदिवासियों का एकीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार का एक समुचित तंत्र उन लोगों के विशेष ढंगों रीति रिवाजों और सभ्यता का अध्ययन न करे।

पशुपालन, शहद की मक्खी पालन, मुर्गी पालन, बागबानी और लोक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इगनेस बेक]

कम से कम प्राइमरी शिक्षा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिये।

कृषि कार्य में प्रविधिक सहायता उर्वरक अच्छे बीज और पानी की यथा सम्भव सहायता मिलनी चाहियें और उन में बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियां स्थापित करनी चाहियें।

उन लोगों को सभी श्रेणियों में नौकरी का अवसर देना चाहिये।

केन्द्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्री होना चाहिये।

दिल्ली के सचिवालय में काम करने वाले आदिवासी दूर दूर के गांवों से आते हैं। उन के लिए आवास का बन्दोबस्त होना ताकि वे यहा केम्प स्कूलों में अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १६५५ को लागू करने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि अब तक इसके अन्तर्गत केवल ३८० मामले रजिस्टर हुये हैं। उनमें से केवल ४५ मामलों में दोषसिद्धि हुई है और १८१ मुकदमे अदालतों में लम्बित हैं। मन्दिर प्रवेश करने की भावना ने भी अच्छा मनोविज्ञानिक प्रभाव डाला है, परन्तु उसे कार्यान्वित किये जाने की गति बड़ी धीमी है। अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किये जाने चाहियें। स्थानीय निकायों पर जोर दिया जाय कि इन लोगों को समुचित वेतन दिया जाय। बेगार बन्द की जाये। उन्हें भूमि और विद्या अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें।

इन जातियों के जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है उन्हें वही सुविधायें दी जायें, जो कि उन्हें इससे पूर्व उपलब्ध थीं अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के मामलों को अदालतों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आंग्ल भारतीयों को नौकरियों के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये गये उनका पालन करना चाहिए।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को इन जातियों के सम्बन्ध में त्रिमासिक अथवा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, और प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना चाहिए। सदन में उस पर चर्चा की जानी चाहिए। राज्य विधान सभाओं में भी इस प्रतिवेदन पर चर्चा होनी चाहिये। पिछड़े वर्गों की अवस्था भी इन जातियों से अच्छी नहीं। इन जातियों को केन्द्रीय सरकार में भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इन जातियों के लोग प्रायः भूमिहीन श्रमिक होते हैं, जहां भी उपलब्ध हो उन्हें भूमि दी जानी चाहिए ताकि रोजगार प्राप्त करके इनका पुनर्वास हो सके। विद्या ग्रहण करने तथा अन्य व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए सरकार को इन जातियों के लोगों को छात्रवृत्तियां देनी चाहियें। इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि कम से कम आगामी तीन वर्षों में केन्द्र और राज्यों की नौकरियों में इन लोगों का अनुपात इनकी जनसंख्या के अनुसार हो जाय। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाय और अस्पृश्यता करने वालों को सजायें दी जायें।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन लोगों के कल्याण के लिए खर्च की जाने वाली राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। रामनाथपुरम् में हुये दंगों में ग्रसित लोगों को सहायता दी जाये, और इन

---

†मूल अंग्रेजी में

बातों को पुनः होने से रोका जाय। रामनाथपुरम के मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। ऊंचे पदों के लिए आवेदन पत्र देने में इस कारण रुकावट नहीं रहनी चाहिये कि कोई इन जातियों से सम्बन्धित है।

†श्री चंद्र शंकर (भड़ौच) : बम्बई राज्य भड़ौच जिले के राजयिमला उप विभाग को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर दिया है। परन्तु मेरी सरकार योजना आयोग, सामूदायिक परियोजना मंत्रालय तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से यह प्रार्थना है कि देदीआपारा-सागापारा को आगामी बजट में विशेष बहु-प्रयोजनीय खंड घोषित किया जाय।

†श्री दलजीत सिंह (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किया है, परन्तु इस सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित करने में काफी सुस्ती दिखाई गयी है। ग्रामों में अब भी अस्पृश्यता का विष पाया जाता है। अभी लक्ष्य प्राप्ति में समय लगेगा। इसलिए संरक्षण २० वर्ष तक के लिए और जारी रहना चाहिए। पंजाब में कुछ पिछड़े वर्ग के लोग तो हैं परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त पंजाब में नहीं गये। पंजाब में भूमिहीन किसान हैं, ६०० लाख एकड़ भूमि सिंचाई के बिना पड़ी है। और भी ऐसी भूमि है जिसे विस्थापितों के पुनर्वास के लिये प्रयोग में नहीं लाया गया। इन जातियों के लोगों को यह भूमि स्थायी रूप से दे देनी चाहिए। ये भूमि वैसे भी तो बंजर पड़ी है और देश को इससे काफी हानि है यदि ये जातियां इसकी सिंचाई करें तो उसमें लाभ ही होगा।

इन जातियों के लोगों को पंजाब और राजस्थान में बसा कर उनके रोजगार का कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिए। बिखरे हुये लोगों को सामूदायिक विकास और लघु उद्योगों में लगाना चाहिए। इनकी सहकारी समितियों को कर्जा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। जो धन इन जातियों के लिए खर्च करने के लिये निर्धारित है उसका कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए।

†श्री राम धनी दास (नवादा–रक्षित–अनुसूचित जातियां): सफाई करने वाले भंगियों तथा अन्य छोटे लोगों के सम्बन्ध में आयुक्त की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाय। इस सम्बन्ध में नीति यह होनी चाहिए कि जिसको अधिक जरूरत है उसको अधिक सहायता दी जाय। इन जातियों के प्रतिनिधियों को लेकर एक समिति बनाई जानी चाहिए, जो इन लोगों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में विचार कर इनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न करे। विभिन्न हरिजन साम्प्रदायों की शिक्षा की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, इस बारे में प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए। जहां जहां अस्पृश्यता है, वहां उसको दूर करने के लिए सरकार की ओर से भी प्रचार किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में हरिजनों को मुफ्त कानूनी सहायता और पांच सौ रुपये तक ही आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए ताकि वे अपने समुचित अधिकारों के लिए आग्रह कर सकें। अपील की जरूरत हो तो यह सहायता एक हजार रुपये तक होनी चाहिए और अच्छे वकील की व्ययवस्था भी होनी चाहिए।

†श्री डिन्डोड (दोहद-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा का प्रबन्ध मुफ्त होना चाहिए। जिस ताल्लुके में ५० प्रतिशत लोग इन जातियों के हों वहां तीन आश्रम होने चाहियें और उनमें नेतृत्व की भावना पैदा करनी चाहिए। इन जातियों के भेदभाव को समाप्त करने का काम गैर सरकारी संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार इन संस्थाओं की आर्थिक सहायता भी की जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा की ओर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डिंडोड]

भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा की व्यवस्था केवल प्राइमरी स्कूलों तक ही सीमित न रह कर हाई स्कूल तक ही की जानी चाहिए।

इन जातियों के कृषकों को बीज इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। कच्चे पक्के कुएं बनाने के लिए भी सहायता दी जानी चाहिए। समय समय पर सुधरे हुये कृषि सम्बन्धी औजार भी उन्हें सस्ते दामों पर दिये जाने चाहियें। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को यह स्पष्ट आदेश दे देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सम्बद्ध राज्यों सम्बन्धी सिफारिशों को शीघ्र ही कार्यान्वित की जानी चाहिए जिस भूमि पर सिंचाई नहीं हो रही वह इन्हें सिंचाई के लिए दे देनी चाहिए। इन जातियों के क्षेत्रों में पूर्ण शराबबन्दी लागू होनी चाहिए। इन जातियों के लिए और अधिक रक्षित स्थानों की व्यवस्था होनी चाहिए और विकास के अन्य साधनों को अपनाया जाना चाहिए।

†**श्री इलयापेरूमाल** (चिदाम्बरम्-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : हरिजन बच्चों के सम्बन्ध में बाल अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं किया जाता। मेरे राज्य (मद्रास) में दस दस वर्ष के हरिजन बालक जमीदारों के घरों में काम करते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। इन जातियों के लोगों के लिए आयात निर्यात की भी कुछ सुविधायें होनी चाहियें। सरकार के सभी विभागों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से नौकरियां मिलनी चाहियें। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि व्यर्थ पड़ी भूमि को इन जातियों के गरीब लोगों को दिया जाय।

†**श्री गणपति राम** (जौनपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी नौकरियों में पूरे रक्षित अंश की जांच करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये। कर्मचारियों को चुनने वाले प्रत्येक निर्वाचन मंडल में एक प्रतिनिधि इन जातियों का होना चाहिए। भारत के संविधान में जो रक्षण की व्यवस्था है उसे कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए आयोग की स्थापना की जाय। आयुक्त की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए और अस्पृश्यता दूर करने के लिये जो सहायता प्राप्त है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

†**डा० गंहोकर** (यवतमाल) : अस्पृश्यता के लिए बहुत कुछ किया गया परन्तु कुछ ठीक परिणाम नहीं निकले। आर्थिक दृष्टि से ये जातियां अतिशय पिछड़ी हुई हैं। इसलिए उनकी आय और सामाजिक स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी नौकरियों के रक्षित अनुपात को कायम रखा जाना चाहिए। जिन उद्योगों में ये लोग लगे हों उनकी सहायता की जानी चाहिए। इनकी सहकारी संस्थाओं को कर्जे इत्यादि की सहायता दी जाये। जो लोग इनमें कृषक हैं उन्हें भूमि दी जाये, ताकि खाद्य स्थिति भी कुछ सुधर जाये।

सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए, इनको शिक्षा मुफ्त दी जाय। इनके आवास का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए। नगरपालिकाओं को अपने सफाई इत्यादि करने वालों की स्थिति को सुधारने के लिए नालियों की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए ताकि गंद इत्यादि को उन्हें कम हाथ लगाना पड़े।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : प्रत्येक बजट में हरिजन कल्याण के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और यह स्वीकृत राशि ३१ अप्रैल को समाप्त नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का खर्च कम करने के लिये यह काम गैर सरकारी स्वयंसेवक संस्थाओं के सुपुर्द किया जाना चाहिए। इन

---

†मूल अंग्रेजी में

जातियों के अलग स्कूल और छात्रावास नहीं बनाये जाने चाहियें। अलग बस्तियां भी नहीं बनाई जानी चाहियें। आवासों के निर्माण पर भी कुछ रुपया खर्च किया जाना चाहिए।

सहकारी संस्थाओं के निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। तीस जनवरी को अस्पृश्यता निवारण दिवस मना कर देश भर में इसे दूर करने का प्रचार होना चाहिए। गांधीजी का जीवन इस मामले में हमें स्फूर्ति दे सकता है। ऐसे रास्ते अपनाने चाहियें कि सवर्ण हिन्दुओं के हृदय परिवर्तित हो जायं। इसके लिये जरूरी है कि सवर्ण हिन्दुओं की बस्तियों में हरिजनों को मकान दिये जायें। इन जातियों के बच्चों को सवर्ण हिन्दुओं द्वारा गोद में लेने की प्रथा को भी प्रोत्सहान देना चाहिए।

†श्री हेमराज (कांगड़ा) : लाहौल और स्पीति के अनुसूचित क्षेत्र क्रमशः ४५००' और २५०० वर्गमील है। इनकी जनसंख्या क्रमशः १२००० और ६००० है। ये इलाके वर्ष में कई मास बन्द रहते हैं। इन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक इन्हीं की जाति का एक व्यक्ति मनोनीत किया जाना चाहिये। इस इलाके के राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक खंडों का निर्धारण भी विशेष आधार पर किया जाना चाहिए। इस इलाके में डाक घरों को खोल कर लोगों को डाक की सुविधायें दी जानी चाहिए।

†श्री का० च० जेना (बालासौर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): हरिजन सुधार के बारे में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। यदि सुझावों और सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करना था तो आयुक्त की नियुक्ति करके उससे सम्बद्ध खर्चा इयादि करने का क्या लाभ है। अस्पृश्यता को तीन भागों में बांटा जा सकता है। (१) सामाजिक (२) सांस्कृतिक और (३) राजनीतिक भारत भर में यह एक साथ हरिजनों पर प्रभाव डालती है और यह समस्या राष्ट्रीय समस्या बन गयी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस समस्या को हल करने के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की प्रगति में योग देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। परन्तु जो लोग स्वयं पीछे हैं, वे क्या कर सकते हैं। इन हालात में भारत के निर्माण का उत्तरदायित्व इन शोषित वर्गों पर नहीं डाला जा सकता। हरिजन और आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस समस्या को उसी प्रकार हल किया जाये जिस प्रकार कि विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या को हल किया गया है।

†श्री द० अ० कट्टी (चिकोडी): इस देश को अस्पृश्यता के कलंक से बचाने के लिये हमें अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करना होगा। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और ये लोग देहातों में रहते हैं। प्रत्येक देहात में ऐसी भूमि है जो कि बेकार पड़ी है। यह भूमि इन भूमिहीनों को दे देनी चाहिए। और इस भूमि की सिंचाई के लिए उन्हें कर्जे इत्यादि की सहायता दी जानी चाहिए।

अस्पृश्यता को नष्ट करने के लिये जाति पाति की प्रथा को समाप्त करना बड़ा आवश्यक है। इसके लिये बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए। इन लोगों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना होनी चाहिए। अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार के लिए सरकार की ओर से धन खर्च किया जाता है उसे बौद्ध शुद्धि आन्दोलनपर खर्च किया जाना चाहिए। इन जातियों के लिए विदेशी छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाये। भारत के दो राज्यपाल अनुसूचित जातियों में से होने चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री छ० म० केदरिया** (मांडवी-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां): आयुक्त के प्रतिवेदन से यही पता चलता है कि अनुसूचित जातियों की अवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। न ही शिक्षा क्षेत्र में और न ही सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में कुछ ठोस परिणाम निकल पाये हैं। कई रिक्त स्थानों की सूचना ही इन जातियों के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। यह सूचना उनके राज्य के संसद् सदस्यों द्वारा उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। नौकरी दिलाऊ दफ्तर पर हमें कोई विश्वास नहीं।

लोक सेवा आयोग में इन जातियों के प्रतिनिधि होने चाहिएं ताकि इनसे अन्याय न हो सके। इन जातियों की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध में आयुक्त के प्रतिवेदन को कार्यान्वित नहीं किया गया। पिछड़े वर्ग बोर्डों में सम्बद्ध राज्यों के अनुसूचित जाति के संसद् सदस्यों को लिया जाना चाहिए। बम्बई राज्य में आदिम जातियों के कल्याण के लिए काफी खर्च किया गया है। और कार्य भी किया गया है, परन्तु अवस्था यह है कि इन लोगों को मकान तक नहीं मिल सके। इन लोगों को वह हक तो मिलने चाहियें जो कि मौलिक रूप में अपने राज्यों में इन्हें प्राप्त थे। राज्य के प्रत्येक प्रविधिक स्कूलों और कालिजों में इन जातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान रक्षित होने चाहिएं।

सामुहिक तौर पर मैं आयुक्त महोदय को उनके प्रतिवेदन के लिए मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का समुचित ध्यान रखा है।

†**लीलाधर कटकी** (नौगांव): पाखाना उठाने का काम कानून द्वारा देश भर में बन्द होना चाहिए। उनके स्थान पर फ्लश इत्यादि के पाखानों की व्यवस्था होनी चाहिए। हरिजनों को अच्छे घर मिलने चाहिएं और वे मिली जुली बस्तियों में होने चाहिएं। आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की सहायता की जानी चाहिए ताकि उन्हें अन्य लोगों के स्तर पर लाया जा सके। आसाम की आदिम जातियों का मेल जोल बढ़ाना चाहिए और उन्हें अन्य लोगों के स्तर पर लाना चाहिए। नेफा और नागा पहाड़ियों में समस्या यही है कि लोग आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुये हैं। उनकी स्थिति सुधारने के लिये समुचित पग उठाये जाने चाहिएं। इसके साथ ही इन पहाड़ी आदिम जातियों के लोगों को पड़ौसी लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए, ऐसा न हो कि इनमें अलग रहने की भावना तीव्र रूप धारण कर जाये।

†**श्री कुम्भार** (सम्बलपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): केन्द्रीय और राज्य सरकारों को भारतीय दलित वर्ग संघ को कोई सहायता नहीं देनी चाहिए। यह सहायता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को प्राप्त होनी चाहिए। ग्रामों, नगरों और उपनगरों में इन जातियों के लोगों को ऐसे स्थान देने चाहियें कि अस्पृश्यता दूर होने में सहायता मिल सके।

सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि भंगी हाथ से पाखाना न उठायें। हरिजन कल्याण के मामले पर समय समय पर संसद् और विधान सभाओं में चर्चा की जानी चाहिए।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा): नागा लोगों को अन्य भारतीयों से मिलने जुलने की आज्ञा दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में मनोविज्ञानिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने के लिए स्वयं सेवक संस्थाओं की सेवायें प्राप्त करनी चाहिएं। विभिन्न भाषाओं के भेदभावों को भी मिटा देना चाहिए। आदिम जातियों की लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। कल्याण कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को सफर भत्ता तथा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। सभी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए समाज कल्याण का कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिएं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्गहीन समाज में किसी को अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित आदिम जातियां कहना ठीक नहीं। इन जातियों के शिक्षित लोग इसे पसन्द नहीं करते। इस नाम के हट जाने से पिछड़े वर्गों की सुविधायें समाप्त नहीं होनी चाहिएं।

हाथकरघा की आदिम जाति क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी हो, और देश की एक समस्या तो हल हो।

†**श्री मि० सू० मूर्ति** (गोलुगोंडा) : स्वीकृतियों में विलम्ब नहीं होना चाहिए। अनुदानों को व्यय करने के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च से बदल कर जुलाई-जून कर दिया जाय। प्राधिकारियों को दण्ड देने की दृष्टि से उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों के क्षेत्र में न नियुक्त किया जाय। आयुक्त को कार्यकारिणी अधिकार दिये जाने चाहियें। आयुक्त के प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष संसद् में चर्चा होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा सम्बन्धी रियायतें आगे १० वर्ष तक और जारी रखी जायें। इन क्षेत्रों की साक्षरण के आंकड़े प्रतिवर्ष उपलब्ध किये जायें। गैर आदिम जातियों को आदिम जाभ्यियों के क्षेत्र में भूमि न दी जाये। पदोन्नति देते समय आदिम जाति क्षेत्रों में की गयी सेवाओं को ध्यान में रखा जाये। डाकघरों को खोलने के लिए घाटे की सीमा को १००० रु० से बढ़ा कर ३००० रु० कर दिया जाये। वहां के लोगों को निःशुल्क बुलडोजर दिये जाने चाहियें। वहां की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य मीलों से निर्धारित किया जाना चाहिए न कि सड़कों को संख्या पर। हरिजनों को मकान बनवाने के लिए ५० प्रतिशत राजकीय अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण दिया जाना चाहिए।

†**श्री मुत्तुकृष्णन** (नेल्लोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : भारत सरकार को चाहिए कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र में एक अलग मंत्रालय नियुक्त करे और केन्द्रों को भी निदेश दे कि वे भी इस प्रयोजन के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनायें। इन समुदायों के लोगों का ध्यान रखने के लिए एक समिति बनाई जाये जिसमें एक सदस्य इनमें से किसी समुदाय का हो। केन्द्रीय नौकरियों में उनका कोटा पूरा किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से कहा जाना चाहिए कि वे अपने लोक सेवा आयोग में इन समुदायों का भी एक सदस्य रखे।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : रमोशियों का वेतन बढ़ा दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियों के लोगों के सामने आर्थिक समस्या है अतः बेकार पड़ी भूमि इन लोगों को दे दी जाय और उस भूमि पर लगान में भी रियायत दी जाये। इन जातियों क विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष उपबन्ध रखे जाने चाहिएं। उस्मानाबाद जिले के बड़ागांव के ४०० या ५०० हरिजन परिवारों में ४५० एकड़ भूमि बांटी गयी है पर वह सब भूमि ऐसी ही पड़ी है क्योंकि किसानों को कृषि के साधन उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन हरिजनों को तुरन्त सहायता देने के लिए आदेश निकाले जाने चाहिएं। अस्पृश्यता को हटाने के लिए प्रत्येक नगर में एक समिति बनाई जाये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : १० वर्षों से हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों [illegible] कर रहे हैं। कुछ सुधार अवश्य हुआ है पर अभी बहुत कुछ बाकी है। उनके लिए शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य कर दी जाये। गृह-कार्य मंत्रालय में ही 'समाज कल्याण मंत्रालय' नाम का एक मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। जूता, उद्योग, हड्डी उद्योग तथा मछली पकड़ने के उद्योग में इन लोगों को काफी काम दिया जाना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में जो लोग मेहतर का काम करते हैं उनके मकानों आदि की स्थिति बहुत खराब है उन्हें ६) या १२) वेतन मिलता है। अतः उनकी स्थिति सुधारी जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

सरकारी नौकरियों में इन समुदायों के लोगों को अधिक स्थान दिये जाने चाहिएं। समाज को उनकी स्थिति ऊंची उठाने के लिए उनकी शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

†**श्री क० उ० परमार** (अहमदाबाद-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : बम्बई राज्य अस्पृश्यता दूर करने में बुरी तरह असफल रहा है फिर भी आयुक्त ने उसकी प्रशंसा की है। अनुसूचित जातियों की स्थिति सुधारने के लिए केन्द्र में एक अलग मंत्रालय खोला जाना चाहिए। बेकार पड़ी हुई भूमि तुरन्त हरिजनों में बांट दी जानी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का एक सदस्य होना चाहिए। राज्य सरकारों को लिखा जाना चाहिए कि वे इन समुदायों का कोटा अवश्य पूर कर दें। राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों को आदेश दे दिया जाना चाहिए कि वे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ को कड़ाई के साथ लागू करवायें।

†**श्री ना० नि० पटेल** (बलसार-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की सुविधा का उचित ध्यान नहीं रखती हैं। इन जातियों के बहुत से विद्यार्थी, जिन्होंने मैट्रिक, एफ० ए०, बी० ए० पास कर लिये हैं, सरकारी विभागों में नौकरियां नहीं पा सके हैं। निवास सम्बन्धी सुविधाओं से भी इन जातियों के लोगों का यही हाल है। राज्य सरकारों को कठोर आदेश दिये गये जाने चाहियें कि वे इन जातियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सभी योजनाओं का पूर्ण रूपेण पालन करें। अनुसूचित जातियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके लिए और भी छात्रावास और आश्रम खोले जाने चाहिएं। सरकारी नौकरियों में भी इन जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री साधूराम (जालंधर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अस्पृश्यता अपराध कानून के अधीन अनेक मामले विचाराधीन पड़े हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को काफी ध्यान देना चाहिये। पंजाब के हरिजनों को अभी तक भी भूमि नहीं दी गयी है। उन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अतः तुरन्त ही उन्हें भूमि दी जानी चाहिये।

वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने तथा बेरोजगारी बढ़ जाने से किसानों की दशा अच्छी नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को ऋण, अनुदान या तकावी द्वारा उन की मदद करनी चाहिये। पंजाब के गरीब हरिजन तरह-तरह के करों के भार से बुरी तरह दबे हुए हैं। राज्य लोक-सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चुनाव बोर्डों और केन्द्र तथा राज्यों के मंत्रिमंडलों में हरिजनों को प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। हरिजन शरणार्थी अभी भी बे घर-बार के पड़े हैं। सरकार उन को बसाने के लिये कुछ भी नहीं कर रही है। अतः बेरोजगारी की समस्या को हटाया जाना चाहिये। हरिजनों की स्थिति का सुधार किया जाना चाहिये। कृषि में तथा उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर भी न्यूनतम मरी अधिनियम लज़ागू होना चाहिये। सरकारी नौकरी में उन को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मकानों की समस्या के लिये उन को ऋण आदि दिये जाने चाहियें। केन्द्र में एक हरिजन मंत्रालय होना चाहिये। हरिजनों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को राय देने के लिये १०९ हरिजन संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिये।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : सवर्ण हिन्दुओं में हरिजनों के साथ रहने की भावना पैदा की जानी चाहिये। नई परियोजनाओं में जो नई बस्तियां बनाई जा रही हैं उनमें सवर्ण हिन्दुओं और

---

†मूल अंग्रेजी में

हरिजनों को साथ साथ रहने की व्यवस्था की जानी चाहिये। हरिजनों तथा आदिवासियों के बच्चों को मैट्रिक तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिये। उड़ीसा में हरिजनों तथा आदिवासियों का प्रतिशत ३८ और २२ है। सरकार हरिजनों तथा आदिवासियों को सुधार योजनाओं का ५० प्रतिशत अनुदान देती है। सरकार को पूरा व्यय देना चाहिये क्योंकि उड़ीसा राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह इन सुधार योजनाओं में अधिक धन लगा सके। आयुक्त के प्रतिवेदन पर राज्यों के विधान मंडलों में भी चर्चा होनी चाहिये और कार्यवाही का सारांश आयुक्त के पास भेजा जाना चाहिये।

†श्री सम्बंदम् (नागपट्टिनम्) : पिछड़ी जातियों के आयोग के प्रतिवेदन पर, जो १९५५ में पेश हुई थी, अभी तक भी संसद् में विचार नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद ३४० में भी पिछड़ी जातियों के हित का संरक्षण दिया गया है। पर उस का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया है। रक्षित भारत में त्रिची, रामनंद, उत्तरी अरकाट आदि में पिछड़ी जातियों की दशा अनुसूचित जातियों की दशा से भी अधिक खराब है। मद्रास राज्य से पिछड़ी जातियों के ६००० से अधिक विद्यार्थियों ने छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र दिये थे पर कुल १८०० छात्रवृत्तियां दी गयीं। मेरा अनुरोध है कि उन के लिये अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये।

†श्री ले० अचौ सिंह (आन्तरिक मनीपुर): आंतरिक मनीपुर की स्थिति के सम्बंध में निम्नलिखित सुधार करने की आवश्यकता है। वहां के लोगों के मनोवैज्ञानिक तथा भावुक दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझ कर उस में परिवर्तन किया जाये। नेफा और नागा पहाड़ियां क्षेत्र को केन्द्र के अधीन न रख कर वहां स्वतन्त्र संस्थायें बनाने की अनुमति न दी जानी चाहिये। वहां के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी बहुत कम दीं। वहां अच्छी सड़कें बनवाने के लिये अधिक सरकारी सहायता दी जानी चाहिये।

†श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन) : देहाती क्षेत्रों से अस्पृश्यता हटाने के लिये सरकार कुछ भी नहीं कर सकी है। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बारे में बहुत कुछ बातें कहीं गयीं पर पिछड़ी जातियों के बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है। सरकार को चाहिये कि कुछ ठोस आधारों पर कुछ जातियों को, जो गरीब हों, पिछड़ी जातियों में सम्मिलित कर ले और पिछड़ी जातियों को भी पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिये। बंगाल, बिहार, बम्बई और उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जातियों को पिछड़ी जातियों में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये।

तांतुरी, तांती, कुनबी, सोठार, लोहार तथा कोली, कोरी आदि।

उचित जांच के बाद अन्य जातियों को भी पिछड़ी जातियों में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संविधान में जो संरक्षण १९६२ तक के लिये दिये गये हैं उन्हें अगले १५ वर्षों तक के लिये बढ़ा दिया जाना चाहिये।

†लाला ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर) : यद्यपि कानून द्वारा हमारे देश में अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है पर वास्तव में अब भी आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हरिजनों का स्थान बहुत ही नीचा समझा जाता है। अतः हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहियें। हरिजनों तथा सवर्ण हिन्दुओं के बीच विवाह संबंध कराने को प्रोत्साहन दें।

सभी नगरपालिका विधियों में भंगियों और मेहतरों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[लाला ठाकुर दास]

हरिजनो को स्थान और जमीनें दी जानी चाहियें जिन में वे खेती करें ।

सभी सरकारी नौकरियां तीन वर्ष तक हरिजनों को दी जायें यदि वे योग्य तथा कार्यकुशल हों ।

हरिजनों के बीच जो उपजातियां हैं और उन में जो ऊंच नीच का भेद भाव है उसे भी हटाया जाना चाहिये ।

†**श्री वाल्वी** (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : बम्बई राज्य में अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या लगभग ३३ लाख है पर जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं उन की अवहेलना सड़कों, पुलों, डाक, रेल तथा अन्य सभी दृष्टियों से की जाती है । यहां के लोगों से कर इकट्ठा किया जाता है पर उन की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता । हमारे पश्चिम खानदेश जिले की हालत भी बहुत खराब है । अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकार को इस संबंध में लिखे ।

राज्य सरकारों की नौकरियों में भी अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता ।

जब तक अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का सुधार नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो १८ दिसम्बर, १९५७ को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो १८ दिसम्बर, १९५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक*

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली संघ क्षेत्र में गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं के विनियमन, अधीक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग—२, अनुभाग २, दिनांक २०-१२-५७ में प्रकाशित ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ क्षेत्र में, गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं के विनियमन, अधीक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को, पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राधा रमण** : : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूं ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन विधेयक)

†**डा० अचमम्बा** (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री कोडियान द्वारा ६ दिसम्बर, १९५७ को प्रस्तुत किये गए इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी :

"कि समस्त औद्योगिक कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी की एकरूप प्रणाली निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग—२, अनुभाग २, २०–१२–५७ में प्रकाशित ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

६ दिसम्बर, को इस के लिये आवंटित १½ घंटे में से २५ मिनट समाप्त हो चुके हैं तथा आज एक घंटा ५ मिनट शेष हैं। श्री अमर सिंह सहगल अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री त० ब० विठल राव** (खम्मम) : सब से पहले १९५५ में यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और उस समय सरकार मजदूरों के मामले पर विचार कर रही थी और इसी लिये मालिकों, मजदूरों तथा सरकार की एक समिति बनाई गई थी परन्तु दुर्भाग्यवश इस समिति ने इस प्रश्न पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन को देना चाहिये था। मालिकों के प्रतिनिधि ने इस समिति में यह प्रयत्न किया कि इस की ओर समिति अधिक ध्यान न दे।

इस मामले पर तब कुछ ध्यान दिया जाने लगा जब स्वातंत्र दिवस तथा गणतन्त्र दिवस की वेतन सहित छुट्टी न मिलने पर ५०,००० मजदूरों ने कुछ आन्दोलन तथा हड़तालें कीं। अन्त में सरकार ने मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जिस ने १९५४ में पंचाट दिया कि इन दोनों छुट्टियों को वेतन सहित छुट्टी माना जाये। परन्तु मालिकों ने इस पंचाट को स्वीकार नहीं किया और श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर दी।

मैं इस समय यह भी बता देना चाहता हूं कि रेलवे तथा सड़क परिवहन में भी इस प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। पूछने पर बताया जाता है कि ऐसा करना संभव नहीं है। परन्तु मेरा सुझाव है कि इन छुट्टियों में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी दूसरे दिन छुट्टी दी जा सकती है।

मालिकों का यह तर्क है कि इस से उत्पादन कम हो जाता है। परन्तु मैं समझता हूं कि इन छुट्टियों से पहले के किसी इतवार को काम करा कर इस दिन छुट्टी दी जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकारी कारखानों में माननीय उपमंत्री ऐसी ही व्यवस्था करेंगे और इस के संबंध में विधान बनायेंगे।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

कपड़ा उद्योग में लगभग १० लाख मजदूर काम करते हैं। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि इन को एक वर्ष में केवल तीन दिन की वेतन सहित छुट्टी मिलती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पहली नवम्बर, की वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की परन्तु सिंगरेनी की कोयला खानों में इस को छुट्टी नहीं माना गया क्योंकि उन का तर्क था कि छुट्टी की घोषणा करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। परन्तु कर्मचारियों ने अपना उस दिन का वेतन खो कर भी छुट्टी मनाई।

स्थायी श्रम समिति में जब इस विषय पर चर्चा उठाई गई तो सरकार ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दे और एक समिति नियुक्त करे जो इस बारे में प्रतिवेदन दे जिस के आधार पर विधान बनाया जा सके। मजदूरों को छुट्टियां तो दी ही जाती हैं केवल वेतन का ही प्रश्न है। जैसा मैं ने सुझाव दिया है छुट्टी से पहले इतवार को उन से काम ले कर उत्पादन उतना ही रखा जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री, मेरे मित्र श्री कोडियान द्वारा प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करें।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री कोडियान के विधेयक का समर्थन करता हूं जिस के द्वारा वह चाहते हैं कि १५ दिन की वेतन सहित छुट्टी की व्यवस्था की जाये। मैं आयुध कारखाने में काम करता रहा हूं इसलिये मैं आप को बताता हूं कि वहां क्या होता है। मजदूर दो

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार के होते हैं: एक औद्योगिक तथा दूसरे अनौद्योगिक अनौद्योगिक श्रेणी में आने वाले अधिकांश कर्मचारियों को २१ वेतन सहित छुट्टी मिलती है परन्तु औद्योगिक कर्मचारियों को १४ दिन की वेतन सहित छुट्टी मिलती है। हम ने मंत्रालय को इस बारे में लिखा है कि यह अन्तर दूर कर दिया जाये परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई।

कपड़ा उद्योग को ले लीजिये। १९४९–५० में कानपुर के लगभग ६०,००० मजदूर मई दिवस मनाना चाहते थे परन्तु सरकार द्वारा समर्थित मिल मालिकों ने मई दिवस न मनाने के आदेश दे दिये। मजदूरों ने फिर भी मई दिवस को मनाया और कितने ही लोगों को केवल इसी गुनाह पर अपना रोजगार छोड़ना पड़ा।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस विधेयक के महत्व को समझें तथा इस विधेयक को पारित करायें।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास उत्तर): उत्सवों की छुट्टियों के बारे में सरकार द्वारा कोई निश्चित सिद्धान्त न बनाये जाने के कारण विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार से छुट्टियां दी जाती हैं। भारत सरकार ने सदा ही यही कहा है कि वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है और वह शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विधान प्रस्तुत करेगी, इसलिये इसे स्थापित कर देना चाहिये। लेकिन, अभी तक वह "शीघ्र ही" की तिथि नहीं आई है।

इस सम्बन्ध में बहुधा यह तर्क पेश किया जाता है कि भारत में त्यौहारों की बहुत सी छुट्टियां होती हैं। सरकारी क्लर्कों के बारे में यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन अन्य प्रकार के कर्मचारियों के बारे में नहीं। छुट्टियों के मामले में कोई एकरूपता नहीं है।

कलकत्ता पत्तन के कर्मचारियों को १६ दिन की सवेतन छुट्टी मिलती है, जबकि मद्रास पत्तन में कुछ कर्मचारियों को केवल दो ही दिन की सवेतन छुट्टी रहती है। इस प्रकार के विभेद नहीं रखने चाहियें।

इस सम्बन्ध में बहुधा कहा जाता है कि अन्य देशों में त्यौहारों की सवेतन छुट्टियां बहुत ही कम रहती हैं। लेकिन, हमें यह भी तो ध्यान में रखना चाहिये कि उन देशों में रोजाना के काम के घंटे भी तो कम होते हैं। इंगलैण्ड या अमरीका में ४० काम के घंटों का सप्ताह होता है, जबकि हमारे देश में ४८ काम के घंटों का सप्ताह होता है। कुल मिलाकर साल भर में भारतीय मजदूर वर्ष में उनसे कहीं अधिक घण्टे काम करता है।

इस विधेयक में केवल १५ त्यौहारों की सवेतन छुट्टियों की मांग की गई है, जो बिलकुल उचित है। कुछ न्यायाधिकरणों ने तो इससे भी अधिक का सुझाव दिया है। डाक तथा तार विभाग में वर्ष भर में १६ सवेतन छुट्टियां रहती हैं और क्लर्कों को तो २६ या २७ दिनों की सवेतन छुट्टियां मिलती हैं।

इससे एक अनुचित प्रतियोगिता उठ खड़ी होगी, और जो भी मालिक अधिक छुट्टियां देने को तैयार होगा उसे असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

इसलिये, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, हालांकि मैं इसके सभी सूत्रों से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता तो यह था कि त्यौहारों की सवेतन छुट्टियों की संख्या भर निर्धारित कर दी जानी चाहिये, इतनी छुट्टियां किन-किन त्यौहारों पर दी जायें यह मालिक और मजदूरों के परामर्श से निश्चित किया जाये, यह इसलिये कि भारत में विभिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन्थनी पिल्ले]

सरकार ने अभी तक सवेतन छुट्टियों की कोई संख्या निर्धारित ही नहीं की है।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : हमारे सामने सीधा सा प्रश्न यह है कि हम अपने यहां राष्ट्रीय और त्यौहारों की छुट्टियों की एकरूप प्रणाली अपना सकते हैं, या नहीं। लेकिन इस विधेयक में सवेतन छुट्टियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

इस विधेयक का मुख्य सिद्धान्त तो यह मालूम पड़ता है कि वह एकरूप प्रणाली होगी या नहीं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

मेरा विचार तो यह है कि भारत में छुट्टियों की एक रूप प्रणाली अपनाना सम्भव नहीं है। यह इसलिये कि त्यौहारों की छुट्टियों में एकरूपता नहीं लाई जा सकती।

इसका कारण यह है कि हिन्दू, मुस्लिमों और ईसाइयों के त्यौहारों में एकरूपता नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : आजकल प्रथा यह है कि यदि किसी कारखाने में कोई भी मुस्लिम कर्मचारी नहीं है, तो उसके बदले अन्य दिनों की छुट्टियां दे दी जाती हैं।

†**श्री आचार** : इसीलिये, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि इसमें छुट्टियों की एकरूपता प्रणाली रखी जा रही है।

यह हिन्दू और मुस्लिमों का ही प्रश्न नहीं है। हिन्दुओं में भी एक स्थान पर कुछ त्यौहार विशेष महत्व के समझे जाते हैं, और दूसरे स्थान पर दूसरे त्यौहारों को विशेष महत्व दिया जाता है।

यह विधेयक सभी के लिये एकरूपता रखना चाहता है, जो व्यावहारिक नहीं है। केवल राष्ट्रीय महत्व के कुछ, गणतंत्र दिवस, जैसे, दिवसों की छुट्टियों में एकरूपता रखी जा सकती है। हमें इस प्रश्न का निबटारा मालिकों और मजदूरों के आपसी निर्णय के लिये छोड़ देना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के साथ ही साथ माननीय उपमंत्री का ध्यान इस प्रथा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि औद्योगिक संस्थाओं के क्लर्कों को ही राज्य सरकारों द्वारा घोषित सभी धार्मिक त्यौहारों की छुट्टियां मिलती हैं, मजदूरों को नहीं। यह अनुचित है।

अब मजदूरों को भी छुट्टियां देने की बात स्वीकार की जाने लगी है कि वह उद्योग और उत्पादन के हित में ही होगा। मजदूरों को भी सामाजिक जीवन में भाग लेने के अवसर देने चाहियें। उससे उनकी शक्ति ही बढ़ेगी और उससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

अन्य देशों के मजदूरों को इतनी अधिक सवेतन छुट्टियां तो नहीं मिलतीं, लेकिन उनके काम की परिस्थितियां भी तो भारतीय मजदूरों से कहीं अच्छी हैं। इसलिये, दोनों की तुलना करना गलत होगा। श्री आचार ने इस पर आपत्ति की है कि देश के सभी भागों के मजदूरों के लिये धार्मिक छुट्टियों के एक ही दिन निश्चित कर दिये जायें। लेकिन, विधेयक का मंशा तो केवल यही है कि दिन निश्चित न करके, छुट्टी के दिनों की संख्या निश्चित कर दी जाये। मैं तो उसका यही अर्थ

†मूल अंग्रेजी में

समझा हूं। यदि सरकार निश्चित कर दे कि वर्ष भर में १५ सवेतन छुट्टियां दी जायेंगी, तो फिर उनके दिनों का निर्धारण राज्य सरकारें कर सकती हैं। किन धार्मिक दिवसों की छुट्टियां दी जायें, यह राज्य सरकारें मजदूरों से परामर्श करके तय कर सकती हैं।

इसमें मुख्य बात तो यही है कि सरकार इसे स्वीकार करे कि मजदूरों को वर्ष भर में १५ दिन की सवेतन छुट्टियां दी जानी चाहियें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिये मजदूरों का सहयोग आवश्यक है, इसलिये श्रम मंत्रालय को मजदूरों को सामाजिक और धार्मिक जीवन में भाग लेने की सुविधायें देनी चाहियें।

उपमंत्री को इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। यदि सरकार इस विधेयक को स्वीकार नहीं करती, तो उसका यही अर्थ होता है कि वह विभिन्न विभागों के मजदूरों को छुट्टियों के मामले में समान अवसर नहीं देना चाहती, वह एक ही संस्थान में काम करने वाले क्लर्कों और मजदूरों के बीच विभेद बनाये रखना चाहती है। यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।

यह विभेद की नीति राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के प्रतिकूल है। इसे समानता का बर्ताव नहीं कहा जा सकता। यह अमानवीय है।

जबकि संविधान के अनुच्छेद ४२ में, राज्य पर यह दायित्व रखा गया है कि वह मजदूरों के लिये उचित और मानवीय परिस्थितियां पैदा करें, ये मजदूर इस प्रश्न को न्यायालय में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह कोई इतना मूलभूत अधिकार भी नहीं है। लेकिन, इस विभेद को दूर करना सरकार का कर्त्तव्य है। इसलिये, सरकार को इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिये।

इस विधेयक में केवल यही चाहा गया है कि वर्ष भर में १५ दिनों की सवेतन छुट्टियां दी जायें, उनके दिन नियत करने का इसका कोई भी मंशा नहीं है। इसलिये दिन नियत करने के सम्बन्ध में, श्री आचार की भांति, कोई भी बहस खड़ी करना संगत नहीं है।

यदि सरकार इसे स्वीकार नहीं करती, तो उसका अर्थ यही होगा कि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: जहां तक कि सबसे बाद में बोलने वाले वक्ता महोदय की बात का सम्बन्ध है, हम दोनों का दो दलों में होना ही इस बात का सूचक है कि हमारी रायों में काफी अन्तर है। माननीय वक्ता महोदय ने कहा है कि यदि मैं इसे स्वीकार करलूं तो वे मुझे इस सम्बन्ध में ईमानदार समझेंगे, अन्यथा नहीं। यदि मेरी ईमानदारी की यही कसौटी है, तो मैं इस विधेयक को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है।

एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा था कि यदि सरकार वास्तव में मजदूरों की कुछ सेवा करना चाहती है, तो उसे इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये। और, यदि सरकार इसे स्वीकार नहीं करती, तो वे समझेंगे कि विरोधी दल द्वारा दिये गये कोई भी सुझाव मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो वे मुझे न्याय प्रिय नहीं समझेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविंद बल]

में इस विधेयक का विरोध केवल इसीलिये नहीं कर रहा हूं कि यह विरोध दल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं इसे केवल इसीलिये स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि वह उचित नहीं होगा। इसको मानने से, स्वीकार करने से पंचवर्षीय योजना की प्रगति में बाधा पड़ेगी।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी है, यह बिलकुल सही है कि कर्मचारियों के एक भाग को कुछ अधिक छुट्टियां मिलती हैं। यदि उनकी छुट्टियों में कमी करने का कोई सुझाव विरोधी दल ने रखा होता, यदि उनका सुझाव यह होता कि कारखानों के मजदूरों की नहीं बल्कि क्लर्कों की छुट्टियां कम करदी जायें, तो मैं उसका स्वागत करता। मेरी व्यक्तिगत भावना तो ऐसी ही है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि ये छुट्टियां अंग्रेज शासन काल से चली आ रही हैं। अंग्रेज शासक अपनी सुविधाओं के विचार से ही छुट्टियों की संख्या बढ़ाते जाते थे। मैं तो छुट्टियों में कमी ही करने का अवसर चाहता हूं।

सरकारी दफ्तरों में, वर्ष भर में ५२ इतवारों को छोड़कर १५ दिन की आकस्मिक छुट्टी, एक महीने की रियायती छुट्टी मिलती है और इसके अतिरिक्त एक वर्ष की बीमारी की छुट्टी और उसके बाद आधे वेतन पर छुट्टियां दी जाती हैं।

यह सही है कि कारखाने में काम करने वाले क्लर्कों को मजदूरों की अपेक्षा अधिक छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन, तभी तो उत्पादन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। मजदूर ही उत्पादन करते हैं, क्लर्क तो केवल दफ्तरों का काम करते हैं। दोनों में यही अन्तर है।

इसलिये, इस अवस्था पर भारत की अन्य उन्नत देशों से तुलना करना उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ देशों में छुट्टियों की संख्या कम होने पर भी उनके काम के घण्टे अधिक होते हैं। बहुत से ऐसे भी देश हैं जहां काम के ४८ घण्टों का सप्ताह माना जाता है।

लेकिन, फिर भी उन के यहां वर्ष भर में ६ या ७ छुट्टियां ही होती हैं। विरोधी दल के सदस्य सोवियत संघ का बड़ा बखान करते हैं। वहां काम के घण्टे अधिक होने पर भी छुट्टियां केवल ६ रहती हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे देश में काम की परिस्थितियां बड़ी बुरी हैं। उन्हें देश भक्ति की कुछ अधिक भावना रखनी चाहिये। या तो उन्होंने अन्य देशों को देखा नहीं है, या फिर वे अपने देश के काम की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं। यदि वे सबसे अधिक प्रगतिशील देशों से हमारे देश के काम की परिस्थितियों की तुलना करें, तो मैं मानता हूं कि हमारे यहां सुधार की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन, हमारे यहां की परिस्थितियां कई अन्य देशों से कहीं अच्छी हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इंगलैण्ड और सोवियत संघ में मजदूरों की उपलब्धियां अधिक होती हैं। जहां तक मुद्रा का सम्बन्ध है यह सच है कि वे ज्यादा रकम लेते हैं, किन्तु यहां भी आप क्रम शक्ति की तुलना कीजिये। यदि आप काम, जीवन तथा लागत और जीवन स्तर की तुलना करें तो निस्संदेह आप देखेंगे कि इस देश की स्थिति कोई ज्यादा खराब नहीं है। आप भारत का आज के रूस से मुकाबला न करें आप यह देखें कि क्रान्ति के दस वर्ष बाद रूस की स्थिति क्या

थी। यदि उस स्थिति की तुलना की जाये तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि आज के भारत के श्रमिकों की स्थिति अधिक अच्छी है। कहा जाता है कि मई दिवस को छुट्टी होनी चाहिये किन्तु रूस में भी मई दिवस पर सवेतन छुट्टी नहीं होती है। इसी प्रकार इंग्लैण्ड में भी नहीं होती।

केरल में भी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है किन्तु वहां भी सभी संस्थानों ने ऐसा नहीं किया है। यद्यपि वहां मई दिवस से पहले ही सरकार बदल गई थी किन्तु फिर भी वहां पर ऐसा न हुआ। इसलिये अन्य राष्ट्रों से तुलना करना ठीक नहीं है हमें कुछ सांस लेने का अवसर तो मिलना चाहिये।

माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि श्रमिकों को इस प्रकार यह छुट्टी न दी गयी तब वह उत्पादन बन्द कर देंगे और यदि दूसरी योजना सफल होनी है तो इस विधेयक को स्वीकार किया जाये। श्रीमान् ऐसा नहीं है श्रमिक उस ओर बैठे माननीय सदस्यों से अधिक देशभक्त हैं।

मैं इस बात को इस कारण कह रहा हूं कि कल श्री मेनन ने कहा था कि गणतंत्र दिवस की छुट्टी श्रमिकों पर जबरदस्ती लाद दी गयी है क्योंकि उन्हें उस दिन का वेतन नहीं मिलता। आज श्री विट्ठल राव ने कहा है कि चाहे यह छुट्टियां सवेतन हों या न हों श्रमिक इन्हें अवश्य मनायेंगे। इस भावना का प्रदर्शन कल किया गया था। श्रमिक निस्संदेह प्रसन्न होंगे क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें मिली है और उसी की छुट्टी वे मनाते हैं। यह बात अधिक सार नहीं रखती कि छुट्टी अवैतनिक है या सवेतन।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : श्रीमान् मेरा एक औचित्य प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री हमारी देशभक्ति पर संदिग्ध दृष्टि से देख सकते हैं ?

†**सभापति महोदय :** वास्तव में इस प्रकार की तुलनायें अच्छी नहीं होतीं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था। किन्तु हमें यह देखना चाहिये कि कुछ दिन हुए कोई बात कही गई थी और उसी का उत्तर माननीय मंत्री ने दिया है। यदि माननीय सदस्य इसे ज्यादा ही महसूस करते हैं तो मैं माननीय मंत्री से इन को वापस लेने को कह सकता हूं।

†**श्री आबिद अली** : वह यह कह रहे थे कि श्रमिक इस मामले में सरकार को कोस रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि योजना की प्रगति रुक जायेगी।

इस मामले पर स्थायी श्रम समिति में विचार किया गया था और यह देखा गया था कि विभिन्न राज्यों, संस्थानों तथा उद्योगों में छुट्टियां भी अलग अलग होती हैं। समानता लाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। इसने यह निष्कर्ष निकाला कि सवेतन छुट्टियों की सिफारिश करना सम्भव न होगा इस कारण मामला पुनः स्थायी श्रम समिति के समक्ष आन पहुंचा। अक्तूबर, १९५७ में यह निश्चय किया गया कि इस सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट कार्यवाही न की जाये। यह भी निश्चय किया गया कि जो राज्य इस प्रकार की बातें अपने यहां जारी करें पहले उनका अनुभव देख लिया जाये। स्थायी श्रम समिति में इस प्रकार का निर्णय किया गया था जिसमें माननीय सदस्य का दल भी सम्मिलित था। ऐसी बात नहीं है कि हम इस सम्बन्ध में स्वयं किसी विधेयक को रख रहे हैं वह चाहते हैं कि राज्य अपनी विधियां बनायें इस कारण भी हम इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस दिन सब को ही छुट्टी दी जाये तब दो गाड़ियां भी बन्द करनी पड़ेंगी।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

यदि २६ जनवरी तथा १५ अगस्त को पानी और बिजली के कर्मचारियों को भी छुट्टी दे दी जाये तब तो उन दिनों वह भी बन्द हो जायेगा।

यदि इन दिनों पर सभी को छुट्टी दी जाये तो मैं प्रार्थना करूंगा कि चालक कर्मचारी भी आखिर हैं तो कर्मचारी ही। यह तो तभी संभव हो सकता है जब कि गाड़ियों को बंद कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त हमारा देश भी तो विशाल है आप त्रिपुरा तथा अंडमान को ही लीजिये उनके यहां दुर्गा पूजा की ११ छुट्टियां होती हैं। एक राज्य से दूसरे में यह घटती ही जाती हैं। तामिलनाड, केरल तथा आंध्र में पोंगल मनाया जाता है इस तरफ दशहरा, होली आदि त्योहार मनाये जाते हैं। इस प्रकार इस बात को मानना बड़ा कठिन हो जाता है।

दिल्ली प्रशासन में ३५ छुट्टियां हैं और शनैः शनैः कम हो कर ये २३ ही रह जाती हैं। केन्द्र में २३ छुट्टियां होती हैं और केरल में केवल १९। इसलिये समिति ने जब इस प्रश्न पर विचार किया था तब देख लिया था कि चूंकि यह देश बहुत बड़ा है इस कारण एक समान नीति यहां नहीं रखी जा सकती उन्होंने तब यही निर्णय किया था कि अभी मामले को वहां पर ही रहने दिया जाय और जब कभी संभव हो जाये तब किसी समान निर्णय पर पहुंचा जाये किन्तु हम यह वचन नहीं दे रहे हैं कि इस प्रकार का कोई विधेयक रखा जायगा। इस समय किसी की भी यह इच्छा नहीं है।

जैसा कि मैं ने पहले कहा है इच्छा यही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाया जाये। श्रमिकों को योजना के उद्देश्य का ज्ञान है। वे जानते हैं कि वे किसी दूसरे के लिये काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वह राष्ट्र के लिये काम कर रहे हैं। और जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही ज्यादा उनका राष्ट्र मजबूत होगा इसलिये यह कहना कि श्रमिक उस तरह की कार्यवाही नहीं करेंगे गलत है। श्रमिक तो योजना को सफल बनाने के लिये उद्यत हैं। उन्हें पता है कि उनकी स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी।

हम अपने राष्ट्र को निठल्लों का राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। जर्मनी का उल्लेख किया गया। जर्मनी में क्या हुआ था। युद्ध के बाद मृतप्राय जर्मनी के लोगों ने कड़ी मेहनत की। उन लोगों ने रविवार तक को भी आराम नहीं किया। वे आज भी १४ घण्टे प्रतिदिन काम करते हैं। विनोबाजी ने यहां श्रमदान आरम्भ किया है किन्तु वहां के लोग रविवार को श्रमदान पहले ही देते थे। सभी लोग पर्याप्त समय देते थे क्योंकि युद्ध में सभी पुल, सड़कें, सरकारी भवन समाप्त हो गये थे। थोड़े ही वर्षों में पराजित जर्मनी उन राष्ट्रों से भी बलशाली हो गया है जिन्होंने इसे हराया था। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र के वैभवशाली होने पर सभी प्रसन्न होंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे विधेयक को वापस ले लें। लोगों को श्रद्धापूर्वक परिश्रम से काम करना चाहिये।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जो कुछ इस बारे में उपमंत्री महोदय ने कहा है वह बिलकुल गलत है। उनका कहना है कि इससे पंचवर्षीय योजना के कार्य में रुकावट पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूं कि यदि कर्मचारी किसी विशेष दिन छुट्टी करें तो उसके बदले रविवार को काम किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन में कोई कमी नहीं आ सकती। दूसरे देशों की जहां तक बात है, वहां छुट्टियां तो कम हैं परन्तु वहां कर्मचारियों को दी गयी सुविधायें कहीं अधिक हैं। यह विधेयक तो बड़ा सरल है, हमें अन्य देशों में दी जाने वाली सुविधायें नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिएं और न ही उसका उल्लेख हो इस विधेयक में है। इस का उद्देश्य तो केवल यह है कि विशेष राष्ट्रीय पर्वों पर श्रमिकों को छुट्टी दी जा सके, और उसकी कमी रविवार को पूरी कर ली जाय।

यह भी ठीक ही कहा गया है कि इस सम्बन्ध में विस्तृत आधार पर एक सी नीति नहीं बनाई जा सकती। अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग पर्वों को मान्यता है। परन्तु इस सम्बन्ध में विशेष छुट्टियों का निर्णय सम्बद्ध राज्य सरकारें कर देंगी। यह जरूरी नहीं कि विशेष धार्मिक पर्वों को राष्ट्रीय पर्व मान कर उस दिन को छुट्टी का दिन घोषित किया जाये। इस विधेयक म राष्ट्रीय महत्व के दस दिनों का विशेष रूप से उल्लेख है। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा।

मैं सभा से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील करता हूं।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि समस्त औद्योगिक कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों को सवेतन छुट्टी को एकरूप प्रणाली निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में २९ विपक्ष में ८९।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिये दंड सम्बन्धी विधेयक

श्री राधा रमण (चान्दनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

सभापति महोदय, मैं आपके गौर के लिए एक छोटा सा विधेयक रखने जा रहा हूं। मेरा यकीन है कि इस सदन के मैम्बरान इस विधेयक पर निहायत संजीदगी के साथ गौर करेंगे और सरकार भी उसको बहुत गौर के साथ और सोच विचार के बाद मंजूर कर लेगी। इस बिल के अगराज़ात और मकासद यानी उद्देश्यों में मैंने लिखा है कि हमारे मुल्क में औरतों और लड़कियों के साथ बहुत बदसलूक और दुर्व्यवहार होता है और ऐसे बहुत से जुर्म हमारे मुल्क में होते हैं कि जिन का कोई इलाज, जो इस वक्त हमारे यहां इंडियन पीनल कोड है और उसको जो इस सम्बन्ध में धारायें हैं, उनसे होता नजर नहीं आता है। आज हिन्दुस्तान को आज़ाद हुए करीब करीब दस बरस हो चुके हैं और हमने इस चीज़ को अपनी कांस्टीट्यूशन में रखा है कि हमारे मुल्क में मर्द और औरत के दरम्यान कोई फर्क नहीं होगा और उनको सब वे अधिकार प्राप्त होंगे जो दूसरों को हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। लेकिन अगर हम चारों तरफ देखें, तो हम पायेंगे कि आज वे बातें हो रही हैं जो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं।

यह ठीक है कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कानून पास किये हैं जिन के द्वारा हमने समाज सुधार का बहुत सारा काम किया है और आज भी वे कानून हमारे मुल्क में रायज हैं। लेकिन इन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

कानूनों के होते हुए भी आज जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हम ऐसे बहुत सारे जुर्म देखते हैं कि जो किसी भी सभ्य दुनिया में या किसी भी सभ्य देश में नहीं किये जाने चाहियें और जिन को करने की किसी भी समाज के अन्दर इजाजत नहीं हो सकती।

मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस विधेयक को अगर आप देखें तो आप पायेंगे कि यह बहुत खफीफ़ सा और बहुत मुख्तसिर सा विधेयक है। इसको लाने का मेरा मंशा सिर्फ एक है। मैं यह चाहता हूं कि इस किस्म के जो जरायम हैं जो हमारे मुल्क में होते हैं उनके लिए जो सज़ा अब तक रखी गई है वह या तो पूरे तौर पर नहीं दी जाती है, इसलिए वे बेकार साबित होती है या जो सजा दी जाती है वह नाकाफी दी जाती है और कानूनी तरीकों से जो उन जुर्मों का फैसला किया जाता है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो साबित नहीं हो पाती हैं। मेरा यह कहना है कि हमारे मुल्क में करीब करीब ९० फीसदी, ऐसे केसिस होते हैं कि जहां स्त्रियों के साथ या लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वे सामने आते ही नहीं हैं क्योंकि हमारी बहनों को तथा हमारी माताओं को कुछ ऐसी ट्रेडिशंस में पाला गया है, कुछ ऐसे रिवाजों के मातहत रखा गया है कि वे इस चीज़ को बहुत खराब समझती हैं और उन्हें सामने लाना मुनासिब नहीं समझती हैं।

एक तरफ तो यह बात है कि वह इनका ज़िक्र नहीं करतीं दूसरी तरह यह भी है कि जहां इस तरह की बातें सामने आती हैं वहां चाहे पुलिस हो और चाहे कोई और एजेंसी हो वह उन रिपोर्टों को दर्ज भी नहीं करती। इसका नतीजा यह है कि यह जुर्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि अभी कुछ अर्सा हुआ जब इस तरह का एक इशारा अखबारों में भी हुआ था और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी यह इशारा किया था कि दिल्ली में और दिल्ली के अलावा भी हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में बहुत सारी जगहों में हमारी बहनें दफ्तरों में काम करती हैं या कहीं और मुलाज़मत करती हैं, वहां पर उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता है जैसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए।

मुझे इस किस्म के कई केसेज़ मालूम हैं। मैं यह जानता हूं कि अभी चन्द महीने हुए जब एक ऐसी बहिन थी जिसने अपना पेट भरने के लिए क़रीब क़रीब हर जगह पर नौकरियां तलाश कीं। वह बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी लेकिन जिस दफ्तर में वह गई उस दफ्तर में वह ६ महीने से ज्यादा नहीं रह सकी और उसकी एक खास वजह यह थी कि जो मालिकान थे या उस दफ्तर के अन्दर बड़े अफसरान थे, वह उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करते थे जैसा कि वह ख्याल करके गई थी। नतीजा इसका यह हुआ कि वह बेचारी एक जगह से मुलाज़मत छोड़ कर आई, दूसरी जगह उसने मुलाज़मत की वहां पर भी उसे यही तजुर्बा हुआ और जब तीसरी जगह उसने मुलाज़मत की तो उसको वहां भी वही तजुर्बा हुआ। यह अक्सर कहा जाता है कि ऐसे जुर्म की सजा के लिए हमारे पास कानून मौजूद हैं। इंडियन पैनेल कोड की धाराओं को देखने से ज़ाहिर होता है कि इस किस्म के वाकयों की जो हमारे सामने मिसालें आती हैं, उनके लिए क़ानून के अन्दर बहुत काफ़ी और सख्त सज़ाएं देने की तजवीज़ मौजूद है। लेकिन अगर आप उन तमाम मुकद्दमों को जो कि हमारी अदालतों में जाते हैं देखें और उनके नतीजे पर गौर करें तो आप इस बात से इत्तिफ़ाक करेंगे कि ऐसे केसेज़ के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद ऐसे नतीजों की निकलती है जिनमें मुलज़िम या जो जुर्म करने वाले होते हैं वे स्कौट फ्री बिलकुल छुट जाते हैं और उन पर कोई इलज़ाम आयद नहीं होता।

अभी चन्द दिन हुए जब मेरे पास एक खत आया था जिसका कि जिक्र में यहां पर करना चाहता हूं। यह खत मुझे एक फौजी की बेवा ने लिखा है और उसने पुरजोर अल्फाज में यह अपील की है कि हम चाहते हैं कि मेम्बरान पार्लियामेंट इस तरफ लोगों का ध्यान खींचें कि हम बहुत सारी बेवाएं हैं जिनको अपने पतियों को पेंशन लेने के लिए दफ्तरों में जाना पड़ता है और वहां पर उनके साथ तरह तरह की बदसूलकी होती है। उन्होंने लिखा है कि दुखिया बेवाओं की जो कि पेंशन हासिल करने के लिए डाकखानों, बैंकों, खजानों और तहसील आफिसों के क्लर्कों के पास जाती हैं, उन क्लर्कों से हमारी इज्जत बचायें। हम देहातों में चक्कर लगाकर दफ्तरों में खुद हाजिर होती हैं लेकिन हमारे साथ बहुत बदसूलकी होती है। मोटर के अड्डों ,रेलवे स्टेशंस और खजानों में, हर जगह अपनी इज्जत का हमें खतरा रहता है और औरतों का चलना फिरना तक मुश्किल है। मैं उस सारे खत को यहां पर पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दफ्तरों में, खजानों में या पुलिस स्टेशनों में जो व्यवहार उनको मिलना चाहिए, जो हिफाजत कानून के जरिए उनकी होनी चाहिए या जो सामाजिक वातावरण उन्हें मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिलता है और वे तरह तरह की परेशानियों में मुब्तिला रहती हैं और उनको इस बात की जरूरत पड़ती है कि वह किसी न किसी किस्म की हिफाजत चाहे किसी लेजिस्लेशन के जरिए और चाहे किसी और तरीके से हो वे हासिल करें।

थोड़ा अर्सा हुआ मेरे पास कुछ और चिट्ठियां आई थीं जिनसे यह जाहिर होता था कि स्कूलों और कालिजों के बहुत सारे लड़के किसी भी लड़की का पता प्राप्त करके, एक खत उसको लिख देते हैं और उसमें अनापशनाप चीजें लिखी होती हैं, लैंग्वेज उसकी ऊटपटांग रहती है, भाषा उसकी ठीक नहीं होती और तरह तरह की बातें लिखी होती हैं। ऐसे खतों को अगर आज हम पुलिस स्टेशनों में भेजें या तहकीकात करायें तो मैं समझता हूं कि अन्त में जाकर उसका कोई खास नतीजा नहीं निकलता है। हमारे जो कानून बने हुए हैं उनको अमल में लाने का जो तरीका है वह काफी लम्बा है और वह बहुत काफी खर्चीला है और उस कानून के जरिए वह कामयाबी नहीं होती जो कि हमें चाहिए। आज जब कि हमारे संविधान द्वारा भाई और बहिनों को, औरतों और मर्दों को समान अधिकार मिले हुए हैं, एक समान माना है, तो ऐसे मौके पर जब इस किस्म का कोई जुर्म हमारे सामने आये तो हमारे हाथ इतने मजबूत होने चाहियें, सोसाइटी की तरफ से ऐसे कानून होने चाहियें कि जिन पर अमल करने से वह चीज कम हो सके या वह चीज खत्म की जा सके।

अभी थोड़ा अर्सा हुआ जब मुझे अफगानिस्तान जाने का मौका हुआ। मैं वहां कुछ दिन रहा और मैं ने वहां पर खास तौर से यह पूछा कि वहां स्त्रियों के प्रति पुरुषों का कैसा सलूक है तो मुझे यह पता लगा कि उनके वहां इस्लामी शरियत के मुताबिक बड़े सख्त कानून हैं और भले ही हम उनके वहां जो इस्लामी कानून रायज हैं बारबरस कहें या वहशियाना कहें, लेकिन यह बात जरूर है कि उस कानून के रहते किसी इंसान की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह किसी औरत के ऊपर किसी किस्म का हमला करे या किसी किस्म की उसके साथ बदसलूकी करे। वहां इस किस्म का कानून रायज है कि अगर कोई मर्द किसी औरत की बेहुरमती करता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है यहां तक कि उसको आम पबलिक मैदान में खड़े करके पत्थरों से मारा जाता है। हम यह कह सकते हैं कि वह एक वहशियाना तरीका है और

[श्री राधा रमण]

उसको हम अपने यहां नहीं अपना सकते लेकिन आज हम अपने मुल्क के मौरेल को और अपने मुल्क के इंसानी अखलाक को बढ़ाना चाहते हैं और यह भी ठीक है कि यह चीज सिर्फ लेजिस्लेशन या कानून से नहीं हो सकती बल्कि इसके लिए हमें अनुकूल वातावरण भी पैदा करना होगा और हम उस अबोहवा को पैदा करने के लिए कानून की मदद ले सकते हैं । मेरे इस विधेयक को यहां पर पेश करने का मकसद केवल इतना ही है कि मैं चाहता हूं कि देश के लोगों की निगाह इस तरफ जाय ।

अभी चन्द दिन हुए जब अखबार में यह खबर छपी थी कि हमारे दिल्ली के हैंडी-क्राफ्ट इम्पोरियम में जो लड़कियां काम करती हैं वे जब शाम को वहां से फारिग होकर घर जाने के लिए निकलती हैं तो कुछ धुंधला वक्त हो जाता है, नौजवान लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं और उनको तंग करते हैं, पुलिस वाले खड़े देखते रहते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते । अगर कोई लड़की हिम्मत करके यह बात कह भी देती है तो भी उसका कुछ विशेष नतीजा नहीं निकलता । इसलिए मैं सरकार से और अपने तमाम सदस्य भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा कि जरूरत इस बात की है कि हम लोग इस ओर ध्यान दें और एक ऐसी आबोहवा पैदा करें और कुछ ऐसे कानून हमारे सामने हों जिनके रहते हर एक इंसान इस तरह का दुर्व्यवहार करता हुए डरे और ऐसा गलत काम न करे और हम यह कह सकें कि संविधान में हमने अपनी बहिनों को जो प्रोटेक्शन दिया है, वह सही मानों में अमल में आता है । संविधान में हम यह रख देते हैं लेकिन अगर अमल में वह नहीं आती है तो वह एक डैड लेटर हो जाता है और उससे वह नतीजा नहीं निकलता जो हम निकलता देखना चाहते हैं और उसी के लिए मैं ने यह बिल हाउस के सामने रखा है । मैं मानता हूं कि मैं कोई एक वकील नहीं हूं और न ही मैं कोई एक ड्रैफ्ट्समैन हूं इसलिए यह मुमकिन हो सकता है कि इसमें खामियां रह गई हों । मैं ने अपने विधेयक में जो इस जुर्म के लिए सजा तजवीज की है, मुमकिन है कि वह कुछ ज्यादा नजर आती हो लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के मामलों में ज्यादा से ज्यादा सजा भी कम से कम समझनी चाहिये । क्योंकि इस में किसी किस्म का कोई ढीलापन रखना मुनासिब नहीं है । आज हमारी सोसायटी बढ़ रही है, हम समाज को बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि स्त्री पुरुष मिल कर समाज की प्रगति में हिस्सा लें, और अगर हम वाकई में उन को तरक्की में अपने साथ देखना चाहते हैं तो हमें उन को वह तमाम प्रोटेक्शन देना पड़ेगा. तमाम हिफाजत करनी पड़ेगी, कानून के जरिये भी और आबोहवा पैदा कर के भी, जिस की वह मुस्तहक हैं, जिस के बिना वह तरक्की में हमारा साथ नहीं दे सकती हैं, हमारे शाना ब शाना नहीं चल सकती हैं । अगर हम मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो हमारे लिये आज इस बात की जरूरत है ।

इसलिये मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो कानून मैं ने मुख्तसरन् आप के सामने रक्खा है, उस का मकसद यह है कि औरतों के साथ बढ़ती हुई बदसलूकी और बढ़ते हुए दुर्व्यवहार को रोका जाय, उन को किसी ऐसे तरीके से डील किया जाय कि यह खत्म हो सकें या कम से कम हो सकें । और हम अपने समाज के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकें कि हमारी बहनें और मातायें पूरी हिफाजत पा सकें और वह हमारे साथ मिल कर हमारे कामों में पूरी तौर से हिस्सा ले सकें, और वह भी आजादी के साथ ले सकें, उन को किसी किस्म का डर और खदशा न होना चाहिए ।

एक और बात आखिर में कह कर मैं इस बिल को आप के सामने पेश करूंगा। मुझे एक साल हुआ जब चीन में जाने का मौका हुआ था। वहां पर भी स्त्री पुरुषों के लिये कानून बने हुए हैं और काफी लड़कों और लड़कियों को आपस में मिलने और साथ साथ काम करने का मौका मिलता है। बड़े बड़े कारखानों में भी आप जायें, तो देखेंगे कि जो छोटे दर्जे के लोग हैं, या जिनकी तनख्वाहें कम हैं, वह मर्द और औरतें दोनों मिल कर काम करती हैं, और मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे मुश्किल काम करते हैं जिन के अन्दर सख्त से सख्त मेहनत है, यहां तक कि उन के पसीना निकलता है, लेकिन इस के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई लड़का किसी लड़की की तरफ बेजा तरीके पर, आंख उठा कर देख सके, छेड़छाड़ का तो कहना ही क्या। और जब मैं ने पूछा कि इस का राज क्या है, तो उन्होंने बतलाया कि इस के दो राज हैं। एक तो यह है कि आज जो हमारी सरकार है वह इस मामले के अन्दर इतनी सख्त है कि अगर कोई लड़की झूठ भी आकर कह दे कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, तो उसे सख्त सजा मिलती है जो इबरत अंगेज होती है। हो सकता है इस मे कुछ नुक्सान भी होता हो, किसी गलत आदमी को सजा मिल जाती हो, लेकिन हम इस तरह की हजारों गल्तियां को रोक सकते हैं, जिन की वजह से हमारा समाज कमजोर हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि उन के कानून भी ऐसे हैं जिन के जरिये अगर कोई ऐसी बात होती है तो बहुत आसानी में मुजरिम को सजा मिल सकती है, और वह सख्त होती हैं। इसलिये अगर आज हम अपनी बहनों को और भाइयों को बराबर का अधिकार दे कर आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो हमें इस किस्म का एक कानून पास करना होगा और ऐसे जराय अख्तयार करने पड़ेंगे जिन के जरिये अगर कोई ऐसे जुर्म हमारे सामने आयें तो हम उनको सख्त सजाओं के जरिये रोकें और साथ ही दूसरों को ऐसा करने की हिम्मत न हो। आज हमारे मुल्क में एक ऐसी हवा पैदा होनी चाहिए कि जिससे हम तेजी से तरक्की की मंजिल पार करते जायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को आप के सामने पेश करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा): सभापति महोदय, अभी जो बिल सदन के सामने आया है, उस को मैं ने गौर से देखा। जहां तक इस बिल की स्पिरिट है, उस का खुद मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मोलेस्टेशन में जो कुछ शामिल किया गया है, उस सब के लिये हमारे पास ऐसे कानून मौजूद हैं कि सजायें दी जा सकती हैं। मैं नहीं समझता कि हर क्राइम को रोकने के लिये कानून बनाना जरूरी है। स्वयं माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जुर्म को रोकने के लिये देश में कानून बनाया जाय। माननीय सदस्य का कहना है कि जब लड़कियां जाती हैं तो बहुत से लोग उन को छेड़ते हैं, लेकिन उन छेड़ने वालों का पुलिस कुछ नहीं करती। म तो पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां क्या करती है? अगर पुलिस ही करप्ट है तो मैं कहता हूं कुछ नहीं हो सकता है। कत्ल और डकैतियों में पुलिस कुछ नहीं करती, दूसरे जुर्मों के लिये पुलिस कुछ नहीं करती। अगर कानून बना दिया जाय, और पुलिस ज्यों की त्यों बनी रहे, तो लाजिमी तौर पर वह कुछ करने वाला नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को अगर दूसरे ढंग से लाया जाता तो अच्छा होता।

यह सही है कि हमारे देश में इस तरह के अनेक कांड हो रहे हैं, यह बड़ी ही शर्मनाक बात है, और यह भी सही है कि हमारे देश में औरतों के प्रति लोगों की जो भावनायें

[श्री सरजू पांडे]

हैं, वह भी बहुत खराब हैं, यह भी सही है कि जितना प्रोटेक्शन उन को मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है। लेकिन जहां तक कानून का सम्बन्ध है, वह सारी की सारी चीजें आई पी सी में मौजूद हैं और उस में ऐसी व्यवस्था मौजूद हो जिससे इस तरह के काम करने वालों को सजा दी जा सके। लेकिन मैं फिर यह अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे कितना भी कानून बना लीजिये, यह आप की मर्जी की बात है, यहां रोज कानून पास होते हैं, लेकिन रोज कानून बना कर उन पर अमल कितना होता है ? उस पर अमल तभी हो सकता है जब कि अमल करने वाले उस पर ईमानदारी से अमल करें। अगर पुलिस ही ऐसी है तो मजबूरी है, आप चाहे जितना कानून बनाइये, पुलिस कुछ करने वाली नहीं है। देश में सैकड़ों चीज रोज होती रहती हैं, हर सूबे में, हर जिले में होती रहती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती तो क्या हो सकता है ? जहां तक मैं समझता हूं, अगर इस कानून को पास किया जाये तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, जैसा कि खुद माननीय सदस्य नें कहा है, रेलवे स्टेशनों पर या दूसरी जगहों पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कहीं भी कोई स्थान नहीं है जहां पर हम औरतों को प्रोटेक्शन दे सकें। उन्होंने रशिया और चाइना की मिसाल दी। मैं खुद तो इन मुल्कों में नहीं गया हूं, लेकिन मैं ने उन जगहों के बारे में पढ़ा है। जो लोग गये हैं उन्होंने बतलाया है कि रेलवे स्टेशनों पर औरतों के रहने के लिये अलग इन्तजाम रक्खा गया है। उन्होंने बताया कि वहां औरतें आजादी से अपने बच्चों को खिला पिला सकती हैं, रख सकती हैं, उन को छेड़ने वालों को सजायें भी दी जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ वहां यह भी है कि वहां के जो अधिकारी हैं, जो अफसर प्रबन्ध करने वाले हैं, उन के चरित्र बहुत ऊंचे हैं। अगर हमारे देश में इस किस्म के कानून बनाये जांय तो मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत से केसेज रोज खुद पुलिस बना डालेगी। सैकड़ों मुकदमे पुलिस रोज खड़े कर सकती है और लोगों को फंसा सकती है, जिस का कोई इलाज हाउस के पास नहीं है। आज भी जितने अख्तयारात पुलिस को हासिल हैं, वह उन का इस्तेमाल नहीं करती। उसे और अख्तियारात दे दिये गये तो वह झूठे केसेज में लोगों को फंसायेगी और सजा दिलायेगी। इस लियें मैं समझता हूं कि अगर यह कानून इस सम्बन्ध में पास ही कराना हो तो पास करा लें, लेकिन इस बात की साफ व्यवस्था होनी चाहिये कि वे गुनाहों को सजा मिले। अगर सिर्फ छेड़छाड़ करन के लिये, या जो परिभाषा के लिये चीजें दी गई हैं वह सारी की सारी चीजें कानून में मौजूद हैं। अगर यह बिल पास कर के दे भी दिया गया पुलिस को, तो लाजिमी तौर पर इस से औरतों का बचाव तो कम होगा, लेंकिन पुलिस को इस तरह के केसेज बनाने का अख्तयार जरूर हो जायेगा, यह अख्तयार जरूर हो जायेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें।

इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बिल को दूसरे ढंग से लायें ताकि हमारे देश की स्त्रियों की रक्षा हो सके और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो कि सही मानों में क्रिमिनल हैं, उन्हें सजा दी जा सके। इस से किसी क्रिमिनल को सजा तो नहीं मिलेगी लेकिन पुलिस वालों को इतना बड़ा हथियार मिल जायेगा कि जिस आदमी को चाहे अदालत के कठघरे में ला कर खड़ा कर दें। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य बिल को दूसरे ढंग से पेश करें। लेकिन जहां तक बिल की स्पिरिट का सवाल है, इस को मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विधेयक भवन के सामने प्रस्तुत किया है उसकी भावना तो बहुत पवित्र है और इस देश में अनुकरण करने योग्य है । ऐसे विधेयक कई राज्य सरकारों ने भी पास किये और उनको पास करते समय सदस्यों ने बहुत ऊंची भावना के साथ उनका स्वागत किया । इस सदन में भी हमने औरतों का अनैतिक धन्धा रोकने के लिए एक विधेयक पास किया है ।

आज हम देखते हैं कि देश में कालिजों में सह शिक्षा का प्रसार हो रहा है । इसके कारण देश का नैतिक स्तर इतना नीचा गिर रहा है कि हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । जिस समय हिन्दू कोड बिल का एक अंग यहां पारित हो रहा था उस समय मैंने कहा था कि समाज में ऐसे ढीले व्यवहार को नहीं होने देना चाहिए जो अनैतिकता का रूप ले सके । उस भावना की सदस्यों ने और माननीय मंत्री महोदय ने कद्र की पर मेरा सुझाव उस समय नहीं माना गया । यह बात आज की नहीं है । सैकड़ों वर्षों से हम इस चीज को भुगतते आ रहे हैं । ज्यों ज्यों किसी शहर की आबादी बढ़ती है, ज्यों ज्यों कारखाने खुलते जाते हैं, ज्यों ज्यों मालिक और मजदूर का प्रश्न पैदा होता जाता है, ज्यों ज्यों अमीर और गरीब का भेद बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इस अनैतिक-कार्य का प्रसार होता जाता है जिससे किसी भी सज्जन का सिर शर्म से नीचे झुक जायेगा ।

इस विधेयक की भावना बहुत ऊंची है पर इसका शाब्दिक रूप ठीक नहीं है । माननीय सदस्य ने कहा भी है कि वह वकील नहीं हैं । अगर इस भावना से मंत्री महोदय को प्रेरणा मिल जाये तो वे इसको फिर से ड्राफ्ट करवा सकते हैं ।

हमारे देश में ऐसे बहुत से कानून बने लेकिन वे केवल कानून की किताबों में ही रह गये, पुस्तकालयों में केवल देखने और पढ़ने के लिए ही रह गये हैं । उन पर अमल होना बहुत मुश्किल हो गया है । आज हालत यह है कि आज आदमी गरीबी से तड़पता है । कुछ वर्ष पहले जब चीन में च्यांगकाईशेक का राज्य था तो उस समय हमने सुना था कि चीन में अनाचार बहुत ही ज्यादा होता है । अब भी समाचार पत्रों से मालूम होता है कि हांगकांग में और दूसरे स्थानों में किस प्रकार से व्यभिचार होता है । रूस में किसी समय में फैक्टरी मैरिजेज होते थे । पर अब जो चीन और रूस में सुधार हुआ है उससे हमारे देश को भी प्रेरणा लेनी चाहिए । हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े धर्मों के प्रवर्तक हुए । इस देश के नैतिक स्तर का लोहा संसार मानता है । फिर भी आज हमारे देश में करोड़ों लोग इस प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं और खास तौर से देहात का अपढ़ आदमी खुले आम करता है पर उसको बुरा नहीं मानता । पर जब हम अपने बड़े बड़े नगरों में रहने वाले सभ्य नागरिक कहे जाने वालों की और कालिजों के छात्रों की इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखते हैं तो हमारा सिर नीचे झुक जाता है । इसी कारण देश के किसी भी रचनात्मक कार्य में हमारा मन नहीं लगता, रात दिन इसी प्रकार की चिन्ता करते रहते हैं और जब कोई चीज सामने आ जाती है तो न जाने क्या कर बैठते हैं । यह बहुत बड़ी समस्या है । देश में इस समस्या को हल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करें परन्तु सरकार को भी इसे संगीन रूप से देखना चाहिए तभी हम देश के करोड़ों लोगों का फायदा कर सकते हैं ।

कहा जाता है कि समाज में जो शोषित और दलित हैं उनके बीच में ये चीजें चलती हैं । लोग यहां पर कहते हैं कि उनके यहां पर तो यह प्रथा है । चाहे कोई प्रथा दुनिया में हजारों लाखों सालों से चली आ रही हो, लेकिन अगर उस प्रथा से देश को

[श्री जांगड़े]

इज्जत को धक्का पहुंचता है और देश के सतीत्व को धक्का पहुंचता है. मानव की इज्जत को धक्का पहुंचता है तो हमें उस प्रथा को समाप्त कर देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए । पर हमारे यहां ऐसे कार्यों के प्रति कुछ अति उदारता दिखायी जाती है । यह अति उदारता देश के लिए घातक है । इस प्रकार हमने देश के संयम को तोड़ा है और देश में अनुशासनहीनता पैदा की है । इस प्रकार की प्रथाओं की छूट के कारण हमारे देश का नैतिक स्तर आज बहुत नीचा गिरता जाता है । इसी कारण आज देश में शराब खोरी बढ़ रही है । यह तो अनैतिक व्यवहार का अंग है । जो व्यभिचार करता है वह शराब भी पीना सीखता है । उसके बाद घूसखोरी भी सीखता है । जब तक हम इन चीजों को संगीन रूप से नहीं देखते, और सरकार का आरक्षी मुहकमा और खुफिया मुहकमा और राज्य सरकारों के वे अधिकारी जो इन कानूनों पर अमल करवाते हैं वे इस ओर ध्यान नहीं देते तब तक हमारा देश सुधर नहीं सकता ।

अदालतों में भी इस कार्य के खिलाफ ठीक से कार्रवाई नहीं होती । मैं अपने जूडीशियल विभाग को दोष नहीं देता । आप तो एडवोकेट रहे हैं आपका अनुभव होगा कि इन मामलों में क्या होता है । जो आदमी औरतों का अनैतिक व्यापार करता है उसकी कोई पकड़ नहीं है । किस अदालत में उसको ले जाया जाये इसका कोई इन्तिजाम नहीं है । गरीब आदमी कहां से गवाही लावे, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, पुलिस इस को कागनिजेंस में नहीं लेती । इसका परिणाम यह होता है कि हजारों औरतें कलकत्ता और बम्बई और दूसरे शहरों में अनैतिक व्यापार के लिए ले जायी जाती हैं । कुछ समय बाद यह काम उनकी आदत में शामिल हो जाता है । उसके बाद वे कुटनी का काम करती हैं और दूसरी औरतों को भी उसी रास्ते पर ले जाती हैं । यह हालत है । जब हम इस चीज को कहते हैं तो कहा जाता है कि इस बारे में हर एक को स्वतंत्रता है । अदालतें इन मामलों में उदारता दिखाती हैं । अगर पुलिस मामला पेश करती है तो उसको प्रोसीक्यूशन की किसी कमी की वजह से छोड़ दिया जाता है । इस प्रकार जो आदमी छूट जाता है उसकी भावना बढ़ती है और वह गांवों में जाकर अत्याचार करता है ।

मैं कहता हूं कि बड़े बड़े शहरों में हजारों औरतें बिना मर्दों के बनी रहती हैं । कुछ औरतें पुरुष के रहते हुए भी अनैतिक व्यापार करती हैं । कुछ औरतों के माता पिता उनको प्रलोभन देकर इस काम में डालते हैं और अपने सामने यह चीज कराते हैं । जब इसके बारे में रोकने को कहा जाता है तो उत्तर मिलता है कि जब दो आदमी राजी हैं तो क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं । यह बात मैं नहीं समझ सकता । सरकारी अफसर, एस० पी० आदि देखते रहते हैं पर न इसको रोकने का प्रयत्न किया जाता है और न इसके लिए सजा दी जाती है । मैं १५ वर्ष की उम्र से इस काम में पड़ा हूं और इसके कारण बदनाम भी हुआ । पर मैं देखता हूं कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती और न कोई संस्था और इस ओर ध्यान देती है । जब तक शासन इस बारे में कठोरता न करे और इसको रोकने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार न करे तब तक यह नहीं रुक सकता । मैं चाहता हूं कि एक कठोर विधेयक बनाया जाये, उसे पास किया जाय और सख्ती से उस पर अमल किया जाये और प्रान्तों को भी ऐसा करने की हिदायत की जाये तभी हम देश में सुधार कर सकते हैं ।

इस के साथ ही साथ में एक सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे देश में जो सह शिक्षण प्रणाली है उसे मैं बुरा मानता हूं, खासकर कालिजों में औरतों के लिये अलग शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये और पुरुषों के लिये अलग।

जो बडे बडे सिनेमागृह हैं उनके कारण बड़ी अश्लीलता बढ़ गयी है। ये हमको गिराते हैं और देश में अनैतिकता का प्रसार करते हैं। इस सम्बन्ध में सेन्सर बोर्ड कोई ध्यान नहीं देता है और हमारी जो दूसरी संस्थायें हैं, वे भी ध्यान नहीं देती हैं। हम भ्रष्टाचार के लिये प्रचुर साधन और अवसर उपलब्ध करते हैं। इस वस्तुवादी संसार में पुरुष का हृदय कमजोर है, उसका नैतिक स्तर ऊंचा नहीं है। जब उस के सामने साधन और अवसर होता है, तो वह जुर्म करने के लिये तत्पर हो जाता है। यहां दिल्ली में देखिये। यहां बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े सिनेमाघर हैं। जितनी घनी बस्ती होगी, जितना अधिक फैशन होगा, जितने ज्यादा होटल होंगे, उतने ही ज्यादा जुर्म बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमको इस सम्बन्ध में चाइना और रूस का अनुकरण करना होगा। वहां उन्होंने इन चीजों को बन्द कर रखा है। वहां चाहे किसी भी दल का राज्य हो, यह किसी भी देश क लिये गर्व का विषय है। हमें इस बारे में उनसे सिखना होगा और उसके अनुसार कदम उठाने होंगे।

श्रीमती उमा नेहरू (सितापुर) : श्रीमान् जी, इस बिल को मैंने कई बार पढ़ा है। इस बिल में जो बातें लिखी हुई हैं, उसके लिये तो हमारे यहां कानून है, जिसमें ये सब बातें आ जाती हैं। इस पर मैंने सोचा कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी। जब मैंने अपने भाई श्री राधारमण की तकरीर सुनी, तो मुझे पता लगा कि जो चीजें इधर उधर खुफिया तौर से होती रहती हैं, वे इस बिल में नहीं हैं, और न ही हो सकती हैं, क्योंकि उस की चर्चा भी नहीं है और बयान देने के लिये भी कोई तैयार नहीं होता है। अगर कोई स्त्री ऐसी मुसीबत में पड़े और बाहर आ कर कहे, तो हमारे समाज की हालत ऐसी है कि गालिबन दोषी स्त्री ही कहलायेगी। इन दिक्कतों को हमारे भाई श्री राधारमण मिटाना चाहते हैं। लेकिन इसको देख कर एक और भी बात मेरे ख्याल में आई है और वह यह है कि पुरुष ही हमारे समाज सुधारक हैं और आज जो चर्चा यहां पर हो रही है उस में मुजरिम भी पुरुष ही है यानी समाज का सुधार भी पुरुष ही करें और मुजरिम भी वही होंगे।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : पुलिस भी वही होंगे।

श्रीमती उमा नेहरू : यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इस बिल को देख कर मैं नहीं समझ सकती कि किसी सख्त से सख्त कानून से भी समाज में उन्नति या सुधार होने वाला है। मेरे ख्याल में यह सुधार और उन्नति तभी होंगे, जब हमारी स्त्रियां मजबूत होंगी और वे समझेंगी कि समाज का सुधार हमें करना है, हम यहां पर एक माता की हैसियत से हैं, जो पुरुष यह पाप या बुरा काम करते हैं, वे हमारे बच्चे हैं, इनको हमने ही सुधारना है। अगर यह भाव लेकर एक स्त्री चले और वह अपनी निगाह बदल ले, तो मैं समझती हूं कि कोई कितना भी गुनाहगार आदमी हो, बदमाश आदमी हो, वह उस स्त्री के करीब नहीं आ सकता है। उस स्त्री में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है। आज हमको इस वैलफेयर स्टेट को बनाने के लिये अपनी बहनों से और स्त्रियों से प्रार्थना करनी है, बल्कि उनको इस बात की शिक्षा देनी है कि वह इतनी मजबूत हों कि वे सारे समाज की शकल को बदल दें। हम को अपने समाज में परिवर्तन करना है और उन भाइयों को सुधारना है, जिनमें कमजोरियां आ गई हैं।

[श्रीमती उमा नेहरू]

मेरे पास बहुत से नक्शे भी हैं और मैं कई सच्ची कहानियां भी जानती हूं,जो कि मैं इस हाउस में बयान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि मैं केवल गरीब क्लार्कों या मजदूरों को इन गुनाहों की सजावार नहीं समझती हूं । मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं जानती हूं कि जो लोग आज जैन्टलमैन कहलाते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे समाज और सोसाइटी में जाते हैं , जो बड़ी बड़ी मजिलसों में जाते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, वे क्या क्या गुनाह--उन को गुनाह कहिये या जो कहिये--करते हैं । जब मैं दिल्ली में आई, तो मेरे पास एक दिन तीन औरतें आईं, जो कि रो रही थीं । एक बूढ़ी मां थी और दो उस की लड़कियां थीं । वे रेफ्यूजी लड़कियां, जो कि पंजाब की थीं, कुछ शकील और खूबसूरत थीं उन्होंने मुझे बताया कि वे दफ्तरों में मुलाज़िम हैं और उन दफ्तरों के बड़े बड़े अफसर उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं । एक लड़की ने कहा कि मैंने तो छुट्टी ले ली है, मैं घर में बैठी हूं । उसकी मां ने कहा कि हम प्याला लेकर भीख मांगेंगे, लेकिन हम यह नहीं देख सकती हैं । मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन हमारे समाज के एक बड़े से बड़े अफसर थे, जिनकी यह हरकत थी ।

जसा कि मेरे भाई श्री सरजू पांडे ने कहा है, अगर आप कानून लाते हैं, तो उसके जरिये आप पुलिस के हाथ में और हथियार देते हैं । हमारे सामने जो इस तरह की कहानियां बयान की जाती हैं, उनमें ज्यादातर पुलिस का ही हाथ होता है, जो कि अनपढ़ औरतों को इधर उधर ले जाती हैं और ये थानों में भी पहुंचा दी जाती हैं । मेरा कहना यह है कि यह सुधार कानून के जरिये से नहीं हो सकता है, यह सुधार तो सोशल वर्कर्ज के जरिये होना चाहिये । मैंने चीन में देखा कि रात के ग्यारह, बारह बजे तक लड़के और लड़कियां आजादी के साथ घूमते हैं और उनका भाव बिल्कुल भाई-बहिन का मैंने देखा । लड़कियां जाती हैं और मजाल नहीं कि कोई भी इस तरह की गन्दी छेड़-छाड़ हो । वहां पर आखिर क्या बात है ? कोई कह सकता है कि वहां पर कानून इतने सख्त हैं और इतनी सख्त सजा है कि उससे डर कर कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता है । मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां की स्त्रियों ने बड़ी मेहनत की है । वहां की विमुन्ज फेडरेशन को मैंने खुद देखा है । उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज चीन की स्त्री अकेली घूमती है और चीन का पुरुष उस की इज्जत करता है ।

हम यहां के सोशल स्ट्रक्चर को, यहां के समाज को बदलना चाहते हैं, हम रोज सुनते हैं कि हम को सोशलिस्टिक पैटर्न बनाना है, बल्कि सोशलिज्म लाना है । मैं यह कहना चाहती हूं कि सोशलिज्म लाने के लिये औरतों और मरदों का बराबर होना जरूरी है । हमारे विधान में भी यही लिखा है कि औरत और मरद बराबर हैं और हम अक्सर यह बात सुनते हैं,लेकिन अगर कोई हम स्त्रियों से पूछे तो हम तो यही कहेंगी कि इस वक्त हमारी अपनी कोई नैशनैलिटी नहीं है । यदि कोई स्त्री चाहे कि उसकी शादी किसी अमरीकन से हो जाये और वह हिन्दुस्तानी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है । औरत की नैशनैलिटी को आप नहीं मानते हैं। इसलिये विधान के मुताबिक स्त्री चाहे मरद के कितनी ही बराबर हो, लेकिन इंडिपेंडेंट नैशनैलिटी उसकी नहीं है ।

इसके अलावा औरत आप की कई सर्विसिज में--जैसे पुलिस में--नहीं जा सकती है । उसके लिए रुकावटें हैं । आप भले ही कहें कि हम रुकावटें नहीं रखते, लेकिन मुझे मालूम है कि आप उनको लेते नहीं हैं । एक लड़की आई० ए० एस० में पास हुई और उसने पुलिस सर्विस में जाना चाहा, तो उसको लिया नहीं गया, क्योंकि लड़कियां पुलिस में नहीं जा सकती हैं। ये दिक्कतें और कमियां हमारे समाज में हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जब तक समाज की कमजोरियों को आप दूर नहीं करेंगे, जब तक स्त्री खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, जब तक वह खुद यह नहीं समझेगी

कि यह बात बुरी और गलत है, और जब तक स्त्री यह निश्चय नहीं कर लेगी कि मर्द उसके साथ खेल और छेड़छाड़ नहीं कर सकता और अपने दिल में मजबूत नहीं होगी तब मैं समझती हूं कि कानून से कोई सुधार होने वाला भी नहीं है ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : जिन बातों के लिए दण्ड की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है उनके लिये आगे ही भारतीय दंड संहिता में व्यवस्था है । परन्तु मेरा मत यह है कि दण्डों से अपराध दूर नहीं हो सकते, इसके लिए समाज में शिक्षा और साहित्य का स्तर ऊंचा करना होगा । गरीब और अनाथ बच्चों को पुनर्वास की अधिक सुविधायें देनी होंगी । फांसी अथवा १५ वर्ष की कड़ी कैद इस समस्या का हल नहीं, जिसे कि माननीय सदस्य हल बताते हैं । साथ ही इसके सम्बन्ध में हमें भयभीत होने की प्रवृत्ति को भी नहीं बढ़ाना चाहिए ।

इस प्रकार के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४ और ३६३ में ७ से १० वर्ष तक की सजा की व्यवस्था है । यदि माननीय सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो उन्हें संहिता में संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए । इस विधेयक से तो समाज का कुछ भी कल्याण नहीं होगा । इसमें तो परिभाषायें भी समुचित ढंग से नहीं की गयी हैं । हिन्दू विवाह अधिनियम तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से तो महिलाओं की अवस्था सुधरी है परन्तु यह विधेयक बिल्कुल बेकार है । और इस समय समाज के हित के लिये इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । आने वाले समय में यदि दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटनायें बढ़ती गयीं और लड़कियों की छेड़छाड़ बन्द न हुई, तब हम इसका परीक्षण करेंगे और अपना सम्पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे । यद्यपि यह ऐसी मनोवृत्ति का प्रतीक है जिसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए, पर मेरा विचार यही है कि इस प्रकार के कानून बनाना ठीक नहीं ।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौक़ा दिया ।

माननीय सदस्य ने हमारी नारियों के साथ पुरुषों द्वारा जो दुर्व्यवहार, अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसकी सराहना करता हूं । मैं इस विधेयक में जो भावना काम कर रही है उसकी क़द्र करता हूं और आज इस सदन के अन्दर हम सभी जने इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे देश के अन्दर अनाचार और भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यह कि उसके निराकरण के लिए कोई सक्रिय क़दम उठाया जाना चाहिए ......

एक माननीय सदस्य : क्या आपके पास कोई इस सम्बन्ध में आंकड़े हैं ?

श्री प० ला० बारूपाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूं कि आज हमारी भारतमाता अपने कपूत पुत्रों को देख कर रो रही है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जिस प्रकार से स्त्रियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वैसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो सदन के सामने अपने विचार रक्खे हैं, मैं उनसे सहमत हूं । लेकिन एक बात मैं इस सिलसिले में ज़रूर कह देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह केवल स्त्रियों के लिए ही है, वह एक तरफ़ा है और उसमें पुरुषों का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है । मेरा सुझाव यह है कि विधेयक को लाने वाले माननीय सदस्य इस पर पुनर्विचार करें और जब तक वे पुनः इस विधेयक पर अच्छी तरीके से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प० ला० बारूपाल]

सोच समझ कर संशोधित रूप में इसको नहीं रक्खेंगे तब तक मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा । इस विषय पर सस्दयों ने अपने अपने सुझाव रक्खे हैं और बहुत से सदस्य इस पर अभी बोलना चाहते हैं, इस वास्ते मैंने एक लिखित चीज़ तैयार कर ली थी कि अगर सभापति महोदय मुझे उसको यहां पर पढ़ कर सुना देने की इजाज़त दे देंगे तो मैं उसको यहां पर सुना दूंगा क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि मैं इस विषय पर कोई एक लम्बा चौड़ा भाषण दूं लेकिन खैर चूंकि उसकी इजाज़ नहीं है इसलिए उसको नहीं पढता । लेकिन आज की भारत की अवस्था के बारे में जो कि एक भारतवासी ने कहा है वह मैं आपको सुना देना चाहता हूं : "जागो जापान जगाय दियो जग, पौरुष देख के रूसी भागे, चीन के लोग अफीम उपासक पीन् के छोरी विलोकन लागे, दीन अधोगति वासी पत्ताल के जाकि के ज्ञान सुधारस पागे, हाय जगदीश जरे जियै, देख के भारत पुत्र अभी नहीं जागे ।" इस भारत देश के अन्दर हमेशा से बड़े बड़े ऋषि और महापुरुष होते चले आये हैं । इस देश को महर्षि स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी सरीखे देशभक्तों को पैदा करने पर गर्व हो सकता है । हमारे देश का इतिहास ऐसे ऐसे अन्य अनेक महापुरुषों से भरा पड़ा है लेकिन आज क्या हालत हो रही है । आज हम इस विधेयक के जरिए अपनी माताओं, बहिनों और स्त्रियों की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस तरह के कानून बना देने से उनकी रक्षा नहीं हो सकेगी । मैं तो समझता हूं कि स्त्रियां स्वयं अपनी रक्षा अपने आप कर सकती हैं और प्राचीन काल में इसी देश में हमारे यहां दमयन्ती, सीता, सावित्री, पद्मिनी और महारानी झांसी जैसी देवियां और वीरांगणाएं हुई हैं जिन पर कि हर एक स्त्री पुरुषों को गर्व है और मेरा तो विश्वास है कि जब आज की हमारी बहिनों को उन देवियों का पाठ पढ़ाया जायगा और उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी जायेगी तभी स्त्री मात्र का उद्धार हो सकता है और इस तरह की समस्या हमारे देश में पैदा ही नहीं होगी जिसके कि खत्म करने के लिए आज हम परेशान हैं । मुझे माफ किया जाये अगर मैं यह कहूं कि आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है और जो हमारी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उनका ध्यान उस गौरवमयी पुरातन संस्कृति की ओर नहीं है, उसके अनुकूल आज की शिक्षा व्यवस्था नहीं है बल्कि उसके प्रतिकूल है और जब तक हम अपनी पुरानी वैदिक सभ्यता के आधार पर इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक जो चीज हम करना चाहते हैं उसके करने में सफल नहीं हो सकेंगे । आज हम क्या देखते हैं ? मुझे इस स्पष्टवादिता के लिए क्षमा किया जाय अगर मैं कहूं कि आज हमारी बहिनें अपने को फैशन के हिसाब से बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं और उसी का यह परिणाम हो रहा है कि आज हमें सती सीता, सावित्री और दमयन्ती सरीखी स्त्रियां देखने को नहीं मिलतीं और आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब सीता नहीं देखने को मिलेगी तो लक्ष्मण आपको कहां देखने को मिल सकते हैं । मुझे इस अवसर पर रामायण का वह प्रसंग याद हो आता है जब राम को सीता को खोजते हुए वन में उनके कुछ आभूषण मिल जाते हैं और वह लक्ष्मण से पूछते हैं कि भाई इन जेवरों को तो पहचानो कि यह सीता के हैं कि नहीं तो लक्ष्मण यह उत्तर देते हैं कि हे भाई मैं इन जेवरों को नहीं पहिचानता क्योंकि मैंने उस माता के चरणों की ओर ही हमेशा निहारा है और मैंने उसके मुख की ओर कभी नहीं देखा है इसलिए मैं इन जेवरों को नहीं पहचान सकता । तो यह आदर्श हमारा था और मैं चाहता हूं कि हमारी बहिनें उसी की अनुयायी बनें । पुरुषों का भी लक्ष्मण के चरित्र को अपने सामने रखना चाहिए और उसको आदर्श रूप में अपनाना चाहिए । साधु सुन्दर दास ने इस सम्बन्ध में पुरुषों को बड़े ही सुन्दर शब्दों में कहा है कि अगर

पुरुष बचना चाहता है तो वह स्त्री को ऐसी दृष्टि से देखे जैसे वह उससे डरता हो क्योंकि स्त्री का ऐसा माधुरी सौन्दर्य रूप होता है जो कि हमेशा पुरुष को आकर्षित कर लेता है और मुझे माफ किया जाय अगर मैं यह कहूं कि आजकल की हमारी बहिनों का पहनावा ही कुछ इस तरह का तड़क भड़क का है और उनके गालों पर पाउडर और मुंह पर लिपस्टिक का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि जिसकी ओर आदमी बरबस आकृष्ट हो जाता है और उनके उस तड़क भड़क वाले बनाव शृंगार को तो देख कर हमें शर्म महसूस होने लगती है . . . .

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : स्त्रियों के लिए ऐसा अंट शंट नहीं बोलना चाहिए ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैंने ऐसा तो कोई अनुचित शब्द नहीं इस्तेमाल किया । मैं तो साधु सुन्दर दास ने जो इस विषय में कहा है वही मैं सभापति महोदय, आपकी इजाजत से यहां सुना देना चाहता हूं :

"कामिनी को तन मन कहिये सुधन बन, वहा कोई जाय सो भूल में परत है,
कूच को पहाड़ जहां कामचोर बसे वहां, साध के कटाक्ष वाण प्राण को हरत है
कुंजर की गति कटि केहरी को भय जामे, वेनी काली नागिन सी फनक्यों धरत है,
सुन्दर कहत डर एक जामे है अति ।'

इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता । यह प्रकृति का उसूल है और यह एक ऐसा नियम है जिसमे कि कोई बच नहीं सकता । मुझे माफ किया जाय अगर मैं यह कहूं कि आज हम सिनेमाओं के अन्दर और बसों के अन्दर क्या देखते हैं ? मैं शहरों की बात करता हूं । अगर स्त्रियां छेड़छाड़ करती हैं तो उनका कुछ भी नहीं होता । मैं मिसाल के तौर पर बीकनेर की घटना सुनाना चाहता हूं जहां पर कि हमारे यहां के चीफ मिनिस्टर महोदय मौजूद थे और हमारे श्री जगजीवन राम भी मौजूद थे, एक बहुत बड़े आदमी का स्टेज पर एक स्त्री ने अपमान किया लेकिन उसकी इनक्वायरी तक नहीं हुई लेकिन अगर कोई पुरुष इस तरह की छोटी मोटी हरकत कर देता है तो उसकी अंतड़ियां बखेर दी जाती हैं । यह कानून केवल एक तरफा कानून है और अगर इसे इसी रूप में पास कर दिया गया तो यह पुरुषों के साथ अन्याय करना होगा । जुर्म चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष, कानून दोनों के लिए एक ही होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त जैसे हम कहते हैं कि हरिजनों के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए कानून तो आवश्यक है ही लेकिन उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा करना जरूरी है और लोगों के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक वही बात यहां पर भी लागू होती है । नारियों के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है । स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाये वह हमारी पुरानी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हो और वह ऐसी हो जिससे कि उनके चरित्र का निर्माण हो । मैं पूछना चाहता हूं कि जो स्त्रियां आज केवल अपने पतियों के भोग विलास का साधन बनी हुई हैं, जो स्त्रियां स्वयं अपनी रोटी नहीं पका सकतीं, जिनसे पानी का लोटा भर कर नहीं लाया जा सकता और जो अपने बच्चों को नहला नहीं सकतीं, भला ऐसी स्त्रियों से देश का क्या भला हो सकता है । मुझे इस स्पष्टवादिता के लिए क्षमा किया जाय लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरी माताएं और बहिनें किस गलत दिशा की ओर जा रही हैं तो मुझे दुःख का अनुभव होता है और मैं सोचता हूं कि क्या

[श्री प० ला० बारूपाल]

इस तरह कभी देश का कल्याण सम्भव हो सकता है? आज मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस देश के अन्दर अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है वह बड़ी चिन्ता की चीज है। हमारे नेता लोग जब यह कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और यहां पर बड़ी बड़ी योजनाएं और निर्माण कार्य चल रहे हैं तो मैं उस चीज से इनकार नहीं करता और मैं उसको मानता हूं कि हां देश उस ओर तो तरक्की कर रहा है लेकिन क्या खाली बड़े बड़े बांध, इमारतें और पुल आदि बना कर ही हम यह समझ लेंगे कि देश तरक्की कर रहा है और सब संतुष्ट हो जायेंगे? मैं तो ईंट, पत्थर की तरक्की को मान्यता देने की अपेक्षा नैतिकता और चरित्र की दृष्टि से देश तरक्की कर रहा है या गिर रहा है इसको अधिक मान्यता देता हूं आज जिस तरीके से देश के अन्दर भ्रष्टाचार, अनाचार और अनैतिकता बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए मुझे यह कहने के लिए माफ किया जाय कि भगवान ही इस देश की रक्षा करे।

श्रीमती मिनीमाता (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, मुझे आपने जो इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

आज कुछ इस तरह की हमारे नौजवान लड़कों में अनुशासनहीनता का भाव आ गया है कि हमारे स्कूल और कालिजों के लड़के जो कि शिक्षित होते हैं वे रास्ता चलती हुई औरतों और लड़कियों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और ऐसा करना कुछ आजकल का एक फैशन सा बन गया है। आज इतने युगों के बाद, हमारे नेहरू युग में औरतों को जो समानता का अधिकार मिला है, उस का हम अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं, परन्तु आज समानता के युग में भी यह युग हमे कुचलने के लिये तैयार है, कारण आज की अनुशासनहीनता है। कालेज के लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे, रास्ता चलते धक्का दे कर गिरा देंगे, यह आज कल का फैशन हो गया है। इसलिये मैं इस बिल को पास करने का सुझाव जरूर दूंगी और इसमें परिवर्तन करने के भी सुझाव दूंगी। सिनेमा के युग में जब कलाकार पेश होते हैं और अच्छी तरह से अपनी कला पेश नहीं कर पाते हैं तो जनता उनको हीन दृष्टि से, खराब भावना से देखती है यह तो है ही, परन्तु उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, उसका भी मैं जरा चित्रण करती हूं। सिनेमा के युग में आप देखेंगे, यहां दिल्ली में तो मैं इन बातों को नहीं पाती हू, मगर बैकवर्ड एरियाज में आप देखेंगे कि यदि कोई कलाकार पेश होता है तो लोग उनके ऊपर नाना प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे, सीटियां बजायेंगे, तालियां बजायेंगे। उनके नाम पर कोई कोई लोग बुरी बुरी बातें कह कर और गालियां दे कर उन के साथ व्यवहार करेंगे।

मैं सुझाव दूंगी कि दूकानों में औरतों के जो करीब करीब नग्न चित्र रक्खे जातें हैं, उनके लिये भी इस बिल में सजा होनी चाहिये क्योंकि क्या औरतें ही उन दूकानों का शो बढ़ाने के लिये हैं? आदमियों को भी रखना चाहिये। जैसा हमारे बारूपाल जी ने कहा कि औरतें फैशन बढ़ाती हैं और मर्दों को आकर्षित करती हैं, तो इसमें वह भी गुनाहगार हैं। जब वह अपनी औरतों के लिये फैशन बढ़ाने के वास्ते पतले पतले कपड़े नहीं लायेंगे, फलिस्टिक नहीं लायेंगे, तो औरतें फैशन नहीं बढ़ा सकेंगी।

एक माननीय सदस्य: औरतें इसके लिये जिद करती हैं।

श्रीमती मिनीमाता : जिद करती हैं; तो उसे मसलने के लिये आप की लाठी है।

सभापति महोदय : मुझे उम्मीद है कि आनरेबल लेडी मेम्बर और ज्यादा वक्त लेना चाहती हैं। ६ बज चुके हैं। अगर आप और वक्त लेना चाहती हैं तो आइन्दा जो दिन मुकर्रर होगा इस बिल के वास्ते, उस दिन के लिये बाकी रक्खें।

विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं ३ दिसम्बर १९५७ को सभा को दी गयी अंतिम सूचना के बाद चालू सत्र में ससद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५७

(२) छावनियां (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक, १९५७

(३) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, १९५७

बनस्पति तेल तथा अग्निशामक पदार्थ

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री अजित प्रसाद जैन द्वारा ३ दिसम्बर, १९५७ को तारांकित प्रश्न संख्या ७५५ और ७६० के सम्बन्ध में दिये गये अपूर्ण तथा असन्तोषजनक उत्तर के परिणामस्वरूप मैं यह चर्चा उठा रहा हूं। तीन बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिये मैं ऐसा कर रहा हूं :

(१) देसी व सस्ती सामग्री से अग्निशामक वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी गवेषणों में सरकार की असफलता;

(२) घी तथा खाने वाले बनस्पति तेलों की विषाक्त बनने से रक्षा करने में सरकार की असफलता; और

(३) ऐसी सामग्री के आयात की अनुमति देना जिसका व्यापक उत्पादन देश के भीतर ही हो सकता है।

मेरा एक प्रश्न था कि क्या पूसा इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा अग्निशामक पदार्थ तैयार किया जाता है जिससे बनस्पति तेलों को खराब होने से बचाया जा सके। इसका उत्तर 'हां' दिया गया था। और साथ ही इस सम्बन्ध में जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा इससे यही परिणाम निकलता है कि देश का हर तेल खाने के योग्य है, परन्तु यह बात नहीं है। औद्योगिक और अन्य मामलों में भी तेल काम आता है, और उसके लिये उसे खराब होने से बचाये रखना परम आवश्यक है। खाने के अतिरिक्त बहुत से कामों में तेल उपयोग में आता है।

पूसा से सम्बन्धित दो सदस्यों ने गवेषणा के प्रतिवेदन में भी यही कहा कि परीक्षणों से यही पता चला है कि यहां के अग्निशामकों से वनस्पति तेलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। परन्तु हम इस मामले में विदेशी समवायों पर ही आश्रित रहना चाहते हैं। मेरे विचार से सरकार के पास इस पदार्थ के आयात के आंकड़े भी नहीं होंगे। वनस्पति के अतिरिक्त पट्रोल, रबड़ और चमड़ा इत्यादि उद्योगों में भी इसकी बहुत जरूरत रहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

हमारे वैज्ञानिकों ने अपने बुद्धि भंडार से यह पता लगाया है कि केरल में मिलने वाले बीजों से बहुत अच्छा अग्निशामक उत्पन्न हो सकता है। प्रतिवेदन में बताया है कि यह वृक्ष मालाबार की पहाड़ियों में बहुत होता है। इसलिये इस पर किसी प्रकार का खर्च आने की सम्भावना भी नहीं है। परन्तु मंत्री महोदय उसके विषाक्त होने की बात कहते हैं, हालांकि इसका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया गया।

इन तेलों आदि की किस्म को बनाये रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनमें विटामिन की बहुत कमी है।

मेरे राज्य में दूध की प्रतिव्यक्ति अधिकतम खपत होती है परन्तु ग्रामीण लोग अधिकतर बूदार घी प्रयोग करते हैं और उत्तर प्रदेश में तो विटेमन ए के अभाव के कारण २० या ३० लाख लोगों को रात के समय न दिखाई देने की बीमारी है।

प्रतिवेदनों से पता लगता है कि बूदार गंदे तेलों के प्रयोग से कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है। हमारे दो वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारे देशी पदार्थ से अग्निशामक तत्वों का विकास किया जा सकता है परन्तु सरकार ने उसकी सिफारिश नहीं की और कहा है वह विषाक्त है। क्या विदेश की किसी प्रयोगशाला ने इसकी गवेषणा की है?

डा० सी० एच० ली क्या यह प्राधिकारपूर्ण कथन है कि औद्योगिक तेलों आदि को सड़ने नहीं देना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय बतायें कि अग्निशामक पदार्थों का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका और क्यों इस मुद्रा संकट के समय इस का आयात किया जाता है।

क्या सरकार ने किसी विश्वविद्यालय को वित्तीय अनुदान दिये हैं ताकि वाणिज्यिक रूप से इस पदार्थ को निकालने की गवेषणा की जा सके? सरकार को इस सम्बन्ध में पूरा प्रयत्न करना चाहिये। माननीय मंत्री कृपया यह बतायें कि ऐसा क्यों नहीं हो सका। वे कृपया यह भी बतायें कि क्या वे मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि केरल विश्वविद्यालय को इस गवेषणा कार्य के लिये निधि दी जाये।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अग्निशामक पदार्थों की कुल मांग कितनी है, कितना आयात किया जाता है और भारत में भी इसका निर्माण होता है अथवा नहीं।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम): मैं केवल पूछना चाहता हूं कि क्या अग्निशामक पदार्थों के विष के तत्वों की गवेषणा की गई है।

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: मैं माननीय मित्र का आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय में इतनी अभिरुचि दिखाई है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से जो प्रश्न सभा में पूछे गये थे उनके उत्तरों का ही संक्षेप में उल्लेख इन्होंने किया है। इन्होंने इस तेल के विभिन्न प्रयोगों की बात कही है और खाने योग्य तथा न खाने योग्य तेलों का वर्णन किया है।

जहां तक न खाने योग्य तेलों का सम्बन्ध है खाद्य तथा कृषि मंत्रालय उससे सम्बन्धित नहीं क्योंकि वे उद्योग में प्रयोग किये जाते हैं। अतः उनकी खोज का सम्बन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के भिन्न संगठनों से है। इस मंत्रालय ने तो केवल खाने योग्य तेलों के बारे में ही उत्तर दिये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

निश्चय ही मेरे माननीय मित्र को यह पूछने का अधिकार है कि सरकार ने इसके सभी प्रयोगों के सम्बन्ध में क्या किया है और इस पदार्थ की खोज के लिये क्या प्रयत्न किया गया है। केरल में यह पदार्थ उपलब्ध है अतः उसके प्रति हम द्वेष भावना नहीं रख सकते। प्रत्युत इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां के सचेत प्रतिनिधि हमें उसकी उपेक्षा नहीं करने देंगे हम केरल को लाभ पहुंचाने वाली बात की ओर और भी अधिक ध्यान देंगे।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि कोई विश्वविद्यालय किसी ऐसी योजना को हाथ में ले जो भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के कार्यों के अन्तर्गत होता हो और उसे यह परिषद अनुमति दे दे तो निश्चय ही विश्वविद्यालय को पूरा अनुदान दिया जायगा। पहले हम ५० प्रतिशत अनुदान दिया करते थे और ५० प्रतिशत राज्य अथवा विश्वविद्यालय को देना पड़ता था परन्तु हमने १०० प्रतिशत अनुदान की प्रणाली बनाई है और विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संस्थाओं को भी बिना ऐसे प्रबन्ध के अनुदान दिये जाते हैं। उनकी योजना को यदि भारतीय कृषि गवेषणा ने मंजूर किया तो हम उसका स्वागत करेंगे।

न खाने योग्य तेल खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। हमारे पास जो जानकारी थी वह हमने दे दी है। और उसका निष्कर्ष माननीय सदस्य को बताया जा चुका है कि इन तेलों को खाने की सिफारिश नहीं की गई क्योंकि उनमें विषैले तत्वों का विकास पाया गया है।

मेरे माननीय मित्र ने पूछा था कि क्या कोई प्रयोग किये गये हैं? जहां तक मुझे पता है प्रारम्भिक प्रयोगों से ही यह पता लग गया था कि वनस्पति तेलों में अग्निशामक पदार्थ हानिकारक हैं। मुझे पूरा ब्योरा ज्ञात नहीं परन्तु विश्वास है कि इसका प्रयोग कुछ उपयुक्त पशुओं पर किया गया होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मित्र यहीं जानना चाहते थे कि विषैले तत्वों सम्बन्धी निष्कर्ष किस आधार पर निकाला गया है।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देने की बात है कि जिस रसायन में अग्निशामक पदार्थ प्रयोग करना हो वह बहुत शुद्ध होना चाहिये। अतः इससे स्वभावतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि हमारे पास काफी कच्ची सामग्री है हमें इसके ऐसे निर्माण के लिये पर्याप्त प्रविधि का विकास करना होगा जिससे इतने उच्च स्तर का माल तैयार हो जितने उच्च स्तर का माल हम आयात करते हैं।

अभी कुछ मिनट पूर्व मैंने आयात माल के मूल्य जानने का प्रयत्न किया था परन्तु मुझे कोई लगभग मूल्य भी नहीं बता सका। परन्तु मेरा विचार है कि यह अधिक नहीं होगा क्योंकि जैसा स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना से पता लगता है यह सामग्री बहुत कम प्रयोग की जाती है। जिन वस्तुओं में इसका प्रयोग अनुज्ञेय है उनमें अधिकतर ०.०१ से लगभग ०.०५ प्रतिशत के अनुपात से ही प्रयोग किया जाता है।

अधिकतर खाने के तेल घी आदि के खराब होने से पहले ही उनकी खपत हो जाती है। हमने माननीय सदस्य को यह स्पष्ट कह दिया है कि इस सम्बन्ध में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं जिनसे यह पता लग सके कि घी अथवा खाने के तेलों की कितनी मात्रा सड़ जाती है।

इसके साथ ही हम इन के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते क्योंकि हम जानते हैं कि ये हानिकारक हैं। इन सब तथ्यों से पता लगता है कि यद्यपि हम इन का आयात कर रहे हैं और आई० सी० आई० को इस पर एकाधिकार प्राप्त है इस पर खर्च कम होता है और अधिक विदेशी मुद्रा की लागत नहीं होती। परन्तु कच्ची सामग्री की खोज न करने और अग्निशामक पदार्थों का निर्माण न करने के लिये मैं यह तर्क नहीं दे रहा हूं।

[डा० पं० शा० देशमुख]

इस ओर ध्यान दिलाने के लिये हम माननीय सदस्य के आभारी हैं। कई ऐसे अभिकरण हैं, वैज्ञानिक गवेषणा संगठन और रासायनिक प्रयोगशालायें आदि तथा हम भी इस सुगमता से उपलब्ध कच्ची सामग्री को उपयोग में लाने का और आयात कम करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

परन्तु खाद्य तथा कृषि मंत्रालय यह सब करने के लिये अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। हमारे काम का क्षेत्र खाने योग्य तेलों तक ही सीमित है। न खाने योग्य तेल औद्योगिक तेल हैं और उन से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और वैज्ञानिक परिषद का सम्बन्ध है। मुझे विश्वास है कि अब जबकि माननीय सदस्य ने इस विषय की ओर ध्यान दिला दिया है तो वे भी इस क्षेत्र में अधिक कार्य करने की आवश्यकता को अनुभव करेंगे। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इस से अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं समझता परन्तु फिर भी यदि खाने के तेलों के प्रयोगों और उनके संरक्षण के सम्बन्ध कुछ करना हुआ तो हम अवश्य करेंगे और मुझे आशा है कि माननीय मित्र इस आश्वासन से अवश्य सन्तुष्ट होंगे।

†**सभापति महोदय**: शायद ऐसा है कि कुछ तेल खाने योग्य होने के साथ साथ नहीं भी खाये जाते हैं और कुछ न खाने योग्य तेल खाने योग्य भी हैं। यह विषय महत्वपूर्ण है और हमें आशा करनी चाहिये कि माननीय सदस्य के सुझाव पर भली प्रकार विचार किया जायगा।

†**श्री वें० प० नायर**: मैं ने चर्चा इसलिये उठाई थी कि मेरा यह खयाल था कि वनस्पति तेलों के मूल्यों से खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध है। मेरा कहना यह था कि तेलों में से दुर्गंध आने लगती है और काश्तकारों को भी पैसा नहीं मिलता। खैर, मैं माननीय मंत्री के आश्वासन से सन्तुष्ट हूं।

सभापति महोदय: अब सभा कल तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार २१ दिसम्बर १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई:

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	३२८९—३३१६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३७९	भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भरती) परीक्षा	३२८९—९१
१३८०	अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवायें	३२९१—९२
१३८१	दशमिक सिक्के	३२९२—९४
१३८२	ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र	३२९४—९५
१३८३	शिक्षा सम्बन्धी भ्रमण	३२९५—९७
१३८४	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर	३२९७—९८
१३८५	निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा	३२९९—३३००
१३८६	नेपाल को सहायता	३३००—०१
१३८७	पदाधिकारियों का पूल	३३०१—०२
१३९०	विदेशी मुद्रा	३३०२—०५
१३९१	मैन्युअलों, नियमों इत्यादि का हिन्दी में अनुवाद	३३०५—०६
१३९२	पटसन की पैदावार के केन्द्रों में बैंकिंग सुविधायें	३३०६—०७
१३९३	सिलिकोन्स	३३०७—०८
१३९४	त्रिपुरा में राष्ट्रीय और राज्य राजपथ	३३०८
१३९५	रंगीन मिट्टी	३३०८—०९
१३९७	बबीना के निकट बम विस्फोट	३३०९—१०
१३९८	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियां	३३१०—११
१३९९	उड़ीसा में तम्बाकू की फसल	३३११—१२
१४००	शास्त्रीय संगीत	३३१२—१३
१४०१	राज्य गृह तथा जिला संरक्षण केन्द्र	३३१४
१४१४	इंडिया सीक्योरिटी प्रैस, नासिक	३३१४—१६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७	भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद	३३१६—१८
८	धनबाद के खनन स्कूल में विद्यार्थियों की हड़ताल	३३१८—२०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		३३२०—८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३८८	पाकिस्तान सीमा पुलिस	३३२०
१३८९	इस्पात कारखानों के स्थानों पर उद्योग	३३२०–२१
१३९९	राजस्थान में तोपखाना सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र	३३२१
१४०२	समाज विज्ञानों में उच्च अध्ययन	३३२१
१४०३	सामान्य भविष्य निधि में से धन निकालना	३३२२
१४०३क	स्पुटनिक	३३२२
१४०४	उच्च न्यायालयों में द्वैध प्रणाली	३३२२–२३
१४०५	सरकारी उपक्रमों का लखा परीक्षण	३३२३
१४०६	सरकारी कर्मचारियों की छटनी	३३२३–२४
१४०७	ऋण सम्बन्धी सुविधायें	३३२४
१४०८	ज्वालामुखी में भूमि का अर्जन	३३२४
१४०९	राजभाषा आयोग	३३२४–२५
१४१०	भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी	३३२५
१४११	रुमानिया द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां	३३२५
१४१२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन	३३२५–२६
१४१३	किरकी की ई० एम० ई० वर्कशाप में हड़ताल	३३२६
१४१४क	आपात सहायता संगठन	३३२६–२७
१४१५	दिल्ली में पाकिस्तानी राष्ट्र-जन	३३२७
१४१६	फ्रांस द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां	३३२७–२८
१४१७	सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को सहायता	३३२८
१४१८	वैमानिक सर्वेक्षण	३३२८–२९
१४१९	पवन शक्ति	३३२९
१४२०	सोने का तस्कर व्यापार	३३२९
१४२१	वोलफ्राम निक्षेप का अनुसंधान	३३२९–३०
१४२२	अन्धों के लिये रोज़गार	३३३०
१४२३	१८५७ की शताब्दी	३३३०
१४२४	त्रिपुरा में आवास योजना	३३३०–३१
१४२५	राजस्थान में पैट्रोल	३३३१
१४२७	पंजाब विधान सभा के लिये रायकोट से उपनिर्वाचन	३३३१
१४२८	बेन्टोनाइट मिट्टी के निक्षेप	३३३२
१४२९	विदेशों को सहायता	३३३२
१४२९क	अशोक होटल के निकट डाकुओं का एक गुप्त स्थान	३३३२
१४३०	तस्कर व्यापार	३३३३
१४३१	विदेशी मुद्रा	३३३३–३४
१४३२	अन्दमान में परामर्शदात्री समितियां	३३३४
१४३३	निर्वाचक नामावलियां	३३३४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०२८	कर्मचारियों की सेवामुक्ति।पदच्युति	३३३५
२०२९	राष्ट्रीय पंचांग	३३३५
२०३०	सेवा-निवृत्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन	३३३५
२०३१	अन्दमान निकोबार द्वीप-समूह में बस्ती बसाना	३३३५–३६
२०३२	राष्ट्रीय राइफल संथा	३३३६
२०३३	राइफल क्लब	३३३६–३७
२०३४	बिना मान्यता वाले कार्मिक संघ	३३३७
२०३५	कोयम्बटूर (सुलर) में हवाई अड्डा	३३३७
२०३६	कानपुर छावनी बोर्ड	३३३८
२०३७	१०० रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी	३३३८
२०३८	हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय	३३३८–३९
२०३९	भारत का राज्य बैंक	३३३९
२०४०	मराठवाड़ा में बहुप्रयोजनीय स्कूल	३३३९
२०४१	हजार रुपये वाले नोट	३३३९–४०
२०४२	बम्बई राज्य का भूतत्वीय सर्वेक्षण	३३४०
२०४३	यमुना के किनारे के गांव	३३४०
२०४४	किर्की के गोलाबारूद कारखाने में विस्फोट	३३४०–४१
२०४५	निवेली परियोजना	३३४१
२०४६	प्रौढ़ शिक्षा	३३४१–४२
२०४७	जीवन बीमा निगम में परिवीक्षाधीन निरीक्षक	३३४२
२०४८	भूतपूर्व बीमा समवायों के प्रबन्धक	३३४२
२०४९	जीवन बीमा निगम	३३४२–४३
२०५०	अन्दमान द्वीपों में बसने वाले लोग	३३४३
२०५२	भारत में स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले व्यक्ति	३३४३–४४
२०५३	दिल्ली में अपराध	३३४४
२०५४	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी	३३४४
२०५५	मद्य निषेध	३३४५
२०५६	वैज्ञानिक गवेषणा के लिये विश्वविद्यालयों को अनदान	३३४५
२०५७	वैज्ञानिक गवेषणा के लिये पंजाब को अनुदान	३३४५–४६
२०५८	भारत-पाकिस्तान वित्तीय मामले	३३४६
२०५९	जाली नोटों का छापना	३३४६
२०६०	अल्प बचत योजना	३३४६–४७
२०६१	अमेरिका के साथ भुगतान शेष	३३४८
२०६२	राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास	३३४९
२०६३	पंजाब में आय-कर पदाधिकारी	३३४९
२०६४	तस्कर व्यापार	३३४९–५०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२०६५	गोआ सीमा पर पकड़ा गया निषिद्ध सामान	३३५०
२०६६	दिल्ली के स्कूल . . .	३३५०–५१
२०६७	डालमिया-जैन समवायों की जांच पड़ताल .	३३५१
२०६८	एम्पो (आन्ध्र–मध्य प्रदेश–उड़ीसा) क्षेत्र का सर्वेक्षण	३३५१–५२
२०६९	भारत के रक्षित बैंक के कर्मचारियों के रहने के लिये मकान	३३५२
२०७०	रक्षित बैंक के कर्मचारी .	३३५२–५३
२०७१	मलारी के निकट प्राचीन स्थान	३३५३
२०७२	चांदी ऋण . .	३३५३
२०७३	इम्फाल में चौथी आसाम राइफल्स . .	३३५४
२०७४	परियोजना कार्यान्विति सम्बन्धी जिला समितियां .	३३५४–५५
२०७५	आसाम में मनीपुरी लोग .	३३५५
२०७६	आय-कर निर्धारण के मामले . . .	३३५५–५६
२०७७	विकास परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता . .	३३५६
२०७८	रिज़र्व बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल .	३३५६
२०७९	त्रिपुरा प्रशासन . .	३३५६–५७
२०८०	आदिम जातियों के विद्यार्थी .	३३५७
२०८१	कार निकोबार द्वीप . . .	३३५७
२०८२	अन्दमान द्वीप के लिये परामर्शदात्री परिषद् .	३३५८
२०८३	निकोबार द्वीप में आयकर प्राधिकारी .	३३५८–५९
२०८४	अंदमान में डाक बंगला . .	३३५९–६०
२०८५	इंडिया सीक्योरिटी प्रैस, नासिक . .	३३६०
२०८६	इंडिया सीक्योरिटी प्रैस, नासिक .	३३६०
२०८७	राज-भाषा आयोग का प्रतिवेदन	३३६०–६१
२०८८	आयोग तथा समितियां . . .	३३६१
२०८९	पहाड़ी भत्ता . .	३३६१
२०९०	संघ राज्य-क्षेत्रों में वेतनक्रम . .	३३६२
२०९१	फ्रौगमैन पेठकर की मृत्यु .	३३६२–६३
२०९२	ध्वनि प्रोजैक्टर्स का उत्पादन . .	३३६३
२०९३	पूर्व प्राथमिक शिक्षा	३३६३–६४
२०९४	पंजाब राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड . .	३३६४
२०९५	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि	३३६४
२०९६	विदेशी मुद्रा . . .	३३६४–६५
२०९७	निवेली परियोजना क्षेत्र में स्कूलों के भवन .	३३६५
२०९८	विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल	३३६५–६६
२०९९	अमरीका को भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष .	३३६६
२१००	बाली के समुद्रविमान अड्डे पर सैनिक-शिविर	३३६६–६७
२१०१	संख नदी पर मंदरिया बांध (जलाशय)	३३६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१०२	कृषि सम्बन्धी पाठ्य-क्रम	३३६७
२१०३	केरल में पहाड़ी आदिम जातियां	३३६७-६८
२१०४	भूतपूर्व राजाओं के विरुद्ध दीवानी मुकदमे	३३६८
२१०५	रूरकेला में दुर्घटनायें	३३६८-६९
२१०६	त्रिपुरा में नागरिकता प्राप्त करने वाले मुसलमान	३३६९
२१०७	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों की बस्तियां और बाजार	३३६९
२१०८	आभूषणों की जब्ती	३३६९
२१०९	झूमियां	३३७०
२११०	छावनियों की भूमि में मकानों का निर्माण	३३७०-७१
२१११	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कैन्टीनों के कर्मचारी	३३७१
२११२	हरिजन कल्याण बोर्ड	३३७१
२११३	निवेली में चीनी मिट्टी के निक्षेप	३३७१-७२
२११४	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायी करना	३३७२
२११५	भारत में विदेशी पूंजी	३३७२
२११६	हैदराबाद राज्य बैंक	३३७२-७३
२११७	निर्वाचन याचिकायें	३३७३
२११८	समाज कल्याण गृह	३३७३
२११९	अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास सम्मेलन	३३७३-७४
२१२०	प्रतिरक्षा संस्थापन	३३७४
२१२१	युद्धास्त्र कारखानों और डिपो में कार्य-क्षमता	३३७४
२१२२	पंजाब उच्चन्यायालय	३३७४-७५
२१२३	स्टैनोग्राफर	३३७५
२१२४	मनीपुर में सड़कें	३३७५
२१२५	अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	३३७५-७६
२१२६	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	३३७६
२१२७	अफीम	३३७६-७७
२१२८	प्रतिरक्षा कर्मचारियों को विवाह तथा बाल भत्ते	३३७७
२१२९	गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रैस, कैन्टीन नासिक रोड	३३७७
२१३०	झण्डा दिवस	३३७८-७९
२१३१	पंजाब की अध्यापक संस्था	३३७९
२१३२	दिल्ली विश्वविद्यालय	३३७९
२१३३	अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के लिये छात्रावास	३३७९-८०
२१३४	हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन कृषक	३३८०
२१३५	सम्पत्ति का ब्योरा	३३८०-८१
२१३६	काश्मीर में तेल निक्षेप	३३८१
२१३७	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये मकान	३३८१-८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१३८ अस्पृश्यता . ३३८२
२१३९ सन्दूर की रैयत ३३८२
२१४० उड़ीसा के अनावृष्टिग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य के लिये वित्तीय महायता . . ३३८२

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३३८३

अध्यक्ष ने श्री लिंगराज मिश्र के, जो पहली लोक-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया। इसके बाद सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३३८३—८४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(एक) भारतीय टैक्नोलोजी संस्था खड़गपुर की प्रथम संविधि की एक प्रति ।

(दो) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९४९ की धारा ६ के अन्तर्गत छूट की इक्कीस घोषणाओं की एक-एक प्रति ।

(तीन) विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति :—

(१) पहला विवरण . तीसरा सत्र, १९५७
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६ दूसरा सत्र, १९५७
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ७ . पहला सत्र, १९५७

(चार) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या ७१-ख और ९७-क की एक-एक प्रति ।

(पांच) तीसरे सत्र में हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की बैठकों (चौथी और पांचवीं) के कार्यवाही-सारांश ।

(छः) तीसरे सत्र में हुई याचिका समिति की बैठकों (दसवीं से तेरहवीं) के कार्यवाही-सारांश ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

. चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ३३८४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३३८४—८५

श्री स० म० बनर्जी ने दिल्ली संघ क्षेत्र के पटवारियों के द्वारा हड़ताल की धमकी की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया । गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया

विषय	पृष्ठ
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव द्वारा वक्तव्य	३३८५
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़) ने पंजाब में सैनिक-गृहों के बारे में २० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	३३८५—३४४०
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों सम्बन्धी प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्तावों पर और आगे चर्चा जारी रही । गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । सभी स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुये ।	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	३४४०
बारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक--पुरस्थापित किये गये	३४४०-४१
निम्नलिखित विधेयक पुरस्थापित किये गये :— (१) श्री राधारमण का दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक, (२) श्रीमती सुभद्रा जोशी का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा १९८ का संशोधन) ।	
गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया . .	३४४१
डा० अचमम्बा का अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया ।	
गैर सरकारी सदस्य का विधेयक अस्वीकृत हुआ . .	३४४१—४९
श्री कोडियान के राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक पर और आगे चर्चा जारी रही । विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ । पक्ष में २९, विपक्ष में ८९ । तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--विचाराधीन . . .	३४४९—६३
श्री राधा रमण ने स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
सचिव ने ३ दिसम्बर, १९५७ को सभा को दी गयी अन्तिम सूचना के बाद चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये	

विषय पृष्ठ

तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा—

(१) भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक

(२) छावनियां (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक

(३) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक ।

आधे घंटे की चर्चा . . . ३४६३—६६

श्री वें० प० नायर ने वनस्पति तेलों तथा अग्निशामक पदार्थों के बारे में क्रमशः ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५५ और ७६० के उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई । सहकार मंत्री (डा० पं० श्या० देशमुख) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना :—

(१) डफरिन की काउंटेस निधि विधेयक

(२) नागरिकता (संशोधन) विधेयक

(३) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक

(४) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में